41वीं

वार्षिक रिपोर्ट

2017 - 2018

(अन्तरराष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केन्द्र, प्रगति मैदान)

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

महामहिम भारत के राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद भारतीय अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेला, 2017 के उद्घाटन समारोह में

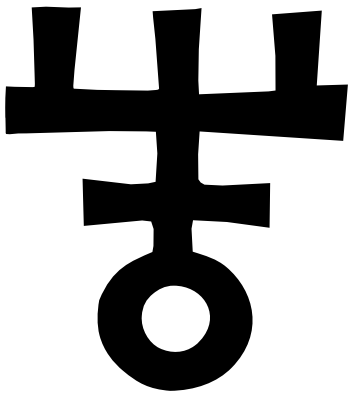

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

वार्षिक रिपोर्ट 2017-18

लोक सभा / राज्य सभा के पटल
पर रखे जाने हेतु दस्तावेज

अधि-प्रमाणित

आई टी पी ओ की 41वीं वार्षिक आम बैठक जारी

लेखा परीक्षक

मैसर्स एस पी चोपड़ा एवं कम्पनी
चार्टर्ड लेखाकार

मुख्य बैंकर्स

सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया
कैनरा बैंक
यूनियन बैंक आफ इंडिया

41वीं

वार्षिक रिपोर्ट

2017 - 2018

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

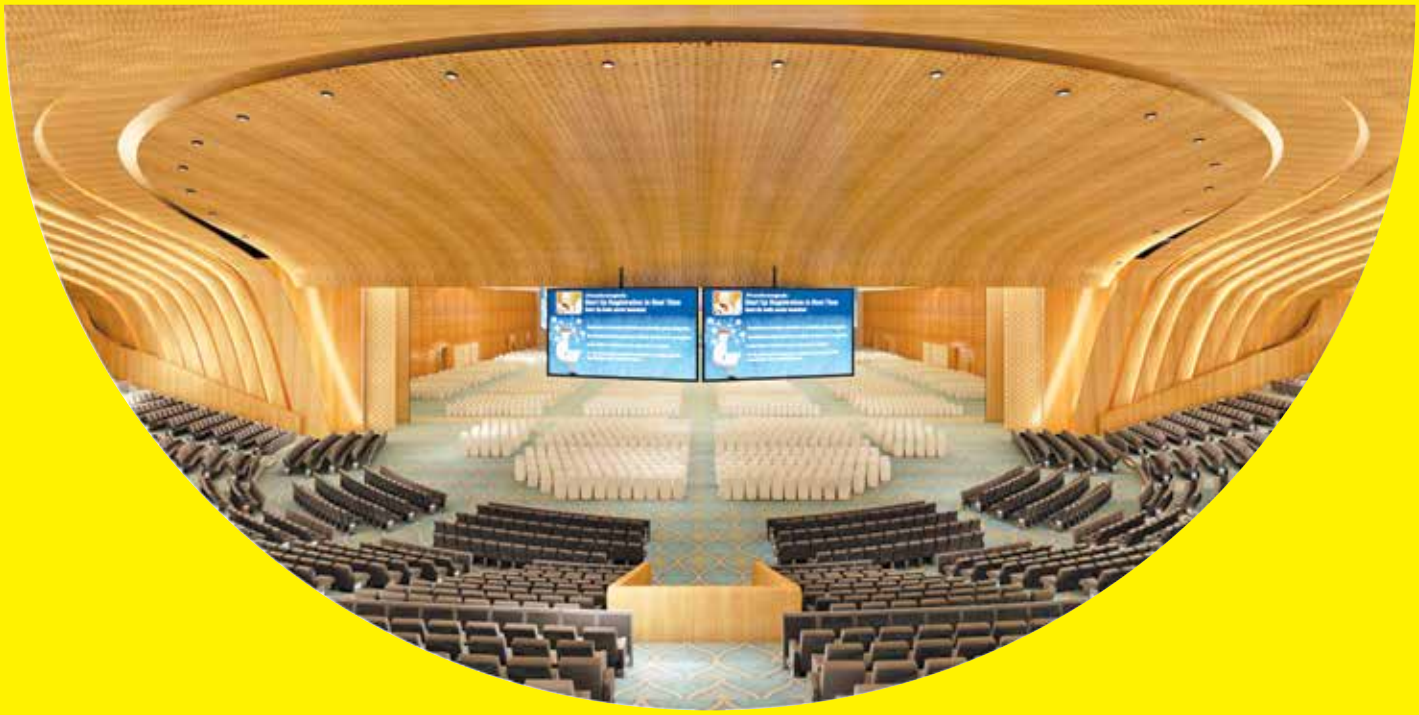

विश्व स्तरीय विशिष्ट अन्तरराष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केन्द्र (आई ई सी सी)

विषय सूची

निदेशक मंडल	08
मुख्य कार्यकारी	09
भारत में आई टी पी ओ के कार्यालय	13
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक का वक्तव्य	16
वार्षिक आम बैठक की सूचना	27
निदेशकों की रिपोर्ट	32
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	80

लेखा

(I) आई टी पी ओ का स्टेण्डएलोन लेखा	103
(II) आई टी पी ओ का समेकित लेखा	155

41वीं

वार्षिक रिपोर्ट

2017 - 2018

आई ई सी सी परियोजना का
आधुनिक प्रदर्शनी हाल

आई ई सी सी परियोजना के आधुनिक प्रदर्शनी हाल तथा खाद्य एवं पेय पदार्थ का लाउंज

निदेशक मण्डल

श्री एल सी गोयल
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
(2.9.2015 से)

श्री जे के डाडू
अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(31.12.2017 तक)

डा. एस सी पाण्डे
विशेष सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(08.02.2018 से)

श्री संजय चड्ढा
अपर सचिव
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(30.3.2016 से)

श्री मनोज जोशी
संयुक्त सचिव
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
(16.8.2017 तक)

श्रीमती अल्का नांगिया अरोड़ा
संयुक्त सचिव
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
(17.8.2017 से)

श्री के नागराज नायडू
संयुक्त सचिव (ईडी)
विदेश मंत्रालय
(04.01.2018 तक)

श्री विनोद कुमार जैकब
संयुक्त सचिव (ईडी)
विदेश मंत्रालय
(05.01.2018 से)

श्री पी एन विजय
निदेशक
(10.6.2016 से)

श्री रजनीश
कार्यकारी निदेशक
(24.5.2017 तक)

श्री दीपक कुमार
कार्यकारी निदेशक
(25.5.2017 से)

मुख्य कार्यकारी

(22.10.2018 को आयोजित वार्षिक बैठक की तिथि को यथास्थिति)

श्री जयन्त दास
वरिष्ठ महाप्रबन्धक

श्री अजय कुमार वशिष्ठ
महाप्रबन्धक

श्री डी एम शर्मा
वि.स. एवं मु.ले.अ.

श्री विकास मल्होत्रा
महाप्रबन्धक

श्री एस आर साहू
कम्पनी सचिव एवं महाप्रबन्धक

श्री डी के जैन
महाप्रबन्धक

श्री आशुतोष वर्मा
महाप्रबन्धक

श्रीमती हैमा मैती
महाप्रबन्धक

भारतीय अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2017

भारत में आई टी पी ओ कार्यालय

इण्डिया ट्रेड
प्रमोशन आर्गनाइजेशन

भारतीय अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2017

41वीं वार्षिक रिपोर्ट 2017-2018

भारत में आई टी पी ओ कार्यालय

पंजीकृत एवं मुख्यालय

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

प्रगति भवन, प्रगति मैदान, नई दिल्ली-110001 (भारत)

फोन: 91-11-23371540 (इपाबेक्स), फैक्स : 91-11-23371492] 23371493

ई.मेल: info@itpo.gov.in, वेबसाइट : www.indiatradefair.com

ट्रेड पोर्टल: www.tradeportalindia.com

सी आई एन : यू74899डीएल1976एनपीएल008453

क्षेत्रीय कार्यालय

चेन्नई

राजा अन्नामलाई बिल्डिंग, द्वितीय तल

18-ए , रूक्मणी लक्ष्मीपति रोड, एग्मोर,

चेन्नई- 600008

फोन : 91-44-28554655, 28587297,28415416,28524655

फैक्स : 91-44-28554740

ई.मेल : itpochn@md4.vsnl.net.in/narayanv@itpo.gov.in

कोलकाता

इन्टरनेशनल ट्रेड फेसिलेटेशन सेन्टर

5वां तल, 1/1, वुड स्ट्रीट,

कोलकाता -700016

फोन : 91-33-22825820, 22822904, 22828586

फैक्स : 91-33-22828269

ई-मेल : itpocal@cal3.vsnl.net.in/rroy@itpo.gov.in

मुम्बई

7, कूपरेज रोड, तीसरा तल

झांसी कैसल,

मुम्बई-400001

फोन : 91-22-22026629, 22021788, 22044918, 22021730

फैक्स : 91-22-22044922

ई. मेल : itpo@itpomumbai.com/itpomumbai@gmail.com

भारतीय अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2017

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक का वक्तव्य

इण्डिया ट्रेड
प्रमोशन आर्गनाइजेशन

41वीं वार्षिक आम बैठक में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक का वक्तव्य

देवियो और सज्जनो

आई टी पी ओ की 41वीं वार्षिक आम बैठक में आपका स्वागत करते हुए, मैं गौरवान्वित महशूस कर रहा हूं।

वित्त वर्ष 2017-18 की निदेशकों की रिपोर्ट और परीक्षित लेखा एवं समेकित लेखा, सांविधिक लेखा परीक्षकों की राय तथा भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियां पहले ही आप लोगों में परिचालित की जा चुकी हैं। यह बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि आई टी पी ओ के वित्तीय वर्ष 2017-18 के वार्षिक लेखों के बारे में भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक से 'शून्य' टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं। आपकी अनुमति से इन्हें मैं पढ़ा हुआ मान लेता हूं।

भावी चुनौतियां और अवसर

भारत में प्रदर्शनी उद्योग अर्थव्यवस्था और व्यापार में सतत् विकास करने की वजह से विस्मयकारी विकास करने के लिए तैयार है। वस्तुतः अगले दशक अथवा आगे एशिया और विशेषकर भारत वैश्विक प्रदर्शनी और कन्वेशन उद्योग में सबसे आगे होगा। अवसरों का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए अपनी कंपनी एक बृहद् आई ई सी सी परियोजना को कार्यान्वित करने जा रही है, जिसके सितंबर, 2019 के अंत तक पूरा कर लिए जाने की आशा है।

इसके अलावा, आपकी कंपनी चुनौतियों और अवसरों को स्वीकार करने के लिए तथा भारत और विदेशों में व्यापार मेलों/ प्रदर्शनियों के माध्यम से भारत की ताकत और क्षमता का प्रदर्शन करके अर्थव्यवस्था का विकास करने में एक नए उत्साह के साथ योगदान दे रही है। आपकी कंपनी मौजूदा अन्य प्रदर्शनी केन्द्रों से तथा भावी निर्मित किए जाने वाले केन्द्रों से प्रतिस्पर्धा का सामना करेगी। तथापि, आई ई सी सी परियोजना को पूरा होने पर प्रदर्शनियों और सम्मेलनों के लिए विश्वस्तरीय सुविधाओं सहित उन्नत अवसंरचना सुविधा से युक्त आई टी पी ओ बेहतर करने में सक्षम होगी और अधिक संख्या में प्रदर्शनियों और सम्मेलनों का आयोजन कर सकेगी। आई टी पी ओ ने प्रगति मैदान में व्यापार आसानी से करने के लिए सिंगल प्वाइंट कान्टेक्ट (एस पी सी) की स्थापना करने की एक बड़ी पहल की है जिससे प्रगति मैदान में मेलों का आयोजन करते वक्त एकल खिड़की के माध्यम से मामलों का समाधान करने के लिए अन्य आयोजकों को मदद मिलती है। इसके अलावा, कार्रवाई शुरू की गई है ताकि प्रगति मैदान में किसी प्रदर्शनी/

सम्मेलन का आयोजन करने के लिए डी सी पी (लाइसेंसिग) की अनुमति प्राप्त करने हेतु विभिन्न विभागों से अलग-अलग एन. ओ. सी. प्राप्त करने के बजाय डी सी पी (लाइसेंसिंग) से एन. ओ. सी. संबंधी विभिन्न आदेश ऑन-लाइन लिए जा सकें। आई टी पी ओ ने आई आई टी एफ 2018 (14 से 27 नवंबर) के दौरान **'भारत में ग्रामीण उद्यम'** थीम अपनायी है, जिसमें सभी राज्य और सरकारी संगठन तथा अन्य भागीदार मिलकर माननीय प्रधानमंत्री के 'सब का साथ, सबका विकास' विजन को प्राप्त करने के लिए कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे।

वित्तीय निष्पादन

मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इस वर्ष आपकी कंपनी के पास अर्जित कुल आय गत वर्ष की **390.06 करोड़ रु. (इण्ड ए. एस. के द्वारा पुनः निर्धारित)** की तुलना में 359.55 करोड़ रु. है। कुल आय में मामूली कमी के मुख्य कारण ब्याज दरों में कमी, फ्री रिजर्व में कमी तथा जारी आई ई सी सी परियोजना की वजह से प्रदर्शनी स्थल में कमी होना है। प्रगति मैदान में आई ई सी सी परियोजना के जारी कार्यकलापों की वजह से आयी विभिन्न बाधाओं के बावजूद आई टी पी ओ अन्य आयोजकों की सबसे अधिक संतुष्टि के विभिन्न अन्य प्रदर्शनियों का आयोजन कर सका है।

आई टी पी ओ की प्रमुख उपलब्धियां/ विशेषताएं

समझौता ज्ञापन के अंतर्गत कार्य-निष्पादन रेटिंग

आपकी कंपनी ने 2016-17 के समझौता ज्ञापन में **'बहुत अच्छा'** रेटिंग प्राप्त की है, जो 01.01.2017 से तीसरे वेतन आयोग के वेतनमान संशोधन दिशा-निर्देशों के कारण 22 करोड़ रु. (लगभग) के वेतनमान संशोधन, उपदान और छुट्टी नकदीकरण के प्रभाव के बिना **'उत्कृष्ट'** हो सकती थी। वर्ष 2017-18 के दौरान स्व-मूल्यांकन के अनुसार एम ओ यू रेटिंग 'उत्कृष्ट' रहने की संभावना है।

वर्ष के दौरान, आई टी पी ओ की अवसंरचना क्षमता और सेवा सुपुर्दगी में सुधार लाने और उनको बढ़ावा देने के लिए महत्त्वपूर्ण पहलें की गई हैं।

इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

- **व्यापार करने को सरल बनाने के लिए ई-एनेबलमेंट :**
- आई आई टी एफ और नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले के लिए टिकटों की ऑन-लाइन बुकिंग
- घरेलू मेलों के लिए ऑनलाइन स्थान की बुकिंग प्रणाली
- जी ई एम एस से ई-खरीद/ ई-निविदा शुरू की गई
- आई टी पी ओ के घरेलू मेलों में मोबाइल एप शुरू किया गया।
- ई-भुगतान/ वापसी शुरू की गई है
- सभी ए सी हालों में वाई-फाई सुविधा
- सोशल मीडिया - फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब का उपयोग
- आई टी पी ओ का व्यापक मोबाइल एप अंतिम चरण में है।
- **ग्राहक अनुकूल उपाय**
- तीसरे पक्षकार के मेलों के दौरान 'हेल्प डेस्क' का कार्यान्वयन।
- भागीदारों/ आयोजकों के साथ नियमित विचार-विमर्श।
- तीसरे पक्षकार के मेलों के लिए हालों की बुकिंग के लिए आवेदन प्रस्तुत करने हेतु ऑन लाइन आवेदन प्रणाली शुरू करना।

विदेशों में आयोजित मेलों में भागीदारी

कम्पनी ने वर्ष 2017-18 के दौरान, 27 विदेशी व्यापार मेलों में भारत की राष्ट्रीय स्तर की भागीदारी आयोजित की और एक्सपो, 2017, आस्ताना (कजाकिस्तान), ओसाका (जापान) में दो मिनी इण्डिया शो, और सांटियागो (चिली) में लीमा (पेरु) और सेन्ट पीटर्सबर्ग (रूस) में तीन इण्डिया सोर्सिंग भारतीय प्रदर्शनी आयोजित की। इन 27 मेलों में से 5 यूरोप में, 5 अफ्रीका/ वाना में, 3 एन ए एफ टी ए में, 3 एल ए सी में, 1 एशिया में, 1 दक्षिण एशिया में, 7 एन ई ए में, और 2 सी आई एस क्षेत्र में आयोजित किए गए थे। इन मेलों में से 5 नए मेले थे, 20 बी2बी मेले और 7 बी2बी/ बी2सी मेले थे, जो वर्ष 2017-18 के दौरान आयोजित किए गए थे।

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

आयोजित किए गए कुछ प्रमुख मेलों में एक्सपो, 2017, आस्ताना (कजाकिस्तान), अफ्रीका का बिग सेवन/ साइटैक्स, जोहांसबर्ग (दक्षिण अफ्रीका), समर फैंसी फूड शो, न्यूयार्क (संयुक्त राज्य अमेरीका), अनूगा, कोलोन (जर्मनी), भारतीय परिधान मेला और भारतीय होम फर्निशिंग मेला, ओसाका (जापान), एपेक्स, लास-बेगास (संयुक्त राज्य अमेरिका), मेडिका, डस्सेलडोर्फ (जर्मनी), फूडेक्स, जापान और ए. एफ. एफ. आर्टिजियानो इन फिएरा अंतरराष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला, मिलान (इटली) शामिल थे।

इनके अलावा, कंपनी ने अपने पहले काफी समय से विदेशों में आयोजित किए गए मेलों भारतीय परिधान मेले और भारतीय होम फर्निशिंग मेले के क्रमश: 38वें और 28वें मेलों का ओसाका (जापान) में आयोजन किया।

देश में आयोजित किए गए मेले

वर्ष 2017-18 के दौरान आपकी कम्पनी ने भारत में 19 राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले/ प्रदर्शनियां आयोजित की। इन मेलों मे से 14 मेले दिल्ली में और 5 अन्य नगरों में आयोजित किए गए। वर्ष के दौरान, प्रगति मैदान में आयोजित मेलों में तीसरा भारतीय अंतरराष्ट्रीय फुटवियर मेला, 4-6 अगस्त, 2017; 37वां अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला, 14-27 नवम्बर, 2017; 33वां आहार अंतरराष्ट्रीय खाद्य पदार्थ एवं आतिथ्य मेला, 13-27 मार्च, 2018; 20वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रदर्शनी, 05-07 अक्तूबर, 2017; 13वां नक्षत्र, 06-14 जनवरी, 2018, टैक्स स्टाइल्स इंडिया, 26-28 फरवरी, 2018 और आजीविका, 23 मार्च - 1 अप्रैल, 2018 शामिल थे। पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए 9वां ईस्ट हिमालयन मेले का शिलांग (मेघालय) में सफलतापूर्वक आयोजन किया गया था।

- **भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला, 2017**

  प्रगति मैदान में 14-27 नवम्बर, 2017 तक 37वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला, 2017 (आई आई टी एफ 2017) आयोजित किया गया। मेले का थीम (उद्दिष्ट विषय) 'स्टार्ट अप इण्डिया', 'स्टेण्ड अप इण्डिया' था। भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द ने मेले का उद्घाटन किया। थीम मण्डप की स्थापना औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा की गई थी।

  वियतनाम समाजवादी गणराज्य भागीदार देश था और क्रिगिस्तान फोकस देश था। झारखण्ड भागीदार राज्य के रूप में नामांकित किया गया था। 20 देशों की 220 विदेशी कंपनियों और 3000 से अधिक घरेलू कंपनियों ने मेले में भागीदारी की। 27 राज्य और 4 संघ राज्य क्षेत्रों के अलावा सरकार के 46 विभागों ने भी इसमें भागीदारी की और इनके विशिष्ट मण्डप थे। मेले में अफगानिस्तान, बहरीन, बंगला देश, भूटान, चीन, हांगकांग, इण्डोनेशिया, इरान, इराक, दक्षिणी कोरिया, म्यांमार, दक्षिणी अफ्रीका, श्रीलंका, थाइलैण्ड, तुर्की, क्रिगिज गणराज्य, नीदरलैण्ड, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम और वियतनाम की उल्लेखनीय भागीदारी हुई।

- **33वां आहार- अंतरराष्ट्रीय खाद्य पदार्थ एवं आतिथ्य मेला 2018, दिल्ली**

  आहार, दक्षिण एशिया में अपनी किस्म की सबसे बड़ी व्यापारोन्मुख (बी2बी) प्रदर्शनियों में से एक है। 33वां आहार मेला 13 से 17 मार्च, 2018 तक प्रगति मैदान परिसर में आयोजित किया गया था। विगत की भांति इस मेले का आयोजन खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एम ओ एफ पी आई), अपेडा एवं अन्य उद्योग संघों की मदद से किया गया।

  मेले का उद्घाटन माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने किया। यह मेला मुख्य रूप से तीन श्रेणियों में बांटा गया था : - 1. खाद्य उत्पाद और पेय पदार्थ 2. एफ ऐण्ड बी उपस्कर (तैयार करना/ प्रसंस्करण/ पैकेजिंग), 3. आतिथ्य और डेकोर सोल्यूशन्स। भारतीय क्यूलिनरी फोरम (आई सी एफ) के द्वारा आयोजित क्यूलिनरी प्रतियोगिताएं मेले के आकर्षण का केंद्र थीं।

- **23वां दिल्ली पुस्तक मेला, 2017**

  कंपनी ने प्रगति मैदान, नई दिल्ली हॉल 8-11 में दिनांक 26 अगस्त से 3 सितंबर, 2017 के दौरान 23वां दिल्ली पुस्तक मेला आयोजित किया। मेले का आयोजन फेडरेशन आफ इंडियन पब्लिशर्स के सहयोग से किया गया था।

'**पढ़े भारत, बढ़े भारत**' को दर्शाने वाले थीम मण्डप की हाल-8 में स्थापना की गई थी।

- **भारतीय अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रदर्शनी, 2017**

  गृह मंत्रालय, भारत सरकार की मदद से भारतीय अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रदर्शनी की 20वीं कड़ी का आयोजन प्रगति मैदान, नई दिल्ली में 5 से 7 अक्तूबर, 2017 तक आयोजन किया गया था। आई आई एस ई, 2017 का उद्घाटन श्री सी. आर. चौधरी, माननीय वाणिज्य और उद्योग राज्यमंत्री ने किया था।

- **भारतीय अंतरराष्ट्रीय फुटवेयर मेला 2017, दिल्ली**

  भारतीय अंतरराष्ट्रीय फुटवेयर मेला (आई आई एल एफ) की तीसरी कड़ी का आयोजन दिनांक 04-06 अगस्त, 2017 तक हाल सं. 14 और 18 में प्रगति मैदान, नई दिल्ली में किया गया। इस मेले को भारतीय फुटवेयर उद्योग संघ (सी आई एफ आई) द्वारा सह-प्रायोजित किया गया था। श्री सुरेश प्रभु, माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री, भारत सरकार ने 4 अगस्त, 2017 को इस मेले का उद्घाटन किया। यह मेला 5700 वर्गमीटर के निवल क्षेत्र में आयोजित किया गया था।

- **आजीविका मेला, दिल्ली**

  आजीविका मेले का 23 मार्च से 1 अप्रैल, 2018 तक आयोजन किया गया था। दीन दयाल अन्त्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन के अनुरूप आई टी पी ओ ने ग्रामीण और लघु शिल्पकारों, उद्यमियों तथा निर्माताओं को उनके द्वारा उत्पादित/ निर्मित बहु-उत्पादों के लिए विपणन सहायता प्रदान करने में सहयोग करने के लिए 'आजीविका' का आयोजन करने की पहल की थी। मेले का आयोजन ग्रामीण विकास मंत्रालय (कपार्ट) और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की सहायता से किया गया था। कपार्ट ने 'आजीविका' मेले के एक भाग के रूप में अपने ब्राण्ड मेले 'सरस' का आयोजन किया और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने भी लघु पैमाने की इकाइयों का एक मेला आयोजित किया।

दिल्ली से बाहर आयोजित मेले

- **भारतीय अंतरराष्ट्रीय चमड़ा मेला (आई आई एल एफ), 2018, चेन्नई**

  इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (आई टी पी ओ) ने दिनांक 1-3 फरवरी, 2018 तक चेन्नई में भारतीय अंतरराष्ट्रीय चमड़ा मेला (आई आई एल एफ) की 33वीं कड़ी का आयोजन किया। यह मेला चमड़ा निर्यात परिषद् (सी एल ई), केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान (सी एल आर आई), भारतीय जूता संघ (आई एस एफ), भारतीय प्रसंस्कृत चमड़ा निर्माता और निर्यातक संघ (आई एफ एल एम ई ए), फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान (एफ डी डी आई) तथा भारतीय फुटवीयर संघटक निर्माता संघ (आई एफ सी ओ एम ए) के घनिष्ठ सहयोग से आयोजित किया गया था। श्री सुरेश प्रभु, माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री, भारत सरकार ने 31 जनवरी, 2018 को मेले का उद्घाटन किया। यह मेला 1 से 3 फरवरी, 2018 तक व्यापारियों के लिए खुला था।

- **23वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय चमड़ा सामान मेला (आई आई एल एफ), 2018 कोलकाता**

  भारतीय अंतरराष्ट्रीय चमड़ा सामान मेला (आई आई एल एफ) एक बी2बी मेला है, जिसका उद्देश्य भारत में विशेषकर पश्चिम बंगाल से चमड़े की वस्तुओं और परिष्कृत चमड़े के निर्यात को बढ़ावा देना है। भारतीय अंतरराष्ट्रीय मेले की 23वीं कड़ी का सफलतापूर्वक आयोजन विश्व बंगला कंवेंशन सेंटर, कोलकाता में 26 से 28 मार्च, 2018 के दौरान किया गया था।

- **9वीं ईस्ट हिमालयन प्रदर्शनी, 2017, शिलांग, मेघालय**

  9वीं ईस्ट हिमालयन प्रदर्शनी, 2017 का आयोजन शिलांग, मेघालय में दिनांक 14-20 दिसम्बर, 2017 तक किया गया। इस मेले का सह-आयोजन डोनर मंत्रालय ने किया और मेघालय सरकार के द्वारा सक्रिय रूप से सहायता की। मेघालय के महामहिम राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद ने 14 दिसम्बर, 2017 को मेले का उद्घाटन किया।

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

आहार-अंतरराष्ट्रीय खाद्य-पदार्थ और आतिथ्य मेला, 2017, मुम्बई

क्षेत्रीय केन्द्रों में अपने महत्त्वपूर्ण मेलों को बढ़ावा देने के लिए आई टी पी ओ ने सी आई डी सी ओ प्रदर्शनी केन्द्र, वाशी, नवी मुम्बई में 11 से 14 अक्तूबर, 2017 तक 'आहार' की नई मुम्बई कड़ी का आयोजन किया था। इस मेले को कुल 5000 वर्ग मीटर क्षेत्र में आयोजन किया गया और भारत के पश्चिमी, दक्षिणी और केन्द्रीय भागों में कंपनियों की बड़े पैमाने पर भागीदारी सहित 84 कम्पनियों ने भाग लिया था।

प्रगति मैदान, नई दिल्ली में अन्य आयोजकों द्वारा आयोजित मेले

वर्ष 2017-18 के दौरान, प्रगति मैदान में कुल 71 अन्य मेला आयोजकों ने आयोजित किए गए थे। इनमें से 7 नई प्रदर्शनियां/मेले प्रगति मैदान में पहली बार आयोजित किए गए थे।

वर्ष के दौरान, आयोजित लोकप्रिय मेलों में ओरेकल इण्डिया वर्ड (इण्डिया चैपटर), तीसरा स्मार्ट सिटीज इण्डिया, 2017 एक्सपो, प्लास्ट एशिया, 2017, दिल्ली ज्वैलरी तथा जैम मेला, कोरियन एक्सपो, इण्डिया मोबाइल कांग्रेस 2017, एसीटेक 2017 आदि शामिल थे। राष्ट्रीय आवास दिवस 2017, नेशनल हाउस डवलपमेंट आर्गनाइजेशन, नई दिल्ली के एक मेले प्रबंधक के रूप में मेला आयोजित करने के लिए आई टी पी ओ के द्वारा एक अनूठी पहल की गई थी। कोरिया ट्रेड सेंटर, कोरिया गणराज्य के दूतावास के द्वारा आयोजित मेला कोरियन एक्सपो 2017 के लिए प्रगति मैदान भी आयोजन स्थल बन गया था, जिसमें घरेलू सामानों, उद्योग सामग्री तथा मशीनरी उपकरणों को तीन दिनों के मेले के दौरान प्रदर्शन किया गया था। प्रगति मैदान में वर्ष 2017-18 के दौरान एक विशाल टेलीकॉम मेला इण्डिया का भी आयोजन किया गया। इस अवधि में कुछ हालों को गिरा दिया गया था, जिसकी वजह से कुछ मेलों को निरस्त कर दिया गया अथवा उनके आकार को छोटा कर दिया। तथापि, निर्माण/गिराने संबंधी कार्य के बावजूद भी आई टी पी ओ सभी सेवाएं प्रदान कर सका और प्रगति मैदान प्रदर्शनी उद्योग के सभी क्षेत्रों को शामिल करते हुए मेलों के लिए प्रदर्शनी मैदान के रूप में पसंदीदा स्थल बना हुआ है।

अन्य व्यापार संवर्धनात्मक कार्यकलाप

व्यापार संवर्धन प्रयासों में सहयोग की संभावना तलाशने के लिए इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन के द्वारा अप्रैल, 2017 से मार्च, 2018 तक आयोजित किए गए विभिन्न व्यापार मेलों को कुल 666 व्यापारी देखने आए थे।

पुनर्विकास परियोजना (आई ई सी सी)

आई टी पी ओ अपने ऐतिहासिक मेला परिसर को विश्व के सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शनी और सम्मेलन केन्द्रों के बराबर लाने के लिए एक अत्याधुनिक अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी सह-सम्मेलन केन्द्र के रूप में इसका पुनर्विकास करने की अपनी महत्त्वाकांक्षी योजना को दो चरणों में कार्यान्वित कर रहा है। यह परियोजना राष्ट्रीय महत्त्व की परियोजना है। अवसंरचना से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में एम आई सी ई (बैठक, प्रोत्साहन, सम्मेलन, मेले आयोजन) की जरूरतों की पूर्ति होने की संभावना है, आशा की जाती है कि हमारे देश के विदेशी मुद्रा अर्जन और दिल्ली के सेवा कारोबार क्षेत्र के राजस्व में पर्याप्त वृद्धि होगी क्योंकि एम आई सी ई क्षेत्र में कई आयोजन पूर्वी एशियाई देशों और विश्व के अन्य देशों से नई दिल्ली में स्थानांतरित हो सकते हैं। आई ई सी सी दिल्ली में एक ऐतिहासिक और विशिष्ट स्थल होगा तथा भारत को वैश्विक शक्ति के रूप में बढ़ने की दिशा में प्रधानमंत्री जी के 'न्यू इण्डिया' के विजन का एक अनूठा प्रतीक होगा। कारोबार स्वप्न को बढ़ाने की महत्वाकांक्षा को पूरा करते हुए आई ई सी सी मुख्य रूप से जी2जी, जी2बी और बी2बी कार्यकलापों को पूरा करेगा।

परियोजना प्रस्ताव में चरण-I में 53,399 वर्गमीटर का अत्याधुनिक सम्मेलन केन्द्र, 1,51,687 वर्गमीटर क्षेत्र के छ (6) आधुनिक प्रदर्शनी हाल, 1,68,305 वर्ग मीटर क्षेत्र की 4800 ई. सी. यू. (समकक्ष कार यूनिटों) के लिए बेसमेंट पार्किंग और 8857 वर्ग मीटर का प्रशासनिक भवन सहित 3,82,188 वर्ग मीटर के कुल क्षेत्र का विकास करना शामिल है। विश्वव्यापी आतिथ्य किसी भी आधुनिक एम आई सी ई गंतव्य का अभिन्न अंग है, इसलिए इस तथ्य के अनुरूप परिसर के एक भाग के रूप में एक होटल के लिए स्वतंत्र प्रवेश और निकास द्वार सहित भैरों मार्ग पर 3.70 एकड़ भूमि के एक स्थल के लिए मुद्रीकरण भी किया जा रहा है।

41वीं वार्षिक रिपोर्ट 2017-2018

सम्मेलन केन्द्र विश्व में सबसे उत्कृष्ट 34 मीटर ऊंचा ऐतिहासिक भवन होगा। यह संरचना दिल्ली की सम्पन्न वास्तुकला की धरोहर को शामिल करते हुए एक अनूठा ढलान सहित एक एलीवेटेड खम्बों के चबूतरे पर होगी। इस सम्मेलन केन्द्र में सिंगल फार्मेट में (3000 पैक्स क्षमता का एक प्लेनरी हाल और 4000 पैक्स का एक कार्यात्मक हाल सहित) 7000 पैक्स की सीटिंग की क्षमता होगी और विज्ञान भवन से 5 गुणा बड़ा होगा तथा इसमें अलग-अलग क्षमताओं के 25 बैठक कक्ष होंगे और इनमें जी 20 और प्रमुख कक्ष शामिल होंगे। यह दिल्ली राजधानी शहर के गौरव, महिमा और वास्तुकला को बढ़ावा देगा। इसमें 3000 लोगों के बैठने की क्षमता का एक रंगमंच भी होगा।

आई ई सी सी एक बेहतर पहुंच हेतु और सामान्य जनता के लाभ के लिए यातायात के जाम के समाधान हेतु व्यापक माध्यमों का भी प्रस्ताव किया गया है। अनिवार्य तौर पर भैरों मार्ग, जो ज्यादातर भीड़ के कारण बंद रहता है, उस मार्ग के लिए एक वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करके पुराना किला रोड को प्रगति मैदान पर 6 लेन में बटी सुरंग के द्वारा रिंग रोड से जोड़ा जाएगा। रिंग रोड और मथुरा रोड से भैरों मार्ग के टी-जंक्शनों तथा डी पी एस से मथुरा रोड के डब्ल्यू प्वाइंट संपूर्ण क्षेत्र को सिग्नल मुक्त बनाया जाएगा तथा इससे यातायात जाम की समस्या का समाधन होगा जिससे प्रदूषण कम होगा।

आई ई सी सी तथा यातायात की भीड़ का समाधान करने की परियोजनाओं की लागत 3437 करोड़ रु. है। दोनों परियोजनाओं पर तेजी से कार्य किया जा रहा है और इन्हें सितंबर, 2019 तक पूरा कर लिया जाएगा।

प्रगति मैदान में आई ई सी सी परियोजना वास्तव में स्थिति को परिवर्तन करने वाली परियोजना होगी और देशभर के ऐसे प्रदर्शनी स्थलों के लिए एक नया रुझान स्थापित करेगी। इस स्थल से न केवल भारतीय प्रदर्शनी एवं सम्मेलन उद्योग अपितु विश्व के लिए भी व्यापार संवर्धन एवं कारोबार को बढ़ावा देने के नए अवसर मिल सकेंगे। वैश्विक प्रदर्शनी एवं सम्मेलन उद्योग इस उभरते हुए स्थल के बारे में बहुत ही उत्सुक है और इसके चालू होने की बात की आतुरता से प्रतीक्षा कर रहा है। कुल मिलाकर, प्रगति मैदान के इस नए स्थल से भारत को व्यापार, निवेश और विनिर्माण कार्यकलापों के लिए उसकी बढ़ती हुई ताकत और क्षमता के संदर्भ में वैश्विक दृष्टि से मदद मिलेगी।

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी अपनाना

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (आई टी पी ओ) ने अपने व्यवहार में पारदर्शिता लाने के अपने प्रयासों को जारी रखने के लिए अपने कार्यकलापों के प्रति जबावदेह अपनी प्रक्रियाओं में तेजी बनाए रखने के लिए अपने कार्यों को करने हेतु एवं वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए आई सी टी (सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी) के उपयोग को जारी रखना एवं उसके बारे में बताया गया ताकि उससे जनता तक आई टी पी ओ की सेवाएं समानरूप से पहुंचना सुनिश्चित हो सके। आई टी पी ओ का यह नरम दृष्टिकोण तब और ज्यादा जरूरी एवं अनिवार्य बन गया जब तक विश्वस्तरीय नया परिसर प्रगति मैदान में बन रहा हो।

राजभाषा हिन्दी

आई टी पी ओ में भारत सरकार की राजभाषा नीति का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में एक राजभाषा समिति का गठन किया गया है और इसकी बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती है।

अनुषंगी कंपनियां

तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

वर्ष 2017-18 के दौरान, चैन्नई ट्रेड सेंटर के प्रदर्शनी हालों में 116 प्रदर्शनियां आयोजित की गई थीं और कन्वेशन सेंटर में 100 मेले हुए थे। टी एन टी पी ओ को गत वर्ष की 47.49 करोड़ रु. की आय की तुलना में 47.56 करोड़ रु. की कुल आय हुई। गत वर्ष में 31.53 करोड़ रु. (इण्ड ए. एस. के अनुसार पुन:निर्धारित) की तुलना में 'अन्य विस्तृत आय' पर विचार करने के बाद 31.59 करोड़ रु. का निवल अधिशेष है।

टी एन टी पी ओ के बोर्ड ने टी एन टी पी ओ की विस्तार योजना के तहत 15,708 वर्ग मीटर के क्षेत्र में एक बहु-उद्देश्य (प्रदर्शनी/ सम्मेलन) हाल के निर्माण का अनुमोदन दिया है। विस्तार के बाद 34.61 एकड़ भूमि क्षेत्र पर 31,063 वर्ग मीटर के कुल क्षेत्र में सम्मेलनों के लिए कुल 4 हाल तथा प्रदर्शनियों

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

के लिए 4 हाल होंगे। परियोजना की अनुमानित लागत 289 करोड़ रु. तक हो सकती है।

कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (के टी पी ओ)

वर्ष 2017-18 के दौरान ट्रेड सेंटर बेंगलुरु में 34 मेले आयोजित किए गए थे। के टी पी ओ को गत वर्ष के 7.99 करोड़ रु. की आय की तुलना में कुल 11.28 करोड़ रु. की आय हुई। कंपनी ने बेंगलुरु मेट्रो रेल कारपोरेशन के द्वारा अधिग्रहित भूमि के एक भाग के लिए प्राप्त हुए मुआवजे की मुख्य वजह से निवल अधिशेष 19.95 करोड़ रु. (विगत वर्ष 53.16 करोड़ रु.) है। बोर्ड ने के टी पी ओ की विस्तार योजना के तहत 5000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में एक बहु-उद्देश्य (सम्मेलन/ प्रदर्शनी) हाल के निर्माण को अनुमोदन दिया है। विस्तार के बाद कुल 11,871 वर्ग मीटर क्षेत्र में सम्मेलनों तथा प्रदर्शनियों के लिए कुल 2 हाल होंगे। परियोजना की अनुमानित लागत 67.59 करोड़ रु. तक हो सकती है।

मानव संसाधन प्रबंधन

आई टी पी ओ में आरक्षण से संबंधित दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया गया। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों का ध्यान रखने के लिए सम्पर्क अधिकारियों का नामांकन किया गया। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक श्रेणियों के बारे में सभी दिशा-निर्देशों, दिव्यांग व्यक्तियों को पदों/ सेवाओं में आरक्षण के बारे में दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर एवं अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं सुधार) अधिनियम, 2013 का अनुपालन किया गया।

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

सी एस आर और संपोषण में क्षमता निर्माण, समुदायों के सशक्तिकरण, समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण, पिछड़े क्षेत्रों का विकास और समाज के उपेक्षित और कमजोर तबके के लोगों का उत्थान करने पर बल दिया गया है।

आई टी पी ओ लोक उद्यम के द्वारा जारी सी एस आर और संपोषण संबंधी दिशा-निर्देशों तथा लागू अधिनियम और कंपनी अधिनियम 2013 के तहत बने नियमों का सख्ती से पालन कर रहा है। वर्ष के दौरान, भारत सरकार के स्वच्छ भारत कोष तथा स्वच्छ गंगा कोष के लिए अंशदान सहित नेत्रहीनों, कुष्ठरोगियों, विकलांग व्यक्तियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए सी. एस. आर. के तहत विभिन्न परियोजनाएं कार्यान्वित की गई थीं।

कारपोरेट गवर्नेंस

आपकी कम्पनी सर्वोत्कृष्ट कारपोरेट शासन (गवर्नेंस) प्रक्रियाओं का उत्साह तथा सच्ची भावना से पालन करती है। कंपनी के वर्ष 2017-18 के दौरान, वाणिज्य विभाग को कारपोरेट शासन के अनुपालन से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। विभिन्न जोखिमों को कम करने के लिए जोखिम प्रबंध कार्य भी किया जा रहा है।

आचार संहिता

निदेशक मण्डल के और वरिष्ठ प्रबन्धन कार्मिकों के लिए प्रतिपादित आचार संहिता का विधिवत पालन किया गया है। इसके अनुपाल की पुष्टि सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों से प्राप्त कर ली गई है और घोषणा को निदेशकों की रिपोर्ट के एक भाग के रूप में रखा गया है।

आभार

इस सुअवसर पर, मैं कम्पनी के सदस्यों द्वारा दिये गये निरंतर एवं सतत् सहयोग तथा प्रबंधन में व्यक्त किये गये विश्वास के लिए इन सभी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं वाणिज्य विभाग का उसके हार्दिक एवं निरंतर सहयोग देने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं अन्य मंत्रालयों/ राजदूतावासों और केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों के कार्यालयों तथा विशेष रूप से शहरी एवं नगर विकास मंत्रालय और विदेश मंत्रालय, जिसमें भारतीय मिशन शामिल हैं, के निरंतर मार्गदर्शन व सहायता के लिए भी आभार व्यक्त करता हूं। हम केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सी पी डब्ल्यू डी), (पी डब्ल्यू डी) दिल्ली नगर निगम, दिल्ली पुलिस, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और अन्य एजेंसियों

तथा व्यक्तियों के प्रति भी आई टी पी ओ को दिये गये उनके सहयोग के लिए उनका आभार प्रकट करते हैं।

आई टी पी ओ की ओर से, मैं सभी हितधारकों का समर्थन चाहता हूं और विगत की भांति और भी अधिक गुणवत्तापरक सेवाएं देने का आश्वासन देता हूं। मैं निदेशक मण्डल के अपने सहयोगियों, लेखा परीक्षकों तथा आई टी पी ओ के कर्मचारियों के अनुशासन, लगन, समर्पण एवं कठिन परिश्रम के लिए उनका साधुवाद करता हूं, जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी लगातार उत्कृष्ट कार्य निष्पादन कर सकी। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके इस सहयोग एवं विश्वास से आई टी पी ओ भविष्य में अनेक उपलब्धियों और नई बुलन्दियों को प्राप्त करेगा और हम सब मिलकर आई टी पी ओ को उन्नत बना सकते हैं।

जय हिन्द।

हस्ता./-
(एल. सी. गोयल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 22 अक्तूबर 2018

दिल्ली पुस्तक मेला 2017

वार्षिक आम बैठक की सूचना

इण्डिया ट्रेड
प्रमोशन आर्गनाइजेशन

स्टेशनरी मेला 2017

वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जा रही है कि मैसर्स इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन के सदस्यों की 41वीं वार्षिक आम बैठक निम्नलिखित कार्यवाही पूरी करने के लिए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय - प्रगति भवन, प्रगति मैदान, नई दिल्ली - 110001 में मंगलवार, 22 अक्तूबर, 2018 को दोपहर बाद 3:00 बजे होगी:-

सामान्य कार्यवाही

दिनांक 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार पृथक स्टेण्डएलोन परीक्षित वार्षिक लेखा और समेकित लेखा तथा इस तारीख को समाप्त वित्तीय वर्ष के आय एवं व्यय विवरण के साथ-साथ निदेशकों की रिपोर्ट एवं उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करना, विचार करना, अनुमोदन करना और स्वीकार करना।

कृते निदेशक मण्डल,

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन के आदेश से

हस्ता./-
(एस. आर. साहू)
कम्पनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 05.10.2018

टिप्पणियां :

1. **बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए हकदार कोई भी सदस्य अपने स्थान पर मतदान के समय उपस्थित होने और मतदान करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त करने का हकदार है और उस व्यक्ति को कम्पनी का सदस्य होना जरूरी नहीं है। तथापि, नियुक्त करने संबंधी विलेख बैठक आरंभ होने से 48 (अड़तालीस) घंटे से पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा करना होगा।**
2. प्राक्सी फार्म संलग्न है।

कृते निदेशक मण्डल,
इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन के आदेश से

हस्ता./-
(एस. आर. साहू)
कम्पनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 05.10.2018

फार्म सं. एमजीटी - 11

प्राक्सी फार्म

(कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 105 (6) और कंपनी (प्रबंध और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 19 (3) के अनुसरण में)

सीआईएन : यू74899 डीएल 1976 एनपीएल008453

कंपनी का नाम : इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

पंजीकृत कार्यालय : प्रगति भवन, प्रगति मैदान, नई दिल्ली-110001

सदस्यों का नाम :
पंजीकृत पता :
ई-मेल आईडी :
पृष्ठ सं./ ग्राहक आई. डी. :
डी पी आई डी :

मैं/ हम ..... कंपनी के ..... शेयरधारक एतद्द्वारा नियुक्त करता हूं/ करते हैं।

नाम :	नाम :
पता :	पता :
ई-मेल आईडी :	ई-मेल आईडी :
हस्ताक्षर :	हस्ताक्षर :
या उनका असफल होना	

कंपनी की दिनांक ..... को पंजीकृत कार्यालय में ..... होने वाली कंपनी के सदस्यों की वार्षिक आम बैठक में मेरे/ हमारे लिए और मेरी/ हमारी ओर से उपस्थित और वोट डालने के लिए तथा नीचे दर्शाए अनुसार ऐसे संकल्प के संबंध में उसके किसी आस्थगन पर हम अपनी ओर से अपना प्राक्सी नियुक्त करता हूं/ करते हैं।

संकल्प सं. : .....

निदेशकों की रिपोर्ट और उस लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट के साथ 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार स्टेण्डएलोन (पृथक) लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे ओर समेकित लेखों तथा उस तारीख को समाप्त वित्तीय वर्ष के आय और व्यय का विवरण प्राप्त करना, विचार करना, अनुमोदित और स्वीकार करना।

आज ..... दिनांक ..... 2018 को हस्ताक्षरित

शेयर होल्डरों के हस्ताक्षर

प्राक्सी होल्डर(रों) के हस्ताक्षर

यहां पर
रसीदी
टिकट लगाएं

नोट : प्राक्सी फार्म समुचित रूप से भरकर बैठक प्रारंभ होने से पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा कर दिया जाये।

भारतीय अन्तरराष्ट्रीय फुटवीयर मेला 2017

निदेशकों की रिपोर्ट

इण्डिया ट्रेड
प्रमोशन आर्गनाइजेशन

निदेशकों की रिपोर्ट

सदस्यों को

निदेशक मण्डल इस कम्पनी की 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष की 41वीं वार्षिक रिपोर्ट एवं परीक्षित लेखा प्रस्तुत करते हुए हर्ष का अनुभव कर रहा है।

1. वित्तीय विशेषताएं

आपकी कंपनी ने विगत वर्ष **168.92 करोड़ रु.** (भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार निर्धारित) की तुलना में 'अन्य व्यापक आय' पर विचार करने के बाद में वर्ष 2017-18 के दौरान निवल **134.69 करोड़ रु.** का अधिशेष (सरप्लस) अर्जित किया है। कम्पनी के द्वारा विगत वर्ष के **390.06 करोड़ रु.** (भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार निर्धारित) की तुलना में इस वर्ष के दौरान **359.55 करोड़ रु.** की कुल आय अर्जित की है। कुल आय में कमी के मुख्य कारण ब्याज की दरों में कमी, निर्बाध रिजर्व में कमी, और जारी आई ई सी सी परियोजना के कारण प्रदर्शनी स्थल का कम होना है।

यह कम्पनी, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 (अब कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 8) के अंतर्गत पंजीकृत है और कम्पनी पर लागू इस धारा के अंतर्गत संगत प्रावधानों के अनुसार लाभांश घोषित करना मना है। इसीलिए अधिशेष आय को कम्पनी ने अपने पास रखा है और इसे 'अन्य इक्विटी' में स्थानांतरण कर दिया गया है।

2. निदेशक मण्डल

श्री एल. सी. गोयल कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं। श्री रजनीश संयुक्त सचिव, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 10 फरवरी, 2017 से 24 मई, 2017 तक कार्यकारी निदेशक थे। श्री दीपक कुमार ने 25 मई, 2017 से कार्यकारी निदेशक आई टी पी ओ का कार्यभार ग्रहण किया। कम्पनी के बोर्ड में गैर-पूर्णकालिक निदेशक और स्वतंत्र निदेशक इस प्रकार हैं :-

क्र.सं.	निदेशक का नाम	से	तक
1.	श्री जे. के. डाडू अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, वाणिज्य विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली	13.08.2015	31.12.2017
2.	डॉ. सुभाष चन्द्र पाण्डेय विशेष सचिव और वित्तीय सलाहकार वाणिज्य विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली	08.02.2018	जारी
3.	श्री संजय चड्ढ़ा अपर सचिव वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली	30.03.2016	जारी
4.	श्री मनोज जोशी संयुक्त सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एम एस एम ई), नई दिल्ली	28.12.2015	16.08.2017
5.	श्रीमती अल्का नागिया अरोड़ा संयुक्त सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय(एम एस एम ई), नई दिल्ली	17.08.2017	जारी
6	श्री के. नागराज नायडू संयुक्त सचिव (ई. डी.) विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली	07.07.2015	04.01.2018
7.	श्री विनोद के. जैकब संयुक्त सचिव (ई.डी.) विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली	05.01.2018	जारी
8.	श्री पी. एन. विजय स्वतंत्र निदेशक कारपोरेट वित्त विशेषज्ञ	10.06.2016	जारी

वर्ष 2017-18 के दौरान निदेशक मंडल की 3 बैठकें हुईं। निदेशकों की नियुक्ति, इस संबंध में भारत सरकार की नीतियों के तहत प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा की जाती है।

3. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(51) के अनुसार आई. टी. पी. ओ. के निम्नलिखित प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को संबंधित कार्यालयों में नियुक्त/ कार्यमुक्त/ कार्यभार जारी रखा गया :-

- श्री एल. सी. गोयल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आई. टी. पी. ओ. - दिनांक 02.09.2015 से जारी
- श्री रजनीश, कार्यकारी निदेशक, आई टी पी ओ - दिनांक 10.02.2017 से 24.05.2017 तक
- श्री दीपक कुमार, कार्यकारी निदेशक, आई टी पी ओ - दिनांक 25.05.2017 से जारी
- श्री डी. एम. शर्मा, मुख्य वित्तीय अधिकारी - दिनांक 31.07.2015 से जारी
- श्री एस. आर. साहू, कंपनी सचिव - दिनांक 27.08.2013 से जारी

4. समझौता ज्ञापन (एम ओ यू)

कम्पनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अपने प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करती है। तदनुसार, वर्ष 2018-19 के लिए 12 जून, 2018 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

आपकी कम्पनी ने वर्ष 2016-17 के समझौता ज्ञापन में **'बहुत अच्छा'** रेटिंग प्राप्त की है, जो 01.01.2017 से तीसरे पी आर सी के वेतन संशोधन संबंधी दिशा-निर्देशों की वजह से 22 करोड़ रु. (लगभग) वेतन संशोधन, उपदान (ग्रेच्युटी) और छुट्टी नकदीकरण के प्रभाव के बिना 'उत्कृष्ट' होती। वर्ष 2017-18 के लिए स्वत: मूल्यांकन के अनुसार एम ओ यू रेटिंग **'उत्कृष्ट'** रहने की संभावना है।

वर्ष 2018-19 के लिए 'प्रचालनों से राजस्व (निवल)' के लिए उत्कृष्ट रेटिंग के वित्तीय लक्ष्य 170 करोड़ रु. निर्धारित

श्रीमती रीता तेवतिया, वाणिज्य सचिव एवं श्री एल सी गोयल, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी आई टी पी ओ के समझौता ज्ञापन 2018-19 पर हस्ताक्षर के सुअवसर पर

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

किए गए हैं। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आई टी पी ओ ने यह माना है कि जारी पुनर्विकास परियोजना (आई ई सी सी) तथा पहले वर्षों की तुलना में प्रदर्शनी के लिए अपेक्षाकृत कम स्थल होने की वजह से वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करना कठिन है। तथापि, आपकी कंपनी वर्ष 2018-19 के लिए एम ओ यू लक्ष्यों के अनुसार कम से कम 'बहुत अच्छा' रेटिंग प्राप्त करने के लिए सभी संभव प्रयास करेगी। आई टी पी ओ सभी स्टेकहोल्डरों को उत्तम सेवा देना जारी रखना सुनिश्चित करेगी।

5. विदेशों में आयोजित मेले

कंपनी ने वर्ष 2017-18 के दौरान 27 विदेशी व्यापार मेलों में भारत की राष्ट्रीय स्तर की भागीदारी आयोजित की और इनमें एक्सपो, 2017, आस्ताना (कजाकिस्तान), ओसाका (जापान) में दो मिनी इण्डिया शो, और सांटियागो (चिली), लीमा (पेरु) और सेन्ट पीटर्सबर्ग (रूस) में तीन इण्डिया सोर्सिंग मेले शामिल हैं। इन 27 मेलों में से 5 यूरोप में, 5 अफ्रीका/ वाना में, 3 एन ए एफ टी ए में, 3 एल ए सी में, 1 एशिया में, 1 दक्षिण एशिया में, 7 एन ई ए में, और 2 सी आई एस क्षेत्र में आयोजित किए गए थे। इन मेलों में से 5 नए मेले, 20 बी2बी मेले और 7 बी2बी/ बी2सी मेले थे, जो वर्ष 2017-18 के दौरान आयोजित किए गए थे।

आयोजित किए गए कुछ प्रमुख मेलों में एक्सपो, 2017, आस्ताना (कजाकिस्तान), अफ्रीका का बिग सेवन/ साइटैक्स, जोहांसबर्ग (दक्षिण अफ्रीका), समर फेंसी फूड शो, न्यूयार्क (संयुक्त राज्य अमेरिका), अनूगा, कोलोन (जर्मनी), भारतीय परिधान मेला और भारतीय होम फर्निशिंग मेला, ओसाका (जापान), एपेक्स, लास-बेगास (संयुक्त राज्य अमेरिका), मेडिका, डस्सेलडोर्फ (जर्मनी), फूडेक्स, जापान और ए. एफ. एल. आर्टिजियानो इन फिएरा अंतरराष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला, मिलान (इटली) शामिल थे।

इनके अलावा, कंपनी ने अपने पहले काफी समय से विदेशों में आयोजित किए गए मेलों अर्थात् भारतीय परिधान मेले और भारतीय होम फर्निशिंग मेले के क्रमशः 38वें और 28वें मेलों का ओसाका (जापान) में आयोजन किया।

भारतीय प्रदर्शनी, लीमा, पेरू-2018

6. भारत में आयोजित मेले

वर्ष 2017-18 के दौरान, आपकी कम्पनी ने भारत में 19 राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले/ प्रदर्शनियां आयोजित की। इन मेलों में से 14 मेले दिल्ली में और 5 अन्य नगरों में आयोजित किए गए। वर्ष के दौरान, प्रगति मैदान में आयोजित मेलों में तीसरा भारतीय अंतरराष्ट्रीय फुटवियर मेला, 4-6 अगस्त, 2017; 37वां अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला, 14-27 नवम्बर, 2017; 33वां आहार अंतरराष्ट्रीय खाद्य पदार्थ एवं आतिथ्य मेला, 13-27 मार्च, 2018; 20वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रदर्शनी, 05-07 अक्तूबर, 2017; 13वां नक्षत्र, 06-14 जनवरी, 2018 तथा टैक्स स्टाइल्स इंडिया, 26-28 फरवरी, 2018 और आजीविका, 23 मार्च - 1 अप्रैल, 2018 शामिल थे। पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रदर्शनी को बढ़ावा देने के लिए 9वां ईस्ट हिमालयन मेले का शिलांग मेघालय में सफलतापूर्वक आयोजन किया गया था।

I. प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित प्रमुख मेले

- **भारतीय अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेला, 2017**

प्रगति मैदान में 14-27 नवम्बर, 2017 तक 37वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला, 2017 (आई आई टी एफ 2017) आयोजित किया गया। मेले का थीम (उद्दिष्ट विषय) 'डिजिटल इण्डिया' था। मेले का मुख्य विषय 'स्टार्ट अप इण्डिया', 'स्टेण्ड अप इण्डिया' था। भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द ने मेले का उद्घाटन किया। थीम मण्डप की स्थापना औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा की गई थी।

वियतनाम समाजवादी गणराज्य भागीदार देश था और क्रिगिस्तान फोकस देश था। झारखण्ड भागीदार राज्य के रूप में नामांकित किया गया था। 20 देशों की 220 विदेशी कंपनियों और 3000 से अधिक घरेलू कंपनियों ने मेले में भागीदारी की। 27 राज्य और 4 संघ राज्य क्षेत्रों के अलावा सरकार के 46 विभागों ने इसमें भागीदारी की और इनके विशिष्ट पेवेलियन

भारतीय अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2017

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

थे। मेले में अफगानिस्तान, बहरीन, बंगला देश, भूटान, चीन, हांगकांग, इण्डोनेशिया, इरान, इराक, दक्षिणी कोरिया, म्यांमार, दक्षिणी अफ्रीका, श्रीलंका, थाइलैण्ड, तुर्की, क्रिगिज गणराज्य, नीदरलैण्ड, यू. ए. ई., यू. के. और वियतनाम की रिकार्ड भागीदारी हुई।

मेले का पोर्टफोलियो सुधारने के लिए आई टी पी ओ के द्वारा सघन प्रयास किए गए थे। इनमें स्थल एवं अन्य सेवाओं की बुकिंग करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम शुरू करना; प्रथम चार दिनों के दौरान प्रतिष्ठित व्यक्तियों के लिए आन-लाइन पंजीकरण; वरिष्ठ नागरिकों के लिए लॉज सुविधा; हाप-आन हॉप-ऑफ बसों में प्रवेश टिकटों की बिक्री; मुफ्त चिकित्सा कैम्प; और उत्पादों एवं सेवाओं को विशेष रूप से दर्शाने के लिए मोबाइल एप और एल. ई. डी. स्क्रीन पर सूचना देना शामिल है। कपार्ट, हुडको, के वी आई सी, एम एस एम ई, ग्रामीण विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा लघु, मझौले और मध्यम उद्यमों और ग्रामीण शिल्पकारों के महत्त्वपूर्ण समूहों की भागीदारी का आयोजन किया गया।

वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मेले के दौरान निःशुल्क पिकअप और ड्रॉप ऑफ सेवा भी प्रदान की गई। इसके अलावा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए दो विशेष लॉज स्थापित किए गए थे। प्रगति मैदान के सभी प्रवेश द्वारों के साथ-साथ इण्डिया गेट और सभी मेट्रो स्टेशनों जैसे प्रगति मैदान, इन्द्रप्रस्थ, आई टी ओ और मंडी हाउस को लिंक करते हुए ड्रॉप ऑन ऐण्ड ड्रॉप ऑफ बस सेवा में बढ़ोतरी की गई थी। टिकटें ऑन लाइन उपलब्ध करायी गई थीं। दर्शकों के लिए कार्ड-स्वपिंग मशीनों के साथ-साथ क्रेताओं और प्रदर्शकों के लाभ के लिए ए. टी एम और ए टी एम वैनों की सेवाएं भी प्रदान करायी गई थीं। मेले के दौरान, दर्शकों और प्रदर्शकों के लिए कई चिकित्सा शिविरों/ प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं (एम्बुलेंस सहित) उपलब्ध करायी गई थीं। प्रगति मैदान का पुनर्विकास करने की वजह से प्रगति मैदान में दर्शकों का प्रवेश प्रतिदिन 65,000 तक सीमित कर दिया गया था। तदनुसार, प्रगति मैदान के आस-पास के क्षेत्रों में भीड़-भाड़ कम करने के लिए प्रवेश टिकटें प्रगति मैदान से दूर स्थानों पर बेची गई थीं। सभी उत्पादों पर जी एस टी लागू होने की वजह से सभी हालों में प्रदर्शकों के लाभ हेतु जी एस टी विभाग से सरकारी पदाधिकारियों की व्यवस्था की गई थी।

आहार – अन्तरराष्ट्रीय खाद्य प्रदार्थ एवं आतिथ्य मेला 2018

41वीं वार्षिक रिपोर्ट 2017-2018

- **33वां आहार-अंतरराष्ट्रीय खाद्य पदार्थ एवं आतिथ्य मेला, 2018, दिल्ली**

आहार, दक्षिण एशिया में अपनी किस्म की सबसे बड़ी बी2बी(व्यापारोन्मुख) प्रदर्शनियों में से एक है। 33वां आहार मेला 13 से 17 मार्च, 2018 तक आयोजित किया गया था। विगत की भांति इस मेले का आयोजन खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एम ओ एफ पी आई), अपेडा एवं अन्य उद्योग संघों की मदद से किया गया।

मेले का उद्घाटन माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने किया। यह मेला मुख्य रूप से तीन श्रेणियों में बांटा गया था : - 1. खाद्य उत्पाद और पेय पदार्थ, 2. एफ ऐण्ड बी उपस्कर (तैयार करना/ प्रसंस्करण/ पैकेजिंग), 3. आतिथ्य और डेकोर सोल्यूशन्स। भारतीय क्यूलिनरी फोरम (आई सी एफ) के द्वारा आयोजित क्यूलिनरी प्रतियोगिताएं मेले के आकर्षण का केंद्र थीं।

पुनर्विकास कार्य जारी होने के कारण मेले को केवल 38,000 वर्ग मीटर सकल क्षेत्रफल तक सीमित कर दिया था। इस मेले में 18 देशों से 77 विदेशी प्रदर्शकों सहित 866 प्रदर्शकों ने भागीदारी की थी। मेले में जिन देशों ने भागीदारी की थी वे थे - अमेरिका, चीन, इटली, पोलैण्ड, तुर्की, स्पेन, ओमान, दक्षिणी कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात, पेरु, नार्वे, इण्डोनेशिया, कनाडा, तुनिसिया, हांगकांग, सिंगापुर और जापान। मेले में 40,000 से अधिक दर्शक आए थे। इस मेले को सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से बढ़ावा दिया गया था और इन व्यापारी दर्शकों के साथ बेहतर विचार-विमर्श करने के लिए एक अद्यतन मोबाइल एप भी शुरू किया गया था। इस प्रदर्शनी की मदद करने के लिए 5 सेमिनारों का भी आयोजन किया गया था।

- **23वां दिल्ली पुस्तक मेला, 2017**

कंपनी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान के हाल नं. 8-11 में दिनांक 26 अगस्त से 3 सितंबर, 2017 के दौरान 23वां दिल्ली पुस्तक मेला आयोजित किया। मेले का आयोजन फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स के सहयोग से किया गया था।

'पढ़े भारत, बढ़े भारत' को दर्शाने वाले थीम मण्डप की स्थापना हाल नं. 8 में की गई थी। 23वें दिल्ली पुस्तक मेले के दौरान सेमिनारों/ कार्यशालाओं/ लेखक कार्नर/ बच्चों के कार्यक्रमों/ पुस्तक विमोचन कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

आहार - अन्तरराष्ट्रीय खाद्य प्रदार्थ एवं आतिथ्य मेला 2018

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

पहचान पत्र रखने वाले छात्रों को मेले में नि:शुल्क प्रवेश की अनुमति दी गई थी।

- **19वां स्टेशनरी/आफिस ऑटोमेशन मेला और तीसरा कारपोरेट उपहार मेला, 2017**

दिल्ली पुस्तक मेले 2017 के साथ-साथ कंपनी ने हाल नं. 12, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में दिनांक 26 अगस्त से 03 सितंबर, 2017 के दौरान 19वां स्टेशनरी/ आफिस आटोमेशन मेला तथा तीसरे कारपोरेट उपहार मेले आयोजित किए गए। लेखन सामग्री, उपहार की मदों, आफिस आटोमेशन में सम्पूर्ण भारत की अग्रणी कम्पनियों ने इस मेले में भाग लिया। यह मेला लेखन सामग्री मदों, आफिस आटोमेशन उपस्कर तथा कारपोरेट उपहार सामग्रियों को प्राप्त करने का एक स्रोत साबित हुआ है।

- **भारतीय अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रदर्शनी 2017**

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की मदद से भारतीय अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रदर्शनी की 20वीं कड़ी का आयोजन प्रगति मैदान, नई दिल्ली में 05 से 07 अक्तूबर, 2017 तक आयोजन किया गया था। यह भारत में केवल एक ही ऐसा सुरक्षा मेला है, जिसकी सभी राज्यों की पुलिस, बी. पी. आर. ऐण्ड डी., दिल्ली अग्नि शमन सेवाएं और विशेष बल जैसे एन एस जी और एन डी आर एफ सहायता करते हैं। आई आई एस ई, 2017 का उद्घाटन श्री सी. आर. चौधरी, माननीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री ने उद्घाटन किया था।

माननीय गृह राज्य मंत्री श्री किरन रिजिजू भी मेला देखने आए थे। एन एस सी आई के माध्यम से 16 एम एस एम ई कंपनियों ने मेले में भागीदारी की। 80 प्रतिशत कंपनियां नई थीं और उन्होंने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया था।

'टेक्नालोजिकल एम्पावरमेंट ऑफ पुलिस फॉर इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी', 'ईजीइंग दि प्रोसेस ऑफ पब्लिक प्रोक्योरमेंट इन इंटरनल सिक्युरिटी' पर सेमिनारें तथा प्रदर्शकों के लिए एक स्पीकिंग स्लॉट भी आयोजित किए गए थे। कंपनियों की सुरक्षा और बचाव की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए तथा 'न्यू इण्डिया' के लिए राष्ट्र को आगे ले जाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाने हेतु आई टी पी ओ ने 5 से 7 अक्तूबर, 2018 को हाल नं. 12-12 ए, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आई आई एस ई की 21वीं कड़ी का आयोजन करने का निर्णय लिया है।

भारतीय अन्तरराष्ट्रीय फुटवीयर मेला, दिल्ली 2017

41वीं वार्षिक रिपोर्ट 2017-2018

- **भारतीय अंतरराष्ट्रीय फुटवेयर मेला 2017, दिल्ली**

भारतीय अंतरराष्ट्रीय फुटवेयर मेला (आई आई एल एफ) की तीसरी कड़ी का आयोजन दिनांक 04-06 अगस्त, 2017 तक हाल सं. 14 और 18 में प्रगति मैदान, नई दिल्ली में किया गया। इस मेले को भारतीय फुटवेयर उद्योग संघ (सी आई एफ आई) द्वारा सह-प्रायोजित किया गया था।

श्री संतोष गंगवार, माननीय वित्त राज्य मंत्री, भारत सरकार ने दिनांक 04 अगस्त, 2017 को मेले का उद्घाटन किया। आई आई एफ एफ, 2017 मेला 5700 वर्गमीटर क्षेत्रफल में फैला था। मेले में 240 प्रदर्शकों ने भाग लिया, जिनमें 100 विदेशी प्रदर्शक (चीन, इटली और ताइवान) थे। आई आई एल एफ ने फुटवेयर और संबद्ध क्षेत्र से संबंधित वस्तुओं में क्रेताओं और विक्रेताओं के लिए एक महत्त्वपूर्ण मंच उपलब्ध कराने के लिए अपनी अग्रणी स्थिति बरकरार रखी। इस मेले में चमड़ा उद्योग से संबंधित फुटवेयर, सिंथेटिक सामग्री, जूते संगठक, मशीनरी एवं उपकरण, रसायन और सॉफ्टवेयर से संबंधित उत्पादों और सेवाओं का बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया गया। इसमें 10,000 व्यापारी दर्शक पधारे, जिनमें 16 देशों से 68 विदेशी व्यापारी दर्शक आए थे। बंगला देश, चीन, कोलंबिया, इथोपिया, केन्या, कुवैत, लीबिया, नेपाल, नाइजेरिया, कतर, स्पेन, श्रीलंका, तंजानिया, युगांडा, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के दर्शक थे।

आजीविका मेला, दिल्ली

आजीविका मेले का आयोजन 23 मार्च से 1 अप्रैल, 2018 तक किया गया था। दीन दयाल अन्त्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पशुधन मिशन के अनुरूप आई टी पी ओ ने ग्रामीण और लघु शिल्पकारों, उद्यमियों तथा निर्माताओं को उनके द्वारा उत्पादित/निर्मित विभिन्न उत्पादों के लिए विपणन सहायता प्रदान करने में सहयोग करने के लिए 'आजीविका' मेले का आयोजन करने की पहल की थी। मेले का आयोजन ग्रामीण विकास मंत्रालय (कपार्ट) और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की सहायता से किया गया था। कपार्ट ने 'आजीविका' मेले के एक भाग के रूप में अपने ब्राण्ड मेले 'सरस' का आयोजन किया और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा राष्ट्रीय लघु उद्योग ने भी लघु पैमाने की इकाइयों का 'सरस' मेले का आयोजन किया।

आजीविका, दिल्ली 2018

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

II. दिल्ली से बाहर आयोजित मेले

- **भारतीय अंतरराष्ट्रीय चमड़ा मेला (आई आई एल एफ), 2018, चेन्नई**

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (आई टी पी ओ) ने दिनांक 1-3 फरवरी, 2018 तक चेन्नई में भारतीय अंतरराष्ट्रीय चमड़ा मेला (आई आई एल एफ) की 33वीं कड़ी का आयोजन किया। यह मेला चमड़ा निर्यात परिषद् (सी एल ई), केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान (सी एल आर आई), भारतीय जूता संघ (आई एस एफ), भारतीय प्रसंस्कृत चमड़ा निर्माता और निर्यातक संघ (आई एफ एल एम ई ए), फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान (एफ डी डी आई) तथा भारतीय फुटवीयर संघटक निर्माता संघ (आई एफ सी ओ एम ए) के सक्रिय सहयोग से आयोजित किया गया था।

श्री सुरेश प्रभु, माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री, भारत सरकार ने 31 जनवरी, 2018 को मेले का उद्घाटन किया। यह मेला 1 से 3 फरवरी, 2018 तक व्यापारियों के लिए खुला था।

आई आई एल एफ चेन्नई की 33वीं श्रृंखला का आयोजन 9997 वर्गमीटर के निवल क्षेत्रफल में किया गया था। इस मेले में 475 प्रदर्शकों ने भागीदारी की, जिनमें 23 देशों के 160 विदेशी भागीदार भी शामिल थे। इन देशों में बंगला देश, बोलिविया, ब्राजील, चीन, क्रोशिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, केन्या, मैक्सिको, न्यूजीलैण्ड, पुर्तगाल, रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर, स्पेन, ताइवान, तंजानिया, थाइलैण्ड, नीदरलैण्ड, युगांडा, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम शामिल थे। चीन, ब्राजील, जर्मनी, इटली और इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर (संयुक्त राष्ट्र संघ) की समूह भागीदारी एक विशेष आकर्षण था। मेले में 12,530 कारोबारी आगंतुक आए, जिनमें 40 देशों से 400 विदेशी आगंतुक आए।

- **23वां अंतरराष्ट्रीय चमड़ा मेला (आई एल एफ), 2018, कोलकाता**

भारतीय अंतरराष्ट्रीय चमड़ा मेला (आई आई एल एफ) एक बी2बी (व्यापारोन्मुख) मेला है, जिसका उद्देश्य भारत से विशेषकर पश्चिम बंगाल से चमड़े की वस्तुओं और परिष्कृत चमड़े के निर्यात को बढ़ावा देना है। भारतीय अंतरराष्ट्रीय चमड़ा मेले की 23वीं कड़ी का सफलतापूर्वक आयोजन विश्व बंगला कंवेंशन सेंटर, कोलकाता में 26 से 28 मार्च, 2018 के दौरान इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (आई टी पी ओ) के द्वारा किया गया था। आई आई एल एफ का सक्रिय रूप से समर्थन भारतीय चमड़ा उत्पाद संघ (आई एल पी ए), चमड़ा निर्यात परिषद (सी एल ई) और पश्चिम बंगाल सरकार का था। मेले का उद्घाटन डॉ. अमित मित्रा, माननीय वित्त, उद्योग एवं उद्यम मंत्री और एम एस एम ई एवं वस्त्र मंत्री, पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा 26 फरवरी, 2018 को किया गया था।

लगभग 24 विदेशी क्रेता आई आई एल एफ कोलकाता 2018 में आए। सम्पूर्ण भारत से लगभग 1500 घरेलू दर्शक भी मेले में आए। चमड़े के विभिन्न क्षेत्रों के संघटकों सहित लगभग 52 प्रमुख कम्पनियों ने मेले में अपने उत्पाद प्रदर्शित किए।

- **टेक्स-स्टाइल्स इण्डिया, कोलकाता**

टेक्स स्टाइल्स इण्डिया की दूसरी कड़ी का विश्व बंगला कन्वेंशन सेंटर, कोलकाता में 26 से 28 फरवरी, 2018 के दौरान आई आई एल एफ कोलकाता के साथ आयोजन किया गया था।

चूंकि विदेशी क्रेताओं की चमड़े और वस्त्रों में रुचि होती है, इसलिए यह मेला आई आई एल एफ कोलकाता के साथ एक सहयोगी मेले के रूप में शुरू किया गया है।

- **9वीं ईस्ट हिमालयन प्रदर्शनी, 2017, शिलांग, मेघालय**

9वीं ईस्ट हिमालयन प्रदर्शनी, 2017 का आयोजन शिलांग, मेघालय में दिनांक 14-20 दिसम्बर, 2017 तक किया गया। इस मेले का सह-आयोजन डोनर मंत्रालय ने किया और मेघालय सरकार ने सक्रिय रूप से सहयोग दिया। मेघालय के महामहिम राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद ने 14 दिसम्बर, 2017 को मेले का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में प्रमुख भागीदारों में डोनर मंत्रालय के संघटक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, खादी ग्रामीण उद्योग निगम, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, राष्ट्रीय जूट बोर्ड, आयुष मंत्रालय, कोमोडिटी बोर्ड, निर्यात संवर्धन परिषदें आदि इत्यादि शामिल थे। भारत सरकार की एक्ट ईस्ट पालिसी के परिप्रेक्ष्य में आई टी पी ओ ने 9वीं पूर्वी हिमालयन प्रदर्शनी 2017 आयोजित करके शिलांग में यह प्रयास किया था।

41वीं वार्षिक रिपोर्ट 2017-2018

पूर्वी हिमालयन प्रदर्शनी, शिलांग, मेघालय 2017

- **आहार-अंतरराष्ट्रीय खाद्य-पदार्थ एवं आतिथ्य मेला, 2017, मुम्बई**

क्षेत्रीय केन्द्रों में अपने प्रमुख मेलों को बढ़ावा देने के लिए आई टी पी ओ ने सी आई डी सी ओ प्रदर्शनी केन्द्र, वाशी, नवी मुम्बई में 11 से 14 अक्तूबर, 2017 तक 'आहार' की नवी मुम्बई कड़ी का आयोजन किया था। इस प्रदर्शनी को कुल 5000 वर्ग मीटर क्षेत्र में आयोजन किया गया और भारत के पश्चिमी, दक्षिणी और केन्द्रीय भागों की कम्पनियों की बड़े पैमाने पर भागीदारी सहित 84 कम्पनियों ने भागीदारी की थी। मेले का खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, कृषि और प्रसंस्कृतिक खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा) और आहार मेलों के सहयोगियों की सहायता से आयोजन किया गया था। मेले में लगभग 2500 व्यापारियों ने दौरा किया था। पश्चिमी क्षेत्र में आतिथ्य क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक सेमिनार तथा आतिथ्य क्षेत्र में महिलाओं के लिए दूसरी सेमिनार सहित दो सेमिनार मेले के दौरान आयोजत किये गये थे।

III. प्रगति मैदान, नई दिल्ली में अन्य आयोजकों द्वारा आयोजित मेले

वर्ष 2017-18 के दौरान प्रगति मैदान में कुल 71 अन्य मेला आयोजकों द्वारा आयोजित किए गए थे। इनमें से 7 नई प्रदर्शनियां/मेले प्रगति मैदान में पहली बार आयोजित किए गए थे।

वर्ष के दौरान, आयोजित लोकप्रिय मेलों में ओरेकल इण्डिया वर्ड (इण्डिया चैपटर), तीसरा स्मार्ट सिटीज इण्डिया, 2017 एक्सपो, प्लास्ट एशिया, 2017, दिल्ली ज्वैलरी तथा जैम फेयर, कोरियन एक्सपो, इण्डिया मोबाइल कांग्रेस 2017, ई टी एसीटेक 2017 आदि शामिल थे। राष्ट्रीय आवास दिवस 2017, नेशनल हाउस डेवलपमेंट आर्गनाइजेशन, नई दिल्ली के एक मेले प्रबंधक के रूप में मेला आयोजित करने के लिए आई टी पी ओ के द्वारा एक अनूठी पहल की गई थी। कोरिया ट्रेड सेंटर, कोरिया गणराज्य के दूतावास के द्वारा आयोजित मेला कोरियन एक्सपो 2017 के लिए प्रगति मैदान भी आयोजक स्थल बन गया,

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

जिसमें घरेलू सामानों, उद्योग सामग्री तथा मशीनरी उपकरणों को तीन दिनों के मेले के दौरान दर्शाया गया था। प्रगति मैदान में वर्ष 2017-18 के दौरान एक मेगा टेलीकॉम मेला इण्डिया मोबाइल कांग्रेस का भी आयोजन किया गया। बी ई एस एक्सपो, 2018 के दौरान लगभग 800 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों प्रगति मैदान में सम्मेलन (कांफ्रेंस) में आए। इस अवधि में कुछ हॉलों को गिरा दिया गया था, जिसकी वजह से कुछ मेलों को निरस्त कर दिया गया और उनके मेलों की संख्या कम कर दी गई थी। तथापि, निर्माण/ गिराने संबंधी कार्य के बावजूद आई टी पी ओ सभी सेवाएं प्रदान कर सका और प्रगति मैदान प्रदर्शनी उद्योग के सभी क्षेत्रों को शामिल करते हुए मेलों के लिए प्रदर्शनी मैदान के रूप में पसंदीदा स्थल बना हुआ है।

6. सभी हितधारकों के लिए विभिन्न घटकों में किए गए पहल, प्रयास और सुधार

वर्ष के दौरान, आई टी पी ओ की अवसंरचना क्षमता और सेवा सुपुर्दगी में सुधार लाने और उनको बढ़ावा देने के लिए महत्त्वपूर्ण पहलें की गई हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

❑ **व्यापार करने को सरल बनाने के लिए ई-एनेबलमेंट :**

- आई आई टी एफ और नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले के लिए टिकटों की ऑन-लाइन बुकिंग।
- घरेलू मेलों के लिए ऑनलाइन स्थान की बुकिंग प्रणाली।
- जी ई एम एस से ई-खरीद/ ई-निविदा शुरू की गई
- आई टी पी ओ के घरेलू मेलों में मोबाइल एप शुरू किया गया।
- ई-भुगतान/ वापसी शुरू की गई है
- सभी ए सी हालों में वाई-फाई सुविधा
- सोशल मीडिया - फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब का उपयोग
- आई टी पी ओ का व्यापक मोबाइल एप अंतिम चरण में है।

❑ **ग्राहक अनुकूल उपाय**

- तीसरे पक्षकार के मेलों के दौरान 'हेल्प डेस्क' का कार्यान्वयन करना।
- भागीदारों/ आयोजकों के साथ नियमित विचार-विमर्श।
- तीसरे पक्षकार के मेलों की बुकिंग के लिए आवेदन प्रस्तुत करने हेतु ऑन लाइन आवेदन प्रणाली शुरू करना।

7. आई ई सी सी परियोजना

आई टी पी ओ अपने ऐतिहासिक मेला परिसर को विश्व के सबसे अच्छे प्रदर्शनी और सम्मेलन केन्द्रों के बराबर लाने के लिए एक अत्याधुनिक अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी सह-सम्मेलन केन्द्र के रूप में इसका पुनर्विकास करने की अपनी महत्त्वाकांक्षी योजना को दो चरणों में कार्यान्वित कर रहा है। यह परियोजना राष्ट्रीय महत्त्व की परियोजना है। अवसंरचना से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में एम आई सी ई (बैठक, प्रोत्साहन, सम्मेलन, मेले/ प्रदर्शनी) की जरूरतों की पूर्ति होने की संभावना है। आशा की जाती है कि हमारे देश के विदेशी मुद्रा-अर्जन और दिल्ली के सेवा कारोबार और व्यापार क्षेत्र के राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि होगी क्योंकि एम आई सी ई क्षेत्र के कई आयोजन पूर्वी एशियाई देशों और विश्व के अन्य देशों से नई दिल्ली में स्थानांतरित हो सकते हैं। आई ई सी सी दिल्ली में एक ऐतिहासिक और विशिष्ट (आइकोनिक) स्थल होगा तथा भारत को वैश्विक शक्ति के रूप में बढ़ने की दिशा में प्रधानमंत्री जी के 'न्यू इण्डिया' के विजन का एक अनूठा प्रतीक होगा। कारोबार को बढ़ाने की महत्त्वाकांक्षा को पूरा करते हुए आई ई सी सी मुख्य रूप से जी2जी, जी2बी और बी2बी कार्यकलापों को पूरा करेगा।

परियोजना प्रस्ताव में चरण-I में 53,399 वर्गमीटर का अत्याधुनिक सम्मेलन केन्द्र, 1,51,687 वर्गमीटर क्षेत्र के छः (6) आधुनिक प्रदर्शनी हाल, 1,68,305 वर्ग मीटर क्षेत्र की 4800 ई. सी. यू. (समकक्ष कार यूनिटों) के लिए बेसमेंट पार्किंग और 8857 वर्ग मीटर का प्रशासनिक भवन सहित 3,82,248 वर्ग मीटर के कुल क्षेत्र का विकास करना शामिल है। विश्वव्यापी आतिथ्य किसी भी आधुनिक एम आई सी ई गंतव्य का अभिन्न अंग है, इसलिए इस तथ्य के अनुरूप परिसर के एक भाग के रूप में

एक होटल के लिए स्वतंत्र प्रवेश और निकास द्वार सहित भैरों मार्ग पर 3.70 एकड़ भूमि के एक स्थल के लिए मुद्रीकरण भी किया जा रहा है।

सम्मेलन केन्द्र विश्व में 34 मीटर सबसे ऊंचा ऐतिहासिक भवन होगा। यह संरचना दिल्ली की सम्पन्न वास्तुकला की धरोहर को शामिल करते हुए एक अनूठा ढलान सहित एक एलीवेटेड(खम्बों वाले) चबूतरे पर होगी। इस सम्मेलन केन्द्र में सिंगल फार्मेट में (3000 पैक्स क्षमता का एक प्लेनरी हाल और 4000 पैक्स का एक कार्यात्मक हाल सहित) 7000 पैक्स की सीटिंग की क्षमता होगी और विज्ञान भवन से 5 गुणा बड़ा होगा तथा इसमें अलग-अलग क्षमताओं के 25 बैठक कक्ष होंगे। यह राजधानी दिल्ली शहर के गौरव, महिमा और वास्तुकला को बढ़ावा देगा। इसमें 3000 लोगों को बैठने की क्षमता का एक रंगमंच भी होगा।

आई ई सी सी एक बेहतर पहुंच हेतु और सामान्य जनता के लाभ के लिए यातायात के जाम के समाधान हेतु व्यापक माध्यमों का भी प्रस्ताव किया गया है। अनिवार्य तौर पर भैरों मार्ग, जो ज्यादातर भीड़ के कारण बंद रहता है, उस मार्ग के लिए एक वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करके पुराना किला रोड को प्रगति मैदान के आर-पार 6 लेन में बंटी सुरंग के जरिए रिंग रोड से जोड़ा जाएगा। रिंग रोड़ और मथुरा रोड से भैरों मार्ग के टी-जंक्शनों तथा डी पी एस से मथुरा रोड के डब्ल्यू प्वाइंट संपूर्ण क्षेत्र को सिग्नल मुक्त बनाया जाएगा।

आई ई सी सी तथा यातायात की भीड़ का समाधान करने की दोनों परियोजनाओं की लागत 3437 करोड़ रु. है। दोनों परियोजनाओं पर तेजी से कार्य किया जा रहा है और इन्हें सितंबर, 2019 तक पूरा कर लिया जाएगा।

8. व्यापार प्रतिनिधि मण्डल

व्यापार संवर्धन प्रयासों में सहयोग की संभावना तलाशने के लिए आई टी पी ओ के द्वारा अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक आयोजित किए गए विभिन्न व्यापार मेलों में कुल 666 व्यापारी दर्शकों ने भाग लिया। मेले में आए मुख्य प्रतिनिधि मंडलों में ये शामिल थे - 19 देशों से 38 सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल, जिसने बहु-उत्पादों के लिए सरस और हाल नं. 18 देखा; कोरिया से आया 34 सदस्यों का प्रतिनिधि मण्डल जो अलग-अलग हॉल को देखने गया तथा जूट के उत्पादों, हस्तशिल्प और हथकरघा, एल. ई. डी. बहु-उत्पादों, वस्त्रों, फुटबाथ उपकरण, किचन (रसोई) के उपकरणों में विशेष दिलचस्पी दिखायी; नेपाल से 21 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल, जो हाल नं. 18 को देखने आया था; वियतनाम से आये 36 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल जो विभिन्न उत्पादों के लिए अलग-अलग हॉलों को देखने गया; खाद्य उत्पादों, प्रसाधनों, वस्त्र, खादी उत्पादों, तैयार परिधानों आदि प्राप्त करने के लिए क्रिगिस्तान से 20 सदस्यों का प्रतिनिधि मण्डल आया।

9. अन्य व्यापार संवर्धन संगठनों के साथ सहयोग

आई टी पी ओ बहुत पहले से ही एशियाई व्यापार संवर्धन मंच (ए टी पी एफ) में बहुत ही सक्रियता के साथ भाग लेता रहा है। यह व्यापार संवर्धन संगठनों का समूह है। ए टी पी एफ की सभी गतिविधियों का समन्वयन जापान विदेश व्यापार संगठन (जे ई टी आर ओ) करता है। आई टी पी ओ इण्डिया कंवेंशन प्रमोशन ब्यूरो (आई सी पी बी) द्वारा आयोजित गतिविधियों में भी भाग लेता है। आई टी पी ओ प्रदर्शनी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बने एक संगठन, यू एफ आई - प्रदर्शनी उद्योग का वैश्विक संघ, फ्रांस का सदस्य बन गया है। आई टी पी ओ भारतीय प्रदर्शनी उद्योग संघ (आई ई ए आई) का भी सदस्य बन गया है।

10. व्यापार सूचना संबंधी गतिविधियां

आई टी पी ओ के सदस्यों के रूप में पंजीकृत निर्यातकों को सेवाओं का एक पैकेज प्रदान करता है। इन सेवाओं में विदेशों में भारतीय मिशनों तथा विदेशी आयातकों से प्राप्त व्यापार संबंधी पूछताछ तथा आई टी पी ओ द्वारा आयोजित मेलों तथा प्रदर्शनियों में प्रतिनिधि मंडलों के साथ बैठकों की व्यवस्था करना शामिल है। इण्डियन एक्सपोर्ट बुलेटिन में देशी तथा उत्पादों के विषय में व्यापार सूचना आई टी पी ओ द्वारा देश और विदेश में आयोजित व्यापार मेलों/ प्रदर्शनियों और विदेशी निविदाओं के संबंध में व्यापार मेले संबंधी जानकारी तथा प्रगति मैदान में आयोजित तृतीय पक्षकार मेलों संबंधी जानकारी भी प्रकाशित की जाती है। भारतीय निर्यातकों और विदेशी क्रेताओं

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

को विश्वसनीय व्यापार संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए आई टी पी ओ ने व्यापार सूचना केन्द्र और ट्रेड पोर्टल www.tradeportalofindia.org शुरू किया है, जो यूरोपीय संघ के 27 देशों सहित 102 देशों की सूचना प्रदान करता है। आई टी पी ओ के सदस्यों के लिए सुविधाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण के ओ एम पी ए एस एस (कोम्पास) डाटाबेस ऑनलाइन रूप से सुलभ है, जिसमें 66 से अधिक देशों के संबंध में निर्माताओं/ आयातकों/ निर्यातकों/ एजेंटों/ विभागीय स्टोरों/ वितरकों/ थोक विक्रेताओं/ ट्रेडरों के विवरण दिए गए हैं। कोम्पास एक 65 वर्षीय पुराना अत्याधुनिक बी2बी प्लेटफार्म है जिसमें 60 से ज्यादा देशों की विश्व को जोड़ने वाली 20.6 मिलियन कंपनियां, 140 मिलियन कार्यपालकों के संपर्क सूत्र, 20 मिलियन ई-मेल आई डी, और 10 मिलियन यू. आर. एल. दिए हैं। इसमें सफलता प्राप्त करने संबंधी कारोबार की सभी जरूरतों को सरल बनाने के लिए 26 कारोबार भाषाओं में 58,000 उत्पाद और सेवाएं शामिल हैं।

आई टी पी ओ की सदस्यता से वैश्विक आयातकों, निर्यातकों, थोक विक्रेताओं, वितरकों, विनिर्माताओं, एजेंटों से www.tradeportalofindia.org के माध्यम से उत्पाद एवं देश के द्वारा खोजने योग्य डिक्सनरी (कोम्पास के लिए कनेक्टीविटी) से पहुंचने का प्रावधान है। इसमें सभी उत्पादों के संबंध में विश्वभर के देशों के आयात-निर्यात व्यापार संबंधी आंकड़े प्राप्त करने की व्यवस्था है।

केन्द्रीयकृत डाटा बेस : भारत और विदेशों में इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन के द्वारा आयोजित मेलों में भागीदारों का एक केन्द्रीयकृत डाटा बेस बनाया जाता है। आई टी पी ओ के द्वारा आयोजित घरेलू और विदेशी मेलों के लिए भागीदारी करने में यह डाटा अत्यधिक उपयोगी होता है। आई टी पी ओ के प्रयोक्ताओं के लिए आंकड़ों को ऑन लाइन प्राप्त करने की व्यवस्था की जा रही है।

11. कारपोरेट संचार

वर्ष 2017-18 के दौरान भारत और विदेश में आई टी पी ओ मेलों के बारे में कारपोरेट की धारणा एवं अप्रदत्त करवरेज के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के साथ नियमित सम्पर्क रखने के अलावा (कारपोरेट) संचार सेवा प्रभाग ने आई टी पी ओ की विशिष्ट (आइकानिक) परियोजना अर्थात् प्रगति मैदान में विश्वस्तरीय अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी सह-सम्मेलन केन्द्र (आई ई सी सी) को विशेष रूप से दर्शाने के प्रयास किए थे।

इसके अलावा, प्रभाग ने भारत में विभिन्न आई टी पी ओ मेलों के प्रचार अभियान में अपनी सेवा दी। इनमें मीडिया योजना तैयार करना, प्रदर्शन को समय से दर्शाने के लिए पैनल वाली विज्ञापन एजेंसियों के साथ समन्वय रखना तथा विशिष्ट राष्ट्रीय दैनिकों में विभिन्न प्रभागों के निविदा विज्ञापनों को जारी करना शामिल है। मेलों का कलैण्डर भी प्रिंट किया गया था, जिसमें भारत तथा विदेशों में आई टी पी ओ के मेलों तथा प्रगति मैदान में अन्य एजेंसियों के द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों की सूची बनायी गई है।

12. सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी अपनाना

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन ने अपने व्यवहार में पारदर्शिता लाने के अपने प्रयासों को जारी रखने के लिए, अपने कार्यकलापों के प्रति जबावदेह, अपने प्रक्रियाओं में तेजी बनाये रखने के लिए अपने कार्यों को करने हेतु एवं वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए आई सी टी (सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी) के उपयोग को जारी रखना एवं उसके बारे में बताया, ताकि उससे जनता तक आई टी पी ओ की सेवाएं समान रूप से पहुंचाना सुनिश्चित हो सके। इसने भौगोलिक एवं जनसंख्या दोनों की दृष्टि से आई टी पी ओ की पहुंच बढ़ाने में भी मदद की है। ऑन लाइन टिकटों की बिक्री और उसके प्रबंधन एवं प्रवेश द्वारों पर ऑन लाइन/ ऑफ लाइन टिकटों एवं पासों (मानार्थ पास, प्रदर्शक पास, विक्रेता पास आदि) के प्रमाणन करने के माध्यम से भीड़ को नियंत्रित करने हेतु सीमलैस सिस्टम को भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला, 2017 में लागू किया गया था। अन्य मेलों के लिए प्रगति मैदान में प्रदर्शनी स्थल/ हालों की बुकिंग करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु संभावित मेले आयोजकों की सहायता के लिए बेव-आधारित अनुप्रयोग वर्ष 2017-18 में शुरू किया गया था।

घरेलू मेलों, विदेशी मेलों एवं अन्य मेलों के संबंध में विवरण रखते हुए आई टी पी ओ के सभी बड़े-बड़े कार्यकलापों के बारे

में सूचना का प्रचार-प्रसार करने के लिए एक मास्टर मोबाइल एप वर्ष 2017-18 में शुरू किया गया था। इस अनुप्रयोग में फीडबैक देने तथा शिकायत निवारण तंत्र के लिए सुविधा है।

आंतरिक ई-गवर्नेंश पहलों के भाग के रूप में (i) वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों को प्रस्तुत करने तथा (ii) सतर्कता निकासी की प्रणाली के लिए मैनुअल सिस्टम क्रमश: एन आई सी के स्पारो अनुप्रयोग को अपना करके और वेब आधारित सतर्कता निकासी अनुप्रयोग को लागू करके दोनों को ऑन लाइन सिस्टमों में बदला गया था।

13. प्रशासन एवं मानव संसाधन विकास

वर्ष 2017-18 के दौरान नीचे दिए विवरण के अनुसार 8 कर्मचारियों को सीधी भर्ती (डी आर) के आधार पर नियुक्त किया गया था :

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित	कुल
समूह 'ग'	04	-	04	-	08

वर्ष के दौरान, 56 कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया था। इनमें से 16 अनुसूचित जाति, 1 अनुसूचित जनजाति तथा 2 अन्य पिछड़ा वर्ग के थे। 64 कर्मचारियों को प्रोत्साहित सुनिश्चित सेवा प्रोन्नति योजना (आई ए सी पी एस) के अंतर्गत व्यक्तिगत ग्रेड उन्नयन दिया गया। 10 युवा व्यावसायिकों को संविदा अवधि और एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ायी गयी थी।

कल्याण स्तर पर, सभी पात्र कर्मचारियों को वर्ष 2016-17 के लिए निष्पादन संबद्ध वेतन (पी आर पी) के तहत 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार एक महीने के मूल वेतन + डी. ए. के 35 प्रतिशत के समान एक ब्याज मुक्त अग्रिम राशि दी गई थी।

स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना 01.01.2018 से पुन: शुरू की गई थी।

आई टी पी ओ के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना 01.01.2018 से लागू की गई थी।

'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' 21.06.2017 को मनाया गया था जबकि 'संविधान दिवस' 26.11.2017 को मनाया गया था।

भारत सरकार की आरक्षण नीति

आई टी पी ओ में आरक्षण से संबंधित दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया गया। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के हितों को देखने के लिए सम्पर्क अधिकारियों को नामित किया गया है। प्रत्येक विभागीय पदोन्नति समिति/ चयन की बैठकों में इन वर्गों के उम्मीदवारों के हितों पर ध्यान देने के लिए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के उचित स्तर के अधिकारी को शामिल किया जाता है। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए (समान अवसर एवं अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 में अन्तर्विष्ट दिव्यांग व्यक्तियों को पदों/ सेवाओं में आरक्षण देने संबंधी उपबंधों का अनुपालन किया गया। डॉ. भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन के अवसर पर पुष्पांजलि अर्पित की गई।

14. इंजीनियरिंग सेवाएं (वास्तु, सिविल, विद्युत, ए वी और कंजर्वेंसी तथा स्वच्छता)

आई टी पी ओ प्रगति मैदान में और आई टी पी ओ द्वारा दिल्ली से बाहर अन्य स्थानों में प्रदर्शनियों/ मेलों/ सम्मेलनों के आयोजन के लिए अपेक्षित सभी अवसंरचना सुविधाओं के लिए एक एकल समाधान केंद्र प्रदान करता है और आई टी पी ओ के अलावा अन्य संगठनों द्वारा आयोजित मेलों के लिए सभी स्थल बुनियादी सेवाएं प्रदान करता है। आपकी कंपनी की बागवानी को छोड़कर, सभी सेवाओं तथा विद्युत के कुछ भाग के लिए, जिनमें आई टी पी ओ की सहायता सी पी डब्ल्यू डी के द्वारा दी जाती है, उनका रख-रखाव करने के लिए इंजीनियरों (सिविल और विद्युत) और वास्तुकारों की एक पूर्ण एवं आत्मनिर्भर टीम है।

- इसके अलावा, आई टी पी ओ दिल्ली और अन्य क्षेत्रीय केन्द्रों में आयोजित की जाने वाली आई टी पी ओ की सभी प्रदर्शनियों के लिए मापक चित्र (ले-आउट प्लान) तैयार करता है। आई टी पी ओ के विदेशी मेलों/ प्रदर्शनियों के लिए भी मापक चित्र/ ड्राईंग तैयार करता है। सभी थर्ड पार्टी प्रदर्शनियों के ले-आउट प्लानों की समीक्षा की जाती है एवं जरूरत पड़ने पर दर्शकों की सुरक्षा को देखते हुए उनमें संशोधन किये जाते हैं। वास्तुकीय दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निरीक्षण किया जाता है।

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

प्रगति मैदान में विद्यमान अवसंरचना में परिवर्धन/परिवर्तन

- आई ई सी सी परियोजना के तहत नए हाल और एक सम्मेलन केन्द्र का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है।
- आई टी पी ओ कार्यालय के लिए प्रगति मैदान, नई दिल्ली में तीन स्थलों (हाल नं. 7 डी, और 7 एफ. जी. एच. के पास तथा हाल नं. 12 के पास) कार्यालय भवन का निर्माण।

15. व्यापार संवर्धन केन्द्र

चेन्नई व्यापार केन्द्र

चेन्नई व्यापार केन्द्र का संचालन तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन द्वारा किया जाता है, कि आई टी पी ओ और तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम का संयुक्त उद्यम है। चेन्नई व्यापार केन्द्र की चेन्नई में मुख्य स्थल नन्दम्बाक्कम में 25.48 एकड़ भूमि पर वर्ष 2001 में स्थापना की गई थी। हाल 1 और 2 का निर्माण 6160 वर्ग मीटर के क्षेत्र में वर्ष 2001 में किया गया था। वर्ष 2004 में निर्मित कन्वेशन सेंटर में 2000 भागीदार भागीदारी कर सकते हैं और इस हाल को दो बराबर भागों में विभाजित करने का भी प्रावधान हैं। 4400 वर्ग मीटर में बने हाल 3 का वर्ष 2008 में उद्घाटन किया गया था। सभी तीनों प्रदर्शनी हाल और कन्वेंशन सेंटर परस्पर जुड़े हुए हैं। सभी प्रदर्शनी हाल वातानुकूलित हैं और इनको खम्भों तथा कॉलमों के द्वारा ही बनाया गया है।

वर्ष 2017-18 के दौरान चेन्नई व्यापार केन्द्र के प्रदर्शनी हॉलों में 116 प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया तथा सम्मेलन केन्द्र में 100 कार्यक्रम आयोजित किए गए। टी एन टी पी ओ को पिछले वर्ष की 47.49 करोड़ रुपये आय की तुलना में इस वर्ष 47.56 करोड़ रुपये की कुल आय हुई। गत वर्ष के (भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार निर्धारित) 31.53 करोड़ रु. के अधिशेष की तुलना 'अन्य व्यापक आय' पर विचार करने के बाद में 31.59 करोड़ रु. का अधिशेष प्राप्त हुआ।

टी एन टी पी ओ के बोर्ड ने टी एन टी पी ओ की विस्तार योजना के अंतर्गत 15,708 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले बहु-उद्देश्यीय (प्रदर्शनी/ सम्मेलन) हाल के निर्माण को अनुमोदन दिया है। विस्तार करने के बाद 31,063 वर्गमीटर (34.61 एकड़) के कुल क्षेत्रफल में सम्मेलन के लिए 2 हाल और प्रदर्शनी के लिए 4 हाल होंगे। अनुमानित परियोजना लागत 289 करोड़ रु. तक हो सकती है।

व्यापार केन्द्र, बंगलौर

व्हाइटफील्ड, बंगलौर में प्रमुख स्थान पर स्थित यह व्यापार केन्द्र 48 से अधिक एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसमें 5371 वर्ग मीटर क्षेत्र का एक वातानुकूलित हॉल है। प्रदर्शनी हॉल के चारों ओर खुले क्षेत्रों में 11 प्रदर्शनी हालों का विनिर्माण किया गया जिनमें भारी उपकरणों, मशीनों एवं फूड कोर्ट, व्यापार केन्द्रों की स्थापना की गई। व्यापार केन्द्र का प्रबंधन कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (के टी पी ओ), आई टी पी ओ तथा कर्नाटक इंडस्ट्रीयल एरिया डवलेपमेंट बोर्ड (के आई ए डी बी) के संयुक्त उद्यम द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 2017-18 के दौरान, बंगलौर व्यापार केन्द्र में 34 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। के टी पी ओ को गत वर्ष के 7.99 करोड़ रु. की तुलना में 11.28 करोड़ रु. की कुल आय हुई। निवल अधिशेष 19.95 करोड़ रु. (गत वर्ष में 53.16 करोड़ रु.) है जो बंगलूर मेट्रो रेल निगम के द्वारा ली गई भूमि के एक भाग के लिए प्राप्त मुआवजे से है।

बोर्ड ने के टी पी ओ की विस्तार योजना के तहत 5000 वर्ग मीटर क्षेत्र में एक बहु-उद्देश्यीय (सम्मेलन/ प्रदर्शनी) हाल के विनिर्माण का अनुमोदन दिया है। विस्तार के बाद सम्मेलन और प्रदर्शनी के लिए 2 हाल होंगे, जिनका कुल क्षेत्रफल 11,871 वर्गमीटर होगा। अनुमानित परियोजना लागत 67.59 करोड़ रु. तक हो सकती है।

16. राजभाषा हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

आई टी पी ओ में भारत सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है जिसकी बैठकें नियमित रूप से होती हैं। संसदीय राजभाषा समिति, राजभाषा विभाग, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास-II) और वाणिज्य विभाग के हिन्दी अनुभाग से प्राप्त होने वाले निर्देशों का आई टी पी ओ में उचित अनुपालन किया जाता है। संसदीय राजभाषा समिति ने टी ओ एल आई सी,

नराकास-II के पर्यवेक्षण में 6 जुलाई, 2017 को आई टी पी ओ का निरीक्षण किया है।

कार्यालय का सरकारी कामकाज राजभाषा हिन्दी में करने का वातावरण बनाने हेतु प्रतिवर्ष कार्यालय में हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। अपनी राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा किए गए प्रयासों के अलावा, आई टी पी ओ ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास), (दिल्ली) तथा वाणिज्य विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में भी भाग लिया। आई टी पी ओ की कारपोरेट वेब-साइट www.indiatradefair.com द्विभाषी रूप में बनाई गई है तथा उसे नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है।

दैनिक सरकारी कार्य में राजभाषा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये हिन्दी नोटिंग-ड्राफ्टिंग, हिन्दी अनुवाद, हिन्दी वर्तनी शोधन और हिन्दी निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की गयीं जिनमें विजेता प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार एवं प्रमाणपत्र दिये गये। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक प्रतिभागी को प्रोत्साहन के रूप में डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई पुस्तक (हिन्दी उपन्यास) 'आपका भविष्य आपके हाथ में' दी गई। इसी प्रकार आई टी पी ओ के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में अनुवाद और टिप्पण व आलेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। आई टी पी ओ के दैनिक फाइल कार्यों में हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन योजना पहले से ही चलाई जा रही है।

हिन्दी मासिक 'उद्योग व्यापार पत्रिका' के नियमित प्रकाशन के अलावा, व्यापारी दर्शक मार्गदर्शिका, आई आई टी एफ 2017 की सामान्य जानकारी, प्रगति मैदान में आयोजित विभिन्न प्रदर्शनियों के मोबिलाइजेशन फोल्डर, मेला/ प्रदर्शनियों का कैलेण्डर, वार्षिक रिपोर्ट 2016-17, आई टी पी ओ और वाणिज्य विभाग के मध्य हुए समझौता ज्ञापन को हिन्दी में भी प्रकाशित किया गया।

17. सुरक्षा

आई टी पी ओ ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान आई आई टी एफ 2017 और अन्य मेलों के आयोजन के दौरान आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं, फायर फाइटिंग व्यवस्थाएं और पार्किंग व्यवस्थाएं की थी। इसके अलावा, सुरक्षा प्रभाग ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान थर्ड पार्टी मेला आयोजकों द्वारा की गई विभिन्न सुरक्षा व्यवस्थाओं की भी निगरानी की।

आई टी पी ओ के द्वारा आई टी पी ओ के कर्मचारियों के लिए 9 नवंबर, 2017 को 'अग्नि की बुनियादी बातें और वार्डन प्रशिक्षण' कार्यक्रम चलाया। 20 जनवरी, 2018 को एक फायर मॉक ड्रिल किया गया। प्रयोक्ता अनुकूल और गड़बड़ी मुक्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए अन्य सभी आयोजकों (थर्ड पार्टी) के साथ सुरक्षा बैठकें आयोजित की गईं। प्रगति मैदान के भीतर दर्शक, प्रदर्शक एवं अन्य सामग्री और वाहन के प्रवेश के लिए तथा अन्य मेलों के दौरान एवं आई टी पी ओ के दूसरे प्रमुख मेलों के दौरान आई टी पी ओ के सभी प्रभागों तथा स्टेकहोल्डरों के साथ समन्वय करके एक विस्तृत एस ओ पी (मानक प्रचालन प्रक्रिया) तैयार की गई थी।

18. सतर्कता

आई टी पी ओ, सामान्य प्रशासन तथा विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा बनाए रखने में सहायता करता है। आई टी पी ओ कर्मचारी (सी डी ए) नियमावली के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाहियों/ मामलों की जांच करने के अलावा, आपकी कंपनी आई टी पी ओ के क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण करता है तथा प्रदर्शनी परिसर और कार्यालय परिसर का औचक निरीक्षण करता है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान वरिष्ठ कार्यपालकों (वरिष्ठ प्रबंधक और इससे ऊपर के अधिकारियों) के सतर्कता निकासी के मामलों पर कार्रवाई करने के लिए शुरू किए गए ऑन लाइन सिस्टम का उद्देश्य सतर्कता संबंधी मामलों की प्रक्रिया में तेजी लाना है। पदोन्नतियों, विदेश प्रतिनियुक्तियों और सेवानिवृत्ति आदि के बारे में कर्मचारियों को सतर्कता क्लीयरेंस दी जाती है तथा वार्षिक सम्पत्ति विवरणों की संवीक्षा करता है। आई टी पी ओ मासिक, त्रैमासिक, छमाही और वार्षिक रिटर्नों और रिपोर्टों को वाणिज्य विभाग, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, सी बी आई को प्रस्तुत करता है। दैनिक सरकारी कार्यों एवं जनता के साथ कार्यवाही में नैतिकता एवं पारदर्शिता के महत्त्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु आई टी पी ओ के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया।

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

19. अनुषंगी और सहायक कम्पनियां

आई टी पी ओ की अपनी दो अनुषंगी कंपनियों- तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन और कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन में 51-51 प्रतिशत इक्विटी है। इसके अलावा, आई टी पी ओ और राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन आई सी), भारत सरकार द्वारा प्रगति मैदान में संयुक्त रूप से 50:50 की भागीदारी से राष्ट्रीय व्यापार सूचना केन्द्र (एन सी टी आई) स्थापित किया गया है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अनुसरण में अनुषंगी/ सहायक कम्पनी/ संयुक्त उद्यम कम्पनियों के वित्तीय विवरण की विशेषताएं विवरण में हैं, जो इस रिपोर्ट का अभिन्न भाग हैं (अनुबंध-।)।

20. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 की उप धारा (3) में प्रदत्त वार्षिकी का सार इस रिपोर्ट का भाग है (अनुबंध ॥)।

21. सावधि जमा, ऋण पर निवेश और गारंटी अथवा निवेश

वर्ष के दौरान, कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 73 और उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत जनता से कोई जमा धनराशियां स्वीकार नहीं की हैं।

22. संबंधित पार्टियों से लेन-देन

सूचना देने हेतु ऐसा कोई संगत पक्षकार लेन-देन नहीं हुआ।

23. लेखा परीक्षक

भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एण्ड ए जी) ने मैसर्स एस. पी. चोपड़ा, चार्टरित लेखाकार, नई दिल्ली को वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए आई टी पी ओ का सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया है।

24. सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में उठाये गये बिन्दुओं में से प्रत्येक बिन्दु के बारे में बोर्ड के उत्तर इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है। (अनुबंध-III)

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कम्पनी के वार्षिक लेखे के बारे में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां इस रिपोर्ट का अभिन्न भाग है। (अनुबंध-IV एवं V)

25. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

बोर्ड ने कंपनी की नीतियों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की संरक्षा, हेराफेरी और चूक की रोकथाम एवं पता लगाने, लेखांकन रिकार्ड की सटीकता और पूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय प्रकटनों को समय पर तैयार करने सहित इसके कारोबार का उचित और सक्षम प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए नीतियां और प्रक्रियाएं अपनाई हैं। आई एफ आर एस की लेखा परीक्षा की गई है और बोर्ड को सूचित कर दिया गया है।

26. कारपोरेट गवर्नेंस

निदेशक मण्डल ऑडिट कमेटी और पारिश्रमिक कमेटी का गठन कारपोरेट गवर्नेंस से संबंधित सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है। निर्धारित अंतराल पर बोर्ड और आडिट कमेटी दोनों की बैठकें नियमित रूप से की गयी।

वर्ष 2017-18 के दौरान, सार्वजनिक उद्यम विभाग के कारपोरेट गवर्नेंस से संबंधित दिशा-निर्देशों का आई टी पी ओ द्वारा अनुपालन किये जाने के बारे में निर्धारित समय में वाणिज्य विभाग को वार्षिक रिपोर्ट भेजी गई हैं जिससे 'उत्कृष्ट' ग्रेड पाने के लिए निर्धारित 97.85% के वार्षिक औसत प्रो-रेटा स्कोर की सूचना दी गई है, जिसकी एक विस्तृत रिपोर्ट संलग्न की गई है तथा इस रिपोर्ट का अभिन्न भाग है। (अनुबंध-VI एवं VII)

27. जोखिम प्रबन्धन

आपकी कम्पनी अपने संचालनों से सम्बन्धित जोखिमों का नियमित रूप से विश्लेषण करती है तथा ज्ञात जोखिमों से निपटने हेतु बीमा आदि द्वारा उपाय किये जाते हैं।

28. सूचना का अधिकार (आर टी आई)

आई टी पी ओ के प्रशासन प्रभाग के अधीन कार्यरत आर टी आई सैल अत्यधिक सक्रिय है और यह सुनिश्चित करता है कि आर टी आई के अधीन प्राप्त हुए सभी आवेदन पत्रों/ अपीलों

का समय पर निपटान किया जाता है। आर टी आई सैल में अप्रैल 2017 से मार्च 2018 की अवधि के दौरान 86 आवेदन पत्र और 06 अपीलें प्राप्त हुई थीं।

29. आचार संहिता

आई टी पी ओ ने अपने निदेशक मण्डल तथा वरिष्ठ प्रबन्धन कार्मिकों के लिए आचार संहिता बनाई है। इसके अनुपालन की पुष्टि सभी संबंधित व्यक्तियों से वार्षिक आधार पर ली जाती है। निदेशक मण्डल के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबन्धन कर्मिकों ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अनुपालन की पुष्टि कर दी है। अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित एक घोषणा इस रिपोर्ट के साथ में दी गयी है। (अनुबंध-VIII)

30. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी एस आर) और संपोषण में क्षमता निर्माण, समुदायों के सशक्तीकरण, समावेशी समाजिक-आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण, पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने तथा समाज के उपेक्षित और कमजोर तबके के लोगों का उत्थान करने पर बल दिया गया है।

आई टी पी ओ लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी सी एस आर और संपोषण दिशा-निर्देशों तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बने नियमों का सख्ती से अनुपालन कर रहा है। सी एस आर पहलों/ क्रियाकलापों को तदनुसार अनुमोदन/ निगरानी से कार्यान्वित किया जाता है। आई टी पी ओ की सी एस आर पहलों के बारे में विस्तृत नीति http://www/indiatradefair.com/csr.php पर उपलब्ध है। आई टी पी ओ की सी एस आर से संबंधित पहलों का पूर्ण विवरण (अनुबंध-IX) में है।

31. प्रबन्धन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

प्रबन्धन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट अलग से इस रिपोर्ट के साथ (अनुबंध-X) में संलग्न की गई है और यह इस रिपोर्ट का अभिन्न भाग है।

32. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अपनाना, विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय

(क) ऊर्जा संरक्षण :

कम्पनी के कार्यकलापों के लिए ऊर्जा की निरन्तर खपत नहीं होती, तथापि ऊर्जा संरक्षण के लिये लाइटों, पंखों, एअर कंडीशनरों आदि के सीमित प्रयोग जैसे आवश्यक उपायों को लागू किया जा चुका है।

(ख) प्रौद्योगिकी अपनाना

कम्पनी ने किसी भी स्रोत से किसी भी प्रौद्योगिकी को नहीं अपनाया है। आई टी पी ओ सेवा क्षेत्र में कार्यरत है तथा कम्पनी व्यापार संवर्धन संगठन होने के कारण देश से निर्यात संबंधी गतिविधियां बढ़ाने के हर संभव उपाय कर रही है।

(ग) विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय

	चालू वर्ष (2017-18) (करोड़ रु. में)	गत वर्ष (2016-17) (करोड़ रु. में)
आय	12.52	11.44
व्यय	18.94	22.06

33. निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

जैसा कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (5) में यथानिर्दिष्ट है, निदेशकों द्वारा निदेशक उत्तरदायित्व विवरण का समर्थन किया गया है तथा निम्नलिखित मामलों की पुष्टि करते हैं :-

वार्षिक लेखे तैयार करने में वास्तविक सारभूत परिवर्तनों से संबंधित उपयुक्त स्पष्टीकरण सहित लागू गणना मानकों को अपनाया गया है।

निदेशकों ने गणना की ऐसी नीतियां चुनी हैं और उन्हें सुसंगत ढंग से लागू किया है तथा ऐसे आकलन किये हैं जो तर्कसंगत और विवेकपूर्ण हैं और इस कम्पनी के बारे में वित्तीय वर्ष और उसी अवधि में कम्पनी के व्यय से अधिक आय की सही तथा उचित विवरण प्रस्तुत करते हैं:-

(I) निदेशकों ने कम्पनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने, गबन एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त गणना रिकार्ड रखे हैं।

(II) निदेशकों ने प्रचलित आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किये हैं।

(III) निदेशकों ने आंतरिक वित्तीय नियंत्रण विनिर्दिष्ट किए हैं, जिनका कंपनी द्वारा अनुसरण किया जा रहा है और यह कि ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का पर्याप्त और अधिक प्रभावी ढंग से प्रचालन किया जा रहा है।

(IV) निदेशकों ने यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली विकसित की है कि सभी लागू कानूनों का अनुपालन हो रहा है और यह कि ऐसी प्रणाली का पर्याप्त और कारगर प्रचालन हो रहा है।

34. आभार

हम केन्द्र सरकार के मंत्रालयों तथा विभागों, विशेषत: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, विदेश मंत्रालय तथा विदेश स्थित भारतीय दूतावासों के निरंतर मार्गदर्शन और सहायता के लिए उनके आभारी हैं। निदेशक मण्डल दिल्ली विकास प्राधिकरण, राज्य सरकारों, सार्वजनिक उद्यमों, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली पुलिस, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और अन्य एजेंसियों तथा व्यक्तियों के प्रति भी आई टी पी ओ को दिये गये उनके तत्पर सहयोग के लिए उनका आभार प्रकट करते हैं। निदेशक मण्डल भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, लोक उद्यम विभाग और कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा दिये गये बहुमूल्य सहयोग के लिए उनके आभारी हैं।

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

ह./-
(एल सी गोयल)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन नं. 02389348

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 29.08.2018

अनुबन्ध-I

फार्म ए ओ सी - 1

(कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 129 की उप-धारा (3) के प्रथम परंतुक के अनुसरण में)

अनुषंगी कंपनियों/ सहयोगी कंपनियों/ संयुक्त उद्यम कंपनियों के वित्तीय विवरणों की प्रमुख विशेषताओं से संबंधित विवरण

भाग 'क' अनुषंगी कंपनियां

(प्रत्येक अनुषंगी कंपनी के संबंध में सूचना रुपए में प्रस्तुत की जाए)

क्र. सं.	विवरण	विस्तृत विवरण	
1.	दिनांक 31.03.2018 की स्थिति अनुसार अनुषंगी कंपनी का नाम	तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन	कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन
2.	तारीख जब से अनुषंगी कंपनी को प्राप्त किया	17.11.2000	06.12.2000
3.	यदि संबंधित अनुषंगी कंपनी के लिए रिपोर्ट की अवधि धारित कंपनी की रिपोर्ट की अवधि से अलग है	लागू नहीं	लागू नहीं
4.	यदि विदेशी अनुषंगी कंपनी है तो संगत वित्त वर्ष की अंतिम तारीख की स्थिति अनुसार रिपोर्ट की मुद्रा और विनिमय दर	लागू नहीं	लागू नहीं
5.	शेयर पूंजी	रु. 1,00,000/-	रु. 20,00,00,000/-
6.	आरक्षित एवं अधिशेष	रु. 2,55,27,97,466/-	रु. 1,12,41,48,392/-
7.	कुल परिसंपत्तियां	रु. 2,65,58,52,918/-	रु. 1,47,72,50,738/-
8.	कुल देनदारियां	रु. 10,29,55,452/-	रु. 15,31,02,346/-
9.	निवेश	-	-
10.	कारोबार (टर्न ओवर)	रु. 36,86,15,768/-	रु. 4,43,25,775/-
11.	कराधान से पूर्व लाभ	रु. 31,53,85,035/-	रु. 19,94,62,582/-
12.	कराधान के लिए प्रावधान	शून्य	शून्य
13.	कराधान के बाद लाभ	रु. 31,53,85,035/-	रु. 19,94,62,582/-
14.	प्रस्तावित लाभांश	लागू नहीं (कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत लाभांश की घोषणा पर प्रतिबंध है।	लागू नहीं (कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत लाभांश की घोषणा पर प्रतिबंध है।
15	शेयरधारिता का प्रतिशत	51%	51%

टिप्पणियां : विवरण के अंत में निम्नलिखित सूचना दी जाएगी :

1. जिन अनुषंगी कंपनियों द्वारा प्रचालन अभी शुरू किया जाना है, उनके नाम।
2. जिन अनुषंगी कंपनियों को वर्ष के दौरान परिसमाप्त/ बेचा जा चुका है, उनके नाम।

फार्म 'ख' : सहयोगी और संयुक्त उद्यम कंपनियां

सहयोगी और संयुक्त उद्यम कंपनियों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (3) के अनुसरण में विवरण

1. जिन सहयोगी अथवा संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा अभी प्रचालन शुरू किया जाना है, उनके नाम।
2. जिन सहयोगी अथवा संयुक्त उद्यम कंपनियों को वर्ष के दौरान परिसमाप्त अथवा बेचा जा चुका है, उनके नाम।

टिप्पणी: इस फार्म को उसी तरह से प्रमाणित किया जाना है, जिस तरह तुलन पत्र प्रमाणित किया जाता है।

सहयोगी/ संयुक्त उद्यम कंपनियों का नाम	**नाम 1**	**नाम 1**	**नाम 1**
1. नवीनतम लेखा परीक्षित तुलन पत्र की तारीख: 31 मार्च, 2018	**राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र**		
2. वह तारीख जिसको सहयोगी/ संयुक्त उद्यम कम्पनी जुड़ी अथवा प्राप्त की गई थी	31.03.1995		
3. वर्ष के अंत में कंपनी की सहयोगी/ संयुक्त उद्यम कंपनियों के शेयर			
संख्या	2,00,000		
सहयोगी/ संयुक्त कंपनियों में निवेश की राशि	रु. 2,00,00,000/-		
धारिता %	50%		
4. यह विवरण कि महत्त्वपूर्ण प्रभाव कैसे है	आई टी पी ओ के पास 50% शेयर पूंजी होने के कारण महत्वपूर्ण प्रभाव है		
5. कारण बताएं कि क्यों सहयोगी/ संयुक्त उद्यम कंपनियां समेकित नहीं हैं	भारतीय लेखांकन मानक - 28		
6. नवीनतम लेखा परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार बताई गई निवल शेयर धारिता के कारण कुल कारोबार राशि	रु. 1,81,51,157		
वर्ष के लिए लाभ/ हानि			
समेकित रूप से मानी गई	शून्य		
समेकित रूप से नहीं मानी गई	रु. 13,52,943		

ह./-	ह./-	ह./-
(एस. आर. साहू)	(डी. एम. शर्मा)	(एल. सी. गोयल)
कंपनी सचिव	मुख्य वित्तीय अधिकारी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

अनुबंध - II

फार्म सं. एम जी टी - 9
वार्षिक विवरणी से उद्धृत
31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष की स्थिति
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) और कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12 (1) के अनुसरण में,

I. पंजीकरण एवं अन्य विवरण

i)	सी आई एन	यू 74899 डीएल 1976 एनपीएल 008453
ii)	पंजीकरण की तारीख	30/12/1976
iii)	कंपनी का नाम	इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन
iv)	कंपनी की श्रेणी/ उप श्रेणी	मिनी - रत्न श्रेणी-1
v)	पंजीकृत कार्यालय का पता और सम्पर्क का विवरण	प्रगति भवन, प्रगति मैदान, नई दिल्ली - 110001 दूरभाष : 91-11-23371540 (ईपीएबीएक्स) फैक्स : 91-11-23371492, 23371493 ई-मेल : info@itpo.gov.in
vi)	क्या सूचीबद्ध कम्पनी है	हां/ नहीं
vii)	पंजीयक एवं अंतरण एजेंट,	
	यदि कोई हो, का नाम, पता और सम्पर्क	लागू नहीं
	का विवरण	

II. कम्पनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियां

कम्पनी के कुल कारोबार में 10 प्रतिशत या उससे अधिक का योगदान करने वाली सभी कारोबारी गतिविधियां इस प्रकार होंगी :

क्र.सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद/सेवाओं का एनआईसी कोड	कम्पनी के कुल कारोबार का %
1	भारत के व्यापार संवर्धन के लिए मेलों/ प्रदर्शनियों का आयोजन	-	100%
2	-	-	-
3	-	-	-

III. होल्डिंग, अनुषंगी और एसोसिएट कम्पनियों के विवरण

क्र.सं.	कम्पनी का नाम व पता	सीआईएन/ जीआईएन	होल्डिंग/ अनुषंगी/ एसोसिएट	धारित शेयर का %	लागू धारा
1	तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन सीटीसी काम्प्लेक्स नंदमबाक्कम चेन्नई 600089	यू91120टीएन2000एनपीएल046140	अनुषंगी	51%	धारा 25 अब धारा 8
2	कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन प्लाट नं. 121, रोड, नं. 5, ई पी आई पी, द्वितीय फेस, व्हाइट फील्ड इंडस्ट्रीयल एरिया बंगलुरु - 560066	यू92490केए2000एनपीएल028238	अनुषंगी	51%	धारा 25 अब धारा 8
3	राष्ट्रीय व्यापार सूचना केन्द्र हाल नं.-19, प्रगति मैदान, नई दिल्ली 110001	यू74899डीएल1995एनपीएल067008	एसोसिएट	50%	धारा 25 अब धारा 8

IV. शेयर धारित पद्धति (कुल इक्विटी में % के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का विवरण)

(i) श्रेणी-वार शेयर धारिता

शेयर धारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारिता शेयरों की संख्या	वर्ष के अंत में धारिता शेयरों की संख्या	वर्ष के दौरान % परिवर्तन
क. प्रोमोटर (1) भारतीय	-	-	-
(क) व्यक्तिगत/ एच यू एफ	-	-	-
(ख) केन्द्र सरकार भारत के राष्ट्रपति (24998) वाणिज्य सचिव, (वाणिज्य विभाग (1) सी एम डी, आई टी पी ओ (1)	25,000/-	25,000/-	0%
(ग) राज्य सरकारें	-	-	-
(घ) निकाय निगम	-	-	-
(ङ) बैंक/ वित्तीय संस्थान	-	-	-
(च) कोई अन्य	-	-	-
उप-जोड़ (क) (1) :-	25,000/-	25,000/-	0%

(2) विदेशी	–	–	–
(क) एन आर आई – व्यक्तिगत	–	–	–
(ख) अन्य – व्यक्तिगत	–	–	–
(ग) निकाय निगम	–	–	–
(घ) बैंक/ वित्तीय संस्थान	–	–	–
(ङ) कोई अन्य	–	–	–
उप-जोड़ (क) (2) :-	–	–	–
प्रोमोटर की कुल शेयर धारिता (क) = (क)(1) + (क)(2)	25,000/-	25,000/-	0%
ख. सार्वजनिक शेयर धारिता **1. संस्थान**	–	–	–
(क) म्युचुअल फंड	–	–	–
(ख) बैंक/ वित्तीय संस्थान	–	–	–
(ग) केन्द्रीय सरकार	–	–	–
(घ) राज्य सरकारें	–	–	–
(ङ) उद्यम पूंजी निधि	–	–	–
(च) उद्यम पूंजी निधि	–	–	–
(छ) बीमा कम्पनियां	–	–	–
(ज) एफ एल एल	–	–	–
(झ) विदेशी उद्यम पूंजीगत निधियां	–	–	–
(ञ) अन्य (स्पष्ट करें)	–	–	–
उप-जोड़ (ख) (1) :-	–	–	–
2. गैर संस्थान (क) निकाय निगम	–	–	–
i) भारतीय	–	–	–
ii) विदेशी	–	–	–
(ख) व्यक्तिगत	–	–	–
i) 1 लाख रु. तक की सामान्य शेयर पूंजी वाले व्यक्तिगत शेयर धारक	–	–	–
ii) 1 लाख रु. से अधिक की सामान्य शेयर पूंजी वाले व्यक्तिगत शेयर धारक	–	–	–
(ग) अन्य (स्पष्ट करें)	–	–	–
उप-जोड़ (ख) (2) :-	–	–	–
सार्वजनिक की कुल शेयर धारित (ख) = (ख) (1) + (ख) (2)	–	–	–
(ग) जी डी आर और ए डी आर के लिए धारक के पास रखे शेयर	–	–	–
सकल योग (क+ख+ग)	25,000/-	25,000/-	0%

(II) प्रोमोटर की शेयर धारिता

क्र.सं.	शेयर होल्डर का नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयर धारिता			वर्ष के अंत में शेयर धारित			
		शेयरों की सं.	कम्पनी के शेयर की कुल %	कुल शेयरों में बंधक/ प्रतिबंधक शेयर का %	शेयरों की सं.	कम्पनी के शेयर की कुल %	कुल शेयरों में बंधक/ प्रतिबंधक शेयर का %	वर्ष के दौरान धारित शेयरों में परिवर्तन का %
1	भारत के राष्ट्रपति	24998	99.98%	नहीं	24,998	99.98%	नहीं	0%
2	वाणिज्य सचिव, डीओसी	1	0.01%	नहीं	1	0.01%	नहीं	0%
3	सी एम डी, आई टी पी ओ	1	0.01%	नहीं	1	0.01%	नहीं	0%
	कुल	25000	100%	नहीं	25,000	100%	नहीं	0%

(III) प्रोमोटर की शेयर धारिता में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं है तो स्पष्ट करें)

क्र. सं.		वर्ष के आरंभ में शेयर धारिता		वर्ष के दौरान संचित शेयर धारिता	
		शेयरों की सं.	कम्पनी के कुल शेयर का %	शेयरों की सं.	कम्पनी के कुल शेयर का %
1.	वर्ष के आरंभ में	लागू नहीं	–	लागू नहीं	–
2.	वर्ष के दौरान प्रोमोटरों की शेयरधारिता में आंकड़े-वार वृद्धि/ कमी जिसमें वृद्धि/ कमी के कारण बताएं (अर्थात आवंटन/ अंतरण) बोनस/ स्वीट	–	–	–	–
3.	वर्ष के अंत में	लागू नहीं	–	लागू नहीं	–

(IV) सर्वाधिक दस शेयरधारकों की शेयरधारिता पद्धति (निदेशकों और प्रोमोटरों और जीडीआर व ए डी आर के धारकों के अलावा) :

क्र. सं.		वर्ष के आरंभ में शेयर धारिता		वर्ष के दौरान संचित शेयर धारिता	
	10 सर्वाधिक शेयरधारिकों में प्रत्येक के लिए	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयर का %	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयर का %
	वर्ष के आरंभ में	लागू नहीं	–	लागू नहीं	–
	वर्ष के दौरान प्रोमोटरों की शेयरधारिता में तिथि-वार वृद्धि/ कमी जिसमें वृद्धि/ कमी के कारण बताएं (अर्थात आवंटन/ अंतरण/ बोनस/ स्वीट	–	–	–	–
	वर्ष के अंत में (अथवा पृथक होने की तारीख को, यदि वर्ष के दौरान अलग हुए हैं)	लागू नहीं	–	लागू नहीं	–

(V) निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता

क्र. सं.		वर्ष के आरंभ में शेयर धारिता		वर्ष के दौरान संचित शेयर धारिता	
	प्रत्येक निदेशक और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के लिए	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयर का %	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयर का %
	वर्ष के आरंभ में	सी एम डी, आई टी पी ओ (1)	.01%	सी एम डी, आई टी पी ओ (1)	.01%
	वर्ष के दौरान प्रोमोटरों की शेयरधारिता में तिथि-वार वृद्धि/ कमी जिसमें वृद्धि/ कमी के कारण बताएं (अर्थात आवंटन/ अंतरण/ बोनस/ स्वीट	शून्य	–	शून्य	–
	वर्ष के अंत में	सी एम डी, आई टी पी ओ (1)	01%	सी एम डी, आई टी पी ओ (1)	01%

V. देनदारी

कम्पनी की देनदारी, जिसमें बकाया/ जमा ब्याज शामिल है लेकिन भुगतान के लिए बकाया नहीं है।

	जमा राशियों को छोड़कर सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा राशियां	कुल देनदानी
वित्तीय वर्ष के आरंभ में देनदारी	शून्य	शून्य	–	शून्य
(i) मूल धनराशि				
(ii) ब्याज बकाया लेकिन भुगतान नहीं किया गया	–	–	–	–
(iii) ब्याज संचित लेकिन देय नहीं	लागू नहीं	–	–	लागू नहीं
कुल (i + ii + iii)	–	–	–	–
वित्तीय वर्ष के दौरान देनदारी में परिवर्तन	–	–	–	–
• वृद्धि	–	–	–	–
• कमी	–	–	–	–
निवल परिवर्तन	–	–	–	–
वित्तीय वर्ष के अंत में देनदारी	–	–	–	–
(i) मूल धनराशि				
(ii) ब्याज बकाया लेकिन भुगतान नहीं किया गया	–	–	–	–
(iii) ब्याज संचित लेकिन देय नहीं	–	–	–	–
कुल (i + ii + iii)	–	–	–	–

VI. निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों तथा/ अथवा प्रबंधक का पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक/ पूर्णकालिक निदेशक/ प्रबंधक का नाम				कुल राशि
		सी एम डी	ई डी	–	–	
1	**सकल वेतन**					
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के तहत वेतन	23.81.290/–	21,36,599/–			45,17,889/–
	(ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के तहत परिलब्धियां	3,41,954/–	–			3,41,954/–

	(ग) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के स्थान पर लाभ	–	–	–	–	–
2	स्टॉक का विकल्प	–	–	–	–	–
3	स्वेट इक्विटी	–	–	–	–	–
4	कमीशन – लाभ के रूप में % – अन्य, स्पष्ट करें	–	–	–	–	–
5	अन्य कृपया स्पष्ट करें	**25,66,680/-** (आवास भुगतान)	–			25,66,680/-
	कुल (क)	52,89,924/-	21,36,599/-			74,26,523/-
	अधिनियम के तहत अधिकतम सीमा					

ख. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों का नाम	कुल राशि
1	**स्वतंत्र निदेशक** ● बोर्ड/ समिति की बैठकों के लिए शुल्क	श्री पी. एन. विजय रु. 20,000/- प्रत्येक बैठक	रु. 2,20,000/-
	कमीशन		
	अन्य, कृपया स्पष्ट करें		.
	कुल (1)	रु. 2,20,000/-	रु. 2,20,000/-
2.	**अन्य गैर - कार्यकारी निदेशक** ● बोर्ड/ समिति की बैठकों के लिए शुल्क	**शून्य**	**शून्य**
	कमीशन	–	–
	अन्य, कृपया स्पष्ट करें	–	–
	कुल (2)	**शून्य**	**शून्य**
	कुल (ख) = (1 + 2)	रु. 2,20,000/-	रु. 2,20,000/-
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक		
	अधिनियम के तहत अधिकतम सीमा		

ग. प्रबंध निदेशक/ प्रबंधक/ पूर्णकालिक निदेशक के अलावा अन्य मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक			कुल
		सी ई ओ	कम्पनी सचिव	सी एफ ओ	
1	**सकल आय**				
	(क)आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के तहत आय	लागू नहीं	16,43,060/-	22,57,572/-	
	(ख)आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत परिलब्धियों का मूल्य	-	3,41,071/-	2,50,947/-	
	(ग)आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले लाभ	-	-	-	-
2	स्टॉक विकल्प	-	-	-	-
3	स्वेट इक्विटी	-	-	-	-
4	कमीशन	-	-	-	-
	- लाभ प्रतिशत के रूप में	-	-	-	-
	- अन्य, स्पष्ट करें	-	-	-	-
5	अन्य कृपया स्पष्ट करें	-	-	-	-
	कुल	-	**19,84,131/-**	**25,08,519/-**	

VII. जुर्माना/ दंड/ मिश्रित क्षति

प्रकार	कम्पनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाए गए जुर्माने/ दंड/ मिश्रित शुल्क का विवरण	प्राधिकारी (आरडी/ एनसीएलटी/ कोर्ट)	की गई अपील, यदि कोई हो (विवरण दें)
क. कम्पनी					
जुर्माना	-	-	-	-	-
दंड	-	-	-	-	-
मिश्रित	-	-	-	-	-
ख. निदेशक					
जुर्माना	-	-	-	-	-
दंड	-	-	-	-	-
मिश्रित	-	-	-	-	-
ग. अन्य अधिकारियों की चूक					
जुर्माना	-	-	-	-	-
दंड	-	-	-	-	-
मिश्रित	-	-	-	-	-

अनुबन्ध-III

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन, नई दिल्ली सदस्यों को स्टेण्डएलोन इण्ड से सम्बन्धित वित्तीय विवरण

स्टेण्डएलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण से संबंधित रिपोर्ट

हमने इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन ('कम्पनी') के स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा कर ली है जिसमें 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष का तुलन-पत्र, आय और व्यय (अन्य व्यापक आय शामिल हैं) का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण, उस वर्ष का कैश-फ्लो विवरण एवं विशिष्ट गणना नीति का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल है।

स्टेण्डएलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण के संबंध में प्रबन्धन का उत्तरदायित्व

कम्पनी के निदेशक मंडल का उत्तरदायित्व कम्पनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के अंतर्गत ऐसे स्टेण्डएलोन वित्तीय भारतीय मानक विवरण तैयार करना है। कंपनी अधिनियम की धारा 133 के तहत कंपनीज (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2017 के द्वारा यथा संशोधित कंपनीज (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों (इण्ड ए. एस.) सहित भारत में सामान्य: तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय स्थिति, अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय निष्पादन, इक्विटी में बदलाव एवं कैश-फ्लो का सही एवं स्पष्ट दृश्य प्रस्तुत करते हैं।

इस उत्तरदायित्व में कम्पनी की परिसंपत्तियों की संरक्षा और धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं से बचने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड रखना; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; तर्कसंगत और विवेक सम्मत निर्णय और आकलन करना; तथा वित्तीय विवरण तैयार करने संबंधी डिजाइन, कार्यान्वयन और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रबन्ध प्रस्तुतीकरण शामिल हैं जो सही एवं उचित दृश्य प्रस्तुत करें जो भौतिक गलतबयानी से मुक्त हों। चाहे वह धोखाधड़ी या गलती से ही क्यों न हुए हों।

प्रबंधन के उत्तर

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारे द्वारा किये गए लेखा परीक्षण के आधार पर स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरण के विषय में अपना विचार प्रकट करना है।

हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन और लेखा परीक्षा मानकों तथा ऐसे मामलों को ध्यान में रखा है, जो अधिनियम और उसके अंतर्गत बने नियमों के प्रावधानों के तहत लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने आवश्यक हैं।

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा से संबंधित मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की है। ऐसे मानकों की अपेक्षाएं हैं कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें तथा वित्तीय विवरण के विषय में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनाएं और निष्पादन करें कि क्या वित्तीय विवरण असत्य विवरण तो नहीं हैं।

लेखा परीक्षा में स्टेण्डएलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण में धनराशियों एवं प्रकटन संबंधी लेखा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रिया शामिल हैं। प्रक्रिया चुनना वित्तीय विवरणों की गलतबयानी, चाहे धोखाधड़ी या चूक के कारण हो, के जोखिम का आकलन करने सहित लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर है। जोखिम का आकलन करने में लेखा परीक्षक कम्पनी के भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने एवं उनको उचित रूप में प्रस्तुत करने में आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है जो परिस्थितियों में लेखा परीक्षण प्रक्रिया उचित हो लेकिन इस बात पर राय व्यक्त करने के प्रयोजन से नहीं की कि कम्पनी के पास ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावकारिता तथा वित्तीय सूचनाओं पर कोई पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है। लेखा परीक्षण में लेखा गणना नीति का उचित मूल्यांकन करना एवं कम्पनी के निदेशकों द्वारा किये गए लेखा अनुमान का उचित एवं स्टेण्डएलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण का सम्पूर्ण प्रस्तुतिकरण करना है।

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गए लेखा साक्ष्य स्टेण्डएलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों से संबंधित योग्य राय के अध्यधीन हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हैं।

राय

हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण, उपयुक्त योग्य राय अनुच्छेद के लिए दिए गए विवरण, उपरोक्त स्टेण्डएलोन भारतीय लेखांकन मानव वित्तीय विवरण अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुसार दिए गए हैं जो भारत में सामान्यत: स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप कम्पनी के कार्यों का दिनांक 31 मार्च, 2018 और इसका अधिशेष (अन्य विस्तृत आय सहित) इक्विटी बदलाव तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के कैश-फ्लो का एक सच्चा और सत्य दृश्य प्रकट करते हैं।

मामले पर बल

वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में हम निम्नलिखित विषयों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं :-

1. कंपनी की नीति के अनुसार जिस संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की भौतिक जांच वर्ष 2017-18 में की जानी थी, उनकी भौतिक जांच पूरी न करना (स्टेण्डएलोन इण्ड ए. एस. वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 3.6 देखें)।

2. कंपनी के अन्य पक्षकारों के व्यापार प्राप्यों, ऋणों तथा अग्रिमों, व्यापार, देयताओं की कुछ शेष धनराशियों की पुष्टि/ मिलान न करना (स्टेण्डएलोन इण्ड ए. एस. वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 31.6 देखें)

उपर्युक्त मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं से सम्बधित रिपोर्ट

1. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप धारा (11) के प्रावधानों के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा जारी कम्पनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ('आदेश') कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2016 के अनुच्छेद 1 उप-अनुच्छेद 2(iii) के द्वारा कंपनी पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि यह कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत है।

2. हम कंपनी की पुस्तकों और रिकार्डों की ऐसी जांचों के आधार पर अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार अपनी रिपोर्ट संलग्न कर रहे हैं, जिनको हम उपयुक्त मानते हैं तथा प्रबंधन के द्वारा हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार

वास्तविक कथन : मुख्यालय प्रगति मैदान में संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की भौतिक जांच आई ई सी सी परियोजना के लिए कार्यालय भवन सहित बहुत से हॉलों/ ढांचों को गिराने/ सौंपने की वजह से वर्ष के दौरान पूरी नहीं की जा सकी। इसमें फर्नीचर और फिक्सचर्स की अधिक मदों को स्टोर और नए कार्यालय भवनों में शिफ्ट करना। पुन: व्यवस्थित करना शामिल है।

पी. पी. ई. की वास्तविक जांच वर्ष 2018-19 के दौरान की जाएगी।

वास्तविक कथन : वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 31.6 देखें।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा जारी निर्देशों और उप-निर्देशों पर अनुबंध 'क' में दी गई है।

3. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षाओं के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि :

(क) हमने सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो कि हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारे लेखा परीक्षण के उद्देश्य से आवश्यक थे।

(ख) हमारी राय में कानूनन अपेक्षित लेखा बहियों का समुचित रख-रखाव किया गया है, जैसा कि इन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

(ग) तुलन पत्र, आय और व्यय का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित) तथा कैश-फ्लो विवरण तथा इक्विटी परिवर्तन विवरण इस रिपोर्ट का भाग है, जो लेखा बहियों से मेल खाता है।

(घ) हमारी राय में पूर्वोक्त स्टेण्डएलोन इण्ड ए. एस. वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली 2017 के द्वारा यथा संशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के अधीन अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों (इण्ड ए. एस.) का पालन करती है।

(ङ) उपरोक्त अनुच्छेद में वर्णित मामले पर बल पर विषय में कंपनी की कार्यप्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

(च) भारत सरकार के द्वारा 5 जून, 2015 को जारी अधिसूचना संख्या जी एस आर 463(ई) के अनुसरण में सरकारी कंपनी होने की वजह से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उपधारा (2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(छ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्ट आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता तथा ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनीय प्रभावकारिता के संबंध में हमारी पृथक रिपोर्ट 'अनुबंध-ख' में दी गई है।

(ज) कंपनी और (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार है :-

(i) कम्पनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित वादों के प्रभाव को प्रकट किया है (स्टेण्डअलोन इण्ड ए. एस. वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 31.1 देखें)

(ii) कम्पनी का नकली संविदा सहित ऐसा कोई दीर्घावधिक अनुबंध नहीं था।

(iii) धारा 8 की कंपनी होने के कारण कंपनी के द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष के लिए धनराशियों को हस्तांतरित करने संबंधी कोई धारा लागू नहीं होती है।

कृते एस. पी. चोपड़ा एवं कंपनी
चार्टर्ड लेखाकार
एफ आर एन 000346एन

ह./-
अंकुर गोयल
भागीदार
सदस्यता सं. 99143

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 अगस्त, 2018

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

स्वतंत्र लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध - 'क'

(इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन के 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के स्टेण्डएलोन इण्ड ए. एस. वित्तीय विवरणों पर समसंख्यक तारीख की स्वतंत्र लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट के 'अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं से संबंधित रिपोर्ट' शीर्षक के अंतर्गत अनुच्छेद 2 के संदर्भ में)

वर्ष 2017-18 के इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन के वार्षिक लेखों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा जारी निर्देश एवं उप-निर्देश।

क्र. सं.	निदेश/उपनिदेशक	लेखा परीक्षकों के उत्तर	प्रबंधन के द्वारा उन पर की गई कार्रवाई	वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
क	**निर्देश**			
1	क्या कंपनी के पास फ्री-होल्ड और लीज होल्ड भूमि के लिए क्रमशः स्पष्ट मालिकाना हक विलेख पट्टा विलेख है? यदि नहीं तो कृपया फ्री-होल्ड और लीज-होल्ड भूमि क्षेत्र बताएं, जिसके लिए मालिकाना हक विलेख/ पट्टा विलेख उपलब्ध नहीं है।	हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार 31.03.2018 को कोई भी फ्री-होल्ड भूमि कंपनी के कब्जे में नहीं है। तथापि कंपनी के पास स्थायी पट्टे और पट्टा विलेखों पर 2 भूमियां हैं तथा दोनों भूमियों के पट्टा विलेख कर लिए गए हैं। प्रगति मैदान परिसर 1/- रु. के हिसाब से लेखों में है जबकि गाजीपुर की भूमि 78.76 लाख रु. में है और इनको 31.03.2018 के वित्तीय विवरणों के संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की टिप्पणी 3 में प्रकट कर दिया गया है। इसके अलावा, टिप्पणी 31.2 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें यह सूचित किया गया है कि भूमि और विकास कार्यालय (एल ऐंड डी ओ) के द्वारा प्रगति मैदान में कंपनी को पट्टे पर दी गई 123.51 एकड़ भूमि में से 7.2623 एकड़ भूमि दो सरकारी विभागों अर्थात् क्राफ्ट म्युजियम और राष्ट्रीय विज्ञान केन्द्र के कब्जे में हैं जिनके बारे में पट्टा करार नहीं किया गया है तथा 9,982.57 लाख रु. का संचयी पट्टा किराये का भुगतान नहीं किया जा रहा है एवं वे इसका विरोध कर रहे हैं।	संबंधित विभागों के साथ मामले पर कार्रवाई की जा रही है।	31.03.2018 को वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 31.2 में प्रकट किए अनुसार 9982.57 रु. के किराए को 31.03.2018 तक लेखे में नहीं लिया गया है।

क्र. सं.	निदेशक/ उपनिदेशक	लेखा परीक्षकों के उत्तर	प्रबंधन के द्वारा उन पर की गई कार्रवाई	वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
2	क्या उधारियों/ ऋणों / ब्याज इत्यादि की माफी/ बट्टे खाते में डालने का कोई मामला है, यदि हां तो तत्संबंधी कारण और उसमें शामिल धनराशि का उल्लेख करें	कंपनी ने वर्ष के दौरान 1.62 लाख रु. के ऋणों और अग्रिमों की पुरानी कुछ धनराशियों को बट्टे खाते में डाल दिया गया है जो प्रबंधन की राय में वसूलनीय नहीं था।	कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं	पहले ही लेखे में लिया गया है।
3	क्या अन्य पक्षों के पास पड़ी वस्तु सूचियों और सरकार अथवा अन्य प्राधिकरणों से उपहार/ अनुदान(नों) के रूप में प्राप्त परिसंपत्तियों के रिकार्ड का समुचित रख-रखाव किया गया।	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार अन्य पक्षकारों के पास कोई भी सामान-सूची नहीं है और न ही वर्ष के दौरान सरकार अथवा अन्य प्राधिकरणों से उपहार के रूप में कोई परिसंपत्तियां प्राप्त हुई थीं।	कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं	कोई प्रभाव नहीं
ख	उप निर्देश			
	कोई नहीं			

कृते एस. पी. चोपड़ा एवं कम्पनी
चार्टर्ड लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 000346एन

ह./-
(अंकुर गोयल)
(भागीदार)
सदस्यता सं. 99143

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 अगस्त, 2018

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध - 'ख'

(इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन के 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष की स्टेण्डअलोन इण्ड ए. एस. वित्तीय विवरणों पर समसंख्यक तारीख की स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के 'अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं से संबंधित रिपोर्ट' शीर्षक के अंतर्गत अनुच्छेद 3(छ) के संदर्भ में)

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उपधारा 3 के खण्ड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन ('कंपनी') की दिनांक 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार वित्तीय संसूचना पर आंतरिक नियंत्रणों की, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टेंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा को साथ में रखकर लेखा परीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक बोर्ड इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आफ इंडिया ('आई सी ए आई') द्वारा जारी वित्तीय संसूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा संबंधी मार्ग निर्देशन टिप्पणी (मार्ग निर्देशन टिप्पणी) में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय संसूचना मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और रख-रखाव करने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रख-रखाव शामिल है, जो कंपनी की नीतियों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की संरक्षा, धोखाधड़ी और चूकों की रोकथाम और पता लगाने, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत यथा अपेक्षित लेखांकन अभिलेखों की सटीकता एवं पूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने सहित कारोबार का समुचित और सक्षम संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से संचालित हो रहे थे।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी, अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय संसूचना पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करने की है। हमने वित्तीय संसूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा संबंधी मार्ग निर्देशन टिप्पणी ('मार्ग निर्देशन टिप्पणी') और आई सी ए आई द्वारा जारी तथा आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के लिए यथा लागू, अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित माने गए लेखा परीक्षा संबंधी मानकों, जो दोनों ही आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के लिए लागू हैं और दोनों ही आई सी ए आई द्वारा जारी किए गए हैं, के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। इन मानकों और मार्ग निर्देशन टिप्पणी में यह अपेक्षित है कि नैतिक अपेक्षाओं का पालन किया जाए और इस संबंध में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना और निष्पादन किया जाए कि क्या वित्तीय संसूचना पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किया गया था और क्या यह नियंत्रण सभी महत्त्वपूर्ण संबंधों में प्रभावी रूप से संचालित हुआ है।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय संसूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता तथा उनकी प्रचालनीय प्रभावकारिता के संबंध में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय संसूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय संसूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की जानकारी प्राप्त करना, महत्त्वपूर्ण कमजोरियों की मौजूदगी के जोखिम का आकलन करना और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन एवं प्रचालनीय प्रभावकारिता की जांच व मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षकों के निर्णय पर आधारित होती हैं, जिनमें वित्तीय विवरणों की महत्त्वपूर्ण गलतबयानी, चाहे धोखाधड़ी या चूकों के कारण हो, का आकलन करना शामिल है।

हम यह विश्वास करते हैं कि जो लेखा परीक्षा साक्ष्य हमने प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय संसूचना पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षा राय को एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय संसूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का तात्पर्य

एक कंपनी का वित्तीय संसूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है, जो सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय सूचना की विश्वसनीयता और वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में तर्कसंगत आश्वासन प्रदान करने के लिए बनाया गया है। एक कंपनी की वित्तीय संसूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में ऐसी नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं, जो (1) ऐसे अभिलेखों के रख-रखाव से संबंधित है, जो तर्कसंगत विवरण में कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देनों तथा उनकी प्रकृति को सटीक और स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं; (2) समुचित आश्वासन प्रदान करती हैं कि लेन-देन को आवश्यकतानुसार सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए अनुमति के लिए दर्ज किया गया है और यह कि कंपनी की प्राप्तियां और व्यय कंपनी के प्रावधान और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार ही किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की ऐसी परिसंपत्तियों, जिनका वित्तीय विवरणों पर एक महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग अथवा निपटान के निवारण अथवा समय पर पता लगाने के संबंध में समुचित आश्वासन प्रदान करती है।

वित्तीय संसूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की मौजूदा सीमाएं

वित्तीय संसूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की मौजूदा सीमाओं के कारण, जिनमें मिली-भगत अथवा अनुचित प्रबंधन की संभावना शामिल है, नियंत्रणों को ताक पर रखकर धोखा-धड़ी अथवा चूक के कारण महत्वपूर्ण गलत विवरण हो सकते हैं, और उनका पता भी नहीं चले। साथ ही, भावी अवधियों के लिए वित्तीय संसूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के मूल्यांकन के अनुमान भी ऐसे जोखिम के अध्यधीन होते हैं, जिससे कि वित्तीय संसूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का परिमाण खराब हो सकता है।

राय

हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हमारी राय में कंपनी का सभी महत्वपूर्ण संबंधों में वित्तीय संसूचना पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी है और वित्तीय संसूचना पर ऐसा आंतरिक नियंत्रण 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार प्रभावी रूप से संचालित हो रहा था, जो आई सी ए आई द्वारा जारी वित्तीय संसूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा संबंधी मार्ग निर्देशन टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय संसूचना पर आंतरिक नियंत्रण के मानकों के आधार पर है।

कृते एस. पी. चोपड़ा एवं कम्पनी
चार्टर्ड लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 000346एन

ह./-
(अंकुर गोयल)
(भागीदार)
सदस्यता सं. 99143

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 अगस्त, 2018

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

'इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन' के सदस्यों को समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन ('इसे इसके बाद से धारित कम्पनी कहा गया') इसकी अनुषंगी कंपनियों (धारित कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों को मिलाकर 'समूह' कहा गया है) और संयुक्त नियंत्रित संस्था के समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की जांच कर ली है जिसमें 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष का समेकित तुलन-पत्र, आय और व्यय का समेकित विवरण (अन्य विस्तृत आय सहित), इक्विटी में परिवर्तनों का समेकित विवरण और उस वर्ष के लिए कैश-फ्लो के समेकित विवरण एवं विशिष्ट गणना नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल है।

समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबन्धन का उत्तरदायित्व

धारित कम्पनी के निदेशक मंडल का उत्तरदायित्व कम्पनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की अपेक्षाओं के अनुसार ऐसे समेकित भारतीय मानक वित्तीय विवरण तैयार करना है जो समूह तथा संयुक्त नियंत्रित संस्था की समेकित वित्तीय स्थिति अन्य व्यापक आय सहित समेकित वित्तीय निष्पादन, समेकित इक्विटी परिवर्तन, समेकित कैश-फ्लो एवं समूह के नकद लेन-देन का सत्य एवं उचित दृश्य प्रस्तुत करते और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2017 के द्वारा यथा संशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों (इण्ड ए. एस) सहित भारत में सामान्यत: स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार हैं।

समूह और इसकी संयुक्त नियंत्रित संस्था में शामिल किए गए कंपनी के संबंधित निदेशक मंडल के इस उत्तरदायित्व में कम्पनी की परिसंपत्तियों की संरक्षा और धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं से बचने और पता लगाने के लिए अधिनियम के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड रखने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; तर्कसंगत और विवेक सम्मत निर्णय और आकलन करने; तथा ऐसे समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण तैयार करने संबंधी डिजाइन, कार्यान्वयन और आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण प्रबन्ध प्रस्तुतीकरण शामिल हैं जो सही एवं उचित दृश्य प्रस्तुत करें जो भौतिक गलतबयानी से मुक्त हों, चाहे वह धोखाधड़ी या गलती से ही क्यों न हुए हों, जिनका उपरोक्त धारित कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण तैयार करने के प्रयोजन से उपयोग किया गया है।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारे द्वारा किये गए लेखा परीक्षण के आधार पर समेकित भारतीय मानक वित्तीय विवरणों के विषय में अपना विचार प्रकट करना है। हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन और लेखा परीक्षा मानकों तथा ऐसे मामलों को ध्यान में रखा है, जो अधिनियम और उसके अंतर्गत बने नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने आवश्यक हैं।

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। जो भी मानक अपेक्षित हैं, उनकी अपेक्षाओं को हमने पूरा किया है और समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में यह उचित आश्वासन प्राप्त करके लेखा परीक्षा की है कि ये समेकित भारतीय लेखांकन वित्तीय विवरण गलत विवरण नहीं हैं।

किसी भी लेखा परीक्षा में धनराशि एवं समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण से सम्बन्धित घोषणा के विषय में लेखा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया शामिल होती है। प्रक्रिया चुनने और वित्तीय विवरण के विषय में जोखिम का आकलन एवं असत्य का पता लगाने का निर्णय लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करता है जो धोखाधड़ी और गलती से मुक्त हों। जोखिम का आकलन करने में लेखा परीक्षक धारित कम्पनी के समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों का तैयार करने एवं उसको उचित रूप से प्रस्तुत करने में आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है जो उन परिस्थितियों में लेखा परीक्षण प्रक्रिया उचित हो। लेखा परीक्षण में लेखा गणना नीति का उचित मूल्यांकन करना एवं धारित कम्पनी के निदेशक मंडलं द्वारा किये गए लेखा अनुमान का उचित और समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय

विवरणों का समग्र प्रस्तुतीकरण करना भी होता है।

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गए लेखा साक्ष्य और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा प्राप्त किए गए लेखा साक्ष्य, जो नीचे अन्य मामलों में अनुच्छेद में उल्लिखित उनकी रिपोर्ट के संदर्भ में हैं, समेकित भारतीय मानक वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित है।

योग्य राय के लिए आधार

1. अनुषंगी कंपनी - टी एन टी पी ओ

(i) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पी पी ई) के कैरीइंग लागत के पुनर्नियोजन के संबंध में इण्ड ए. एस. लेन- देन के अंतरों को प्रथम इण्ड ए. एस. रिपोर्टिंग अवधि अर्थात वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए बनायी गयी लेखा-पुस्तकों में रिकार्ड किया गया है। परिणामत: वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 की लेखा-पुस्तकों और वित्तीय विवरणों के बीच 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की सकल कीमत के शेष धनराशि एवं संचित मूल्यह्रास के बीच अंतर थे। 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पी पी ई) की सभी मदों के कुल सकल मूल्य में अंतर 2845.80 लाख रु. का था।

अनुषंगी रजिस्टरों और सामान्य लेखा-बही (टेली) सिस्टम के अनुसार संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर तथा मूल्यह्रास की शेष धनराशि का मिलान किया जाना है और आय एवं व्यय विवरण तथा तुलन-पत्र में अंतरों के प्रभाव, यदि कोई हों, उचित रूप से प्रभावित हो सकता है।

बुकिंग मूल्यह्रास के प्रयोजनार्थ लीजहोल्ड भूमि पर निर्मित भवन का अनुमानित जीवन 30 वर्ष की पट्टे की वैधता अवधि से अधिक नहीं हो सकती है। अत: संबंधित इण्ड ए. एस. अपेक्षाओं का पालन नहीं किया जाता है।

पूर्व वित्तीय वर्षों 2014-15 और 2015-16 में बेची गई/ निपटान की गई संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के लेखों में हुई त्रुटियों के बारे में संशोधन प्रविष्टियां चालू वित्तीय वर्ष की लेखा-पुस्तकों में की गई थीं। उचित अनुमोदन तथा समर्थन वाले वाउचरों के न होने की स्थिति में ऐसे संशोधनों की सत्यता के बारे में पता नहीं लगाया गया था। पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित ऐसे समायोजनों के इण्ड. ए. एस. संबंधी जटिलाएं लेखा पुस्तकों में नहीं ली गई थीं।

उपर्युक्त कारणों के दृष्टिगत, चालू वर्ष के लिए उपलब्ध मूल्यह्रास की सत्यता, उपर्युक्त टिप्पणी के अलावा, निश्चित नहीं है।

(ii) प्रचालनों के आंकड़ों से राजस्व, व्यापार प्राप्यों में शेष, ग्राहकों से अग्रिमों का शेष, ग्राहकों को वापस करने योग्य राशि, भावी मेलों के लिए समायोजित किए जाने वाले अग्रिमों, जब्त किए गए समायोजन, इन अग्रिमों पर जी एस टी समायोजन और संबंधित आंकड़े आनुषंगिक रिकार्डों अर्थात् बिलिंग सॉफ्टवेयर से रिपोर्ट और टेली-सिस्टम में सामान्य खाता-बही के बीच में मिलाए जाने के लिए रहते हैं। मिलान-कार्य में पूरा होने पर आय और व्यय विवरण तथा तुलन-पत्र में समायोजन, यदि कोई हो, उपयुक्त रूप से हो सकता है।

(iii) सेवा कर के संबंध में सांविधिक विवरणियों (रिटर्न) तथा दायर की गई वस्तुओं तथा सेवा कर विवरणियों की सूचना और बनायी गई लेखा पुस्तकों (बिलिंग सॉफ्टवेयर और सामान्य लेखा-बही सिस्टम) के बीच अंतरों का मिलान करना शेष रहता है तथा आय और व्यय विवरण एवं तुलन-पत्र में उसके प्रभाव को समायोजित किया जाना होता है।

(iv) व्यापार देयताओं में 38.40 लाख रु. की राशि के कुछ खर्चों, जैसे सुरक्षा और हाउसकीपिंग के लिए जनशक्ति प्रभार, टेलीफोन, जल प्रभार, लेखा-परीक्षा शुल्क आदि के लिए प्रावधान करना शामिल है जिनको 'प्रावधान' (वर्तमान देयता) शीर्ष के बजाय 'व्यापार देयताओं' वर्तमान देयता के तहत वित्तीय विवरणों में गलत प्रस्तुत किया गया है।

(v) अन्य वित्तीय देयता में 18.96 लाख रु. की राशि के कुछ खर्चों जैसे प्रशासनिक जन-शक्ति प्रभार, बिजली व्यय, प्रचालन और रख-रखाव जनशक्ति आदि के लिए प्रावधान करना शामिल है जिनको 'प्रावधान' (वर्तमान देयता) के बजाय 'अन्य वित्तीय देयता' (वर्तमान देयता) के तहत वित्तीय विवरणों में गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है।

उपर्युक्त अनुच्छेद (i) से (iii) में दी गई योग्यताओं की मात्रा का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

2. अनुषंगी कंपनी - के टी पी ओ

वित्तीय वर्ष 2008-09 और 2012-13 से 2017-18 के लिए आयकर का प्रावधान करना

आयकर देयता के विषय पर समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 33.4 (iii) का संदर्भ किया जाता है। के टी पी ओ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 के तहत छूट का दावा करते हुए अपने निगमित होने से लेकर शून्य आय घोषित करते हुए आयकर रिटर्न दायर कर रहा है। तथापि, आकलन अधिकारियों ने वित्तीय वर्ष 2008-09 से छूट के इस दावे को इस आधार पर मुख्य तौर पर निरस्त कर दिया है कि वित्त अधिनियम, 2008 के द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 2(15) में एक परंतुक जोड़ कर संशोधित कर दिया गया है, जिसमें यह व्यवस्था है कि आम जनता के उपयोग की किसी अन्य वस्तु को धमार्थ प्रयोजन के लिए नहीं दिया जाएगा, यदि इनमें इनको ले जाना शामिल होता है - (क) व्यापार, वाणिज्य अथवा कारोबार के स्वरूप में कोई कार्यकलाप (ख) उपकर, अथवा शुल्क अथवा किसी अन्य प्रतिफल के लिए किसी व्यापार, वाणिज्य अथवा करोबार के संबंध में सेवा देने का कोई कार्यकलाप। इसके लिए ऐसे कार्यकलाप के उपयोग अथवा अनुप्रयोग अथवा आय के धारण का स्वरूप को ध्यान में रखा जाता है। तदनुसार, आयकर विभाग ने नीचे दिए विवरण के अनुसार आकलन वर्ष 2009-10 (वित्तीय वर्ष 2008-09) से कंपनी के द्वारा देय कर का आकलन किया है:

आकलन वर्ष	की गई मांग (रु. लाख में)	कंपनी के द्वारा दावा किया गया टी डी एस रिफण्ड (रु. लाख में)	वर्तमान स्थिति
2009-10	आकलन लंबित	7.16	आकलन लंबित
2010-11	शून्य	8.35	स्वीकृत आकलन के विरुद्ध दायर अपील अपीलीय अधिकरण में विभाग की अपील लंबित
2011-12	58.31	31.38	स्वीकृत आकलन के विरुद्ध दायर अपील अपीलीय अधिकरण में विभाग की अपील लंबित
2012-13	110.47	48.80	स्वीकृत आकलन के विरुद्ध दायर अपील अपीलीय अधिकरण में विभाग की अपील लंबित
2013-14	238.80	70.50	स्वीकृत आकलन आयुक्त आयकर (अपील) के पास अपील लंबित
2014-15	158.75	83.57	स्वीकृत आकलन आयुक्त आयकर (अपील) के पास अपील लंबित
2015-16	लंबित	95.06	आकलन लंबित
2016-17	लंबित	69.99	आकलन लंबित
2017-18	लंबित	579.24	आकलन लंबित
2018-19	लंबित	224.98	आकलन लंबित

के टी पी ओ को 01.04.2009 से अर्थात् धारा 2 (15) में संशोधन की तारीख से आकलन वर्षों 2003-04 से 2008-09 के लिए अधिनियम की धारा 10 (23ग) (iv) के तहत स्वीकृत मूल अनुमोदन को निरस्त करने के लिए प्रस्ताव करते हुए अपर आयकर आयुक्त (तकनीक-I) से दिनांक 26.02.2013 को एक नोटिस प्राप्त हुआ था। के टी पी ओ ने नोटिस पर पुन: विचार करने के लिए लिखित निवेदन दायर किए थे तथा के टी पी ओ को इस संबंध में कोई और पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

के टी पी ओ को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12एए (3) के तहत पंजीकरण रद्द करने के लिए कारण बताओ नोटिस भी प्राप्त हुआ था। इसके प्रत्युत्तर में के के टी पी ओ ने इस मामले को ड्राप करने के लिए आयकर विभाग को प्रतिवेदन दिया था क्योंकि उक्त विषय पर मूल्यांकन के समय पर की कार्रवाई की जानी चाहिए। इस संबंध में निर्णय अभी लंबित है।

के टी पी ओ ने स्टेण्डअलोन वित्तीय विवरणों में आयकर देयता के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है। इसने विभाग द्वारा रिफण्ड किए जाने योग्य टी डी एस के रूप में 1232.35 लाख रु. की राशि उक्त विवरणों में भी दर्शायी है। तथापि, विभाग ने उसकी मांगों के प्रति इस

राशि को समायोजित/ रोक लिया है। उपर्युक्त तथ्यों तथा आयकर अधिनियम की धारा 2(15) के संशोधित प्रावधानों पर विचार करते हुए के टी पी ओ के द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 और 2012-13 से 2017-18 के लिए कर का प्रावधान किया जाना चाहिए। वित्तीय वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिए विभाग के द्वारा की गई मांग के लिए अपेक्षित प्रावधान ऊपर सारणी में दर्शाया है। अन्य वित्तीय वर्षों के लिए अपेक्षित सूचना/ विवरण न होने की स्थिति में प्रावधान की राशि के निर्धारण में हम असमर्थ हैं।

3. संयुक्त नियंत्रण वाली कंपनी - एन सी टी आई

हम यह ध्यान आकर्षित करते हैं कि एन सी टी आई को बंद करने के बारे में बोर्ड की बैठक में विचार-विमर्श किया गया था और यह निर्णय लिया गया है कि इसको बंद करने संबंधी औपचारिकताएं शीघ्र ही शुरू की जा सकती हैं, जिससे हम जारी कंपनी के रूप में अपनी सामर्थ्य पर अपनी राय व्यक्त करने में असमर्थ न हों।

पारित राय

हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण, उपयुक्त योग्य राय अनुच्छेद के लिए दिए गए विवरण के प्रभाव को छोड़कर, उपरोक्त समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण अधिनियम का अपेक्षाओं के अनुसार सूचना देते हैं और 31 मार्च, 2018 को समूह और संयुक्त रूप से नियंत्रित कम्पनी के समेकित कार्यों के इण्ड ए. एस. सहित भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत सिद्धांतों के अनुरूप व्यय से अधिक उनकी समेकित आय (अन्य विस्तृत आय सहित), इक्विटी में उनकी परिवर्तनों तथा उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के समेकित नकद प्रवाहों के इण्ड ए. एस. सहित सही और सत्य स्थिति प्रकट करते हैं।

मामले पर बल

वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में हम निम्नलिखित विषयों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं :

1. धारित कंपनी

(क) कंपनी की नीति के अनुसार जिस संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की भौतिक जांच वर्ष 2017-18 में की जानी थी, उनकी भौतिक जांच पूरी न करना (समेकित इण्ड ए. एस. वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 3.6 देखें)।

(ख) कंपनी के अन्य पक्षकारों के व्यापार प्राप्यों, ऋणों तथा अग्रिमों, व्यापार, देयताओं की कुछ शेष धनराशियों की पुष्टि/ मिलान न करना (समेकित इण्ड ए. एस. वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 33.6 देखें)

2. अनुषंगी कंपनी - टी एन टी पी ओ

(क) विस्तार परियोजना के लिए पूंजीगत अनुदान निधि 31 मार्च, 2018 को 1015.90 लाख रु. शेष धनराशि थी। इस निधि में टी आई ई एस के तहत केन्द्र सरकार से 18.12.2017 को प्राप्त हुए, 1000 लाख रु. और 31 मार्च, 2018 तक की अवधि का उस पर हुई 15.90 लाख रु. ब्याज की राशि शामिल है। इन निधियों को पूंजीगत विस्तार योजना के लिए उपयोग करने के लिए नियत अलग बैंक लेखे में नहीं लिया जाता है। (समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 33.8 देखें)

(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11(15) अथवा धारा 10 (23ग) (iv) के अंतर्गत छूट वापसी पर निर्णय लंबित रहते टी एन टी एन पी के द्वारा आयकर और आस्थगित कर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है (समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 33.4(ii) देखें)

(ग) पुराने वर्षों के और 24 महीनों से अधिक समय से लंबित 8.65 लाख रु. के अस्थायी अग्रिम शेष (ऋण - चालू परिसंपत्तियों) का मिलान/ वसूली/ समायोजित किया जाना बाकी है।

(घ) टी एन टी पी ओ के कनिष्ठ कर्मचारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और इसकी प्रचालन प्रभावकारिता को प्रभावित कर रहे हैं।

(ङ) आंतरिक नियंत्रण में कमियां

- वित्तीय अधिकार और जवाबदेही : प्रबंधक (लेखा), उप प्रबंधक (लेखा) और आउटसोर्स जनशक्ति सर्विस प्रदाताओं से अन्य कार्यकर्त्ताओं के अधिकारों और जवाबदेही के बारे में मौजूदा दस्तावेजी अधिकार देने की वित्तीय शक्तियों में कुछ भी नहीं कहा है।
- कर्मचारियों और आउटसोर्स किए जनशक्ति कार्यकर्त्ताओं की भूमिका और जिम्मेदारियों को स्पष्टत: परिभाषित करने वाले दस्तावेज प्रमाणित नहीं हैं। अत: संगठन की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने के लिए जवाबदेही नियत करना कठिन होता है।
- लेन-देनों को प्राधिकृत तथा अनुमोदन देना : केवल प्राधिकृत लेन-देनों की ही टेली वित्तीय लेखांकन सिस्टम में प्रविष्टि की जाती है, यह सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण प्रमाणित नहीं हैं। इसके अलावा, लेन-देनों के कार्योत्तर अनुमोदन का तंत्र प्रमाणित नहीं है।

ऐसे कुछ बिलों के मामले में, जिनमें बीजक/ दावा बिलों को तुलन-पत्र की तारीख अर्थात् 31.03.2018 को अथवा इससे पहले अनुमोदन नहीं दिया गया था, उनकी देयता संबंधी प्रविष्टियां 31.03.2017 और 31.03.2018 को लेखा-पुस्तकों में पारित की गई थीं। तथापि, दावे संबंधी कुछ बिलों को ऑडिटी संगठन के किसी कार्यकर्त्ता/ पदाधिकारी ने अभी 21.08.2018 तक अनुमोदित नहीं किया है।

अपडेटर सर्विसेज प्रा. लिमि. के ऐसे कुछ बिलों के विवरण नीचे दिए गए हैं :

क्र. सं.	बिल सं./ दिनांक	राशि रु. में	जे. वी. सं.	अवधि	स्वरूप
1	90402949/ 10.01.2017	3,20,007	970/ 31.03.2017	अप्रैल, 16 से दिसंबर, 16	वेतन एरियर
2	90402915/ 10.01.2017	1,80,698	969/ 31.03.2017	अप्रैल, 16 से दिसंबर, 16	ओवर टाइम एरियर
3	1733009975/ 12.01.2018	1,75,475	1121/ 31.03.2018	अप्रैल 17 से नवंबर 17	ओवर टाइम एरियर
4	1733008857/ 31.12.2017	2,85,725	1119/ 31.03.2018	अप्रैल 17 से नवंबर 17	वेतन एरियर
5	1733013649/ 24.03.2018	1,68,143	1115/ 31.03.2018	अप्रैल, 16 से दिसंबर, 16	अवकाश वेतन
	कुल	**11,30,048**			

- अनुप्रयोग प्रोग्राम में लॉजिकल एसेस कंट्रोल : लेन-देन प्रविष्टि के रख-रखाव, लेन-देन प्रोसेसिंग, रिपोर्टें बनाने, वित्तीय एवं संबंधित प्रचालनात्मक आंकड़ों की सत्यता बनाए रखने के लिए लेवल (स्तर) (बिलिंग सॉफ्टवेयर और टेली वित्तीय लेखांकन सिस्टम प्रमाणित नहीं है।
- प्रत्येक कर्मचारी/ आउटसोर्स किए कर्मचारियों के लिए अलग प्रयोक्ता प्रत्यय-पत्र नहीं बनाए गए थे और इसलिए जवाबदेही निर्धारित नहीं की जा सकती है।
- लेन-देनों और शेष धनराशि की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विभागों और लेखा विभाग के बीच में समाधान करने के नियंत्रण प्रमाणित नहीं हैं।
- अत: प्रविष्टियों की सत्यता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए पुस्तकों की वार्षिक बंदी के संबंध में नियंत्रण प्रमाणित नहीं है।

- टेली वित्तीय लेखांकन सिस्टम में पिछली तारीखों की प्रविष्टियों/ उत्तरवर्ती संशोधन अथवा प्रविष्टियों के विलोप होने को रोकने के लिए नियंत्रण प्रमाणित नहीं है। टेली वित्तीय लेखांकन सिस्टम में आडिट ट्रेल्स/ लाग्स टू ट्रैक/ ऐसे दृष्टांतों की पहचान करना निहित होना चाहिए। पिछली तारीख को लेन-देन/ प्रविष्टि की तारीख और समय सहित संशोधन करने वाले व्यक्तियों की पहचान करने के लिए आडिट ट्रेल/ लॉग अनिवार्य होते हैं ताकि जवाबदेही नियत की जा सके।

3. संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी - एन सी टी आई

(क) शेष राशि पुष्टि एवं मिलान के अध्यधीन निम्नानुसार होती है :

(1) 57.86 लाख रु. के आवंटन हेतु लंबित शेयर आवेदन राशि (स्टेण्डअलोन इण्ड ए. एस. वित्तीय विवरण की टिप्पणी 30 देखें)।

(2) एन सी टी आई ने कंपनी (जमा राशि स्वीकार करना) नियमावली, 2014 में यथा उपलब्ध धनराशि को रिफण्ड न करके 57.86 लाख रु. शेयर आवेदन की धनराशि के बारे में उसके प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

(3) विभिन्न पक्षकारों के क्रेडिट और डेबिट शेष (स्टेण्डअलोन इण्ड ए. एस. वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 33 देखें।

(4) 'अन्य चालू देयताओं' के अंतर्गत दर्शायी एन सी टी आई की शेयर पूंजी के लिए आई टी पी ओ से 5 लाख रु. और एन आई सी से 5.35 लाख रु. (स्टेण्डअलोन इण्ड ए. एस. वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 27 देखें)।

(5) 'अन्य चालू परिसंपत्तियों' के अंतर्गत दर्शायी गई 41.38 लाख रु. के वसूलनीय टी डी एस मिलान के अध्यधीन है।

(ख) निम्नलिखित के लिए तीन वित्तीय वर्षों के लिए बकाया देयताओं के संबंध में संदिग्ध ऋणों/ अग्रिमों के लिए प्रावधान नहीं किया जाता है :

(1) 0.07 लाख रु. के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का प्रावधान

(2) 13.25 लाख रु. आई टी पी ओ - परियोजनाएं

उपर्युक्त मामलों में हमारी राय संशोधित नहीं है।

अन्य मामले

हमने अनुषंगी कंपनियों नामत: तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन और कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन और संयुक्त नियंत्रित संस्था नामत: नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इंफार्मेशन के इण्ड ए. एस. वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा नहीं की थी. जिनके इण्ड ए. एस. वित्तीय विवरण 31.03.2018 को 41331.04 लाख रु. की कुल परिसंपत्तियों, 5883.66 लाख रु. के कुल राजस्व, 4.83 लाख रु. की कुल विस्तृत आय और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए 1002.82 लाख रु. के निवल नकदी लेन-देनों को दर्शाती है, जैसा कि समेकित इण्ड ए. एस. वित्तीय विवरणों में विचार किया गया है।

अनुषंगी कंपनियां नामत: तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन और कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था नामत: नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इंफार्मेशन के इण्ड ए. एस. वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों के द्वारा की गई है जिनकी रिपोर्ट धारक कंपनी के प्रबंधन ने हमें प्रस्तुत की है और समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक धनराशि और प्रकटीकरण के संबंध में है, इन अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त नियंत्रित संस्था के संबंध में शामिल किए गए हैं और अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (3) और (11) के प्रावधानों के अनुसार हमारी रिपोर्ट, जहां तक उपरोक्त अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त नियंत्रित संस्था का संबंध है, केवल अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

समेकित भारतीय लेखाकंन मानक वित्तीय विवरणों पर हमारी राय और निम्नलिखित अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर हमारी रिपोर्ट पर किए गए कार्य और रिपोर्ट पर हमारी निर्भरता से संबंधित उपरोक्त मामले तथा अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों/ वित्तीय सूचना की रिपोर्ट संशोधित नहीं की गई है।

अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं से संबंधित रिपोर्ट

अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षाओं के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि :

(क) हमने सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो कि हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारे लेखा परीक्षण के उद्देश्य से आवश्यक थे।

(ख) हमारी राय में कानूनन अपेक्षित लेखा बहियों का समुचित रख-रखाव किया गया है, जैसा कि इन बहियों की हमारी और अन्य लेखा परीक्षकों की जांच से प्रतीत होता है।

(ग) समेकित तुलन पत्र, समेकित आय और व्यय का विवरण तथा इक्विटी परिवर्तन विवरण (अन्य व्यापक आय सहित) तथा समेकित कैश-फ्लो विवरण इस रिपोर्ट का भाग है, जो लेखा बहियों से मेल खाता है।

(घ) पारित राय अनुच्छेद के आधार पर दिए गए विवरण को छोड़कर, हमारी राय में पूर्वोक्त स्टेण्डएलोन इण्ड ए. एस. वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली 2017 के द्वारा यथा संशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के अधीन अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों (इण्ड ए. एस.) का पालन करते हैं।

(ङ) उपरोक्त अनुच्छेद में वर्णित मामले पर बल पर विषय में कंपनी समूह और संयुक्त की कार्यप्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

(च) भारत सरकार के द्वारा 5 जून, 2015 को जारी अधिसूचना संख्या जी एस आर 463(ई) के अनुसरण में सरकारी कंपनी होने की वजह से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उपधारा (2) के प्रावधान समूह और संयुक्त नियंत्रित कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(छ) आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण के वित्तीय विवरण के सम्बन्ध में और ऐसे नियंत्रण धारित कम्पनी की संचालन पर प्रभाव डाल सकते हैं जिसका हमने लेखा परीक्षण किया है और अनुषंगी कम्पनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित का हमने लेखा परीक्षण नहीं किया है जैसा कि अन्य लेखा परीक्षकों ने रिपोर्ट दी है। कंपनी की वित्तीय रिपोर्ट आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता तथा ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनीय प्रभावकारिता के संबंध में हमारी पृथक रिपोर्ट 'अनुबंध-क' में दी गई है।

(ज) कंपनी और (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार है :-

(i) समेकित इण्ड. ए. एस. वित्तीय विवरण समूह और संयुक्त नियंत्रित कम्पनी की वित्तीय स्थिति पर लंबित वादों के प्रभाव को प्रकट करते हैं - समेकित इण्ड. ए. एस. वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 33.1(क) देखें।

(ii) समूह और संयुक्त नियमित कम्पनी का नकली संविदा सहित ऐसा कोई दीर्घावधिक अनुबंध नहीं था।

(iii) धारा 8 की कंपनी होने के कारण समूह और संयुक्त रूप से नियमित कंपनी के द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष के लिए धनराशियों को हस्तांतरित करने संबंधी कोई धारा लागू नहीं होती है।

कृते एस. पी. चोपड़ा एवं कम्पनी
चार्टर्ड लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 000346एन

ह./-
(अंकुर गोयल)
(भागीदार)
सदस्यता सं. 99143

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 अगस्त, 2018

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध - 'क'

(इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन की 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष की समेकित इण्ड ए. एस. वित्तीय विवरणों पर समसंख्यक तारीख की स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के 'अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं से संबंधित रिपोर्ट' शीर्षक के अंतर्गत अनुच्छेद (छ) के संदर्भ में)

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उपधारा 3 (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने **इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन** ('धारित कंपनी') और इसकी अनुषंगी कंपनियों (धारक कपंनी और इसकी अनुषंगी कंपनियों को एक साथ समूह कहा जाएगा) तथा संयुक्त नियंत्रित संस्था दिनांक 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार वित्तीय संसूचना पर आंतरिक नियंत्रणों की, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समूह और संयुक्त नियंत्रित संस्था की समेकित भारतीय लेखांकन मानक विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा को साथ में रखकर लेखा परीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

धारित कंपनी के संबंधित बोर्ड, इसकी अनुषंगी कंपनियों तथा संयुक्त नियंत्रित संस्था का संबंधित निदेशक मंडल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ('आई सी ए आई') द्वारा जारी वित्तीय संसूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा संबंधी मार्ग निर्देशन टिप्पणी (मार्ग-निर्देशन टिप्पणी) में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय संसूचना मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और रख-रखाव करने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रख-रखाव शामिल हैं, जो कंपनी की नीतियों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की संरक्षा, धोखाधड़ी और चूकों की रोकथाम और पता लगाने, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत यथा अपेक्षित लेखांकन अभिलेखों की सटीकता एवं पूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने सहित कारोबार का समुचित और सक्षम संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से संचालित हो रहे थे।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी, अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय संसूचना पर समूह और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करने की हैं। हमने वित्तीय संसूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा संबंधी मार्ग-निर्देशन टिप्पणी ('मार्ग निर्देशन टिप्पणी') और आई सी ए आई द्वारा जारी तथा आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के लिए यथा लागू, कंपनी अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित माने गए लेखा परीक्षा संबंधी मानकों, जो दोनों ही आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के लिए लागू हैं और दोनों ही आई सी ए आई द्वारा जारी किए गए हैं, के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। इन मानकों और मार्ग निर्देशक टिप्पणी में यह अपेक्षित है कि नैतिक अपेक्षाओं का पालन किया जाए और इस संबंध में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना और निष्पादन किया जाए कि क्या वित्तीय संसूचना पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किया गया था और क्या यह नियंत्रण सभी महत्त्वपूर्ण संबंधों में प्रभावी रूप से संचालित हुआ है।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय संसूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता तथा उनकी प्रचालनीय प्रभावकारिता के संबंध में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय संसूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय संसूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की जानकारी प्राप्त करना, महत्वपूर्ण कमजोरियों की मौजूदगी के जोखिम का आकलन करना और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन एवं प्रचालनीय प्रभावकारिता की जांच व मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षकों के निर्णय पर आधारित होती हैं, जिनमें वित्तीय विवरणों की महत्त्वपूर्ण गलतबयानी, चाहे धोखाधड़ी या चूकों के कारण हो, का आकलन करना शामिल है।

हम यह विश्वास करते हैं कि जो लेखा परीक्षा साक्ष्य हमने कंपनी की वित्तीय संसूचना पर किए हैं वे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षा राय को एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय संसूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का तात्पर्य

एक कंपनी का वित्तीय संसूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है, जो सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय संसचूना की विश्वसनीयता और वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में तर्कसंगत आश्वासन प्रदान करने के लिए बनाया गया है। एक कंपनी की वित्तीय संसूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में ऐसी नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं, जो :-

1. ऐसे अभिलेखों के रख-रखाव से संबंधित है, जो तर्कसंगत विवरण में कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देनों तथा उनकी प्रकृति को सटीक और स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं;
2. समुचित आश्वासन प्रदान करती हैं कि लेन-देन को आवश्यकतानुसार सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए अनुमति के लिए दर्ज किया गया है और यह कि कंपनी की प्राप्तियां और व्यय कंपनी के प्रावधान और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार ही किए जा रहे हैं;
3. कंपनी की ऐसी परिसंपत्तियों, जिनका वित्तीय विवरणों पर एक महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग अथवा निपटान के निवारण अथवा समय पर पता लगाने के संबंध में समुचित आश्वासन प्रदान करती है।

वित्तीय संसूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की मौजूदा सीमाएं

वित्तीय संसूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की मौजूदा सीमाओं के कारण, जिनमें मिलीभगत अथवा अनुचित प्रबंधन की संभावना शामिल है, नियंत्रणों को ताक पर रखकर धोखाधड़ी अथवा चूक के कारण महत्त्वपूर्ण गलत विवरण हो सकते हैं, और उनका पता भी नहीं चले। साथ ही, भावी अवधियों के लिए वित्तीय संसूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के मूल्यांकन के अनुमान भी ऐसे जोखिम के अध्यधीन होते हैं, जिससे कि वित्तीय संसूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का परिमाण खराब हो सकता है।

योग्य राय के आधार

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा अनुषंगी कंपनी कर्नाटक ट्रेड प्रामोशन आर्गनाइजेशन की निम्नलिखित कमियों के बारे में अन्य लेखा-परीक्षकों के द्वारा 31 मार्च 2018 तक पहचान की गई है :-

1. के टी पी ओ की कर्मचारी संख्या कम होने से आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और उसके प्रचालन की प्रभावकारिता प्रभावित हो रही है।
2. विभिन्न कानूनों के लागू प्रावधानों का पालन करने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां अपर्याप्त है, जिसकी वजह से अतिरिक्त करों और क्षतियों का भुगतान किया जा सकता है।

   वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में 'वास्तविक कमी' एक ऐसी कमी अथवा कमियों का समुच्चय होता है जिससे एक उचित संभावना होती है कि के टी पी ओ की वार्षिक अथवा अंतरिम वित्तीय विवरणों के वास्तविक भ्रामक कथन को एक समयबद्ध आधार पर रोका अथवा पता नहीं लगेगा।

योग्य राय

हमारी राय में हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा नीचे अन्य मामलों के अनुच्छेद में उल्लिखित अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को ध्यान में रखकर, ऊपर योग्य राय के अनुच्छेद में उल्लिखित मामलों को छोड़कर, समूह, उसकी अनुषंगी कंपनी और संयुक्त नियंत्रित संस्था उनके सभी महत्वपूर्ण संबंधों में वित्तीय संसूचना पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और वित्तीय संसूचना पर ऐसा आंतरिक नियंत्रण 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार प्रभावी रूप से संचालित हो रहा था, जो आई सी ए आई द्वारा जारी वित्तीय संसूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा संबंधी मार्ग-निर्देशन टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय संसूचना पर आंतरिक नियंत्रण के मानकों के आधार पर है।

अन्य मामले

अनुषंगी कंपनी के टी पी ओ और संयुक्त नियंत्रित संस्था, के संबंध में वित्तीय संसूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और प्रचालनीय प्रभावकारिता पर अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत हमारी उपरोक्त रिपोर्ट उक्त कंपनियों के लेखा परीक्षक की संगत रिपोर्ट पर आधारित है। इसके अलावा, अनुषंगी कंपनी टी एन टी पी ओ के लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार उक्त रिपोर्ट को दिनांक 13 जून, 2017 की अधिसूचना सं. जी एस आर 583(ई) के द्वारा यथा संशोधित दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना जी एस आर 464 (ई) के अनुसार छूट प्राप्त है।

उपर्युक्त मामले के सम्बन्ध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

कृते एस. पी. चोपड़ा एवं कम्पनी
चार्टर्ड लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 000346एन

ह./-
अंकुर गोयल
(भागीदार)
सदस्यता सं. 99143

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 अगस्त, 2018

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

अनुबंध-IV

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन के वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (ख) के अधीन भारत के नियन्त्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के अन्तर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए **इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन** के वित्तीय विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी कम्पनी प्रबन्धन की है। अधिनियम की धारा 139(5) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी अधिनियम की धारा 143(10) में निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करना है। इसे 29 अगस्त 2018 की उनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट द्वारा कर लिया गया बताया गया है।

मैंने, भारत के नियन्त्रक एवं महा लेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए **इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन** के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के परिकलन दस्तावेज के बिना स्वतन्त्र रूप से की गई है और यह सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं कम्पनी के कर्मचारियों से प्रारम्भिक पूछताछ और रिकार्डों की चुनिंदा जांच तक सीमित है। मेरे द्वारा की गई लेखा परीक्षा के आधार पर ऐसी कोई महत्त्वपूर्ण बात मेरी जानकारी में नहीं आई है जिसकी वजह से सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर धारा 143 (6) (ख) के अन्तर्गत कोई टिप्पणी करने अथवा उस पर अनुपूरक रिपोर्ट देने की आवश्यकता पड़ी हो।

कृते एवं भारत के नियन्त्रक तथा महा लेखापरीक्षक की ओर से

ह./-
(नन्दना मुंशी)
महानिदेशक
वाणिज्यिक लेखा परीक्षा प्रधान निदेशक
एवं लेखा परीक्षा बोर्ड-I के पदेन सदस्य
नई दिल्ली।

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 28 सितम्बर, 2018

अनुबंध-V

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन के समेकित वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(ख) के अधीन भारत के नियन्त्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के अन्तर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए **इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन** के वित्तीय विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी कम्पनी प्रबन्धन की है। अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 139(5) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी अधिनियम की धारा 143(10) द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप स्वतन्त्र लेखा परीक्षा के आधार पर आधारित अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 के अन्तर्गत इन वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करना है। इसे 29 अगस्त, 2018 को उनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट द्वारा कर लिया बताया गया है।

मैंने, भारत के नियन्त्रक एवं महा लेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(क) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए **इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन** के समेकित वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। हमने इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन, इसकी अनुषंगी कंपनी कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन तथा इसके संयुक्त उद्यम कम्पनी राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा की है लेकिन तमिलनाडू ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा नहीं की थी। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के परिकलन दस्तावेज के बिना स्वतन्त्र रूप से की गई है और यह सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं कम्पनी के कर्मचारियों से प्रारम्भिक पूछताछ और कुछ लेखा रिकार्डों की चुनिंदा जांच तक सीमित है।

मेरे द्वारा की गई अनुपूरक लेखा परीक्षा आधार पर ऐसी कोई महत्त्वपूर्ण बात मेरी जानकारी में नहीं आई है जिसकी वजह से सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी करने अथवा अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अन्तर्गत उस पर सांविधिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट देने की आवश्यकता पड़ी हो।

कृते एवं भारत के नियन्त्रक तथा महा लेखापरीक्षक की ओर से

ह./-

(नन्दना मुंशी)

महानिदेशक
वाणिज्यिक लेखा परीक्षा प्रधान निदेशक
एवं लेखा परीक्षा बोर्ड-I के पदेन सदस्य
नई दिल्ली।

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 28 सितम्बर, 2018

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

अनुबन्ध-VI

कारपोरेट गवर्नेंस से संबंधित रिपोर्ट

1. कंपनी की गवर्नेंस फिलासफी

भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की प्रमुख व्यापार संवर्धन एजेंसी - इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (आई टी पी ओ) देश द्वारा विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से व्यापार, वाणिज्य एवं गवर्नेंस में प्राप्त की गई उत्कृष्ट उपलब्धियों की झांकी प्रस्तुत करता है।

आई टी पी ओ सरकार की नीतियों के प्रति पूर्णत: समर्पित रहते हुए प्रबंधन को आवश्यक संरक्षण, सशक्तिकरण और जवाबदेही प्रदान करने के लिए अच्छे कारपोरेट गवर्नेंस के प्रति पूर्णत: वचनबद्ध है। आई टी पी ओ की गवर्नेंस प्रक्रिया, इसके उद्देश्य - 'उद्योग एवं व्यापार-जगत को व्यापक स्तर पर सुविधाएं प्रदान करने तथा भारत का व्यापार बढ़ाने में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने' पर केन्द्रित है। कम्पनी कारपोरेट गवर्नेंस के बारे में सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करती है।

आई टी पी ओ के मुख्य कार्यकलाप और सेवाएं हैं :

- भारत तथा विदेशों में ऐसे मेले एवं प्रदर्शनियों के माध्यम से औद्योगिक व्यापार का संवर्धन, आयोजन और भागीदारी करना तथा देश के व्यापार को बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक एवं आकस्मिक उपाय करना।
- भारत में आयोजित किए जाने वाले अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेलों एवं प्रदर्शनियों का भारत तथा विदेशों में प्रचार करना तथा इनमें भाग लेने के लिए विदेशी भागीदारी जुटाना।
- भारत तथा विदेशों में ऐसे मेले एवं प्रदर्शनियों का आयोजन करना जो व्यापार वस्तुओं से संबंधित हों।
- निर्यात को बढ़ाना एवं परम्परागत वस्तुओं के लिए नये बाजारों को तलाशना और नये उत्पादों के लिए निर्यात का विकास करना ताकि निर्यात व्यापार का अनुरक्षण, विविधीकरण और विस्तार हो।
- छोटे एवं मझौले उद्यमों को भारत एवं भारत से बाहर, दोनों जगह बाजार सुलभ कराने में समर्थन व सहायता करना।
- व्यापार सम्बन्धी डाटाबेस तैयार करना तथा उसे अद्यतन करना और भारत में व्यापार एवं उद्योग जगत के बीच उनका प्रचार-प्रसार करना।
- व्यापार संबंधी विषयों पर सेमिनार, सम्मेलन और कार्यशालाएं आयोजित करना।
- व्यापार संबंधी कार्यक्रमों के आयोजन के लिए अपने प्रदर्शनी हाल एवं सुविधाएं अन्य आयोजकों को किराए पर देना।

कम्पनी द्वारा कारपोरेट गवर्नेंस से संबंधित दिशा-निर्देशों का अनुपालन तथा उस बारे में कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षाओं का विवरण नीचे दिया गया है :

2. निदेशक मण्डल

2.1 निदेशक मण्डल का आकार

आई टी पी ओ कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अनुसार (अब धारा 8) और इस समय इसकी कुल चुकता शेयर पूंजी का 100 प्रतिशत भाग भारत के राष्ट्रपति के पास है। इसके अन्तर्नियमों के अनुसार, इसके निदेशक नियुक्त करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। कम्पनी के अन्तर्नियमों के अनुसार, निदेशकों की संख्या चार से कम तथा बारह से अधिक नहीं होगी।

2.2 निदेशक मण्डल की संरचना

निदेशक मण्डल में कुल 7 निदेशक हैं जिनमें से अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक सहित 2 कार्यात्मक निदेशक तथा 4 निदेशक भारत सरकार से नामित तथा 1 स्वतंत्र निदेशक है।

श्री एल. सी. गोयल ने आई टी पी ओ के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक का कार्यभार 2 सितंबर, 2015 को ग्रहण किया था।

2.3 निदेशक मण्डल की बैठकें और उनमें उपस्थिति

निदेशक मण्डल की बैठकें प्राय: कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में होती हैं। सामान्यत: इन बैठकों की तिथि पर्याप्त समय पहले तय हो जाती है तथा इसकी सूचना, बोर्ड की विस्तृत कार्यसूची, प्रबंधन रिपोर्ट तथा बोर्ड को अन्य स्पष्टीकरण टिप्पणियां निदेशकों में परिचालित की जाती हैं। निदेशक मण्डल के सदस्यों को कम्पनी के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। निदेशक मण्डल द्वारा बैठकों में जिन मुद्दों पर चर्चा की जाती है उनके बारे में अपेक्षित अतिरिक्त जानकारी देने हेतु इन बैठकों में प्रबन्धन के वरिष्ठ अधिकारियों को भी आमन्त्रित किया जाता है।

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष में बोर्ड की बैठकें क्रमश: 29 अगस्त, 2017, 5 जनवरी, 2018 और 27 मार्च, 2018 को हुई थी।

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान निदेशकों की उपस्थिति वाली बैठकों की संख्या, पिछली वार्षिक आम बैठक (ए जी एम) में उपस्थिति और अन्य निदेशकों (बॉडी कारपोरेट) (आई टी पी ओ के अलावा) की संख्या का विवरण नीचे सारिणी में दिया गया है:

क्रमांक	निदेशक का नाम	बोर्ड की बैठकें		अंतिम वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति (29 सितंबर 2017)	31 मार्च, 2018 को यथास्थिति (अन्य निदेशकों की संख्या)
		कार्यकाल में हुई बैठकें	उपस्थिति		
1.	श्री एल. सी. गोयल	3	3	हां	2 (केटीपीओ और टीएनटीपीओ)
2.	श्री रजनीश	0	0	नहीं	4 (केटीपीओ, टीएनटीपीओ, डब्ल्यूबीटीपीओ, एनसीटीआई)
3.	श्री दीपक कुमार	3	3	हां	4 (केटीपीओ, टीएनटीपीओ, डब्ल्यूबीटीपीओ, एनसीटीआई)
4.	श्री जे. के. डाडू	1	1	नहीं	6 (एमएमटीसी, एसटीसी, एनटीसी, एनजेएमसी, सीसीआई, एनआईएफटी)
5.	डॉ. सुभाष चन्द्र पाण्डे	1	0	नहीं	7 (एमएमटीसी, एसटीसी, एनटीसी, एचएमटी लि. भेल, इन्वेस्ट इण्डिया, इण्डिया इंटरनेशनल कंवेन्शन ऐंड एग्जीबिशन सेंटर लि.)
6.	श्री संजय चड्ढ़ा	3	1	नहीं	-

7.	श्री मनोज जोशी	0	0	नहीं	2 (एनएसआईसी, डीएसआईआईडीसी)
8.	श्रीमती अल्का नांगिया अरोड़ा	3	2	नहीं	2 (एनएसआईसी, डीएसआईआईडीसी)
9.	श्री के. नागराज नायडू	1	0	नहीं	5 (ईईपीसी, आईआईएफटी, जीआईटीए, इन्वेस्ट इण्डिया, वेपकोस)
10.	श्री विनोद के. जैकब	2	1	नहीं	2 (वेपस्को, इन्वेस्ट इण्डिया)
11.	श्री पी. एन. विजय	3	3	नहीं	5 (डाबर इण्डिया लिमि., आईएलएफए, एमएसएल, एच ऐंड बी स्टोर्स लिमि., रेनबो डिजिटल सर्विस प्रा. लि.)

2.4 निदेशक मण्डल को दी जाने वाली जानकारी

निदेशक मण्डल को कम्पनी के बारे में सभी जानकारियां दी जाती हैं। उन्हें ये जानकारियां नियमित रूप से दी जाती हैं :-

1. वार्षिक परिचालन योजनाएं और बजट तथा कोई भी अद्यतन जानकारी।
2. वार्षिक लेखे, निदेशकों की रिपोर्ट आदि।
3. लेखा परीक्षा समिति तथा निदेशक मण्डल की अन्य समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त।
4. प्रमुख निवेश, अनुषंगी कम्पनियों, संयुक्त उद्यमों और महत्त्वपूर्ण अनुबंधों आदि की जानकारी।
5. बड़े ठेके देना।
6. निदेशकों द्वारा किन्हीं अन्य कम्पनियों में निदेशक बनने तथा समितियों में उनकी हैसियत-इनमें उनके हित का खुलासा।
7. विभिन्न चालू परियोजनाओं/ स्कीमों तथा उनमें बजट के उपयोग की स्थिति रिपोर्ट।
8. वेतन समझौते पर हस्ताक्षर करने आदि जैसे मानव संसाधन/ औद्योगिक संबंध विषयक कोई भी महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम।
9. किसी भी नियामक, विधायी एवं शेयरधारकों संबंधी सेवा का अनुपालन नहीं होना।
10. अधिशेष धनराशि का अल्पकालिक निवेश।
11. कम्पनी अधिनियम की अपेक्षाओं सहित भौतिक रूप से महत्त्वपूर्ण अन्य जानकारी।

3. निदेशक मण्डल की समितियां

निदेशक मण्डल ने निम्नलिखित समितियां गठित की हैं:

(i) लेखा परीक्षा समिति
(ii) पारिश्रमिक समिति
(iii) सी एस आर समिति

3.1 लेखा परीक्षा समिति की संरचना, वर्ष 2017-18 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की बैठकें तथा उनमें उपस्थिति

कंपनी ने कारपोरेट गवर्नेन्स का अनुपालन किया है और तदनुसार लेखा परीक्षा समिति की तीन बैठकें, क्रमश: 29 अगस्त, 2017, 5 जनवरी, 2018 और 27 मार्च, 2018 को हुई थीं।

क्र.सं.	समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम	समिति में धारित पद	बैठकें	
				कार्यकाल के दौरान बैठकें	उपस्थिति
1.	श्री पी. एन. विजय	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	3	3
2.	श्री जे. के. डाडू	अंशकालिक सरकारी निदेशक	सदस्य	1	1
3.	डॉ. सुभाष चन्द्र पाण्डे	अंशकालिक सरकारी निदेशक	सदस्य	1	0
4.	श्री संजय चड्ढ़ा	अंशकालिक सरकारी निदेशक	सदस्य	3	0
5.	श्री मनोज जोशी	अंशकालिक सरकारी निदेशक	सदस्य	0	0
6.	श्रीमती अल्का नांगिया अरोड़ा	अंशकालिक सरकारी निदेशक	सदस्य	3	2
7.	श्री रजनीश	कार्यात्मक निदेशक	सदस्य	0	0
8.	श्री दीपक कुमार	कार्यात्मक निदेशक	सदस्य	3	3
9.	श्री के. नागराज नायडू	अंशकालिक सरकारी निदेशक	सदस्य	1	0
10.	श्री विनोद के. जैकब	अंशकालिक सरकारी निदेशक	सदस्य	1	0

3.2 पारिश्रमिक समिति की संरचना, वर्ष 2017-18 के दौरान इसकी बैठकें तथा उनमें उपस्थिति

वर्ष 2017-18 के दौरान पारिश्रमिक समिति की तीन बैठकें क्रमश: 29 अगस्त, 2017, 5 जनवरी, 2018 और 27 मार्च, 2018 को आयोजित की गई थी।

क्र.सं.	पारिश्रमिक समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम	पारिश्रमिक समिति में पद	बैठकें	
				कार्यकाल के दौरान	उपस्थिति
1.	श्री पी. एन. विजय	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	3	3
2.	श्री जे. के. डाडू	अंशकालिक सरकारी निदेशक	सदस्य	1	1
3.	डॉ. सुभाष चन्द्र पाण्डे	अंशकालिक सरकारी निदेशक	सदस्य	1	0
4.	श्री संजय चड्ढ़ा	अंशकालिक सरकारी निदेशक	सदस्य	3	0

5.	श्री मनोज जोशी	अंशकालिक सरकारी निदेशक	सदस्य	0	0
6.	श्रीमती अल्का नांगिया अरोड़ा	अंशकालिक सरकारी निदेशक	सदस्य	3	0
7.	श्री रजनीश	कार्यात्मक निदेशक	सदस्य	0	0
8.	श्री दीपक कुमार	कार्यात्मक निदेशक	सदस्य	3	3
9.	श्री के. नागराज नायडू	अंशकालिक सरकारी निदेशक	सदस्य	1	0
10.	श्री विनोद के. जैकब	अंशकालिक सरकारी निदेशक	सदस्य	1	0

3.3 वर्ष 2017-18 के दौरान सी एस आर समिति का गठन, इसकी बैठकें और उपस्थिति

कंपनी ने लोक उद्यम विभाग/ कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया।

क्र.सं.	सी एस आर समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम	सी एस आर समिति में पद	बैठकें	
				कार्यकाल के दौरान	उपस्थिति
1.	श्री जे. के. डाडू	अंशकालिक सरकारी निदेशक	अध्यक्ष	1	1
2.	डॉ. सुभाष चन्द्र पाण्डे	अंशकालिक सरकारी निदेशक	अध्यक्ष	0	0
3.	श्री संजय चड्ढ़ा	अंशकालिक सरकारी निदेशक	सदस्य	2	1
4.	श्री मनोज जोशी	अंशकालिक सरकारी निदेशक	सदस्य	0	0
5.	श्रीमती अल्का नागिया अरोड़ा	अंशकालिक सरकारी निदेशक	सदस्य	2	0
6.	श्री पी. एन. विजय	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	2	2
7.	श्री रजनीश	कार्यात्मक निदेशक	सदस्य	0	0
8.	श्री दीपक कुमार	कार्यात्मक निदेशक	सदस्य	2	2

वर्ष 2017-18 के दौरान सी एस आर समिति की 2 बैठकें हुईं।

4. निदेशकों का पारिश्रमिक

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशक को उनकी नियुक्ति की शर्तों तथा उन पर लागू भारत सरकार के नियमों के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाता है। यह कम्पनी निदेशक मण्डल की अथवा निदेशक मण्डल की उप-समिति की बैठकों में भाग लेने वाले प्रत्येक अंशकालिक स्वतन्त्र निदेशक को 20,000 रुपये प्रति बैठक सीटिंग फीस देती है। परन्तु कम्पनी अंशकालिक सरकारी नामित निदेशकों को कोई फीस नहीं देती है।

5. आम सभा की बैठक

पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों के आयोजन की तिथि, समय और स्थान का विवरण इस प्रकार है :-

वर्ष	दिनांक	समय	स्थान	विशेष संकल्प
2015-16	29.9.2015	दोपहर बाद 12:30 बजे	प्रगति भवन, प्रगति मैदान, नई दिल्ली-110001	शून्य
2016-17	29.9.2016	दोपहर 12:00 बजे	प्रगति भवन, प्रगति मैदान, नई दिल्ली-110001	शून्य
2017-18	26.9.2017	दोपहर बाद 3:00 बजे	प्रगति भवन, प्रगति मैदान, नई दिल्ली-110001	शून्य

6. प्रकटीकरण (डिस्क्लोजर)

(i) सम्बन्धित पार्टियों के साथ किये गये लेन-देन कम्पनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुसार प्रकट किए गए हैं।

(ii) आई टी पी ओ लागू लेखा मानकों का अनुपालन कर रहा है। केवल सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक द्वारा वित्तीय विवरण की जांच के बाद ही बोर्ड और शेयरधारकों द्वारा वित्तीय विवरण पारित किये जाते हैं।

(iii) पिछले तीन वर्ष के दौरान, कंपनी पर सरकार के द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों से संबंधित किसी मामले के बारे में सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कोई दण्ड अथवा अवक्षेप नहीं लगाया गया है।

(iv) व्हिसल ब्लोअर नीति के बारे में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद में नीति प्रतिपादित और कार्यान्वित की गई है।

(v) आई टी पी ओ के निदेशक मंडल/ वरिष्ठ प्रबन्धन का अपना कोई व्यक्तिगत हित नहीं है जिसका कम्पनी के हितों के साथ कोई सम्भावित टकराव हो।

(vi) लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार एक व्यापक जोखिम प्रबन्धन नीति को निदेशक मंडल ने 26.03.2013 को अनुमोदन कर दिया है तथा तब से ही कार्यान्वित की गयी है।

(vii)लेखा बहियों में व्यय की ऐसी कोई मद दर्ज नहीं की गयी जो संगठन के प्रयोजन के लिए नहीं थी।

(viii) निदेशक मण्डल के सदस्यों के लिए कोई निजी व्यय कम्पनी की निधि से नहीं किया गया।

7. संचार के साधन

यह कम्पनी, धारा 25 (अब नए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 8) के अन्तर्गत एक गैर-सूचीबद्ध कम्पनी है और इसीलिए इसके लिए तिमाही/ छ:माही परिणामों की जानकारी सूचीबद्ध कंपनियों की तरह नहीं दी जाती।

8. लेखा परीक्षा योग्यता

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए लेखा परीक्षा निष्कर्ष/ टिप्पणियां यदि कोई हों तो, तथा प्रबन्धन के उत्तर निदेशकों की रिपोर्ट में शामिल किये गये हैं।

9. बोर्ड के निदेशकों का प्रशिक्षण

निदेशकों को प्रशिक्षण निदेशकों की जरूरत के अनुसार प्रदान किया जा रहा है।

10. व्हिसिल ब्लोवर नीति

आई टी पी ओ ने अपनी व्हिसिल ब्लोवर नीति बनायी है तथा इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से कार्यान्वित किया गया है।

11. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

आई टी पी ओ ने लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों और कम्पनी अधिनियम के अनुसार एक सी एस आर समिति का गठन किया है जो सी एस आर गतिविधियों की समीक्षा करती है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अपनी सी एस आर नीति के अनुसरण में तत्काल पूर्व के तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी को हुए औसत निवल लाभ का कम से कम 2 प्रतिशत खर्च करना है। वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के दौरान आई टी पी ओ द्वारा अर्जित औसत निवल लाभ का **3.61 करोड़ रु.** (लगभग) था, जिसका 2 प्रतिशत आई टी पी ओ को वर्ष 2017-18 के लिए अपने सी एस आर क्रियाकलापों पर खर्च करना पड़ा। इसके अलावा **3.29 करोड़ रु.** (लगभग) की अव्ययित शेष धनराशि, जिसे आई टी पी ओ वर्ष 2016-17 के लिए सी एस आर क्रियाकलापों पर खर्च नहीं कर सका था, उसे आगे ले जाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप यह धनराशि कुल **6.90 करोड़ रु.** (लगभग) हो गई, जिसे वर्ष 2017-18 के लिए सी एस आर क्रियाकलापों के लिए खर्च करने के लिए रखा गया है।

वर्ष 2017-18 के लिए आई टी पी ओ ने भारत सरकार के 'स्वच्छ भारत कोश' और 'गंगा सफाई कोष' के लिए प्रत्येक के लिए एक-एक करोड़ रु. का अंशदान करके स्वच्छता को बढ़ावा देने हेतु अपने प्रयासों को जारी रखा। इसके अलावा, होस्टल ब्लॉक का निर्माण तथा नेत्रहीन छात्रों के लिए टायलेट ब्लॉक का नवीकरण, झारखण्ड, दिल्ली और उत्तराखण्ड राज्य में ग्रामीण महिलाओं, बधिर महिलाओं और अकेली महिलाओं का कल्याण, अनाथों का कल्याण, कुष्ठ रोगियों, बीकानेर क्षेत्र के कम सुविधा प्राप्त लोगों का कल्याण, उत्तराखण्ड के सरकारी स्कूलों की व्यवस्था, भारतीय संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने, स्वास्थ्य देखभाल में सुधार, परिधान क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण, स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त दूध का वितरण आदि के लिए 1.33 करोड़ रु. (अनुमानित) की धनराशि के प्रस्ताव क्रियान्वयनाधीन हैं।

अनुबन्ध-VII

कारपोरेट गवर्नेंस अनुपालन प्रमाण-पत्र

सेवा में,
सदस्यगण
इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन
नई दिल्ली

हमने, सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कारपोरेट गवर्नेंस के लिए दिनांक 14 मई, 2010 को जारी की गयी अधिसूचना सं. 18(8)/2005-जीएम में यथा विनिर्दिष्ट अनुसार 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए **इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन** द्वारा कारपोरेट गवर्नेंस दिशा-निर्देशों के अनुपालन की जांच कर ली है। कंपनी के दिनांक 01/04/2017 से 31/03/2018 तक की अवधि के हमें उपलब्ध कराए गए कंपनी के सांविधिक रिकार्डों के अनुसार हमने पाया कि कम्पनी ने दिनांक 10/06/2016 से एक स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। अतः कंपनी के कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 की उप धारा (4) और कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू उपबंधों तथा साथ ही सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों की अपेक्षाओं का पालन किया है।

कारपोरेट गवर्नेंस संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच उपरोक्त मार्ग-निर्देशों में यथानिर्दिष्ट कारपोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी द्वारा अपनाई गयी प्रक्रिया और उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो कम्पनी के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा है और न ही उनके बारे में राय की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम यह प्रमाणित करते हैं कि कम्पनी ने सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों में यथाविहित रूप में कारपोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन किया।

हमारा यह भी कथन है कि इस तरह का अनुपालन न तो कम्पनी की भावी जीवन क्षमता और न ही उसकी कार्यकुशलता अथवा प्रभावकारिता का आश्वासन है जिससे प्रबन्ध ने कम्पनी के कार्यों का संचालन किया है।

कृते राजेश मित्तल ऐण्ड एसोसिएट्स
कम्पनी सचिव

ह./-
(राजेश मित्तल)
(सदस्यता संख्या ए सी एस 13275, सी पी सं. 3254)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 10.08.2018

अनुबन्ध-VIII

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

(भारत सरकार का उद्यम)

प्रगति भवन, प्रगति मैदान, नई दिल्ली-110 001

टेलीफोन: 011-23371540, 23371491, फैक्स: 011-23371492

ई-मेल: info@itpo.gov.in, वेबसाइट: www.indiatradefair.com

घोषणा

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कारपोरेट गवर्नेंस के बारे में सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार इस बात की पुष्टि की जा रही है कि निदेशक मण्डल के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबन्धन कार्मिकों ने वित्तीय वर्ष 2017-18 में कम्पनी की आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

ह./-
(एल. सी. गोयल)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 04.06.2018

अनुबन्ध-IX

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

1. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संपोषण में क्षमता निर्माण, समुदायों का सशक्तिकरण, समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण, हरित एवं ऊर्जाक्षम प्रौद्योगिकियों का संवर्धन, पिछड़े क्षेत्रों का विकास, समाज के अति पिछड़ों और वंचित वर्गों का उत्थान करने पर बल दिया गया है।

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संपोषण के संबंध में सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों, कंपनी अधिनियम 2013 एवं उसके तहत लागू नियमों का सख्ती से पालन कर रहा है। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहलों/ कार्यकलापों का कार्यान्वयन अनुमोदन/ मॉनिटरिंग के अनुसार किया जाएगा। आई टी पी ओ की कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति का विस्तृत विवरण http://indiatradefair.com/information/details/csr_ initiative पर उपलब्ध है।

आई टी पी ओ, सी एस आर कार्यकलापों/ पहलों के अंतर्गत विभिन्न समुदायों के कल्याण के लिए सक्रिय योगदान कर रहा है। आई टी पी ओ ने वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक आशा किरण होम, कुष्ठ रोगियों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग को सहायता प्रदान की। वर्ष 2014-15 में आई टी पी ओ ने भारत सरकार के 'स्वच्छ भारत कोष' में अंशदान किया तथा सी एस आर के अंतर्गत भारतीय अंतरराष्ट्रीय चमड़ा मेला-2014, दिल्ली में चमड़ा सामान बनाने वाले छोटे शिल्पकारों को उनके उत्पादों को प्रदर्शन करने हेतु नि:शुल्क स्थान उपलब्ध कराया।

वर्ष 2015-16 के लिए, आई टी पी ओ ने भारत सरकार के 'स्वच्छ भारत कोष' और 'गंगा सफाई कोष' के लिए प्रत्येक के लिए एक-एक करोड़ रु. का अंशदान दिया। इसके अलावा, नेत्रहीन कल्याण, दिव्यांगों, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग और समाज के कमजोर वर्गों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण, अनाथों और बेसहारा बच्चों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, दिव्यांगों को व्हीलचेयरों का वितरण, भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण, युद्ध में विधवा हुई महिलाओं/ अशक्तों और उनके आश्रितों के कल्याण तथा गरीब तबके के शिल्पकारों के कल्याण जैसे क्रियाकलापों के संबंध में निष्पादित किया गया है।

वर्ष 2016-17 के लिए आई टी पी ओ ने भारत सरकार के 'स्वच्छ भारत कोष' और 'गंगा सफाई कोष' के लिए प्रत्येक के लिए एक-एक करोड़ रु. का अंशदान करके स्वच्छ भारत को बढ़ावा देने हेतु अपने प्रयासों को जारी रखा। इसके अलावा, दो एम्बुलेंसों के लिए प्रत्याभूति, मिड-डे-मील कार्यक्रम के तहत स्कूलों में पका हुआ भोजन पहुंचाने के लिए पांच वितरण वाहनों की प्रत्याभूति, खादी शिल्पकारों को चरखे दान करना तथा स्वास्थ्य मंत्री के कैंसर रोगी कोष के लिए अंशदान जैसे 0.92 करोड़ रु. की धनराशि के प्रस्ताव क्रियान्वयनाधीन हैं।

वर्ष 2017-18 के लिए आई टी पी ओ ने भारत सरकार के 'स्वच्छ भारत कोश' और 'गंगा सफाई कोष' के लिए प्रत्येक के लिए एक-एक करोड़ रु. का अंशदान करके स्वच्छता को बढ़ावा देने हेतु अपने प्रयासों को जारी रखा। इसके अलावा, होस्टल ब्लॉक का निर्माण तथा नेत्रहीन छात्रों के लिए टायलेट ब्लॉक का नवीकरण, झारखण्ड, दिल्ली और उत्तराखण्ड राज्य में ग्रामीण महिलाओं, बधिर महिलाओं और अकेली महिलाओं का कल्याण, अनाथों का कल्याण, कुष्ठ रोगियों, बीकानेर क्षेत्र के कम सुविधा प्राप्त लोगों का कल्याण, उत्तराखण्ड के सरकारी स्कूलों की व्यवस्था, भारतीय संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने, स्वास्थ्य देखभाल में सुधार, परिधान क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण, स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त दूध का वितरण आदि के लिए 1.33 करोड़ रु. (अनुमानित) की धनराशि के प्रस्ताव क्रियान्वयनाधीन हैं।

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

आई टी पी ओ के सी एस आर पहल के अन्तर्गत होस्टल ब्लाक (भूतल+2 तले) का विनिर्माण एवं शौचालय ब्लाक के मरम्मत कार्य का उद्घाटन समारोह

आई टी पी ओ ने सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार सी एस आर समिति का गठन किया जो सी एस आर कार्यकलापों की समीक्षा करती है। समिति में निम्नलिखित बोर्ड सदस्य शामिल हैं :

- अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, वाणिज्य विभाग – अध्यक्ष
- नामित निदेशक, एम एस एम ई – सदस्य
- कार्यकारी निदेशक, आई टी पी ओ – सदस्य
- नामित निदेशक, वाणिज्य विभाग – सदस्य
- स्वतंत्र निदेशक – सदस्य

2. कंपनी का गत तीन वित्तीय वर्षों में (2014-15, 2015-16 और 2016-17) में औसत निवल लाभ लगभग 180.32 करोड़ रुपए है।
3. वर्ष 2017-18 के लिए सी एस आर क्रियाकलापों पर व्यय की गई धनराशि 360.64 लाख रु. (लगभग) है (विगत तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी के औसत निवल लाभ का 2 प्रतिशत)। इसके अलावा, 329.42 लाख रु. (लगभग) की

धनराशि अव्ययित थी, जिसे आई टी पी ओ वर्ष 2016-17 के दौरान सी एस आर क्रियाकलापों पर खर्च नहीं कर सका। अत: वह कुल धनराशि जो आई टी पी ओ द्वारा वर्ष 2017-18 के दौरान सी एस आर क्रियाकलापों पर खर्च की जानी है, वह 6.90 करोड़ रु. (लगभग) है।

4. वर्ष 2017-18 के दौरान किए गए व्यय का विवरण नीचे दिया गया है :

क्र. सं.	सी एस आर परियोजना अथवा निर्दिष्ट कार्यकलाप	क्षेत्र जिसके अंतर्गत परियोजना कवर होती है	परियोजना अथवा कार्यक्रम 1. स्थानीय क्षेत्र या अन्य 2. निर्दिष्ट राज्य एवं जिला जहां परियोजना या कार्यक्रम किये गये	परियोजना का (बजट) कुल परिव्यय अथवा कार्यक्रम-वार	परियोजना/ अथवा कार्यक्रम पर व्यय की धनराशि उप शीर्षक 1. सीधा व्यय 2. ओवर हैड	रिपोर्टिंग अवधि तक संचित व्यय	प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से व्यय धनराशि
1	स्वच्छ भारत कोष, भारत सरकार	सफाई एवं स्वच्छता	ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में भारत सरकार की परियोजनाएं	एक करोड़ रु.	प्रत्यक्ष व्यय के रूप में एक करोड़ रु. व्यय किये। कोई ओवर हैड नहीं है	एक करोड़ रु.	व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को एक करोड़ रु. का प्रत्यक्ष अंशदान किया।
2	गंगा सफाई कोष, भारत सरकार	स्वच्छता एवं सफाई	ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में भारत सरकार की परियोजना	एक करोड़ रु.	प्रत्यक्ष व्यय के रूप में एक करोड़ रु. व्यय किये। कोई ओवर हैड नहीं है	एक करोड़ रु.	जल संसाधन, नदी विकास, एवं गंगा पुनरुद्धार मंत्रालय, भारत सरकार को एक करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष अंशदान
3	नेत्रहीनों के लिए संस्थान	समाज कल्याण	दिल्ली	52 लाख रु. (लगभग)	प्रत्यक्ष व्यय के रूप में 52 लाख रु. (लगभग) खर्च किये।	52 लाख रु. (लगभग)	एन बी सी सी के माध्यम से अंशदान
4	फ्रेन्डस ऑफ हिमालय	महिला सशक्तिकरण	देहरादून, उत्तराखण्ड	10 लाख रु.	प्रत्यक्ष व्यय के रूप में 10 लाख रु. खर्च किये।	10 लाख रु.	'फ्रेन्डस ऑफ हिमालय' के लिए सीधे अंशदान
5	यूनाइटेड आर्फनेज फॉर दि डिसेब्ल्ड	समाज कल्याण	कोयंबटूर, तमिलनाडु	40 हजार रु.	प्रत्यक्ष व्यय के रूप में 40 हजार रु. खर्च किये।	40 हजार रु.	"यूनाइटेड आर्फनेज फॉर दि डिसेब्ल्ड" के लिए सीधे अंशदान

6	दि लेपरोसी मिशन ट्रस्ट ऑफ इण्डिया (एल एम टी आई) पुरुलिया	स्वास्थ्य देखभाल	पुरुलिया, पश्चिम बंगाल	10 लाख रु.	प्रत्यक्ष व्यय के रूप में 10 लाख रु. खर्च किये।	10 लाख रु.	एल एम टी आई के लिए सीधे अंशदान
7	स्पिक मैकेय	कला और संस्कृति का संवर्धन	दिल्ली	5 लाख रु.	प्रत्यक्ष व्यय के रूप में 5 लाख रु. व्यय किये।	5 लाख रु.	'स्पिक मैकेय' के लिए प्रत्यक्ष अंशदान
8	बास्को नेट	महिला सशक्तिकरण	झारखण्ड	10 लाख रु.	प्रत्यक्ष व्यय के रूप में 10 लाख	10 लाख रु.	बास्को नेट के लिए प्रत्यक्ष अंशदान
9	अण्डर प्रीविलेज्ड ऑफ बीकानेर रीजन, राजस्थान	समाज कल्याण	राजस्थान	5 लाख रु.	प्रत्यक्ष व्यय के रूप में 5 लाख रु. व्यय किये।	5 लाख रु.	सरकारी विभाग (विभागों) के माध्यम से अंशदान
10	सरकारी स्कूल उत्तराखण्ड के छात्र	शिक्षा	उत्तराखण्ड	5 लाख रु.	प्रत्यक्ष व्यय के रूप में 5 लाख रु. व्यय किये।	5 लाख रु.	सरकारी विभाग (विभागों) के माध्यम से अंशदान
11	साई खेमानंद मेडीकल फाउन्डेशन शिरडी	स्वास्थ्य देखभाल	शिरडी	5 लाख रु.ी	प्रत्यक्ष व्यय के रूप में 5 लाख रु. व्यय किए	5 लाख रु.	साई खेमानंद मेडीकल फाउन्डेशन शिरडी के लिए प्रत्यक्ष अंशदान
12	साई सबरी अस्पताल, भुवनेश्वर	स्वास्थ्य देखभाल	भुवनेश्वर	5 लाख रु.	प्रत्यक्ष व्यय के रूप में 5 लाख रु. व्यय किए	5 लाख रु.	साई सबरी अस्पताल, भुवनेश्वर के लिए प्रत्यक्ष अंशदान
13	अपारेल मेड अप्स ऐण्ड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल (ए एम एच एफ एस एस सी))	कौशल विकास	अंतिम रूप दिया जा रहा है।	5 लाख रु.	प्रत्यक्ष व्यय के रूप में 5 लाख रु. व्यय किए	5 लाख रु.	ए एम एच एफ एस एस सी के लिए प्रत्यक्ष अंशदान

14	नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (एन डी डी बी) फाउंडेशन फॉर न्यूट्रीशन	स्वास्थ्य देखभाल	दिल्ली	10 लाख रु.	प्रत्यक्ष व्यय के रूप में 10 लाख रु. व्यय किए	10 लाख रु.	एन डी डी बी के लिए प्रत्यक्ष अंशदान
15	दिल्ली फाउन्डेशन ऑफ डीफ वूमेन (डी एफ डी डब्ल्यू)	महिला सशक्तिकरण	दिल्ली	10 लाख रु.	प्रत्यक्ष व्यय के रूप में 10 लाख रु. व्यय किए	10 लाख रु.	डी एफ डी डब्ल्यू के लिए प्रत्यक्ष अंशदान
16	सी एस आर प्रदर्शनी में आई टी पी ओ की भागीदारी	सी एस आर कार्यकलापों का संवर्धन	दिल्ली	1 लाख 24 हजार रु. (लगभग)	डी पी ई के लिए तथा वूथ का निर्माण करने के लिए विक्रेता के लिए अंशदान	1 लाख 24 हजार रु. (लगभग)	डी पी ई और विक्रेता के लिए प्रत्यक्ष अंशदान

5. सी एस आर क्रियाकलापों पर अव्ययित शेष धनराशि, जो वर्ष 2017-18 के दौरान खर्च (3.57 करोड़ रु. अनुमानित) नहीं हो सकी, वर्ष 2018-19 के दौरान आगे ले जाई गई है। खर्च न होने का कारण प्रचालनात्मक है, यद्यपि प्रबंधन ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत वर्ष 2018-19 के लिए खर्च की जाने वाली धनराशि के साथ-साथ अगले वित्त वर्ष में सी एस आर क्रियाकलापों पर व्यय करने के लिए उत्सुक है।

6. सी एस आर कमेटी का विचार है कि आई टी पी ओ की सी एस आर नीति का अनुपालन सी एस आर उद्देश्यों और कंपनी की नीति के अनुसार कार्यान्वयन एवं मानिटरिंग हुई है।

ह/- **(एल. सी. गोयल)** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	ह/- **(डॉ. एस. सी. पाण्डे)** अध्यक्ष, सीएसआर समिति

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

अनुबन्ध-X

प्रबन्धन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

उद्योग ढांचा, विजन और मिशन

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (आई टी पी ओ) भारत की एक प्रमुख व्यापार संवर्धन एंजेसी है जो व्यापार एवं उद्योग जगत को व्यापक स्तर पर सेवाएं प्रदान करता है तथा भारत से किए जाने वाले व्यापार में वृद्धि के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। आई टी पी ओ के प्रमुख उद्देश्य ये हैं :

भारत एवं विदेश में आयोजन होने वाले अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेलों का आयोजन करके तथा उसमें भागीदारी करके बड़े किफायती ढंग से देश के अन्दर एवं बाहर भारत के व्यापार में वृद्धि करना; क्रेता-विक्रेता बैठकों और सम्पर्क संवर्धन कार्यक्रमों का आयोजन करना, विदेशी बाजारों में सर्वेक्षण करना, व्यापारी प्रतिनिधिमंडलों के दौरों का आवागमन तथा समन्वयन तथा विशिष्ट क्षेत्रों/ बाजारों में व्यापार बढ़ाने हेतु आवश्यकता आधारित अनुसंधान कार्य करना।

- भारत एवं विदेशों में बाजार सुलभ कराने के लिए लघु एवं मझौले उद्यमों को प्रोत्साहन एवं सहायता देना।
- व्यापारिक सूचनाओं का प्रचार-प्रसार करना तथा ई-कामर्स/ व्यापार को सरल बनाना।
- गुणवत्तापरक भौतिक अवसंरचना, सेवाओं तथा प्रबंधन का विकास करना ताकि अन्तरराष्ट्रीय स्तर के सम्मेलनों एवं व्यापार प्रदर्शनियों आदि व्यापार संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सके।
- भारत के विदेशी एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन में राज्य सरकारों, अन्य सरकारी निर्यात संवर्धन एजेंसियों, व्यापारिक एवं औद्योगिक संघों की भागीदारी और सहायता लेना।

आई टी पी ओ, प्रगति मैदान, नई दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय तथा चैन्नई, कोलकत्ता और मुम्बई स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों से भारत एवं विदेशों में इसके कार्यक्रमों में देश के विभिन्न क्षेत्रों से व्यापार एवं उद्योग जगत की प्रतिनिधित्व का पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करता है।

विजन

अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति सुदृढ़ करते हुए विश्वस्तरीय व्यापार संवर्धन में प्रमुख संगठन बनाना। विश्व व्यापार एवं निवेश में भारत के हिस्से, अपनी सेवाओं में उत्कृष्टता तथा ग्राहक सन्तुष्टि में तीव्र वृद्धि हमारी सफलता की कुंजी एवं कसौटी है।

मिशन

वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार के माध्यम से निर्यात में भारत का हिस्सा बढ़ाने हेतु विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, उन्हें सरल बनाना, प्रोत्साहित करना तथा उनका समन्वयन करना।

एसोसिएशन ने ज्ञापन और अनुच्छेद के अनुसार यह कम्पनी, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अन्तर्गत पंजीकृत है, इसीलिए कोई लाभांश देय नहीं। अत: व्यय से अधिक आय को आरक्षित एवं अधिशेष खाते में डाल दिया गया है ताकि उसका उपयोग इसके भावी उद्देश्यों को पूरा करने हेतु किया जा सके।

वित्तीय विशेषताएं

31 मार्च, 2018 को समाप्त अवधि के लिए कम्पनी की गतिविधियों से (भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार निर्धारित) वित्तीय वर्ष 2016-17 के 168.92 करोड़ रुपये (भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार निर्धारण) के मुकाबले इस वर्ष 134.69 करोड़ रुपये अधिशेष प्राप्त हुआ। विगत वर्ष 2016-17 के दौरान 390.06 करोड़ रुपये (भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार निर्धारण) के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 359.55 करोड़ रुपये आय हुई है।

परिश्रम का कार्य (स्वॉट)

आई टी पी ओ का अपना प्रदर्शनी परिसर महत्त्वपूर्ण स्थान पर स्थित है जिसमें स्टेट ऑफ आर्ट से युक्त छादित प्रदर्शनी हाल तथा अन्य सम्मेलन/ संगोष्ठी सुविधाएं हैं। राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय मानकों वाले बी2बी तथा बी2सी मेलों एवं प्रदर्शनियों का आयोजन करने के लिए इसके पास इंजीनियरी, वास्तु, डिजाइन/ मेले आदि विभिन्न क्षेत्रों में व्यावसायिक एवं अनुभवी अधिकारियों की टीम है। उद्योग में विभिन्न ट्रेंड, अपेक्षाओं आदि के व्यापार प्रदर्शन का इसको 40 वर्ष का सर्वोत्तम अनुभव है। विदेश मंत्रालय जैसे मंत्रालय के साथ आई टी पी ओ का व्यापक नेटवर्क होने, अन्य टी पी ओ तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, अनेक सरकारी एजेंसियों एवं विभागों का साथ होने से भागीदारों को इस पर विश्वास रहता है। इसकी प्रमुख मेलों के दौरान यातायात को नियंत्रित करने के लिए सुव्यवस्थित प्रणाली है। चूंकि कुछ अवसंरचना काफी पुरानी हो गई है और वह अधिक प्रदर्शनियों और मेलों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं, इसलिए इन्हें आधुनिक सुविधाओं और नए प्रदर्शनी हालों से सम्मुन्नत करने की आवश्यकता है। सरकारी नीतियों द्वारा भूमि के उपयोग पर बहु-उपयोग पर प्रतिबंध है। इसके अलावा, कम्पनी अधिनियम की धारा 8 के अनुपालन के अंतर्गत केवल लाभ कमाना नहीं है। निजी आयोजकों के साथ प्रतियोगिता और सरकारी नीतियों में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन का कंपनी सामना करती है।

भावी योजना

आई टी पी ओ अपने ऐतिहासिक मेला परिसर प्रगति मैदान को विश्व के सबसे उत्कृष्ट अच्छे प्रदर्शनी और सम्मेलन केन्द्रों के बराबर लाने के लिए एक अत्याधुनिक अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी सह-सम्मेलन केन्द्र के रूप में इसका दो चरणों में पुनर्विकास करने की अपनी महत्त्वाकांक्षी योजना को दो चरणों में कार्यान्वित कर रहा है। यह परियोजना राष्ट्रीय महत्त्व की परियोजना है। आई ई सी सी दिल्ली में एक ऐतिहासिक और विशिष्ट स्थल होगा तथा भारत को वैश्विक शक्ति के रूप में बढ़ने की दिशा में प्रधानमंत्री के 'न्यू इण्डिया' के विजन का एक अनूठा प्रतीक होगा। कारोबार स्वप्न को बढ़ाने की महत्त्वाकांक्षा को पूरा करते हुए आई ई सी सी मुख्य रूप से जी2जी, जी2बी और बी2बी कार्यकलापों को पूरा करेगा।

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

परियोजना प्रस्ताव में चरण-I में 53,399 वर्गमीटर का अत्याधुनिक सम्मेलन केन्द्र, 1,51,687 वर्गमीटर क्षेत्र के छः (6) आधुनिक प्रदर्शनी हाल, 1,68,305 वर्ग मीटर क्षेत्र की 4800 ई. सी. यू. (समकक्ष कार यूनिटों) के लिए बेसमेंट पार्किंग और 8857 वर्ग मीटर का प्रशासनिक भवन सहित 3,82,188 वर्ग मीटर के कुल क्षेत्र का विकास करना शामिल है। विश्वव्यापी आतिथ्य किसी भी आधुनिक एम आई सी ई गतंव्य का अभिन्न अंग है, इसलिए इस तथ्य के अनुरूप परिसर के एक भाग के रूप में एक होटल के लिए स्वतंत्र प्रवेश और निकास द्वार सहित भैरों मार्ग पर 3.70 एकड़ भूमि के एक स्थल के लिए मुद्रीकरण भी किया जा रहा है।

सम्मेलन केन्द्र विश्व में सबसे उत्कृष्ट 32.4 मीटर ऊंचा ऐतिहासिक भवन होगा। यह संरचना दिल्ली की सम्पूर्ण वास्तुकला की धरोहर को शामिल करते हुए एक अनूठा भाग ढलान सहित खम्बों से युक्त चबूतरे पर होगी। इस सम्मेलन केन्द्र में सिंगल फार्मेट में (3000 पैक्स क्षमता का एक प्लेनरी हाल और 4000 पैक्स का एक कार्यात्मक हाल सहित) 7000 पैक्स की सीटिंग की क्षमता होगी और विज्ञान भवन से 5 गुणा होगा तथा इसमें अलग-अलग क्षमताओं के 25 बैठक कक्ष होंगे यह दिल्ली राजधानी शहर के गौरव, महिमा और वास्तुकला को बढ़ावा देगा। इसमें 3000 लोगों को बैठने की क्षमता का एक रंगमंच भी होगा।

आई ई सी सी एक बेहतर पहुंच हेतु और सामान्य जनता के लाभ के लिए यातायात के जाम के समाधान हेतु व्यापक माध्यमों का भी प्रस्ताव किया गया है। अनिवार्य तौर पर भैरों मार्ग, जो भीड़ के कारण ज्यादातर बंद रहता है, उस मार्ग के लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करके पुराना किला रोड को प्रगति मैदान पर 6 लेन में बड़ी सुरंग के द्वारा रिंग रोड से जोड़ा जाएगा। रिंग रोड और मथुरा रोड से भैरों मार्ग के टी-जंक्शनों तथा डी पी एस से मथुरा रोड के डब्ल्यू प्वाइंट के सम्पूर्ण क्षेत्र को सिग्नल मुक्त बनाया जाएगा तथा इससे यातायात जाम की समस्या का समाधान होगा जिससे प्रदूषण स्तर कम होगा।

आई ई सी सी तथा यातायात की भीड़ का समाधान करने की दोनों परियोजनाओं की लागत 3437 करोड़ रु. है। दोनों परियोजनाओं पर तेजी से कार्य किया जा रहा है और इन्हें सितंबर, 2019 तक पूरा कर लिया जाएगा।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

प्रबंधक और आंतरिक लेखा परीक्षक आंतरिक नियंत्रणों का लगातार मूल्यांकन करते हैं। आंतरिक लेखा परीक्षण के निष्कर्षों की प्रबंधन द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। जहां भी अपेक्षा हो विभिन्न संचालनों की उचित लेखा गणना तथा मॉनिटरिंग करने हेतु निदानात्मक कार्रवाई एवं नियंत्रण के उपाय किए जाते हैं।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

बोर्ड ने कंपनी की नीतियों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की संरक्षा, हेराफेरी और चूक की रोकथाम एवं पता लगाने, लेखांकन रिकार्ड की सटीकता और पूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय प्रकटनों को समय पर तैयार करने सहित इसके कारोबार का उचित और सक्षम प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए नीतियां और प्रक्रियाएं अपनाई हैं।

मानव संसाधनों, औद्योगिक सम्बन्धों में भौतिक विकास

आपकी कम्पनी सेवा उद्योग वाली होने के कारण यह विश्वास करती है कि मानव संसाधन महत्त्वपूर्ण परिसम्पत्ति होती है। कम्पनी अपने कर्मचारियों की प्रतिभा का सम्मान करती है तथा अनुभवी जनशक्ति और युवा वर्ग के बीच ज्ञान के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करती है। कम्पनी अपने कर्मचारियों को आंतरिक व बाहरी प्रशिक्षण देने हेतु विभिन्न कौशल विकास प्रशिक्षण देती है तथा विभिन्न सेमिनारों और कार्यशालाएं आदि में भी नामित करती है।

पर्यावरण संरक्षण और कंजरवेशन, प्रौद्योगिकीय संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा विकास

आपकी कम्पनी गैर उत्पादन कार्यों को करने वाली कम्पनी है फिर भी आई टी पी ओ पर्यावरण और ऊर्जा स्रोतों के संरक्षण तथा पानी, बिजली आदि जैसे ऊर्जा स्रोतों के बारे में कार्य करती रही है। आई टी पी ओ कार्यालय को स्थानान्तरण करने के लिए कार्यालय भवन का तीन स्थानों पर प्रगति मैदान, नई दिल्ली में विनिर्माण किया गया है जिसमें ऊर्जा किफायती लाइटिंग व्यवस्था की गई है। (हाल नं. 7 डी और हाल नं. 12 के पास)। पुनर्विकास परियोजना में पर्यावरण सुरक्षा संबंधी विनियमों के बारे में समस्त सावधानी बरती गई है।

जोखिम प्रबन्धन

आपकी कम्पनी अपने प्रचालनों से संबंधित जोखिमों का नियमित विश्लेषण करती है और बीमा तथा अन्य माध्यमों को लागू करके ज्ञात जोखिमों का प्रबंधन एवं उपशमन/ समाधान करने के लिए सभी उपाय किए गए।

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी एस आर) कारोबार में नैतिक व्यवहार करने तथा आर्थिक विकास हेतु योगदान करने में निरन्तर प्रयासरत है, जिसमें श्रमिकों और उनके परिवारों तथा स्थानीय समुदाय व समाज के जीवनस्तर में सुधार करना शामिल है।

सी एस आर और संपोषण में क्षमता निर्माण, समुदायों की सशक्तिकरण, समावेशी समाज-आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण, हरित और ऊर्जाक्षम प्रौद्योगिकियों का संवर्धन, पिछड़े क्षेत्रों का विकास तथा उपेक्षित और कमजोर तबके के लोगों का उत्थान करने पर बल दिया गया है।

कम्पनी के कार्य निष्पादन वर्ण से संबंधित इस प्रबन्धन विश्लेषण तथा चर्चा रिपोर्ट में उल्लिखित विवरण, लागू कानूनों और नियमों के तात्पर्य भावी दृष्टि वाले हो सकते हैं। विभिन्न सरकारी नीतियों एवं मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर परिणाम इस रिपोर्ट में वर्णित या अन्तर्निहित परिणामों से भिन्न हो सकते हैं।

टेक्सटाइल - इण्डिया 2017

लेखा

इण्डिया ट्रेड
प्रमोशन आर्गनाइजेशन

स्टेण्डएलोन लेखा

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए स्टेण्डएलोन तुलन-पत्र

(रु. लाख में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2018 को यथास्थिति	31 मार्च, 2017 को यथास्थिति
परिसम्पत्तियां			
गैर चालू परिसम्पत्तियां			
सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर	3	2,065.18	3,766.58
पूंजीगत कार्य प्रगति पर	3	28,419.90	109.26
अन्य मूर्त परिसम्पत्तियां	4	49.79	14.14
सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उद्यम में निवेश	5	1,173.09	1,196.42
वित्तीय परिसम्पत्तियां			
निवेश	6	–	–
ऋण	7	521.22	1,392.67
गैर चालू कर परिसम्पत्तियां	8	20,561.01	18,167.19
अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियां	9	34,318.78	16,204.64
चालू परिसम्पत्तियां			
वित्तीय परिसम्पत्तियां			
निवेश	10	78.75	72.40
व्यापार प्राप्य	11	936.18	870.26
नकदी और नकदी समतुल्य	12	3,709.16	3,571.50
नकदी और नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष	13	90,101.00	143,599.99
ऋण	14	2,953.27	2,002.16
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	15	30,715.04	12,326.79
अन्य चालू परिसम्पत्तियां	16	1,264.21	902.12
कुल परिसम्पत्तियां		216,866.58	204,196.12
इक्विटी और देयताएं			
इक्विटी			
इक्विटी शेयर पूंजी	17	25.00	25.00
अन्य इक्विटी	18	196,400.91	182,932.00
देयताएं			
गैर चालू देयताएं			
गैर चालू प्रावधान	19	2,191.69	2,417.57
अन्य गैर-चालू देयताएं	20	815.65	853.54
चालू देयताएं			
वित्तीय देयताए			
व्यापार देयताएं	21	1,698.93	2,007.86
अन्य वित्तीय देयताएं	22	3,958.94	4,148.20
अन्य चालू देयताएं	23	3,554.01	3,463.90
चालू प्रावधान	24	8,221.45	8,348.05
कुल इक्विटी और देयताएं		216,866.58	204,196.12

महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां 1 से 31 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है।

ह./-
(एस. आर. साहू)
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं. एफ5595

ह./-
(डी. एम. शर्मा)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
सदस्यता सं. 084838

ह./-
(दीपक कुमार)
कार्यकारी निदेशक
डी आई एन : 07886176

ह./-
(एल. सी. गोयल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी आई एन : 02389348

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस. पी. चोपड़ा ऐण्ड कं.
चार्टर्रित लेखाकार
एफ आर एन 000346एन

ह./-
अंकुर गोयल
भागीदार
सदस्यता सं. 099143

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 अगस्त, 2018

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए आय-व्यय का स्टेण्डएलोन विवरण

(रु. लाख में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष
आय			
प्रचालनों से राजस्व	25	24,747.99	26,314.33
अन्य लाभ	26	11,206.98	12,692.06
कुल आय		35,954.97	39,006.39
व्यय			
कर्मचारी हित व्यय	27	10,601.31	11,107.70
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	28	414.06	463.09
अन्य व्यय	29	10,099.10	10,325.59
कुल व्यय		21,114.47	21,896.37
विशेष मदें और कर से पूर्व व्यय से अधिक आय		14,840.50	17,110.02
विशेष मदें	30	(1,378.39)	-
कर से पूर्व व्यय से अधिक आय		13,462.11	17,110.02
कर व्यय		-	-
वर्ष का अधिशेष		13,462.11	17,110.02
अन्य विस्तृत आय			
मदें जिनको आय और व्यय के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-
निवल निश्चित लाभ योजनाओं पर लाभ/ (हानि) को पुनः मापना	31.10 (II)	6.81	(218.21)
वर्ष की अन्य विस्तृत आय/ (हानि)		6.81	(218.21)
वर्ष की कुल विस्तृत आय		13,468.92	16,891.81
आधारभूत / मिश्रित आय प्रति शेयर (प्रत्येक 100/- रु. की फेस वैल्यू)	31.11	0.54	0.68

महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां 1 से 31 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है।

ह./-
(एस. आर. साहू)
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं. एफ5595

ह./-
(डी. एम. शर्मा)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
सदस्यता सं. 084838

ह./-
(दीपक कुमार)
कार्यकारी निदेशक
डी आई एन : 07886176

ह./-
(एल. सी. गोयल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी आई एन : 02389348

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस. पी. चोपड़ा ऐण्ड कं.
चार्टरित लेखाकार
एफ आर एन 000346एन

ह./-
अंकुर गोयल
भागीदार
सदस्यता सं. 099143

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 अगस्त, 2018

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन संबंधी स्टेण्डएलोन विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी (संदर्भ टिप्पणी 17)

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)

विवरण	शेयरों की सं.	राशि
1 अप्रैल, 2017 को शेष	25,000	25.00
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	–	–
31 मार्च, 2018 को शेष	25,000	25.00

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)

विवरण	शेयरों की सं.	राशि
1 अप्रैल, 2016 को शेष	25,000	25.00
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	–	–
31 मार्च, 2017 को शेष	25,000	25.00

ख. अन्य इक्विटी (संदर्भ टिप्पणी 18)

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)

विवरण	धारित आय	रिजर्व और अधिशेष			कुल
		पूंजी रिजर्व			
		के टी पी ओ के लिए प्रवर्तक का अंशदान	आई टी पी ओ के लिए प्रवर्तक का अंशदान	अन्य	
1 अप्रैल, 2017 को तुलन-पत्र	176,630.29	1,325.22	4,965.62	18.10	182,939.23
लेखांकन नीति अथवा पूर्व अवधि त्रुटियों में परिवर्तन	(7.23)	-	-	-	(7.23)
1 अप्रैल, 2017 को पुन: सूचित शेष	176,623.06	1,325.22	4,965.62	18.10	182,932.00
जोड़ें : पूंजीगत रिजर्व से अंतरण	5,270.84	-	-	-	5,270.84
जोड़ें : वर्ष का अधिशेष	13,462.11	-	-	-	13,462.11
जोड़ें : वर्ष का अन्य व्यापक आय/ (हानि)	6.81	-	-	-	6.81
(कमी) : धारित आय के लिए अंतरण	-	(305.22)	(4,965.62)	-	(5,270.84)
31 मार्च, 2018 को शेष	195,362.81	1,020.00	-	18.10	196,400.91

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)

विवरण	धारित आय	रिजर्व और अधिशेष			कुल
		पूंजी रिजर्व			
		के टी पी ओ के लिए प्रवर्तक का अंशदान	आई टी पी ओ के लिए प्रवर्तक का अंशदान	अन्य	
1 अप्रैल, 2016 को शेष	159,731.25	1,325.22	4,965.62	18.10	166,040.19
लेखांकन नीति अथवा पूर्व अवधि त्रुटियों में परिवर्तन	-	-	-	-	-
1 अप्रैल, 2016 को पुन: सूचित शेष	159,731.25	1,325.22	4,965.62	18.10	166,040.19
जोड़ें : वर्ष का अधिशेष	17,110.02	-	-	-	17,110.02
जोड़ें : वर्ष की अन्य व्यापक आय/ (हानि)	(218.21)	-	-	-	(218.21)
31 मार्च, 2017 को शेष	176,623.06	1,325.22	4,965.62	18.10	182,932.00

महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां 1 से 31 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है।

ह./-
(एस. आर. साहू)
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं. एफ5595

ह./-
(डी. एम. शर्मा)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
सदस्यता सं. 084838

ह./-
(दीपक कुमार)
कार्यकारी निदेशक
डी आई एन : 07886176

ह./-
(एल. सी. गोयल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी आई एन : 02389348

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस. पी. चोपड़ा ऐण्ड कं.
चार्टरित लेखाकार
एफ आर एन 000346एन
ह./-
अंकुर गोयल
भागीदार
सदस्यता सं. 099143

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 अगस्त, 2018

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का कैश फ्लो विवरण

(रु. लाख में)

	विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष	
क	**प्रचालन क्रियाकलापों से कैश फ्लो**				
	कर पूर्व व्यय से अधिक आय		13,462.11		17,110.02
	समायोजन :				
	अन्य व्यापक आय	6.81		(218.21)	
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	414.06		463.09	
	सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्करों की बिक्री पर हानि/(लाभ)	1,323.71		27.98	
	ब्याज और लाभांश आय	(10,077.35)		(11,825.74)	
	प्रावधान	134.84		147.93	
	प्रावधान / देयताएं, जो अब अपेक्षित नहीं, बट्टे खाते में डाली गई	(329.01)		(145.96)	
	पहले लिखी क्षति हानियां	13.53		33.89	
	वित्तीय निवेश पर फेयर वैल्यू (लाभ)/ हानि	2.88		(8.37)	
	बट्टे खाते में डाली परिसम्पत्तियां	-	(8,510.53)	0.11	(11,525.28)
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालनात्मक लाभ		**4,951.58**		**5,584.74**
	कमी : चल पूंजी पर निवल वृद्धि (कमी)				
	गैर-चालू वित्तीय ऋणों में (कमी)	(97.68)		(171.11)	
	गैर चालू कर परिसम्पत्तियों में वृद्धि (कमी)	2,393.82		2,662.56	
	गैर चालू परिसम्पत्तियों में वृद्धि (कमी)	186.47		926.29	
	व्यापार प्राप्यों में वृद्धि (कमी)	(89.43)		(115.65)	
	बैंक शेष में वृद्धि (कमी)	(53,498.99)		4,300.09	
	चालू ऋण में वृद्धि (कमी)	167.54		(123.59)	
	अन्य चालू वित्तीय परिसम्पत्तियों में वृद्धि (कमी)	18,408.27		(180.81)	
	अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियों में वृद्धि (कमी)	475.66		53.37	
	अन्य गैर चालू प्रावधानों में (वृद्धि) कमी	225.88		(584.81)	
	अन्य चालू देयताओं में (वृद्धि) कमी	37.89		79.85	
	व्यापार देयताओं में (वृद्धि) कमी	308.93		203.42	
	अन्य चालू वित्तीय देयताओं में (वृद्धि) कमी	189.26		(186.68)	
	अन्य चालू देयताओं में (वृद्धि) कमी	(90.11)		(679.07)	
	चालू प्रावधानों में (वृद्धि) कमी	126.60		(2,108.73)	
	प्रावधान / देयताएं, जो अब अपेक्षित नहीं	(172.00)	(31,427.89)	(141.98)	3,933.15
	प्रचालन कार्यकलापों से निवल नकदी (क)		36,379.47		1,651.59
ख	**निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह**				
	वित्तीय परिसम्पत्तियों में (जमा) / निकासी		-		500.00
	आई ई सी सी परियोजना के लिए विज्ञापन		(46,234.90)		(13,270.26)
	सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्करों की खरीद		(596.21)		(215.98)
	अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री		521.19		222.42
	निवेश और इंटर कारपोरेट जमा		(9.23)		(5.59)
	ब्याज और लाभांश आय		10,077.35		11,825.74
	निवेश कार्यकलापों से निवल नकदी (ख)		(36,241.80)		(943.68)

जारी..

ग	**वित्तीय कार्यकलापों से नकदी प्रवाह (ग)**		शून्य		शून्य
	नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/ कमी (क + ख + ग)		137.66		707.91
	वर्ष के प्रारंभ में नकदी और नकदी समतुल्य		3,571.50		2,863.59
	वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य		3,709.16		3,571.50
	नकदी और नकदी समतुल्य के संघटक				
	वर्ष के अंत में				
	हाथ में नकदी और नकदी समतुल्य		33.01		9.28
	बैंकों में शेष - चालू और बचत लेखे में		3,676.15		3,562.22
	बैंकों में शेष - सावधि जमा में 3 महीने तक मूल परिपक्वता		-		-
			3,709.16		**3,571.50**

टिप्पणी :

1. नकदी और नकदी समतुल्य में हाथ में नकदी, हाथ में ड्राफ्ट/ चैक, बैंक शेष, बैंकों के पास जमा और 3 महीने अथवा इससे कम अवधि की मूल परिपक्वता सहित अल्पकालिक निवेश।
2. 'क' पर दिए प्रचालन कार्यकलापों से आउटफ्लो में सी एस आर कार्यकलापों पर व्यय के लिए 266.27 लाख रु. (पूर्ववर्ती वर्ष 200.75 लाख रु.) शामिल हैं।
3. इण्ड-ए. एस. 7 में संशोधन : 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी, समूह ने इण्ड-ए.एस. 7 में संशोधन को स्वीकार किया जिसमें कंपनियों को यह प्रकटन उपलब्ध कराना होता है जिससे प्रकटन की अपेक्षा को पूरा करने के लिए वित्तीय कार्यकलापों से हुई देयताओं के लिए तुलन-पत्र को प्रारंभिक और अंत-शेषों के बीच मिलान को शामिल करने के सुझाव देते हुए नकद प्रवाहों से हुए परिवर्तनों और गैर-नकद परिवर्तनों दोनों को शामिल करके वित्तीय कार्यकलापों से हुई देयताओं में परिवर्तनों का मूल्यांकन वित्तीय विवरणों में प्रयोक्ता कर सकते हैं। संशोधन को स्वीकार करने से वित्तीय विवरणों पर कोई वस्तुतः प्रभाव नहीं होता था।

   महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां 1 से 31 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

ह./-
(एस. आर. साहू)
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं. एफ5595

ह./-
(डी. एम. शर्मा)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
सदस्यता सं. 084838

ह./-
(दीपक कुमार)
कार्यकारी निदेशक
डी आई एन : 07886176

ह./-
(एल. सी. गोयल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी आई एन : 02389348

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस. पी. चोपड़ा ऐण्ड कं.
चार्टरित लेखाकार
एफ आर एन 000346एन

ह./-
अंकुर गोयल
भागीदार
सदस्यता सं. 099143

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 अगस्त, 2018

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

1. कम्पनी की जानकारी

यह कम्पनी अधिनियम (पूर्व में 1956 की धारा 25) कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अंतर्गत मुख्य रूप से भारत तथा विदेशों में व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों के आयोजन के माध्यम से भारत के व्यापार संवर्धन के उद्देश्य से 30.12.1976 को ट्रेड फेयर अथारिटी आफ इण्डिया (टी एफ ए आई) के रूप में स्थापित की गई थी। बाद में 1.1.1992 को भूतपूर्व ट्रेड डेवलेपमेंट अथारिटी का टी एफ ए आई के साथ विलय हो जाने पर विलयित संगठन को 16.04.1992 को कम्पनी रजिस्ट्रार की विधिवत स्वीकृति लेकर पुनर्नामित करके इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन कर दिया गया। यह कम्पनी भारत सरकार का शीर्ष व्यापार संवर्धन निकाय है तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्यिक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करती है। कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय प्रगति भवन, प्रगति मैदान, नई दिल्ली - 110001 में है और इसके कार्यालय भारत के विभिन्न राज्यों में हैं।

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों को निदेशक मण्डल के द्वारा 29 अगस्त, 2018 को अनुमोदन दिया गया था।

2 महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

2.1 अनुपालन विवरण और इन्हें तैयार करने का आधार

क) भारतीय लेखांकन मानकों (इंड- ए. एस.) के अनुसार अनुपालन

वित्तीय विवरण कम्पनीज (भारतीय लेखांकन मानक) निमयावली 2017 के द्वारा यथा संशोधित कम्पनीज (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली 2015 और कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों (इण्ड ए एस) के अनुसार तैयार किए गए हैं।

वित्तीय विवरणों को प्रोदभवन और जारी संस्था के आधार पर तैयार किया गया है। लेखांकन नीतियां वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत की गई सभी अवधियों के लिए समान रूप से लागू होती हैं। सभी परिसम्पत्तियों और देयताओं को कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III के प्रभाग-II में यथा निश्चित कम्पनी के सामान्य प्रचालन चक्र एवं अन्य मानदण्डों के अनुसार चालू और गैर-चालू के रूप में वगीकृत किया गया है।

ख) ऐतिहासिक लागत परम्परा

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परम्परा के अंतर्गत लेखांकन के आधार पर तैयार किए गए हैं, सिवाय निम्नलिखित कुछ वित्तीय परिसम्पत्तियों और वित्तीय देयताओं के लिए, जिनको उचित मूल्य के आधार पर निर्धारण किया जाता है :-

- कुछ वित्तीय परिसम्पत्तियों और देयताओं को उचित मूल्य पर तैयार किया गया।
- सुनिश्चित कर्मचारी लाभ योजनाओं की योजनागत परिसम्पत्तियां।

उचित मूल्यों का निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त पद्धतियों के बारे में लेखा टिप्पणियों में विचार-विमर्श किया गया है।

ग) क्रियाशील और प्रस्तुतीकरण करेंसी (मुद्रा)

ये वित्तीय विवरण भारतीय रुपए (आई एन आर) में तैयार किए जाते हैं, जो कम्पनी की क्रियाशील और प्रस्तुतीकरण करेंसी है। भारतीय रुपए में प्रस्तुत की गई समस्त वित्तीय सूचना को लाख (2 दशमलव तक) के आस-पास रखा गया है, जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो।

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

घ) चालू बनाम गैर-चालू वर्गीकरण

कम्पनी चालू/ गैर-चालू वर्गीकरण के आधार पर तुलन-पत्र में परिसम्पत्तियों और देयताओं को प्रस्तुत करती है।

किसी परिसम्पत्ति को चालू के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है, जब निम्नलिखित हों :-

-सामान्य प्रचालन चक्र में प्राप्त किए जाने अथवा बेचने अथवा उपयोग किए जाने की उम्मीद हो;

-व्यापार के प्रयोजन के लिए मुख्य रूप से रखी हो;

-रिपोर्टिंग अवधि के बाद 12 महीनों के भीतर प्राप्त कर लिए जाने की उम्मीद हो; अथवा

-रिपोर्टिंग तारीख के बाद कम से कम देयता के भुगतान करने के लिए बदलने अथवा उपयोग किए जाने के लिए सीमित न हो, तब तक नकदी अथवा नकदी समतुल्य।

सभी अन्य परिसम्पत्तियों को गैर चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

किसी देयता को चालू के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है, जब निम्नलिखित हों :-

-सामान्य प्रचालन चक्र में भुगतान किए जाने की उम्मीद हो;

-व्यापार के प्रयोजन के लिए मुख्य रूप से रखी हो;

-रिपोर्टिंग की तारीख के बाद 12 महीनों के भीतर भुगतान किया जाना हो; अथवा

-रिपोर्टिंग की तारीख के बाद कम से कम 12 महीनों के लिए देयता का भुगतान आस्थगित करने के लिए बिना शर्त कोई अधिकार नहीं हो।

सभी अन्य देयताओं को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

प्रचालन चक्र

संचालन के लिए परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण और उनकी नकदी और नकदी समतुल्य की प्राप्ति के बीच की समय-अवधि प्रचालन चक्र होती है। कम्पनी ने अपने प्रचालन चक्र के रूप में 12 महीनों की पहचान की है।

ङ) अनुमानों और निर्णयों का उपयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए निर्णयों, अनुमानों और संकल्पनाओं हेतु प्रबंधन की यह अपेक्षा होती है जिससे राजस्व, व्यय, परिसम्पत्तियों और देयताओं की सूचित राशियां और संलग्न प्रकटन तथा आकस्मिक देयताओं के प्रकटन प्रभावित हो सकते हैं। इन अनुमानों और संकल्पनाओं के बारे में अनिश्चितता से ऐसे परिणाम आ सकते हैं, जिनके लिए भावी अवधि(यों) में परिसम्पत्तियों और देयताओं की राशि ले जाने के लिए वास्तविक समायोजनों की अपेक्षा होती है।

ये अनुमानों और संकल्पनाएं उन तथ्यों और घटनाओं पर आधारित होती हैं जो तुलन-पत्र की तारीख को हों, अथवा उस तारीख के बाद हुई हों, परन्तु तुलन-पत्र की तारीख को मौजूदा शर्तों के बारे में अतिरिक्त प्रमाण उपलब्ध कराएं।

वे अनुमान और संकल्पनाएं नीचे दी गई हैं, जिनसे आगामी वित्तीय वर्ष के भीतर परिसम्पत्तियों और देयताओं की कीमत (राशि) लेने के लिए वास्तविक समायोजन करने का बहुत जोखिम होता है।

i) **सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की उपयोगी मियाद**

सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्करों का उनकी अपनी-अपनी उपयोगी मियाद पर स्पष्ट रूप से यथा अनुपात आधार पर मूल्यह्रास होता है। इन परिसम्पत्तियों की उपयोगी मियाद के बारे में प्रबंधन के अनुमान कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में नियत उपयोगी मियाद और अवशिष्ट कीमत से अधिक नहीं होते हैं। उपयोग के संभावित स्तर में परिवर्तन, प्रौद्योगिकीय विकास और टूट-फूट के स्तर से इन परिसम्पत्तियों की आर्थिक उपयोगी मियाद और अवशिष्ट कीमत प्रभावित हो सकती है। इसलिए भावी मूल्यह्रास प्रभारों को संशोधित किया जा सकता है और इनका भावी वर्षों में लाभ पर प्रभाव हो सकता है।

ii) **सेवा-निवृत्ति लाभ दायित्व**

सेवा निवृत्ति लाभों की लागत और ग्रेच्युटी एवं छुट्टी नकदीकरण के संबंध में सेवा-निवृत्ति दायित्वों की वर्तमान कीमत का बीमांकिक मूल्यांकन का उपयोग करते हुए निर्धारण किया जाता है। एक बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न संकल्पनाएं शामिल होती हैं जो भविष्य में भावी विकास से भिन्न हो सकती हैं। इनमें छूट दर, भावी वेतन बढ़ोत्तरी का निर्धारण और मृत्यु दरें शामिल होती हैं। मूल्यांकन की जटिलता, निहित संकल्पनाओं और इनके दीर्घकालिक स्वरूप की वजह से ये सेवा-निवृत्ति लाभ दायित्व इन संकल्पनाओं में बदलाव करने के लिए संवेदनशील होते हैं। संवेदनशील विश्लेषण सहित प्रयुक्त संकल्पनाओं के बारे में विवरण लेखा-टिप्पणियों में दिए हैं।

iii) **वित्तीय संसाधनों का उचित मूल्य निर्धारण**

जब तुलन-पत्र में रिकार्ड की गई वित्तीय परिसम्पत्तियों और वित्तीय देयताओं की उचित कीमत को सक्रिय बाजारों में उद्धृत कीमतों के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तब छूट दिए गए कैश फ्लो (डी सी एफ) मॉडल सहित मूल्य निर्धारण तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। इन मॉडलों के लिए निवेश दृष्टिगोचर बाजारों से, जहां संभव होता है, लिया जाता है, लेकिन जहां यह व्यवहार्य नहीं होता है, वहां पर उचित कीमतों को सुनिश्चित करने में निर्णय की सीमा की आवश्यकता होती है। निर्णयों में तरलता जोखिम, क्रेडिट जोखिम और घट-बढ़ जैसे निवेशों का महत्त्व शामिल होता है। इन कारकों के बारे में संकल्पनाओं में परिवर्तनों से वित्तीय संसाधनों की सूचित उचित कीमत प्रभावित हो सकती है।

iv) **वित्तीय परिसम्पत्तियों की क्षति**

वित्तीय परिसम्पत्तियों के क्षति संबंधी प्रावधान खराबी के जोखिम और संभावित हानि दरों के बारे में संकल्पनाओं पर आधारित होते हैं। कम्पनी के विगत इतिवृत्त, मौजूदा बाजार स्थितियों और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आगामी अनुमानों के आधार पर कम्पनी इन संकल्पनाओं के बारे में तथा क्षति संबंधी गणना करने के लिए निवेशों का चयन करने में निर्णय का उपयोग करती है।

तीन से अधिक अथवा अन्यथा वित्तीय वर्षों की बकाया सरकारी देयताओं सहित बकाया के बारे में संदिग्ध ऋणों/ अग्रिमों की क्षति के लिए व्यवस्था की जाती है, सिवाय उन मामलों के जहां पर कम्पनी को वसूली की उम्मीद होती है।

v) **गैर वित्तीय परिसम्पत्तियों का ह्रास**

कम्पनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को यह आकलन करती है कि क्या ऐसा संकेत मिलता है कि परिसम्पत्ति का ह्रास हो सकता है। यदि कोई संकेत मिलता है अथवा जब किसी परिसम्पत्ति के लिए वार्षिक ह्रास परीक्षण की आवश्यकता होती है तो कम्पनी परिसम्पत्ति की वसूलनीय राशि का अनुमान लगाती है। परिसम्पत्तियों का निपटान करने की लागत और उपयोग करने में इसकी कीमत को कम करके किसी परिसम्पत्ति की वसूलनीय राशि किसी सम्पत्ति की उचित मूल्य से अधिक होती है। किसी एक परिसम्पत्ति के लिए यह निर्धारित तब तक की जाती है, जब तक परिसम्पत्ति से नकद प्रवाह न होता हो, जो उन अन्य परिसम्पत्तियों अथवा परिसम्पत्तियों के समूह पर अधिकांशत: निर्भर होते हैं। जहां पर किसी परिसम्पत्ति की केरीइंग राशि उनकी वसूलनीय राशि से अधिक होती है, वहां पर परिसम्पत्ति को ह्रास परिसम्पत्ति माना जाता है और इसकी वसूलनीय राशि में इसको लिख दिया जाता है।

उपयोग में कीमत का आकलन करने में अनुमानित भावी नकद प्रवाहों को पूर्व कर छूट दर का उपयोग करते हुए उनकी वर्तमान कीमत में छूट दी जाती है जो परिसम्पत्ति के धन के समय कीमत तथा विशिष्ट परिसम्पत्ति के जोखिमों का वर्तमान बाजार आकलन को दर्शाती हैं। निपटान करने की लागतों को कम करके उचित मूल्य का निर्धारण करने में हाल ही के बाजार लेन-देनों को ध्यान में रखा जाता है। यदि ऐसे किसी लेन-देन की पहचान नहीं की जा सकती है, तो एक उचित मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है। इन गणनाओं का मूल्यांकन गुणांकों अथवा अन्य उचित मूल्य सूचकों से पुष्टि की जाती है।

2.2 सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण

सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण की मद को एक परिसम्पत्ति के रूप में तब मान्यता दी जाती है, जब यदि यह संभव हो कि मद से जुड़े भावी आर्थिक लाभ कम्पनी को मिलेंगे और मद की लागत को विश्वसनीय रूप में मापा जा सकता है।

सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्करों को ऐतिहासिक लागत आधार पर (स्थापना, अधिग्रहण/निर्माण की लागत तथा मद की स्थापना/ अधिग्रहण/निर्माण पूरा होने तक अन्य आकस्मिक लागतों सहित), वसूलनीय करों की निवल राशि के लिए संचित मूल्यह्रास और क्षति हानियों को कम करके लेखे में लिया जाता है। जिन मामलों में ठेकेदारों/ निष्पादन एजेंसी के पास बिलों का अंतिम निपटान लंबित हो, लेकिन परिसम्पत्ति पूर्ण हो और उपयोग हेतु उपलब्ध हो, ऐसे मामलों में आवश्यक समाधानों के अध्यधीन दिए गए ठेके/ लेखा विवरण/ उपयोग प्रमाण पत्र के आधार पर पूंजीकरण किया जाता है, इसमें वे शामिल हैं जो मध्यस्थता/ न्यायालय के मामलों के समाधान से होते हैं।

उत्तरवर्ती व्यय को परिसम्पत्ति की मौजूदा केरीइंग राशि के रूप में जोड़ा जाता है अथवा यथा उपयुक्त एक अलग परिसम्पत्ति के रूप में केवल उस समय मान्यता दी जाती है जब इससे जुड़े भावी आर्थिक लाभ कम्पनी को मिलेंगे और मद की लागत को विश्वसनीय तौर पर मापा जा सके। सभी अन्य मरम्मत और रख-रखाव को उस अवधि के दौरान आय और व्यय विवरण में लिया जाता है, जिसमें वे होते हैं।

सेवा-निवृत्ति अथवा सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर के बेचने से हुए लाभ अथवा हानियों को आय और व्यय विवरण में स्वीकार किया जाता है।

स्थायी पट्टे के आधार पर ली गई पट्टे वाले भूमि का परिशोधन नहीं किया जाता है।

मूल्यह्रास को कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में निर्धारित तरीके से प्रबंधन द्वारा अनुमान लगायी गई परिसम्पत्ति की अनुमानित उपयोगी मियाद के आधार पर आय और व्यय विवरण में स्वीकार किया जाता है। निम्नलिखित मामलों में उपयोगी मियाद कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-II में निर्धारित मियाद से भिन्न होती हैं।

परिसम्पत्ति	कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-II के अनुसार उपयोगी मियाद (वर्षों की संख्या)	कम्पनी के द्वारा आकलन की गई/ अनुमानित उपयोगी मियाद (वर्षों की संख्या)
भवन - लीजहोल्ड/ फ्रीहोल्ड	60	40/20/10
संयंत्र और मशीनरी	15	15/10/8
वाहन	8	5

5,000/- रु. (प्रत्येक) तक की लागत वाली सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्करों पर बढ़ोत्तरी की अवधि के दौरान पूर्णत: मूल्यह्रास लिया जाता है।

परिसम्पत्तियों में बढ़ोत्तरी/ से कटौतियों के मामले में उस मास से/ तक यथा अनुपात आधार पर मूल्यह्रास लिया जाता है।

2.3 पूंजीगत कार्य प्रगति पर

सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण, जो तुलन पत्र की तारीख को आशायित उपयोग करने के लिए तैयार नहीं हैं, उनको 'पूंजीगत कार्य प्रगति पर' के रूप में प्रकट किया जाता है।

ऐसे मामले में, जहां पर ठेकेदारों/ निष्पादन एजेंसी के बिलों का अंतिम निपटान लंबित हो, उनमें लागत/ व्यय को मध्यस्थता/ न्यायालय के मामलों का निपटान करने से हुए समायोजनों सहित आवश्यक समायोजनों के अध्यधीन दिए गए ठेके/ लेखा विवरणों/ उपयोग प्रमाणपत्र के आधार पर सी डब्ल्यू आई पी के रूप में स्वीकार किया जाता है।।

2.4 अमूर्त परिसम्पत्तियां

अमूर्त परिसम्पत्तियों को लागत पर प्रारंभिक मान्यता के आधार पर मापा जाता है। प्रारंभिक मान्यता के बाद अमूर्त परिसम्पत्तियों को संचित परिशोधन और क्षति हानियों, यदि कोई हो, को कम करके लागत पर ले जाया जाता है।

अमूर्त परिसम्पत्ति की मद को निपटान के बाद मान्यता नहीं दी जाती है अथवा तब उस समय जब भावी आर्थिक लाभों की इनके उपयोग अथवा निपटान करने की उम्मीद न हो। अमूर्त परिसम्पत्ति को मान्यता न देने से हुए लाभ अथवा हानियों को परिसम्पत्ति की निवल बिक्री लाभों और केरीइंग राशि के बीच अंतर के अनुसार मापा जाता है और आय और व्यय विवरण में स्वीकार किया जाता है।

अमूर्त परिसम्पत्तियां उस वर्ष से उपयोग करने के कानूनी अधिकार की अवधि अथवा 3 वित्तीय वर्षों में, जो पहले हो, बराबर-बराबर पूर्ण परिशोधित की जाती हैं, जिस वर्ष में परिसम्पत्ति उपयोग करने के लिए उपलब्ध हो।

2.5 गैर-वित्तीय परिसम्पत्तियों को क्षति

कम्पनी बाहरी और आंतरिक संसाधनों का उपयोग करते हुए रिपोर्ट करने की प्रत्येक तारीख को यह आकलन करती है कि क्या ऐसा कोई संकेत है कि गैर-वित्तीय परिसम्पत्तियों को क्षति हो सकती है और क्या पहली अवधि (अवधियों) में मानी गई क्षति हानि का अभिशून्यन करने का भी कोई संकेत है। यदि कोई संकेत होता है अथवा जब किसी परिसम्पत्ति के लिए वार्षिक क्षति जांच अपेक्षित होती है तो कम्पनी वसूलनीय क्षति को निर्धारित करती है और क्षति हानि की पहचान की जाती है। जब किसी परिसम्पत्ति का केरीइंग मूल्य उसकी वसूलनीय राशि से अधिक हो जाती है।

वसूलनीय राशि का निर्धारण निम्नलिखित में किया जाता है :-

-किसी एक परिसम्पत्ति के मामले में बिक्री के व्यय और उपयोग में मूल्य को कम करके परिसम्पत्ति की उचित मूल्य की अधिक कीमत पर; और

-नकद उत्पादन करने वाली यूनिट के मामले में (परिसम्पत्तियों का एक समूह जो अभिज्ञात, स्वतंत्र नकद प्रवाह उत्पन्न करता है) बिक्री के व्यय और उपयोग में मूल्य को कम करके नकद उत्पादन करने वाली यूनिटों की उचित मूल्य की अधिक राशि पर।

उपयोग में कीमत का आकलन करने में अनुमानित भावी नकद प्रवाहों को पूर्व कर छूट दर का उपयोग करते हुए उनकी वर्तमान कीमत में छूट दी जाती है जो परिसम्पत्ति के धन के समय कीमत तथा विशिष्ट परिसम्पत्ति के जोखिमों का वर्तमान बाजार आकलन को दर्शाती है। निपटान करने की लागतों को कम करके उचित मूल्य का निर्धारण करने में हाल ही के बाजार लेन-देनों को ध्यान में रखा जाता है। यदि ऐसे किसी लेन-देन की पहचान नहीं की जा सकती है, तो एक उचित मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है। इन गणनाओं की मूल्यांकन गुणांकों अथवा अन्य उचित मूल्य सूचकों से पुष्टि की जाती है। इन गणनाओं की सार्वजनिक रूप से व्यापार करने वाली कम्पनियों के लिए उद्धृत शेयर कीमतों से अथवा अन्य उपलब्ध उचित मूल्य संकेतों से पुष्टि की जाती है।

किसी परिसम्पत्ति की क्षति हानि अभिशून्य कर दी जाती है, यदि और केवल यदि अभिशून्यन क्षति हानि को स्वीकार करने के बाद की किसी घटना के लिए वस्तुपरक रूप से संबंधित हो, किसी परिसम्पत्ति की केरीइंग राशि उसकी संशोधित वसूलनीय धनराशि तक बढ़ायी जाती है, बशर्ते यह राशि कैरीइंग राशि से अधिक नहीं होती है, जिसका निर्धारण उस स्थिति में (किसी संचित परिशोधन अथवा मूल्यह्रास का निवल) किया गया होगा, यदि पूर्व वर्ष(र्षों) में परिसम्पत्ति के लिए स्वीकार्य कोई क्षति हानि न हुई हो।

2.6 नकदी और नकदी सामान

नकदी और नकदी समतुल्य में अपने पास नकदी, ड्राफ्ट/ चैक, बैंक शेष, बैंकों के पास जमा धनराशि, अल्पावधि निवेश (प्राप्ति की तारीख से 3 माह अथवा उससे कम समय), अधिक निवेश, जो नकदी में तत्काल बदलने योग्य होते हैं और मूल्य में परिवर्तनों के नगण्य जोखिम के अध्यधीन होते हैं।

2.7 सामान सूचियां

सामान सूचियों का मूल्य निर्धारण लागत से कम अथवा निवल वसूली योग्य मूल्य पर होता है। पुराना, खराब और अप्रयोज्य स्टाक उपलब्ध कराया जाता है, जहां कहीं अपेक्षित होता है।

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

2.8 विदेशी मुद्रा में लेन-देन

विदेशी मुद्रा में लेन-देनों को भुगतानों की औसत दर पर रिकार्ड किया जाता है। तुलन-पत्र की तारीख को मौजूद मौद्रिक परिसम्पत्तियों और देयताएं विनिमय दरों पर वर्ष के अंत में परिवर्तित की जाती हैं। लेन-देन के भुगतान करने तथा मौद्रिक मदों को परिवर्तित करने से हुए विनिमय दर अंतरों को उस वर्ष की आय अथवा व्यय में स्वीकार किया जाता है, जिस वर्ष में वे होती हैं।

गैर-मौद्रिक मदों को, जिनको विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के अनुसार मापा जाता है, उनको भुगतानों की औसत दर का उपयोग करके परिवर्तित किया जाता है। यदि पूर्व निधियों का उपयोग किया जाता है, तो वहां परिवर्तन के प्रयोजन के लिए पूर्व भुगतान(नों) की औसत दर को लिया जाता है।

विदेशी मुद्रा में उचित मूल्य पर मापी गई गैर-मौद्रिक मदों को उस तारीख की विनिमय दरों के अनुसार परिवर्तित किया जाता है जिस तारीख को उचित मूल्य निर्धारित की जाती है।

2.9 उचित मूल्य निर्धारण

वित्तीय संसाधनों की उचित मूल्य का निर्धारण करने में कम्पनी विभिन्न पद्धतियों और संकल्पनाओं का उपयोग करती है जो रिपोर्ट करने की प्रत्येक तारीख को बाजार की परिस्थितियों और जोखिमों पर आधारित होते हैं। उचित मूल्य का निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त पद्धतियों में छूट प्राप्त नकद प्रवाह विश्लेषण, उपलब्ध उद्धृत बाजार कीमतें आदि शामिल होती हैं। उचित मूल्य का आकलन करने की सभी पद्धतियां सामान्य तौर पर मूल्य के मोटे अनुमान हैं और ऐसी कीमत की वास्तव में वसूली नहीं की जा सकती है।

तुलन-पत्र की तारीख से एक वर्ष के भीतर परिपक्व हो रही वित्तीय परिसम्पत्तियों और देयताओं के लिए उन संसाधनों की अल्प परिपक्वता की वजह से इनको उचित मूल्य के लिए नहीं लिया जाता है।

2.10 वित्तीय संसाधन

वित्तीय संसाधन एक संविदा है जो एक कम्पनी की वित्तीय परिसम्पत्ति को तथा दूसरी कम्पनी की वित्तीय अथवा इक्विटी संसाधन को बढ़ावा देती है।

i) वित्तीय परिसम्पत्तियां

क) प्रारंभिक पहचान और मापन

सभी वित्तीय परिसम्पत्तियां और देयताओं की प्रारंभिक पहचान उसके उचित मूल्य पर पहचान की जाती है। लेन-देन संबंधी लागतें, जो वित्तीय परिसम्पत्तियों और वित्तीय देयताओं के अधिग्रहण के लिए होती हैं और जो लाभ अथवा हानि उचित मूल्य पर नहीं होती है, उनको प्रारंभिक पहचान पर उचित मूल्य में जोड़ा जाता है तथा आय और व्यय विवरण में दर्शाया जाता है।

ख) वर्गीकरण और उत्तरवर्ती माप

उत्तरवर्ती माप के प्रयोजनार्थ वित्तीय परिसम्पत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

1. परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसम्पत्तियां
2. अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफ वी टी ओ सी आई) पर मापी गई वित्तीय परिसम्पत्तियां; तथा
3. लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफ वी टी पी एल) पर मापी गई वित्तीय परिसम्पत्तियां

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

जहां तक वित्तीय परिसम्पत्तियों को उचित मूल्य पर माना जाता है, वहां पर लाभ अथवा हानियों को या तो आय और व्यय विवरण में पूर्णत: स्वीकार किया जाता है (अर्थात् लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य) अथवा अन्य व्यापक आय (अर्थात् अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य) में स्वीकार किया जाता है।

वित्तीय परिसम्पत्तियों का वर्गीकरण वित्तीय परिसम्पत्तियों की व्यवस्था करने के लिए कम्पनी के कारोबार माडल पर तथा नकद प्रवाह की संविदात्मक शर्तों पर निर्भर करता है। प्रबंधन प्रारंभिक मान्यता के आधार पर अपनी वित्तीय परिसम्पत्तियों के वर्गीकरण का निर्धारण करता है।

(1)परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसम्पत्तियां :

वित्तीय परिसम्पत्ति को परिशोधन लागत पर मापा जाता है, यदि निम्नलिखित दोनों शर्तों को पूरा करती हो:

-कारोबार मॉडल टेस्ट : कारोबार माडल का उद्देश्य संविदात्मक नकद प्रवाहों को एकत्रित करने के लिए (परिसम्पत्ति का उचित मूल्य परिवर्तनों के लिए उसकी वित्तीय परिपक्वता से पूर्व परिसम्पत्ति को बेचने की अपेक्षा) वित्तीय परिसम्पत्ति को रखना होता है; और

-नकद प्रवाह विशेषता टेस्ट : वित्तीय परिसम्पत्ति की संविदात्मक शर्तें नकद प्रवाह को विशिष्ट तारीखों पर बढ़ावा देती हैं जो बकाया मूलधन पर मूलधन और ब्याज के मात्र भुगतान (एस पी पी आई) होते हैं।

आरंभिक माप करने के बाद ऐसी वित्तीय परिसम्पत्तियों को प्रभावी ब्याज दर (ई आई आर) पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर बाद में मापा जाता है। परिशोधन लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी प्रकार की छूट अथवा प्रीमियम और फीस अथवा व्यय को ध्यान में रखकर की जाती है, जो ई आई आर का अभिन्न भाग होते हैं। ई आई आर वह दर है जो वित्तीय संसाधन की संभावित मियाद की तुलना में अनुमानित भावी नकद प्राप्तियों पर अथवा कम अवधि वाली प्राप्तियों पर, जहां लागू हो, वित्तीय परिसम्पत्ति की सकल केरीइंग राशि पर सही-सही छूट प्रदान करती है। प्रभावी ब्याज दर की गणना करते समय, कम्पनी वित्तीय संसाधन की संविदात्मक समस्त शर्तों पर विचार करके संभावित नकद प्रवाहों के बारे में अनुमान लगाती है, परंतु संभावित क्रेडिट हानियों पर विचार नहीं करती है। ई आई आर परिशोधन, आय और व्यय विवरण में ब्याज आय में शामिल होती है। क्षति से हुई हानियों को आय और व्यय विवरण में स्वीकार किया जाता है। यह श्रेणी सामान्य तौर पर कर्मचारी ऋणों तथा विशिष्ट शर्तों वाले अन्य ऋणों/ अग्रिमों आदि के लिए लागू होती हैं।

2. अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफ वी टी ओ सी आई) से मापे गए वित्तीय संसाधन :

यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी हों तो वित्तीय संसाधन को अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाएगा :

-कारोबार माडल टेस्ट : कारोबार माडल का उद्देश्य संविदात्मक नकद प्रवाहों को एकत्रित करके तथा वित्तीय परिसम्पत्तियों की बिक्री करके दोनों से प्राप्त किया जाता है; और

-नकद प्रवाह विशेषता टेस्ट : वित्तीय परिसम्पत्ति की संविदात्मक शर्तें नकद प्रवाह को विशिष्ट तारीखों पर बढ़ावा देती हैं जो बकाया मूलधन पर मूलधन और ब्याज के मात्र भुगतान (एस एस पी आई) होते हैं।

एफ वी टी ओ सी आई श्रेणी के अंतर्गत शामिल वित्तीय संसाधनों को प्रारंभ में तथा उचित मूल्य की प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में मापा जाता है। उचित मूल्य संबंधी गतिविधियों को ब्याज आय, क्षति संबंधी लाभ और हानियां, विदेशी मुद्रा लाभ और हानियों

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

को स्वीकार करने के सिवाय अन्य व्यापक आय (ओ सी आई) में स्वीकार किया जाता है, जिन्हें आय और व्यय विवरण में स्वीकार किया जाता है।

3. **लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य** - एक अवशिष्ट श्रेणी है। ऐसे किसी वित्तीय संसाधन एफ वी टी पी एल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जो परिशोधन लागत अथवा अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकरण के लिए मानदण्ड को पूरा नहीं करता है। एफ वी टी पी एल श्रेणी के अंतर्गत शामिल वित्तीय संसाधनों को प्रारंभ में तथा उचित मूल्य की प्रत्येक रिपोर्टिंग में मापा जाता है। उचित मूल्य संबंधी गतिविधियों अर्थात् लाभ अथवा हानि और ब्याज आय को आय और व्यय विवरण में दर्ज किया जाता है।

ग) वित्तीय परिसम्पत्तियों की क्षति

कम्पनी निम्नलिखित के लिए संभावित क्रेडिट हानि (ई सी एल) मॉडल के आधार पर क्षति का आकलन करती है:

-परिशोधन लागत पर निर्धारित वित्तीय परिसम्पत्तियां

-एफ वी टी ओ सी एल लागत पर निर्धारित वित्तीय परिसम्पत्तियां

संभावित क्रेडिट हानियों का निम्नलिखित के बराबर राशि पर एक हानि संबंधी छूट के माध्यम से निर्धारण किया जाता है :

-12 महीनों की संभावित क्रेडिट हानियां (संभावित क्रेडिट हानियां जो वित्तीय संसाधनों पर उन खराब घटनाओं से होती हैं। ये रिपोर्ट करने की तारीख के बाद 12 महीनों के भीतर संभव होती है); अथवा

-पूरी जीवन अवधि की संभावित क्रेडिट हानियां (संभावित क्रेडिट हानियां जिनसे वित्तीय संसाधन पर सभी संभव खराबी की घटनाएं होती हैं)।

कम्पनी क्षति/ हानि छूट देने हेतु निम्नलिखित के लिए 'सरल दृष्टिकोण' का पालन करती है :

-वित्तीय परिसम्पत्तियां जो ऋण संसाधन हैं और परिशोधन लागत पर मापी जाती हैं अर्थात् प्राप्य बैंकों के जमा तथा कर्मचारी ऋण एवं विनिर्दिष्ट अवधि वाले अन्य ऋण/ अग्रिम आदि।

-वित्तीय परिसम्पत्तियां जो ऋण संसाधन है तथा एफ वी टी ओ सी आई पर मापी जाती हैं।

सरल दृष्टिकोण के अंतर्गत कम्पनी क्रेडिट जोखिम में तरीके नहीं बदलती हैं। अपितु यह उसकी प्रारंभिक मान्यता से लेकर प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर जीवन अवधि ई सी एल पर आधारित क्षति हानि छूट को स्वीकार करती है।

व्यापार प्राप्यों को बिक्री/ प्राप्य की पर प्रारंभ में स्वीकार किया जाता है और इनको एकत्र करने हेतु प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को 12 महीनों के भीतर यदि एकत्र किए जाने की संभावना होती है तो व्यापार प्राप्यों को चालू परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यदि नहीं, तो उनको गैर-चालू परिसम्पत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

उन मामलों को छोड़कर, जिनमें कम्पनी को वसूली की उम्मीद होती है, 3 वित्तीय वर्षों से अधिक समय के लिए बकाया सरकारी देयताओं सहित बकाया राशियों में संदिग्ध प्राप्यों के लिए क्षति की व्यवस्था की जाती है।

अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियों और जोखिमों के बारे में क्षति हानि को स्वीकार करने हेतु कम्पनी यह निर्धारित करती है कि क्या प्रारंभिक मान्यता से लेकर क्रेडिट जोखिम में पर्याप्त बढ़ोत्तरी हुई है। यदि क्रेडिट जोखिम में पर्याप्त बढ़ोत्तरी न हुई हो, तो क्षति/ हानि के लिए प्रावधान करने हेतु 12 महीनों की ई सी एल (संभावित क्रेडिट हानि) का उपयोग किया जाता है। तथापि, यदि क्रेडिट जोखिम में पर्याप्त बढ़ोत्तरी हुई हो, तो जीवन अवधि ई सी एल का उपयोग किया जाता है। यदि बाद की किसी अवधि

में संसाधन के क्रेडिट गुणवत्ता में ऐसा सुधार होता है कि प्रारंभिक मान्यता से क्रेडिट जोखिम कोई ज्यादा बढ़ोत्तरी नहीं है, तब कम्पनी 12 महीनों की ई सी एल के आधार पर क्षति/ हानि छूट को मान्यता देने से बदलाव करती है।

क्रेडिट जोखिम और क्षति हानि में बढ़ोत्तरी का आकलन करने के लिए कम्पनी क्रेडिट जोखिम संबंधी विशेषताओं के आधार पर वित्तीय संसाधनों के विश्लेषण को सुगम बनाने के उद्देश्य से मिला देती है जो समय अवधि के आधार पर पहचान किए जाने के क्रेडिट जोखिम में पर्याप्त बढ़ोतरियां कर सकने के लिए बनाया है।

घ) वित्तीय परिसम्पत्तियों को मान्यता न देना

किसी वित्तीय परिसम्पत्ति (अथवा, जहां लागू हो, वित्तीय परिसम्पत्ति के एक भाग अथवा समान वित्तीय परिसम्पत्ति के एक समूह के भाग) को मुख्य रूप से मान्यता नहीं दी जाती है (अर्थात कम्पनी के तुलन-पत्र से हटा दिया जाता है) जब :

(क) परिसम्पत्ति से नकद प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार समाप्त/ अंतरित कर दिए गए हों, अथवा

(ख) कम्पनी वित्तीय परिसम्पत्ति के नकद प्रवाहों को प्राप्त करने के संविदात्मक अधिकार रखती हो, लेकिन एक अथवा अधिक प्राप्तकर्त्ताओं को नकद प्रवाहों का भुगतान करने के लिए संविदात्मक दायित्व हाथ में लेती हो।

जब कम्पनी ने किसी परिसम्पत्ति को हस्तांतरित कर दिया हो, तब वह यह मूल्यांकन करती है कि क्या इसने वित्तीय परिसम्पत्ति के सभी जोखिमों तथा स्वामित्व के प्रतिफलों को पर्याप्त रूप से हस्तांतरित कर दिया है। ऐसे मामलों में, वित्तीय परिसम्पत्ति को मान्यता नहीं दी जाती है। जब कम्पनी ने वित्तीय परिसम्पत्ति के सभी जोखिमों तथा स्वामित्व के प्रतिफलों को पर्याप्त रूप से हस्तांतरित न किया हो, तब वित्तीय परिसम्पत्ति को मान्यता नहीं दी जाती है।

जहां तक कम्पनी ने किसी वित्तीय परिसम्पत्ति को न तो हस्तांतरित किया है और न ही वित्तीय परिसम्पत्ति के सभी जोखिमों तथा स्वामित्व के प्रतिफलों को पर्याप्तत: रखती है, तो वित्तीय परिसम्पत्ति को जब मान्यता नहीं दी जाती है, यदि कम्पनी ने वित्तीय परिसम्पत्ति का नियंत्रण न रखा हो। जब कम्पनी वित्तीय परिसम्पत्ति का नियंत्रण रखती है, तब परिसम्पत्ति का वित्तीय परिसम्पत्ति में निरंतर शामिल रखने तक मान्यता दिया जाना जारी रहता है।

ii) **वित्तीय देयताएं**

क) प्रारंभिक मान्यता और माप

सभी वित्तीय देयताओं को प्रारंभ में उचित मूल्य पर तथा लाभकरों के मामले में प्रत्यक्षत: हुए लेन-देन संबंधी खर्चों की निवल राशि पर मान्यता दी जाती है। कम्पनी की वित्तीय देयताओं में व्यापार लाभकर, ऋण, प्रतिभूति जमा और अन्य लाभकर शामिल हैं।

ख) उत्तरवर्ती निर्धारण

वित्तीय देयताओं का निर्धारण उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है जो नीचे बताए अनुसार है :

लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं (एफ वी टी पी एल)

एफ वी टी पी एल में वित्तीय देयताओं में लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता पर नामोद्दिष्ट व्यापार और वित्तीय देयताओं के लिए रखी वित्तीय देयताएं शामिल हैं।

यदि वित्तीय देयताएं स्पष्ट शर्तों के अनुसार पुन: खरीद करने के लिए व्यय की जाती हैं, तो उन्हें व्यापार के लिए रखे अनुसार वर्गीकृत किया जाता है।

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

व्यापार के लिए रखी देयताओं पर लाभ अथवा हानियों को आय और व्यय में स्वीकार किया जाता है।

लाभ अथवा हानि के माध्यम से प्रारंभिक मान्यता पर नामोद्दिष्ट वित्तीय देयताएं मान्यता को प्रारंभिक तारीख को उसी तरह से नामोद्दिष्ट की जाती है और केवल इण्ड ए. एस. 109 में दिए गए मानदण्ड पूरे किए जाते हैं। एफ वी टी पी एल के रूप में नामोद्दिष्ट देयताओं के लिए अपने क्रेडिट जोखिमों में बदलाव करने वाली उचित मूल्य लाभ अथवा हानियों को अन्य विस्तृत आय में स्वीकार किया जाता है। इन लाभ/ हानियों को बाद में आय और व्यय विवरण में हस्तांतरित नहीं किया जाता है। तथापि, कम्पनी इक्विटी के अंतर्गत संचयी लाभ अथवा हानि में हस्तांतरित कर सकती है। ऐसी देयताओं की उचित मूल्य में सभी अन्य परिवर्तनों को आय और व्यय विवरण में स्वीकार किया जाता है।

ऋण और प्रतिभूति जमा

लाभ (लेन-देन संबंधी व्यय की निवल राशि) और भुगतान की गई राशि के बीच किसी अंतर को देयता की अवधि में आय और व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है और प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करते हुए बाद में परिशोधन लागत पर निर्धारित किया जाता है। जब देयताओं को स्वीकार नहीं किया जाता है तथा ई आई आर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से स्वीकार किया जाता है तो लाभ और हानियों को आय और व्यय विवरण में स्वीकार किया जाता है।

परिशोधन लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी प्रकार की छूट अथवा प्रीमियम और फीस अथवा व्यय को ध्यान में रखकर की जाती है, जो ई आई आर का अभिन्न भाग होते हैं। ई आई आर परिशोधन वित्तीय व्यय के रूप में लाभ और हानि विवरण में शामिल है।

व्यापार और अन्य लाभकर

व्यापार और अन्य लाभकर सामग्री और अन्य कच्चे सामग्री खरीदने तथा सेवाओं का उपयोग करने के लिए कम्पनी के द्वारा किए गए दायित्व होते हैं जो कारोबार की सामान्य अवधि में प्राप्त किए अथवा लिए गए हैं। यदि भुगतान वित्तीय स्थिति का विवरण की तारीख से 12 महीनों के भीतर देय हो, तो व्यापार और अन्य लाभकरों को चालू देयताओं के तहत वर्गीकृत किया जाता है और यदि नहीं, तो उनको गैर-चालू देयताओं के तहत वर्गीकृत किया जाता है। उन्हें प्रारंभ में उनकी उचित मूल्य पर स्वीकार किया जाता है और बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करते हुए परिशोधन लागत पर निर्धारित किया जाता है।

ग) मान्यता न देना

एक वित्तीय देयता को तब मान्यता नहीं दी जाती है, जब देयता के अंतर्गत दायित्व पूरा हो जाता है अथवा निरस्त अथवा समाप्त हो जाता है। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को उसी साहूकार से दूसरे को पर्याप्त रूप से अलग-अलग शर्तों पर बदला जाता है अथवा मौजूदा देयता की शर्तों को काफी संशोधित किया जाता है, तो ऐसे विनिमय अथवा संशोधन को मूल देयता को अमान्य और नई देयता की मान्यता के रूप में माना जाता है। संबंधित केरीइंग राशियों के बीच के अंतर को आय और व्यय विवरण में मान्यता दी जाती है।

चूंकि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत यह कम्पनी पंजीकृत है, इसलिए यह धारा 2(40) के अन्तर्गत आय और व्यय विवरण तैयार करती है। अत: इण्ड ए एस, एफ वी टी पी एल का पालन करने के लिए लाभ अथवा हानि लेखा के माध्यम से उचित मूल्य (जहां कहीं उल्लेख हो) से अभिप्राय आय और व्यय विवरण के माध्यम से उचित मूल्य से होगा।

2.11 अनुषंगी कम्पनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश

अनुषंगी कम्पनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश संचित क्षति/ हानियों (यदि कोई हो) को कम करके लागत पर किए जाते हैं। जहां पर क्षति के बारे में कोई संकेत होता है, तब निवेश की केरीइंग राशि का मूल्यांकन किया जाता है और तत्काल ही इसकी वसूलनीय राशि में लिखी जाती है। निवेशों का निपटान करने पर निवल निपटान लाभ राशि और केरीइंग राशियों के बीच अंतर को आय और व्यय विवरण में स्वीकार किया जाता है।

2.12 राजस्व मान्यता

(क) भारत और विदेशों में आयोजित मेलों/ प्रदर्शनियों से आय और व्यय की उस वर्ष में गणना की गई है, जिस वर्ष में आयोजन शुरू हुआ। तथापि, दो लेखांकन अवधियों में व्याप्त, तीन माह या अधिक की अवधि वाले दीर्घावधिक आयोजनों के मामले में, जिसकी प्रमुख अवधि परवर्ती लेखांकन अवधि में पड़ती है, उस आयोजन की अधिशेष/ हानि की धनराशि उस में शामिल की गई है, जिस वर्ष में आयोजन समाप्त हुआ।

सरकार की ओर से किन्हीं करों अथवा शुल्क एवं कटौतियों/ छूट की कटौती करने के बाद प्राप्त अथवा प्राप्ति योग्य प्रतिफल की उचित मूल्य पर इसे निर्धारित किया जाता है जैसे सेवा कर/ वस्तु एवं सेवा कर आदि लगाए जाते हैं।

(ख) किराए से और प्रचालन पट्टों से राजस्व को प्रासंगिक करार की शर्तों के अनुसार प्रोदभवन आधार पर मान्यता दी जाती है।

(ग) कम्पनी के प्रदर्शन और मेलों में प्रदर्शित आंतरिक सजावट की वस्तुओं की लागत को राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है। तथापि, भावी मेलों में उपयोग करने के लिए स्टॉक में रखे नए सामानों को अंतिम स्टॉक के रूप में माना जाता है।

(घ) सिविल, विद्युत, बागवानी आदि पर सी पी डब्ल्यू डी/ एन बी सी सी जैसी एजेंसियों के द्वारा किए गए व्यय को उनके द्वारा दिए गए विवरणों/ लेखों/ उपयोग प्रमाणपत्रों के आधार पर लेखे में लिया जाता है।

(ङ) विगत वर्षों की आय और व्यय, जो प्रत्येक मामले में 10,000 रु. से अधिक न हो, को चालू वर्ष के संबंध में माना जाता है।

(च) जिन मामलों में लाइसेंसधारी के साथ संविदा समाप्त हो गई हो उन मामलों में समाप्त हुई संविदा/ इस मामले में अंतिम निर्णय होने तक संशोधित समझौते/ निष्पादित संशोधित संविदाओं के आधार पर बकाया धनराशियों को अस्थायी रूप से लेखे में लिया जाता है।

(छ) कार्य का विलंब से निष्पादन करने के लिए ठेकेदारों से निर्धारित क्षतियों के दावों को आय के रूप में तब मान्यता दी जाती है जब धनराशि के बारे में अंतिम तौर पर निर्धारण और सहमति हो जाती है।

(ज) एसोसिएट अंशदाताओं से अंशदान शुल्क और नियमित अंशदाताओं से सेवा प्रभारों को, प्राप्ति के आधार पर मान्यता दी जाती है। तथापि, अग्रिम रूप से प्राप्त अंशदान शुल्क को उस प्रासंगिक वर्ष में लेखे में डाला जाता है, जिसके लिए यह संबंधित है।

(झ) जब लाभांश प्राप्त करने का अधिकार सुनिश्चित हो जाता है, तब लाभांश आय को आय और व्यय विवरण में मान्यता दी जाती है।

(ञ) बकाया राशि और लागू ब्याज दरों को ध्यान में रखते हुए ब्याज आय को समय अनुपात के आधार पर मान्यता दी जाती है।

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

2.13 सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदानों को आस्थगित आय एप्रोच से स्वीकार तब किया जाता है जब यह उचित आश्वासन हो कि उनको प्राप्त कर लिया जाएगा और कम्पनी अनुदान से जुड़ी शर्तों का पालन करेगी।

जिन अनुदानों से कम्पनी द्वारा किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति हो उनको उस अवधि में आय के रूप में स्वीकार किया जाता है जिस अवधि में संबद्ध व्यय किए हों।

प्रवर्तक के अंशदान की प्रकृति के अनुदानों को अन्य इक्विटी के तहत उपयुक्त श्रेणी में स्वीकार किया जाता है।

2.14 ऋण लेने संबंधी खर्च

विशेष मूर्त सम्पत्तियों को आशायित उपयोग अथवा बिक्री हेतु तैयार होने में अनिवार्यत: काफी समय लगता है, उनके अधिग्रहण, निर्माण अथवा उत्पादन करने के लिए प्रत्यक्षत: उत्तरदायी ऋण लेने संबंधी खर्चों को परिसम्पत्ति की लागत के भाग के रूप में पूंजी माना जाता है। सभी अन्य ऋण खर्चों को उस अवधि के खर्च माना जाता है, जिस अवधि में वे होते हैं। ऋण संबंधी खर्चों में ब्याज और अन्य खर्चे शामिल होते हैं, जिनको कोई संस्था निधियों के ऋण लेने के संबंध में करती है। ऋण खर्च में ऋण लेने के खर्चों के समाधान के रूप में मानी गई सीमा तक के लिए विनिमय अंतर भी शामिल होते हैं।

ऋण खर्च का लाभ उस समय समाप्त हो जाता है जब विशेष मूर्त परिसम्पत्तियों को उनके आशायित उपयोग हेतु उन्हें तैयार करने के लिए आवश्यक सभी कार्यकलाप पूरे हों।

2.15 कर्मचारी लाभ

क) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

सेवाएं देने के 12 महीनों के भीतर देय सभी कर्मचारी लाभों को अल्पकालिक लाभों में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसे लाभों में वेतन, मजदूरी, बोनस, पुरस्कार, अनुग्रह राशि, निष्पादन संबंधी प्रोत्साहन/ वेतन आदि शामिल हैं और इनको उस अवधि में स्वीकार किया जाता है जिस अवधि में कर्मचारी संबंधित सेवाएं देता है।

ख) नियोजन के बाद लाभ

i) परिभाषित अंशदान योजना

कम्पनी की अनुमोदित भविष्य निधि योजना और कर्मचारी पेंशन योजना परिभाषित अंशदान योजनाएं हैं। कम्पनी का ऐसी योजनाओं के तहत भुगतान किए गए/ देय अंशदान के अलावा अलग ट्रस्टों के लिए कोई दायित्व नहीं होता है; जो अनुमत प्रतिभूतियों में निधियां निवेश करती हैं। योजनाओं के तहत भुगतान किए/ देय अंशदान को उस अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है, जिस अवधि में कर्मचारी संबंधित सेवा देता है। कम्पनी ट्रस्टों की संचित कमी, यदि कोई हो, को पूरा करने के लिए वचनबद्ध भी है तथा ऐसी कमी को उसके व्यय के रूप में स्वीकार करती है।

ii) परिभाषित लाभ योजना

कर्मचारी उपदान निधि योजना (वित्त-पोषित) और कर्मचारी छुट्टी नकदीकरण (गैर-वित्त-पोषित) योजना कम्पनी की परिभाषित लाभ योजनाएं हैं। ऐसी परिभाषित लाभ योजनाओं के तहत दायित्व के वर्तमान मूल्य का तुलन-पत्र की तारीख को अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति पर बीमांकिक मूल्य-निर्धारण के आधार पर निर्धारण किया जाता है। उपदान को एक अलग आई टी पी ओ

कर्मचारी उपदान निधि ट्रस्ट के माध्यम से वित्त-पोषित किया जाता है जो ट्रस्ट के कार्यों की प्रबंध व्यवस्था करता है। ओ. सी. आई. के माध्यम से धारित आय के संगत डेबिट अथवा क्रेडिट के साथ बीमांकिक लाभ और हानियों वाले पुन:निर्धारण को उस अवधि में तुलन-पत्र में तत्काल स्वीकार किया जाता है, जिस अवधि में वे होते हैं। पुन: निर्धारणों को बाद की अवधियों में आय और व्यय विवरण में पुन: वर्गीकृत नहीं किया जाता है। कम्पनी ग्रेच्युटी ट्रस्ट की संचित कमी, यदि कोई हो, को पूरा करने के लिए वचनबद्ध भी है तथा ऐसी कमी को उसके व्यय के रूप में स्वीकार करती है।

ग) समापन (टर्मिनेशन) लाभ

स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजनाओं पर अनुग्रह भुगतान और नोटिस वेतन के रूप में टर्मिनल लाभों पर किए गए खर्चों को लाभ और हानि विवरण में ऐसे व्यय के होने के वर्ष में लिया जाता है।

2.16 प्रावधान और आकस्मिक परिसंपत्तियां और देयताएं

क) प्रावधान

प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब कम्पनी का किसी विगत मेले के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व (विधिक अथवा ठोस) हो, और यह संभव है कि आर्थिक दायित्वों को मूर्त रूप देने वाले संसाधनों का आउट फ्लो दायित्वों का निपटारा करने के लिए आवश्यक होगा तथा दायित्व राशि के बारे में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। प्रावधानों का तुलन-पत्र की तारीख को वर्तमान दायित्व का निपटारा करने के लिए अपेक्षित व्यय सबसे अच्छे अनुमान पर प्रावधानों का निर्धारण किया जाता है।

यदि धनराशि के समय मूल्य के प्रभाव का प्रभाव वस्तुत: होता है तो प्रावधानों को चालू पूर्व-कर दर का उपयोग करके उसके वर्तमान मूल्य को दर्शाने के लिए कम किया जाता है, जो दायित्व के धनराशि संबंधी समय-मूल्य और जोखिम विशेष के वर्तमान बाजार आकलनों को दर्शाता है। जब कम प्रावधान का उपयोग किया जाता है, तब समय बीतने की वजह से प्रावधान में वृद्धि को वित्त लागत के रूप में माना जाता है।

ख) आकस्मिक देयताएं

आकस्मिक देयताएं संभव दायित्व होती हैं जो विगत मेलों से आती (उठती) हैं और उनके अस्तित्व की पुष्टि एक अथवा एक से अधिक भावी मेलों के आयोजनों से ही होगी और यह कम्पनी के पूर्ण नियंत्रण में नहीं होती हैं। जहां पर यह संभव नहीं होता है कि आर्थिक लाभों के आउटफ्लों की आवयकता होगी अथवा धनराशि के बारे में विश्वसनीय तौर पर अनुमान नहीं लगा सकते हैं, तब दायित्वों को आकस्मिक देयता के रूप में तब प्रकट किया जाता है, जब आर्थिक लाभों के आउटफ्लों की संभावना अप्रत्यक्ष न हो। आकस्मिक देयताओं को प्रबंधन/ स्वतंत्र विशेषज्ञ के निर्णय के आधार पर प्रकट किया जाता है। इनकी प्रत्येक तुलन-पत्र तारीख की समीक्षा की जाती है और चालू प्रबंध अनुमानों को दर्शाने के लिए समायोजित की जाती हैं।

ग) आकस्मिक परिसम्पत्तियां

आकस्मिक परिसम्पत्तियों संभव परिसम्पत्तियां होती हैं जो विगत मेलों से होती हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि एक अथवा एक से अधिक अनिश्चित भावी मेलों के होने अथवा न होने से होगी और ये कम्पनी के पूर्ण नियंत्रण में नहीं होती हैं। आकस्मिक परिसम्पत्तियों के बारे में वित्तीय विवरणों में तब प्रकट किया जाता है, जब आर्थिक लाभों का अंतर्वाह प्रबंधन के निर्णय के आधार पर संभव हो। इनका यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर समीक्षा की जाती है कि विकासों को वित्तीय विवरणों में उपयुक्त रूप से दर्शाया जाता है।

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

2.17 प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय की वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से इक्विटी शेयरधारकों के लिए मूर्त वर्ष के निवल अधिशेष/ घाटे से विभाजित करके गणना की जाती है।

प्रति शेयर कम की गई आय की गणना करने के लिए इक्विटी शेयरधारकों के लिए मूर्त वर्ष के निवल लाभ अथवा हानि और वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या को सभी कम किए गए संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है।

2.18 खण्ड रिपोर्टिंग

संसाधनों का आवंटन करने तथा निर्णय लेने के लिए उनके निष्पादन का आकलन करने के लिए कम्पनी के प्रबंधन के द्वारा प्रयुक्त आंतरिक रिपोर्टों के आधार पर प्रचालन खण्डों की पहचान की जाती है। निदेशक मण्डल इण्ड ए. एस. 108 के आशय के अंतर्गत कम्पनी का सामूहिक रूप से 'मुख्य संचालन निर्णयकर्ता' (चीफ आपरेटिंग डिसीजन मेकर) 'सी ओ डी एम' होता है।

कम्पनी ने भारत तथा विदेश में व्यापार संवर्धन कार्यकलाप नामक दो रिपोर्टिंग खण्डों की पहचान की है।

2.19 पट्टे

पट्टे के बारे में क्या कोई व्यवस्था है अथवा निहित है, इसका निर्धारण पट्टे के प्रारंभ में व्यवस्था संबंधी विषय पर आधारित है। पट्टे की व्यवस्था है अथवा यह निहित है, यदि व्यवस्था को पूरा करना विशिष्ट परिसम्पत्ति अथवा परिसम्पत्तियों के उपयोग पर निर्भर हो अथवा व्यवस्था परिसम्पत्ति अथवा परिसम्पत्तियों को उपयोग करने के अधिकार के बारे में बताती है, चाहे अधिकार किसी व्यवस्था में स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट न हो।

पट्टेदार के रूप में कम्पनी

पट्टे को वित्तीय पट्टे अथवा प्रचालन पट्टे के रूप में शुरू की तारीख को वर्गीकृत किया जाता है। जिस पट्टे से स्वामित्व के सभी जोखिम और आकस्मिक पुरस्कार (लाभ) कम्पनी के लिए पर्याप्त रूप से हस्तांतरित होते हों, उस पट्टे को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वित्त पट्टे के लिए पट्टा सम्पत्ति की उचित मूल्य पर प्रारंभ की तारीख को पट्टा शुरू करने पर पूंजी की व्यवस्था की जाती है अथवा यदि कम हो तो न्यूनतम पट्टा भुगतानों की वर्तमान कीमत पर व्यवस्था की जाती है। पट्टे-संबंधी भुगतान वित्तीय प्रभारों और पट्टा देयता की कमी के बीच अनुपात के आधार पर होते हैं ताकि देयता के बचे शेष पर ब्याज की सतत् दर प्राप्त हो सके। वित्त प्रभारों को लाभ अथवा हानि विवरण में वित्त व्यय के रूप में तब मान्यता दी जाती है जब तक वे उन विशेष परिसम्पत्तियों के लिए आरोप्य न हों, जिन मामलों में वे ऋण लागत पर कम्पनी के सामान्य नीति के अनुसार लाभ नहीं उठाते हैं।

पट्टे वाली परिसम्पत्ति की परिसम्पत्ति की मियाद के अनुसार कीमत कम हो जाती है। तथापि, पट्टे की अवधि के अंत में कम्पनी स्वामित्व प्राप्त कर लेगी, यदि इस बारे में उचित रूप से निश्चितता न हो, तो सम्पत्ति की अनुमानित उपयोगी मियाद और पट्टे की अवधि में जो कम हो, उसके अनुसार परिसम्पत्ति का मूल्य कम किया जाता है।

प्रचालन पट्टे संबंधी भुगतानों को पट्टे की अवधि के आधार पर आय और व्यय विवरण में प्रत्यक्षत: व्यय के रूप में तब तक स्वीकार किया जाता है, जब तक भुगतानों को संभावित मुद्रास्फीति लागत बढ़ोत्तरी में पट्टाकर्त्ता के लिए मुआवजा देने के लिए संभावित सामान्य मुद्रास्फीति के अनुसार बढ़ाया नहीं जाता है।

पट्टाकर्त्ता के रूप में कम्पनी

जिन पट्टों में कम्पनी किसी परिसम्पत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों (लाभों) को पर्याप्त रूप से हस्तांतरित नहीं करती है, तो ऐसे पट्टों को प्रचालन हानियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। किराए की आय को प्रासंगिक पट्टे की अवधि से प्रत्यक्षत: स्वीकार किया जाता है। किसी प्रचालन पट्टे की सौदेबाजी और व्यवस्था करने में हुए प्रारंभिक प्रत्यक्ष खर्चों को पट्टे वाली परिसम्पत्ति के केरीइंग राशि में जोड़ा जाता है और किराया आय के रूप में उसी आधार पर पट्टे की अवधि से स्वीकार किया जाता है। प्रासंगिक किरायों को उस अवधि में राजस्व के रूप में स्वीकार किया जाता है, जिस अवधि में वे प्राप्त होते हैं। पट्टों को वित्त पट्टों के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है, जब स्वामित्व के सभी जोखिम और पुरस्कार (लाभ) कम्पनी से पट्टाकर्त्ता को पर्याप्त रूप से हस्तांतरित हो जाते हैं। वित्त पट्टों के तहत पट्टाकर्त्ता की ओर बकाया राशियों को पट्टों में कम्पनी के निवल निवेश में प्राप्यों के रूप में रिकार्ड कर दिया जाता है। वित्त पट्टा आय को लेखांकन अवधियां आवंटित की जाती हैं ताकि पट्टे के बारे में निवल निवेश बकाया में लाभ की सतत् आवधिक दर को दर्शाया जा सके।

2.20 वर्तमान लेखांकन घोषणाएं : मानक जारी किए परंतु प्रभावी नहीं

इण्ड ए. एस. 115 - ग्राहकों के पास ठेकों से राजस्व

कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 28 मार्च, 2018 को ग्राहकों के पास ठेकों से राजस्व के बारे में इण्ड ए. एस. 115 अधिसूचित किया था। मानक में एक नए पांच स्टेप मॉडल को स्थापित किया था जो ग्राहकों के पास ठेकों से हुए राजस्व के लिए लागू होगा। इण्ड ए. एस. 115 के अंतर्गत राजस्व में उस राशि को स्वीकार किया है, जो उस प्रतिफल को दर्शाती है जिसके बारे में कोई कम्पनी किसी ग्राहक को वस्तुएं अथवा सेवाएं हस्तांतरित करने के लिए विनिमय में हकदार होने की उम्मीद करती है। इण्ड ए. एस. 115 के सिद्धांतों में राजस्व का निर्धारण एवं स्वीकार करने के लिए अधिक ठोस एप्रोच की व्यवस्था है। नए राजस्व मानक सभी कम्पनियों पर लागू हैं तथा यह इण्ड ए. एस. के तहत सभी वर्तमान राजस्व मान्यता संबंधी अपेक्षाओं को हटा देगा।

इण्ड ए. एस. 115 की प्रभावी तारीख 1 अप्रैल, 2018 अथवा इसके बाद में शुरू वार्षिक अवधियां हैं। कम्पनी को 1 अप्रैल, 2018 से शुरू हुए वित्तीय वर्ष तक मानक को स्वीकार करना है। कम्पनी इस समय इण्ड ए. एस. 115 की अपेक्षाओं का मूल्यांकन कर रही है और उसने वित्तीय विवरणों पर प्रभाव को अभी निर्धारित नहीं किया है।

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

3. सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर (31 मार्च, 2018 को)

	विवरण	मियादी (वर्ष)	सकल ब्लाक			
			01.04.2017 को	वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	वर्ष के दौरान बिक्री/ निपटान/समायोजन	31.03.2018 को
क	**सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर**					
	भूमि					
	लीज होल्ड (गाजीपुर)		78.76	-	-	78.76
	प्रगति मैदान परिसर (लीज होल्ड) (देखें टिप्पणी सं. 3.1)		0.00	-	-	0.00
	भवन (लीज पर ली गई भूमि पर)					
	क श्रेणी	40	1,572.34	77.12	444.21	1,205.26
	ख श्रेणी	20	33.93	371.79	20.99	384.73
	ग श्रेणी	10	60.21	-	19.48	40.73
	अनारकली फूड प्लाजा (देखें टिप्पणी 3.2)		0.00	-	0.00	-
	भवन -फ्री होल्ड					
	आवासीय / कार्यालय फ्लैट - फ्री होल्ड	40	159.87	-	-	159.87
	संयंत्र और मशीनरी					
	सौर संस्थापना	15	110.26	-	-	110.26
	एयर कंडीशनिंग प्लांट	8	0.25	-	0.25	-
	एयर कंडीशनिंग प्लांट	15	1,866.07	-	1,805.70	60.37
	एयर कंडीशनिंग/ एयर वैंटीलेशन प्लांट (देखें टिप्पणी 3.1)	10	0.28	-	0.28	-
	फर्नीचर और फिटिंग					
	फर्नीचर और फिक्सचर	10	34.10	4.99	0.06	39.04
	आग से बचाव के उपकरण एवं उपाय	10	5.17	1.72	-	6.89
	जल आपूर्ति और ड्रेनेज	10	16.00	-	7.36	8.63
	वाहन	5	30.81	-	-	30.81
	कार्यालय उपकरण					
	कार्यालय उपकरण/ अन्य विविध परिसम्पत्तियां	5	128.56	1.75	50.17	80.15
	दृश्य श्रव्य उपकरण	5	151.50	-	1.57	149.93
	कंप्यूटर और डाटा प्रोसेसिंग					
	सर्वर और नेटवर्क	6	21.70	11.43	-	33.13
	कंप्यूटर आदि	3	118.87	4.55	1.94	121.48
	विद्युत स्थापनाएं और फिटिंग	10	245.05	55.35	128.19	172.21
	उप जोड़ (क)		**4,633.72**	**528.71**	**2,480.20**	**2,682.24**
ख	**पूंजीगत कार्य प्रगति पर**		109.26	29,693.86	1,383.21	28,419.90
	उप जोड़ (ख)		**109.26**	**29,693.86**	**1,383.21**	**28,419.90**
	सकल जोड़ (क + ख)		**4,742.98**	**30,222.57**	**3,863.41**	**31,102.14**

3.1 केवल 1 रु. की बुक-वैल्यू भूमि और भवन के लिए प्राप्त अनुदान का निवल

3.2 अनारकली फूड प्लाजा शामिल, 1.4.2017 को केवल 1 रु. की बुक वैल्यू, 2017-18 के दौरान गिराया, 31.3.2018 को शून्य

3.3 मूल्यह्रास में 5000 रु. अथवा कम लागत की प्रत्येक परिसम्पत्ति के संबंध में 1.28 लाख रु. (पूर्व वर्ष 2.75 लाख रु.) 100 प्रतिशत की दर से मूल्य घटना

3.4 पेशेवर फर्म के द्वारा किए गए अध्ययन के आधार पर परिसम्पत्तियों की क्षति के संबंध में इण्ड ए. एस. - 36 के प्रावधानों के तहत 31 मार्च, 2018 को परिसम्पत्तियों की क्षति का कोई मामला नहीं है।

3.5 1839.46 लाख रु. के निवल ब्लाक वाली 4305.21 लाख रु. की लागत की परिसम्पत्तियां आई ई सी सी परियोजना के लिए गिरा दी/ सौंप दी गई थी तथा 461.07 लाख रु. की बिक्री आय के प्रति, वर्ष की लेखा पुस्तकों से निकाल दी गई थीं। 1378.39 लाख रु. की परिणामी हानि 'आय और व्यय विवरण' में 'विशेष मदों' में शामिल हैं।

3.6 सम्पत्ति संयंत्र और उपस्करों की भौतिक जांच दो वर्षों में एक बार की जाती है तथा वर्ष 2017-18 में किया जाना बाकी है। लेखा शेषों के साथ भौतिक जांच रिपोर्ट का समाधान किया जाएगा तथा इस चरण में परिणामी वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो, निश्चय नहीं है।

3.7 सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्करों पर मूल्यह्रास के लिए 'महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों' का पैरा 2.2 और 2.3 देखें।

3.8 विगत पद्धति के अनुसार लीजहोल्ड भूमि का लेखांकन नीति के आधार पर परिशोधन नहीं किया गया है।

(रु. लाख में)

मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
1.04.2017 को	वर्ष के लिए	वर्ष के दौरान बिक्री/ निपटान/ समायोजन	31.03.2018 को	31.03.2018 को	31.03.2017 को
-	-	-	-	78.76	78.76
-	-	-	-	0.00	0.00
154.23	140.64	67.26	227.61	977.64	1,418.11
9.41	5.02	9.38	5.05	379.68	24.52
19.32	9.34	14.01	14.65	26.08	40.89
-	-	-	-	-	0.00
12.28	6.13	-	18.41	141.46	147.59
6.21	6.98	-	13.19	97.07	104.04
-	-	-	-	-	0.25
348.14	134.15	439.15	43.14	17.23	1,517.93
-	-	-	-	-	0.28
11.14	5.24	0.01	16.37	22.66	22.96
-	1.17	-	1.17	5.72	5.17
2.12	1.36	1.54	1.94	6.69	13.88
8.57	3.09	-	11.66	19.15	22.24
64.97	11.09	47.90	28.17	51.98	63.59
130.24	-	-	130.24	19.69	21.26
5.95	14.11	-	20.06	13.07	15.75
40.91	24.68	-	65.58	55.89	77.97
53.66	22.63	56.48	19.81	152.41	191.39
867.14	**385.64**	**635.72**	**617.06**	**2,065.18**	**3,766.58**
-	-	-	-	28,419.90	109.26
-	**-**	**-**	**-**	**28,419.90**	**109.26**
867.14	**385.64**	**635.72**	**617.06**	**30,485.08**	**3,875.84**

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर (31 मार्च, 2018 को)

	विवरण	मियादी (वर्ष)	सकल ब्लाक			
			01.04.2016 को	वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	वर्ष के दौरान बिक्री/ निपटान/ समायोजन	31.03.2017 को
क	**सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर**					
	भूमि					
	लीज होल्ड (गाजीपुर)		78.76	-	-	78.76
	प्रगति मैदान परिसर (लीज होल्ड)		0.00	-	-	0.00
	भवन (लीज पर ली गई भूमि पर)					
	क श्रेणी	40	1,586.28	-	13.97	1,572.34
	ख श्रेणी	20	79.48	-	45.54	33.93
	ग श्रेणी	10	60.63	-	0.42	60.21
	अनारकली फूड प्लाजा ##		0.00	-	-	0.00
	भवन -फ्री होल्ड					
	आवासीय / कार्यालय फ्लैट - फ्री होल्ड	40	159.87	-	-	159.87
	संयंत्र और मशीनरी					
	सौर संस्थापना	15	36.74	73.52	-	110.26
	एयर कंडीशनिंग प्लांट	8	23.50	-	23.25	0.25
	एयर कंडीशनिंग प्लांट	15	1,916.23	-	50.15	1,866.07
	एयर कंडीशनिंग/ एयर वैंटीलेशन प्लांट #	10	1.89	-	1.61	0.28
	फर्नीचर और फिटिंग					
	फर्नीचर और फिक्सचर	10	32.59	1.68	0.17	34.10
	आग से बचाव के उपकरण एवं उपाय	10	175.27	-	170.10	5.17
	जल आपूर्ति और ड्रेनेज	10	15.56	0.44	-	16.00
	वाहन	5	31.74	-	0.93	30.81
	कार्यालय उपकरण					
	कार्यालय उपकरण/ अन्य विविध परिसम्पत्तियां	5	114.46	16.85	2.76	128.56
	दृश्य श्रव्य उपकरण	5	151.50	0.00	0.00	151.50
	कंप्यूटर और डाटा प्रोसेसिंग					
	सर्वर और नेटवर्क	6	21.70	-	-	21.70
	कंप्यूटर आदि	3	83.07	42.45	6.65	118.87
	विद्युत स्थापनाएं और फिटिंग	10	249.28	-	4.22	245.05
	उप जोड़ (क)		**4,818.54**	**134.94**	**319.77**	**4,633.71**
ख	**पूंजीगत कार्य प्रगति पर**		617.92	251.64	760.30	109.26
	उप जोड़ (ख)		**617.92**	**251.64**	**760.30**	**109.26**
	सकल जोड़ (क + ख)		**5,436.46**	**386.58**	**1,080.07**	**4,742.97**

केवल 1/- रु. की बुक-वैल्यू

i. मूल्यह्रास में 5000/- रु. अथवा कम लागत की प्रत्येक परिसम्पत्ति 2.75 लाख रु. का मूल्यह्रास शामिल है। 100 प्रतिशत की दर से मूल्य घटाना।

ii. पेशेवर फर्म के द्वारा किए गए अध्ययन के आधार पर परिसम्पत्तियों की क्षति के संबंध में इण्ड ए. एस. 36 के प्रावधानों के तहत 31 मार्च, 2017 को परिसम्पत्तियों की क्षति का कोई मामला नहीं है।

iii. 236.63 लाख रु. के निवल ब्लाक वाली 593.94 लाख रु. की लागत की परिसम्पत्तियां आई ई सी सी परियोजना के लिए गिरा दी/ सौंप दी गई थी ताकि 209.34 लाख रु. की बिक्री आय के प्रति वर्ष की लेखा-पुस्तकों से निकाल दी गई थी। 27.29 लाख रु. की परिणामी हानि 'आय और व्यय विवरण' में शामिल है।

(रु. लाख में)

मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
01.04.2016 को	वर्ष के लिए	वर्ष के दौरान बिक्री/ निपटान/ समायोजन	31.03.2017 को	31.03.2018 को	31.03.2016 को
-	-	-	-	78.76	78.76
-	-	-	-	0.00	0.00
78.34	78.31	2.43	154.23	1,418.11	1,507.94
8.54	8.26	7.39	9.41	24.52	70.94
9.66	9.66	-	19.32	40.89	50.97
-	-	-	-	0.00	0.00
6.15	6.13	-	12.28	147.59	153.73
0.78	5.43	-	6.21	104.05	35.96
4.18	4.18	8.36	-	0.25	19.32
178.01	177.86	7.73	348.14	1,517.93	1,738.22
-	-	-	-	0.28	1.89
5.72	5.46	0.04	11.14	22.96	26.87
22.99	22.99	45.98	-	5.17	152.28
0.70	1.42	-	2.12	13.88	14.86
4.17	4.40	-	8.57	22.24	27.57
50.60	14.95	0.58	64.97	63.59	63.86
65.16	65.08	-	130.24	21.26	86.34
3.53	2.42	-	5.95	15.75	18.17
20.76	21.58	1.43	40.91	77.96	62.31
26.51	27.89	0.74	53.66	191.39	222.77
485.80	**456.02**	**74.68**	**867.14**	**3,766.58**	**4,332.76**
-	-	-	-	109.26	617.92
-	-	-	-	**109.26**	**617.92**
485.80	**456.02**	**74.68**	**867.14**	**3,875.84**	**4,950.67**

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

4. अन्य अमूर्त परिसम्पत्तियां (31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार)

(रु. लाख में)

विवरण	सकल ब्लाक					परिशोधन				निवल ब्लॉक	
	मियादी (वर्ष)	01.04.2017 को	वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	वर्ष के दौरान बिक्री/ निपटान/ समायोजन	31.03.2018 को	01.04.2017 को	वर्ष के लिए	वर्ष के दौरान बिक्री/ निपटान/ समायोजन	31.03.2018 को	31.03.2018 को	31.03.2017 को
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	3	0.79	64.09	-	64.88	0.26	21.64	-	21.90	42.99	0.53
वेबसाइट	3	20.41	-	-	20.41	6.80	6.80	-	13.60	6.80	13.61
कुल		**21.20**	**64.09**	-	85.28	**7.06**	**28.44**	-	**35.50**	**49.79**	**14.14**

अन्य अमूर्त परिसम्पत्तियां (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार)

(रु. लाख में)

विवरण	सकल ब्लाक					परिशोधन				निवल ब्लॉक	
	मियादी (वर्ष)	01.04.2016 को	वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	वर्ष के दौरान बिक्री/ निपटान/ समायोजन	31.03.2017 को	01.04.2016 को	वर्ष के लिए	वर्ष के दौरान बिक्री/ निपटान/ समायोजन	31.03.2017 को	31.03.2017 को	31.03.2016 को
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	3	-	0.79	-	0.79	-	0.26	-	0.26	0.53	-
वेबसाइट	3	-	20.41	-	20.41	-	6.80	-	6.80	13.61	-
कुल		-	**21.20**	-	21.20	-	**7.06**	-	**7.06**	**14.14**	-

5. अनुषंगी कम्पनियों और संयुक्त उद्यम में निवेश (कीमत लागत पर, जब तक अन्यथा न कहा हो)

(रु. लाख में)

			31 मार्च, 2018 को		31 मार्च, 2017 को
	इक्विटी शेयरों में निवेश-अन-उद्धृत (पूर्णत: प्रदत्त-जब तक अन्यथा बताया न हो, लागत पर)				
	अनुषंगी कंपनी				
	तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (टी एन टी पी ओ) में प्रत्येक 1000/- रु. के 51 (51) इक्विटी शेयर)	0.51		0.51	
	कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (के टी पी ओ) में प्रत्येक 1000/- रु. के 1,02,000 (1,02,000) इक्विटी शेयर)	1,020.00	1,020.51	1,020.00	1,020.51
	संयुक्त उद्यम कम्पनी				
	राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंन्द्र (एन सी टी आई) में 100/- प्रत्येक के 2,00,000 (2,00,000) इक्विटी शेयर	200.00		200.00	
	(कमी) : क्षति हानि के लिए प्रावधान	(47.42)	152.58	33.89	166.11
	अन्य				
	- टी एन टी पी ओ को ब्याज मुक्त ऋण की उचित मूल्य और लेन देन मूल्य का अंतर		-		9.80
			1,173.09		**1,196.42**
5.1	अनुषंगी कम्पनियों और संयुक्त उद्यम के बारे में सूचना				
	संयुक्त उद्यम में निवेश :				
	कम्पनी का नाम	**निगमनों का देश**	**मुख्यस गतिविधियां**	**शेयर होल्डिंग का अनुपात (%)**	
				31.03.2018	**31.03.2017**
	तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन	भारत	व्यापार संवर्धन	51%	51%
	कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन	भारत	व्यापार संवर्धन	51%	51%
	संयुक्त उद्यम में निवेश :				
	कम्पनी का नाम	निगमनों का देश	मुख्य गतिविधियां	शेयर होल्डिंग का अनुपात (%)	
				31.03.2018	**31.03.2017**
	राष्ट्रीय व्यापार सूचना केन्द्र	भारत	व्यापार सूचना	50%	50%
5.2	अनुषंगी कम्पनियों और संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेशों को 'पृथक वित्तीय विवरणों' पर इण्ड ए. एस. 27 के प्रावधानों के अनुसार लागत पर निर्धारित किया जाता है।				

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

6. निवेश

(रु. लाख में)

			31 मार्च 2018 को		31 मार्च 2017 को
	इक्विटी शेयरों में अन-उद्धृत पूर्णत: प्रदत्त				
	(अन्य विस्तृत आय द्वारा उचित मूल्य पर)				
	सी-ग्लिम्पस को-आपरेटिव सोसाइटी मुम्बई में कुल 250/-रु. के 50/-रु. प्रत्येक के 5 शेयर		-		-
	(i) अन-उद्धृत निवेशों की कुल राशि		-		-
	(ii) निवेशों के मूल्य में कमी की कुल राशि		-		-

7. ऋण (अच्छा माना गया)

(रु. लाख में)

			31 मार्च, 2018 को		31 मार्च 2017 को
	अनुषंगी कम्पनी के टी पी ओ को ऋण (टिप्पणी 14.1 देखें)				
	असुरक्षित		-		773.77
	कर्मचारियों को ऋण (ब्याज सहित)(देखें टिप्पणी 7.1)				
	सुरक्षित	475.93		376.45	
	असुरक्षित	45.29	521.22	242.45	618.90
			521.22		**1,392.67**
7.1	कर्मचारियों के ऋण में शामिल :				
	निदेशकों की ओर बकाया		-		-
	ऋण के रूप में अधिकारियों की ओर बकाया		18.49		24.79

8. गैर चालू कर परिसम्पत्तियां (असुरक्षित)

(रु. लाख में)

			31 मार्च, 2018 को		31 मार्च 2017 को
	आयकर/टी डी एस वसूली योग्य (टिप्पणी 31.4 ख देखें)				
	अच्छी मानी गई		20,561.01		18,167.19
	संदिग्ध मानी गई	426.00		427.65	
	(कमी) : संदिग्ध टी डी एस के लिए प्रावधान	(426.00)	-	(427.65)	-
			20,561.01		**18,167.19**

9. अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां

(रु. लाख में)

			31 मार्च, 2018 को		31 मार्च 2017 को
	पूंजीगत अग्रिम				
	सुरक्षित (एन बी सी सी की कारपोरेट गारंटी पर)	10,000.00		10,003.19	
	असुरक्षित	22,030.97	32,030.97	4,356.39	14,359.58
	विविध जमा				
	असुरक्षित, अच्छी मानी गई	1,154.82		162.25	
	असुरक्षित संदिग्ध मानी गई	-		11.32	
	(कमी) : संदिग्ध विविध जमा के लिए प्रावधान	-	1,154.82	(11.32)	162.25
	वसूली योग्य सेवा कर संदर्भ (टिप्पणी 31.8 देखें)		1,017.96		1,543.23
	आस्थगित नामावली व्यय		115.03		139.58
			34,318.78		**16,204.64**

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

10. निवेश

(रु. लाख में)

			31 मार्च, 2018 को		31 मार्च 2017 को
	म्युचल फण्ड में निवेश - उद्धृत				
	(आय और व्यय के जरिए उचित कीमत पर निर्धारित)				
	यू. टी. आई. बैलेंस्ड फण्ड डिवीडेंट रिइन्वेस्टमेंट स्कीम में 10/- 10/- रुपए प्रत्येक की 2,70,169 (2,40,157) यूनिटें		78.75		72.40
			78.75		**72.40**
	(i) उद्धृत निवेशों और बाजार मूल्यों की कुल राशि		78.75		72.40
	(ii) निवेशों के मूल्यों में कमी की कुल राशि		-		-

11. व्यापार प्राप्य

(रु. लाख में)

			31 मार्च, 2018 को		31 मार्च 2017 को
	असुरक्षित संदिग्ध माने गए (टिप्पणी 11.2 देखें)		936.18		870.26
	असुरक्षित संदिग्ध माने गए (टिप्पणी 11.2 देखें)	1,238.87		1,443.25	
	(कमी): संदिग्ध व्यापार प्राप्यों के लिए प्रावधान	(1,238.87)	-	(1,443.25)	-
			936.18		**870.26**
11.1	वर्तमान प्राप्य अल्प स्वरूप के होने की वजह से उनकी निर्धारण राशि उनके उचित मूल्य की भांति मानी है।				
11.2	व्यापार प्राप्यों में एन सी टी आई, संयुक्त उद्यम कम्पनी की ओर बकाया 54.48 लाख रु. (पूर्व वर्ष 54.48 लाख रु.) की राशि शामिल हैं।				

12. नकदी एवं नकदी समतूल्य

(रु. लाख में)

			31 मार्च, 2018 को		31 मार्च 2017 को
	बैंक में चालू/ बचत खाते में शेष (टिप्पणी 12.1 देखें)		3,676.15		3,562.22
	अपने पास रखे ड्राफ्ट/ चैंक		28.08		3.18
	पास में नकदी		4.81		5.07
	डाक टिकट अग्रिम		0.12		1.03
			3,709.16		**3,571.50**
12.1	बैंकों में शेष में विदेशी बैंकों में पड़े 8.66 लाख रु. (पूर्व वर्ष 8.39 लाख) शामिल हैं, जिनकी विधिवत पुष्टि की है।				
12.2	रिपोर्टिंग अवधि के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है।				

13. नकदी और नकदी समतुल्य के अलावा

(रु. लाख में)

			31 मार्च, 2018 को		31 मार्च 2017 को
	बैंक शेष बैंकों में 3 महीने लेकिन 12 महीने तक मूल परिपक्व सावधि जमा		90,101.00		143,599.99
			90,101.00		**143,599.99**

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

14. ऋण

(रु. लाख में)

			31 मार्च, 2018 को		31 मार्च 2017 को
	अनुषंगी कम्पनियों को ऋण (असुरक्षित, अच्छे माने गए)				
	टी एन टी पी ओ को ऋण	0.03		99.04	
	के टी पी ओ को ऋण (टिप्पणी 14.1 देखें)	773.80	773.83	1.21	100.25
	कर्मचारियों को ऋण (ब्याज सहित) (टिप्पणी 14.2 देखें)				
	सुरक्षित, अच्छे माने गए	103.94		150.71	
	असुरक्षित, अच्छे माने गए	2,075.50	2,179.44	1,751.20	1,901.91
			2,953.27		**2,002.16**
14.1	पहले प्राप्त किया गया ऋण				
14.2	कर्मचारियों के लिए ऋण में निम्नलिखित की ओर बकाया राशि शामिल :				
	निदेशकों/ पूर्व निदेशकों की ओर बकाया		0.01		0.86
	ऋण के रूप में अधिकारियों की ओर बकाया		7.55		5.49

15. अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां (असुरक्षित)

(रु. लाख में)

			31 मार्च, 2018 को		31 मार्च 2017 को
	भारत सरकार से वसूली योग्य अनुदान				
	अच्छी मानी गई	711.35		237.49	
	संदिग्ध मानी गई	21.47		1.48	
	(कमी) : अनुदान की संदिग्ध अनुदान के लिए प्रावधान	(21.47)	711.35	(1.48)	237.49
	अंत: कारपोरेट जमा (एन बी एफ सी के रखे)		26,800.00		7,500.00
	विदेशों में भारतीय मिशनों की ओर बकाया		7.86		1.09
	बचत बैंक लेखों/ जमाओं पर ब्याज		3,145.81		4,547.71
	डिपाजिट (जमा) कार्यों के बारे में पक्षकारों की ओर देय				
	अच्छी मानी गई	50.02		40.50	
	संदिग्ध मानी गई	41.73		41.73	
	(कमी): संदिग्ध बकाया के लिए प्रावधान	(41.73)	50.02	(41.73)	40.50
			30,715.04		**12,326.79**

16. अन्य चालू परिसम्पत्तियां

(रु. लाख में)

			31 मार्च, 2018 को		31 मार्च 2017 को
	विक्रेताओं को अग्रिम (असुरक्षित)				
	अच्छी मानी गई	558.30		745.13	
	संदिग्ध मानी गई	249.64		119.33	
	(कमी): संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	(249.64)	558.30	(119.33)	745.13
	विविध जमा (असुरक्षित)				
	अच्छी मानी गई	163.20		101.82	
	संदिग्ध मानी गई	13.68		2.36	
	(कमी): संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	(13.68)	163.20	(2.36)	101.82
	अन्य				
	जी एस टी क्रेडिट	506.94		-	
	पूर्व प्रदत्त व्यय	14.89		28.38	
	आस्थगित नामावली व्यय	19.71		23.63	
	उपभोज्य वस्तुएं (लागत मूल्यांकित)	1.17	542.71	3.16	55.17
			1,264.21		**902.12**

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

17. इक्विटी शेयर पूंजी

(रु. लाख में)

		31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
	प्राधिकृत		
	100-100/- रु. के 50,000 (50,000) इक्विटी शेयर	50.00	50.00
	निर्गम, अभिदत्त और पूर्णत: प्रदत्त		
	100-100/- रु. के पूर्णत: प्रदत्त 25,000 (25,000) इक्विटी शेयर	25.00	25.00
		25.00	**25.00**

17.1 **बकाया शेयरों का मिलान**

	31 मार्च, 2018 को		31 मार्च, 2017 को	
	शेयरों की संख्या	(रु. लाख में)	शेयरों की संख्या	(रु. लाख में)
वर्ष के शुरू में बकाया इक्विटी शेयर	25,000	25.00	25,000	25.00
जोड़ : अवधि के दौरान निर्गम	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया इक्विटी शेयर	**25,000**	**25.00**	**25,000**	**25.00**

17.2 **इक्विटी शेयर की अवधि / सम्बद्ध अधिकार**

कम्पनी के केवल एक प्रकार के इक्विटी शेयर हैं, जिनका प्रति शेयर समतुल्य मूल्य 100 रु. है। प्रत्येक इक्विटी शेयर धारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार होता है। चूंकि कम्पनी, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (अब कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 8) के तहत निगमित है, इसलिए कम्पनी के अधिशेष, यदि कोई हो, अथवा अन्य आय को अपने सदस्यों को लाभांश, बोनस शेयर अथवा अन्यथा वितरित करने पर प्रतिबंध है।

कम्पनी को बंद करने अथवा विघटित करने की स्थिति में समस्त ऋणों और देयताओं तथा सरकार की मूल पूंजी लौटाने के बाद यदि कोई संपत्ति जो भी हो, रहती है, तो यह कम्पनी के सदस्यों के बीच में बांटी नहीं जाएगी, अपितु उसे ऐसी अन्य कम्पनी को दी अथवा अंतरित कर दी जाएगी, जो इस कम्पनी की भांति उद्देश्य वाली हो। इसका निर्धारण कम्पनी के सदस्यों के द्वारा कम्पनी के विघटन के समय पर अथवा इससे पहले किया जाएगा, अथवा इसमें चूक होने की स्थिति में उच्च न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है, अथवा मामले में न्यायालय से निर्णय आदेश प्राप्त किया जा सकता है।

17.3 **कंपनी के 5 प्रतिशत से अधिक शेयर धारण करने वाले शेयर धारकों का विवरण**

	31 मार्च 2018 को		31 मार्च 2017 को	
	शेयरों की संख्या	%	शेयरों की संख्या	%
भारत सरकार को पूर्ण प्रदत्त 100-100 रु. के इक्विटी शेयर (नामिती शेयरधारकों के द्वारा रखे 2 शेयर)	25,000	100	25,000	100

18. अन्य इक्विटी

(रु. लाख में)

	31 मार्च 2018 को		31 मार्च 2017 को	
पूंजीगत रिजर्व				
अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए प्रवर्तक का अंशदान (टिप्पणी 18.1 देखें)	4,965.62		4,965.62	
(कमी): धारित आय का अंतरण	(4,965.62)	-	-	4,965.62
के टी पी ओ में निवेश के लिए प्रवर्तक का अंशदान (टिप्पणी 18.2 देखें)	1,325.22		1,325.22	
(कमी): धारित आय का अंतरण	(305.22)	1,020.00	-	1,325.22
अन्य (टिप्पणी 18.3 देखें)		18.10		18.10
धारित आय				
पिछले लेखे के अनुसार	176,623.06		159,731.25	
जोड़ें : पूंजीगत रिजर्व से अंतरण	5,270.84		-	
जोड़ें : वर्ष का अधिशेष	13,462.11		17,110.02	
जोड़ें : सुनिश्चित लाभ का पुन: निर्धारण लाभ/ (हानि)	6.81	195,362.81	(218.21)	176,623.06
कुल		**196,400.91**		**182,932.00**

18.1 प्रगति मैदान परिसर में अवसंरचनात्मक सुविधाओं का सृजन करने के लिए पहले वर्षों में प्राप्त किए गए प्रवर्तक अनुदान को धारित आय में अंतरित कर दिया गया है क्योंकि जारी आई ई सी सी परियोजना की वजह से संगत परिसम्पत्तियां अधिकांशत: गिरा दी गई हैं।

18.2 के टी पी ओ की ओर गौण ऋणों की जुलाई, 2018 में वसूली कर ली गई थी, परिणामत: प्रवर्तक के अंशदान की 305.22 लाख रु. की राशि को धारित आय में हस्तांतरित कर दिया गया है।

18.3 पहले वर्षों में धारक कंपनी के साथ मिलाए गए संगठनों की देयताओं पर परिसंपत्तियों की अधिकता को दर्शाता है।

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

19. गैर - चालू प्रावधान

(रु. लाख में)

			31 मार्च 2018 को		31 मार्च 2017 को
	कर्मचारियों के लाभों के लिए प्रावधान				
	छुट्टी नकदीकरण (देखें टिप्पणी 31.10)		2,191.69		2,417.57
			2,191.69		**2,417.57**

20. अन्य गैर - चालू देयताएं

(रु. लाख में)

			31 मार्च 2018 को		31 मार्च 2017 को
	ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम		815.65		853.54
			815.65		**853.54**

21. व्यापार भुगतान

(रु. लाख में)

			31 मार्च 2018 को		31 मार्च 2017 को
	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का बकाया कुल राशि (टिप्पणी 21.1 देखें)		-		-
	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अलावा साहूकारों की कुल बकाया राशि		1,698.93		2,007.86
			1,698.93		**2,007.86**
21.1	ऐसा कोई सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम नहीं है, जिसको कंपनी की 31.03.2018 की देनदारी है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत प्रकट की जाने वाली यथा अपेक्षित यह सूचना कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर निर्धारित की गई है।				

22. अन्य वित्तीय देयताएं

(रु. लाख में)

			31 मार्च 2018 को		31 मार्च 2017 को
	देय कर्मचारी लाभ		169.27		143.14
	प्रतिभूति जमा		1,008.13		1,053.65
	ग्राहकों की ओर बकाया		2,022.44		2,383.43
	अन्य बकाया		759.10		567.98
			3,958.94		**4,148.20**

23. अन्य चालू देयताएं

(रु. लाख में)

			31 मार्च 2018 को		31 मार्च 2017 को
	ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम		2,519.81		2,695.28
	सांविधिक देयताएं		1,034.20		768.62
			3,554.01		**3,463.90**

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

24. चालू प्रावधान

(रु. लाख में)

			31 मार्च 2018 को		31 मार्च 2017 को
	कर्मचारियों के हित लाभ के लिए प्रावधान				
	- ग्रेच्युटी (टिप्पणी 31.10 देखें)	1,734.56		1,605.98	
	- छुट्टी नकदीकरण (टिप्पणी 31.10 देखें)	366.07		290.72	
	- वेतन से संबंधित निष्पादन (टिप्पणी 24.1 देखें)	3,264.00		3,264.00	
	- पेंशन फण्ड	725.26		2,631.14	
	- वेतन संशोधन	2,022.00	8,111.89	442.00	8,233.84
	अन्य				
	- आकस्मिक प्रभारों के रिफंड का प्रावधान		109.56		114.21
			8,221.45		**8,348.05**

प्रावधानों की प्रवृत्ति :

विवरण	30 अप्रैल 2017 को	वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	31 मार्च 2018 को
योग्यता के आधार पर भुगतान	3,264.00	-	-	3,264.00
पेंशन फण्ड	2,631.14	(2,041.69)	135.81	725.26
वेतन संशोधन	442.00	-	1,580.00	2,022.00

24.1 द्वितीय वेतन संशोधन आयोग के अनुसार वेतनमानों में संशोधन के बारे में निष्पादन संबंधी वेतन (पी आर पी) के प्रति 3,264.00 लाख रु. (पूर्ववर्ती वर्ष: 3,264.00 लाख रु.) का प्रावधान लोक उद्यम विभाग (डी पी ई) के दिशा-निर्देशों के अनुसार 1.4.2007 से 31.3.2017 के दौरान कंपनी के द्वारा किया गया है। सक्षम प्राधिकारी से पी आर पी का अनुमोदन लंबित रहते हुए 1574.49 लाख रु. (पूर्ववर्ती वर्ष 1569.92 लाख रु.) की राशि के तदर्थ भुगतान, सेवा-निवृत्त कर्मचारियों से निवल वसूली राशि सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार अग्रिम का रिफण्ड/ समायोजन करने के लिए कर्मचारियों हेतु जारी की।

जारी आई ई सी सी परियोजना में व्यय किए जाने वाली बड़ी राशि को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2017-18 के लिए पी आर पी ब्याज मुक्त अग्रिम सक्षम प्राधिकारी के विचाराधीन नहीं है। इसलिए कंपनी ने वर्ष 2017-18 के लिए पी आर पी के प्रति कोई प्रावधान नहीं किया है।

25. प्रचालनों से राजस्व

(रु. लाख में)

			31.03.2018 को समाप्त वर्ष		31.03.2017 को समाप्त वर्ष
	सेवाओं की बिक्री				
	स्थान का किराया	21,220.60		23,197.77	
	सरकार से राजस्व अनुदान	1,295.72		621.85	
	बिजली व पानी प्रभारों की वसूली	1,064.25		1,069.16	
	अन्य सेवाओं से वसूली	253.80		364.62	
	होर्डिंग	298.04		228.04	
	ब्राण्डिंग/ प्रायोजकता	3.27	24,135.68	119.24	25,600.68
	अन्य प्रचालन राजस्व				
	प्रवेश टिकट/ सीजनल पास की बिक्री	517.85		641.09	
	अंशदान शुल्क	34.55		9.48	
	विज्ञापन (प्रकाशन)	57.14		57.48	
	प्रकाशनों की बिक्री	2.77	612.31	5.60	713.65
			24,747.99		**26,314.33**

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

26. अन्य आय

(रु. लाख में)

		31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए	
	निम्नलिखित से ब्याज आय				
	- बैंक जमा और बचत बैंक लेखे	8,359.20		11,124.28	
	- अंत: कारपोरेट जमा	1,630.56		603.83	
	- कर्मचारियों को ऋण	76.41		90.66	
	- अन्य	1.95	10,068.12	1.38	11,820.15
	म्युचुअल फण्ड से लाभांश		9.23		5.59
	किराया (टिप्पणी 31.2 देखें)		267.15		196.85
	अन्य गैर-प्रचालनीय आय				
	परिसंपत्तियों संयंत्र और उपस्कर की बिक्री पर लाभ/ हानि	54.68		(27.98)	
	देयताएं/ प्रावधान अधिक समय तक अपेक्षित नहीं, पहले लिखे गए	172.00		141.98	
	विविध आय (टिप्पणी 26.1 देखें)	635.80	862.48	555.47	669.47
			11,206.98		**12,692.06**
26.1	तृतीय पक्षकार संगठनों के द्वारा मेलों को निरस्त कर देने की वजह से 0.40 लाख रु. (31.3.2018 तक संचयी - 773.13 लाख रु.) के अमान्य जुर्माने को आय के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है और जब कभी राशि की वसूली की जाएगी/ समायोजित की जाएगी, तब उसे इण्ड ए. एस. - 18 के अनुसार लेखे में लिया जाएगा।				

27. कर्मचारी लाभ व्यय

(रु. लाख में)

		31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए	
	वेतन और मजदूरी				
	वेतन, मजदूरी व भत्ते (टिप्पणी 27.1 देखें)	5,572.50		5,800.37	
	अन्य परिलब्धियां एवं भत्ते	978.78		1,027.43	
	निष्पादन संबद्ध वेतन (टिप्पणी 24.1 देखें)	-		184.00	
	वेतन संशोधन के लिए प्रावधान (टिप्पणी 27.2 देखें)	1,580.00	8,131.28	442.00	7,453.80
	भविष्य निधि एवं अन्य निधियों के लिए अंशदान				
	भविष्य निधि के लिए अंशदान (टिप्पणी 31.10 देखें)	567.22		569.83	
	पेंशन के लिए अंशदान (टिप्पणी 31.10 देखें)	451.65		306.14	
	ग्रेच्युटी (देखें टिप्पणी 31.10)	332.69		1,387.85	
	छुट्टी नकदीकरण (टिप्पणी 31.10 देखें)	462.70		790.99	
	अन्य निधियों के लिए अंशदान	10.39	1,824.65	10.88	3,065.69
	कर्मचारी कल्याण व्यय				
	चिकित्सा व्यय	381.44		333.89	
	मृतक कर्मचारियों के लिए मुआवजा	133.66		102.56	
	अन्य कर्मचारी कल्याण व्यय	130.28	645.38	151.76	588.21
			10,601.31		**11,107.70**
27.1	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत अनुग्रह राशि की वजह से 17.59 लाख रु. (पूर्ववर्ती वर्ष 106.76 लाख रु.) शामिल।				
27.2	दिनांक 3.8.2017 और 4.8.2017 के कार्यालय ज्ञापन के द्वारा डी पी ई के दिशा-निर्देशों के अनुसार तथा आई टी पी ओ के दिनांक 5.6.2018 और 2.7.2018 के कार्यालय आदेश के अनुसार।				

28. मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय

(रु. लाख में)

	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए	
संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर पर मूल्यह्रास		385.63		456.02
अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन		28.43		7.07
		414.06		**463.09**

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

29. अन्य व्यय

(रु. लाख में)

			31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
	सेवाओं की बिक्री संबंधी व्यय				
	भागीदारी शुल्क		1,885.33		2,001.96
	विनिर्माण एवं आंतरिक सजावट		2,118.65		1,361.70
	प्रचार		485.51		559.07
	मालभाड़ा, पैकिंग व हैंडलिंग		48.92		38.26
	सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं फैशन शो		25.34		8.20
	इंटरप्रेटर का वेतन		59.22		15.92
	यात्रा एवं वाहन खनिदेशकों के बारे में 30.69 लाख रु. (पूर्ववर्ती वर्ष 16.25 लाख रु.) शामिल		320.67		290.01
	विदेशी शिष्टमंडल		15.40		6.50
	विनिमय अंतर (निवल)		0.33		38.31
	अन्य प्रचालन व्यय				
	विज्ञापन व्यय		53.04		50.49
	मनोरंजन [निदेशकों के माध्यम से रु. 1.20 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष में रु. 0.93 लाख) शामिल]		50.37		42.56
	कमीशन		97.86		234.62
	विद्युत प्रभार		1,214.19		1,338.52
	पानी प्रभार		278.68		335.27
	प्रगति मैदान का रख-रखाव				
	- सिविल (भवनों की मरम्मत हेतु पूर्ववर्ती वर्ष में 5.54 लाख रु.)	149.40		213.35	
	- विद्युत	768.52		785.34	
	- बागवानी	85.99		134.96	
	- कन्जर्वेन्सी व्यवस्था	254.28	1,258.19	319.73	1,453.38
	वाहनों का रखरखाव	29.03		32.21	
	(कमी) : वसूलियां	(0.08)	28.95	(0.09)	32.12
	अन्य प्रशासनिक व्यय				
	मरम्मत, नवीकरण और रख-रखाव		181.44		586.13
	सुरक्षा व्यय		691.03		720.22
	डाक, टेलीग्राम और टेलीफोन		41.87		50.28
	बीमा		9.17		5.90
	विधिक व व्यावसायिक प्रभार		50.94		128.80
	सेमिनार और प्रशिक्षण		13.35		13.51
	पुस्तकें और पत्रिकाएं		19.33		19.08
	प्रिंटिंग और स्टेशनरी		67.58		88.51
	कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (टिप्पणी 31.13 देखें)		333.67		292.75
	दरें और कर	324.45		243.86	
	(घटाएं) : वसूलियां	(3.26)	321.19	(9.14)	234.72
	किराया	31.37		10.66	
	(घटाएं) : वसूलियां	(1.40)	29.97	(1.40)	9.26
	म्युचुअल फण्ड पर फेयर वैल्यू हानि/ लाभ		2.88		(8.37)
	विलंबित करों/ अनुदानों पर प्रदत्त ब्याज		2.83		15.30
	जे. वी. में निवेशों पर क्षति हानि हेतु प्रावधान		13.53		33.89
	प्रावधान/ बट्टे खाते में डालना		136.65		148.31
	निदेशकों का बैठक शुल्क		2.20		1.30
	लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक				
	- लेखा परीक्षा शुल्क	4.00		5.00	
	- कर लेखा-परीक्षा शुल्क	1.00	5.00	1.00	6.00
	अन्य विविध व्यय		235.82		173.11
			10,099.10		**10,325.59**

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

30. आपवादिक मदें

(रु. लाख में)

		31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
	आई ई सी सी परियोजना के लिए भवन गिराने पर हानि / लाभ (टिप्पणी 3.5 देखें)	(1,378.39)		-
		(1,378.39)		**-**

31. 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों का भाग बनाने वाली अन्य टिप्पणियां

(रु. लाख में)

			31 मार्च, 2018 को		31 मार्च, 2017 को
31.1	**आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं**				
	आकस्मिक देयताएं (देखें टिप्पणी 31.1.1) कंपनी के प्रति दावे, जो ऋणों के रूप में स्वीकार न किए गए - विवादित देयता जो निम्नलिखित के लिए अपील में विभिन्न वर्षों वे लेखों में व्यय के रूप में समायोजित नहीं :				
	आयकर (टिप्पणी 31.4 भी देखें)	182.81		185.89	
	सेवा कर (881.31 लाख रु. जमा की गई राशि)	1,022.45		1,022.45	
	कर्मचारी भविष्य निधि (100 लाख रु. की जमा की गई राशि)	1,695.57		1,695.57	
	मनोरंजन कर	415.18		398.01	
	ई एस आई	228.81	3,544.82	-	3,301.92
	अन्य - जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है		2,310.00		2,146.84
			5,854.82		**5,448.76**
	पूंजीगत प्रतिबद्धताएं				
	पूंजीगत लेखे पर निष्पादित किए जाने के लिए शेष ठेकों की अनुमानित राशि पर उपलब्ध न करायी (निवल अग्रिम)		**210,756.63**		**1,531.50**

31.1.1 कंपनी इन मांगों का विरोध कर रही है और प्रबंधन तथा इसके सलाहकारों का यह मत है कि यह मांगे अपीलीय स्तर पर बढ़ावा देने योग्य नहीं हो सकती हैं। प्रबंधन का यह यकीन है कि इन कार्रवाइयों के अंतत: परिणाम का कंपनी की वित्तीय स्थिति और प्रचालनों के परिणामों पर कोई वास्तविक प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा। उपर्युक्त आकस्मिक देयताओं के बारे में कंपनी किसी प्रतिपूर्ति की उम्मीद नहीं करती है और सक्षम प्राधिकारियों के निर्णयों के लंबित रहते हुए इन मामलों के बारे में नकद प्रभावों, यदि कोई हो, की समय अवधि का अनुमान लगाना व्यावहारिक नहीं है।

31.2 **एन एस सी और क्राफ्ट म्यूजियम**

भूमि और विकास कार्यालय (एल ऐण्ड डी ओ), शहरी विकास मंत्रालय ने 7 मार्च, 2011 को 99 वर्षों के स्थायी पट्टे पर कंपनी को प्रगति मैदान परिसर के लिए 123.51 एकड़ भूमि पट्टे पर दी है, जिसमें से 7.2623 एकड़ का संयुक्त क्षेत्रफल बिना पट्टा करार के दो सरकारी विभागों अर्थात् शिल्प संग्रहालय और राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र के कब्जे में है। 9,982.57 लाख रु. (पूर्ववर्ती वर्ष 9,335.99 लाख रु.) का संचयी किराया नहीं दिया जा रहा है और उनके द्वारा विरोध किया जा रहा है।

इसकी वसूली होने की अनिश्चितता के दृष्टिकोण से किराया आय इण्ड ए. एस. - 18 के अनुसार मान्य नहीं है। इसके अलावा, एल ऐण्ड डी ओ को भुगतान किए गए वार्षिक ग्राउण्ड किराए संबंधी व्यय को कंपनी के द्वारा वहन किया जाता है क्योंकि संपूर्ण क्षेत्र का पट्टा विलेख कंपनी के नाम है।

31.3 प्रबंधन के मतानुसार, संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के अलावा अन्य परिसम्पत्ति की कीमत कारोबार की साधारण अवधि की वसूली होने पर उस कीमत से कम नहीं होगी जिस कीमत के बारे में तुलन-पत्र में इनमें बताया है।

31.4 **आयकर मामले**

क. आयकर की छूट

आयकर महानिदेशक (छूट) ने 1.4.2008 से प्रभावी आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2 (15) के संशोधित परंतुक के अनुसार आकलन वर्ष 2009-10 से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23)(ग) (iv) के तहत आई टी पी ओ को प्रदान की गई आयकर छूट को वापस ले लिया था।

कंपनी ने माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के समक्ष छूट की वापसी का विरोध किया था और दिनांक 22.1.2015 को उनके पक्ष में निर्णय प्राप्त हुआ और तदनुसार, आयकर मुख्य आयुक्त (छूट) ने दिनांक 2.3.2015 के आदेश के द्वारा आकलन वर्ष 2009-10 के बाद से पूर्वोक्त आयकर छूट को बहाल किया।

आयकर विभाग ने माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के आदेश के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष वर्ष 2017 की विशेष अनुमति याचिका एस एल पी (सी) सं. 9284 दायर की है। माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के द्वारा पारित निर्णय के बारे में अंतरिम राहत/ स्थगन के लिए आयकर विभाग की प्रार्थना को माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था और मामले को ऐसे ही मामलों पर माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित अन्य एस एल पी के साथ जोड़ दिया गया है और सुनवाई की तारीख अभी निर्धारित की जानी है।

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

यद्यपि, छूट का मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित है, परंतु प्रबंधन का मत है कि आयकर छूट को चूंकि माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के द्वारा बहाल कर दिया गया है, इसलिए आकलन वर्ष 2009-10 के बाद से आयकर ब्याज और दण्ड के लिए कोई प्रावधान करना जरूरी नहीं समझा है।

ख. आयकर की मांग

मध्यवर्ती समय अवधि के दौरान आयकर विभाग ने धारा 10(23)(ग)(iv) के तहत छूट को अस्वीकार करते हुए आकलन वर्ष 2009-10 से 2011-12 के लिए आदेश पारित किए और 15,589.86 लाख रु. की मांग की, जिसके प्रति 1319.00 लाख रु. विरोध के तहत जमा कर दिए गए थे। इसके अलावा, विभाग के द्वारा आकलन वर्ष 2015-16 तक 11,467 लाख रु. की टी डी एस रिफण्ड रोक दिए गए हैं। आकलन वर्ष 2009-10 से 2011-12 के लिए आयकर विभाग द्वारा उठायी गई मांगों के विरुद्ध सी आई टी (अपील) के पास कंपनी के द्वारा दायर की गई अपीलों के बारे में कंपनी के पक्ष में निर्णय दिए गए, जिसके विरुद्ध आयकर विभाग ने आयकर अपीलीय अधिकरण (आई टी ए टी) दिल्ली में अपील दायर की है।

कंपनी ने भुगतान किए गए 11,467.00 लाख रु. और 1319.00 लाख रु. के टी डी एस रिफण्ड (कुल 12786.00 लाख रु.) टिप्पणी 8 में 'आयकर वसूलनीय' शीर्ष के अंतर्गत लेखों में दर्शाए गए हैं और 426.00 लाख रु. के सिवाय उनको 31.3.2018 को वसूली के लिए अच्छे माने गए हैं।

31.5 **आस्थगित कर परिसंपत्ति /देयता**

माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के आदेश के अनुसार आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) (iv) के तहत छूट दिए जाने के लिए नियत आई टी पी ओ की आय के दृष्टिगत और प्रबंधन के मतानुसार आयकर विभाग द्वारा दायर एस एल पी के बारे में उनके हक में फैसला होने की संभावना है, इसलिए आस्थगित कर परिसंपत्तियों/ देयताओं को मान्यता नहीं दी गई है।

31.6 **शेष राशियों की पुष्टि**

व्यापार प्राप्य, ऋण और अग्रिमों, व्यापार संबंधी देयताओं और अन्य पक्षकारों आदि की शेष राशियां मिलान/ पुष्टि के अध्यधीन हैं। पुष्टि/ मिलान के बाद प्रभाव को यदि कोई हो पुष्टि/ मिलान के वर्ष में लेखे में लिया जाएगा।

31.7 **अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केंद्र (आई ई सी सी) परियोजना**

क) प्रगति मैदान परिसर का पुन: विकास करने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केंद्र (आई ई सी सी) परियोजना को 2,25,400 लाख रु. की लागत पर आर्थिक कार्यों की मंत्रिमंडल समिति (सी सी ई ए) की दिनांक 24.1.2017 को हुई बैठक में भारत सरकार ने अनुमोदन दिया था और बाद में इस लागत को संशोधित करके 2,69,851 लाख रु. कर दिया गया था। अनुमोदन के अनुसार परियोजना को 1,20,000 लाख रु. के कंपनी के संसाधनों से वित्त-पोषित किया जाएगा और शेष राशि की व्यवस्था भारत सरकार से गारंटी प्राप्त करके बैंक से आवधिक ऋण से पूरी की जाएगी।

ख) मंत्रिमंडल ने आई ई सी सी परियोजना के संबंध में 21.04.2017 को एल ऐण्ड डी ओ के द्वारा की गई 9663.42 लाख रु. की मांग को 13.06.2018 को अनुमोदित भी किया है।

ग) इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने 13.06.2018 को निजी क्षेत्र सहित तृतीय पक्षकार के द्वारा होटल का विनिर्माण एवं प्रचालन करने हेतु परियोजना के वित्तीयन के लिए प्रगति मैदान परिसर में 3.70 एकड़ भूमि के मुद्रीकरण को भी अनुमोदन दिया है और बैंक से उस सीमा तक ऋण कम रहेगा।

घ) मंत्रिमंडल ने होटल के लिए तृतीय पक्षकार को भूमि का हस्तांतरण करने के कारण एल ऐण्ड डी ओ को अनार्जित बढ़ोतरी/ देय प्रीमियम संबंधी दस्तावेजों को 13.06.2018 को हुई अपनी बैठक में अनुमोदन भी किया है।

ड़) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एन बी सी सी को परियोजना के लिए परियोजना प्रबंध परामर्शदाता (पी एम सी) के रूप में नियुक्त किया गया है और एन बी सी सी के साथ करार किया गया है।

च) 28,397.05 लाख रु. के करार के अनुसार 31.03.2018 तक एन बी सी सी के द्वारा किए गए कार्य को टिप्पणी सं. 3 में 'पूंजीगत कार्य प्रगति पर है' के रूप में दर्शाया गया है, परियोजना के लिए भुगतान किए गए 32022.54 लाख रु. के अग्रिम को टिप्पणी 9 में पूंजीगत अग्रिम के रूप में दर्शाया गया है। परिणामस्वरूप 2,69,851 लाख रु. की अनुमोदित लागत के प्रति 2,09,431.41 लाख रु. की राशि टिप्पणी 31.1 में परियोजना के लिए पूंजीगत प्रतिबद्धताओं के रूप में शामिल हैं।

31.8 **सेवा कर मामले**

क) सेवा कर आयुक्त द्वारा कंपनी, पर 2006-07 से 2009-10 की अवधि के लिए 1087.94 लाख रु. की सेवा कर की मांग की गई, जिसमें 1064.27 लाख रु. का सेवा कर और 23.68 लाख रु. का ब्याज शामिल था। मांग का विरोध किया गया और सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त ने दिनांक 22.01.2015 के अपने आदेश के तहत सेवा कर की मांग में संशोधन करके 410.41 लाख रु. किया, जिसके साथ 410.40 लाख रु. का जुर्माना तथा 0.10 लाख रु. और भुगतान की तारीख तक ब्याज इस शर्त के साथ किया गया कि यदि 30 दिनों के भीतर भुगतान कर दिया जाता है तो 75 प्रतिशत तक जुर्माना राशि माफ कर दी जाएगी।

दिनांक 24.04.2015 के आदेश के खिलाफ सी ई एस, टी ए टी के समक्ष अपील की गई। 09.02.2017 को सी ई एस, टी ए टी के निर्देशों पर एक संशोधित अपील दायर की गई है। फिलहाल कंपनी ने 881.31 लाख रु. का भुगतान विरोध के साथ कर दिया, जिसमें सेवा कर के रूप में 410.41 लाख और 102.70 लाख रु. का जुर्माना तथा 368.20 लाख रु. का ब्याज शामिल था।

ख) इसके अलावा, सेवा कर विभाग द्वारा विभिन्न अवधियों के लिए सेवा कर (ब्याज और दण्ड की गणना नहीं) कारण बताओ नोटिस व मांग भेजे गए जो इस प्रकार हैं :

(रु. लाख में)

वर्ष	राशि
2011-12	42.77
2012-13	51.68
2013-14	46.69
कुल	141.14

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

विशेषज्ञों की राय के आधार पर कंपनी यह मानती है कि उपर्युक्त विभिन्न मामले, सेवा कर की परिधि में नहीं आते हैं, जिनके लिए मांग/ मांग सह-कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुए थे।

उपर्युक्त (क) और (ख) की मांगों के बारे में कंपनी ने संबंधित प्राधिकारियों से विरोध किया गया है और तदनुसार कुल 1022.45 लाख रु. की पूर्वोक्त मांगों के लिए 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार लेखों में कोई प्रावधान करना जरूरी नहीं समझा गया है। तथापि 1022.45 लाख रु. की इस मांग को टिप्पणी 31.1 में आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है।

31.9 **पट्टे**

कंपनी की महत्त्वपूर्ण पट्टा-व्यवस्थाएं उसके पट्टे वाले कार्यालय परिसरों तथा संपत्तियों संबंधी प्रचालन पट्टों के बारे में हैं। ये पट्टा व्यवस्थाएं, निरस्त करने लायक होती हैं, वे परस्पर सहमति से सामान्य तौर पर नवीकरणीय होती हैं। कुल पट्टा किराया आय और भुगतान किया गया पट्टा किराया क्रमशः टिप्पणी 26 और 29 में प्रकट किए गए हैं।

31.10 **कर्मचारी लाभ**

विभिन्न परिभाषित कर्मचारी लाभ योजनाओं का सामान्य विवरण नीचे दिए गए अनुसार है :-

I. **परिभाषित अंशदान योजनाएं**

भविष्य निधि

कंपनी निर्धारित दरों पर आई टी पी ओ कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट को अपने कर्मचारियों की भविष्य निधि के अपने अंशदान का भुगतान करती है, जिसका निवेश ट्रस्ट अनुमत प्रतिभूतियों में करता है। वर्ष के लिए किए गए अंशदान को व्यय माना जाता है और उसे आय-व्यय विवरण में दर्शाया जाता है। यदि कोई कमी होती है, तो कंपनी ट्रस्ट की उस कमी को दूर करने के लिए बाध्य है और ऐसी कमी को अपना व्यय मानती है।

पेंशन निधि

कंपनी को आई टी पी ओ कर्मचारी परिभाषित अंशदान सेवा-निवृत्ति ट्रस्ट के लिए कर्मचारियों को सेवा-निवृत्ति लाभ की विशिष्ट राशियों के लिए अंशदान देने का दायित्व है। वर्ष के अंशदान को व्यय के रूप में स्वीकार किया जाता है और आय एवं व्यय विवरण में रखा जाता है। यदि कोई कमी होती है, तो कंपनी ट्रस्ट की उस कमी को दूर करने के लिए बाध्य है और ऐसी कमी को अपना व्यय मानती है।

वर्ष के दौरान इन निधियों के लिए नियोक्ता के अंशदान के रूप में आय और व्यय विवरण में दर्शाया गया व्यय नीचे दिए गए अनुसार है:

	2017-18	2016-17
भविष्य निधि के लिए नियोक्ता का अंशदान	567.22	569.83
पेंशन निधि के लिए नियोक्ता का अंशदान	451.65	306.14
	1,018.87	875.97

II. **परिभाषित लाभ योजनाएं**

ग्रेच्युटी

कंपनी की एक परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजना है। इस योजना को वित्त-पोषित किया जाता है। ट्रस्ट के कार्यों की एक अलग आई टी पी ओ कर्मचारी ग्रेच्युटी निधि ट्रस्ट प्रबंध व्यवस्था करता है। एल आई सी के द्वारा ट्रस्ट की निधियों की प्रबंध व्यवस्था की जाती है। बीमांकिक मूल्य-निर्धारण के आधार पर कंपनी की लेखा-पुस्तकों में यह मान्य है। इस विषयक कंपनी के नियमों/ डी पी ई के दिशा-निर्देशों के अनुसार जिस कर्मचारी ने 5 वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि की लगातार सेवा की है, ऐसा प्रत्येक कर्मचारी सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन की दर से ग्रेच्युटी [15/26× (लिया गया अंतिम वेतन+महंगाई भत्ता) पाने का हकदार है।

i. आय और व्यय विवरण में मान्य व्यय **(रु. लाख में)**

	2017-18	2016-17
निवल ब्याज लागत	113.87	20.59
सेवा लागत	218.83	1,367.18
आय और व्यय लेखे के विवरण में मान्य व्यय	332.69	1,387.77
पुनः निर्धारण :		
प्रारंभिक अमान्य बीमांकिक लाभ/ (हानि)	(190.62)	27.59
निम्नलिखित में परिवर्तन की वजह से बीमांकिक लाभ/ हानि :	5.05	(1.79)
- जनसांख्यिकी पूर्वानुमान	-	-
- वित्तीय पूर्वानुमान	(110.76)	(196.81)
- अनुभव पूर्वानुमान	112.52	(19.61)
वर्ष का मान्य ओ सी आई	6.81	(218.21)
वर्ष के अंत में ओ सी आई में अमान्य बीमांकिक लाभ/(हानि)	(183.81)	(190.62)

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

ii. तुलन पत्र में मान्य धनराशि (रु. लाख में)

	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	6,267.58	5,914.22
अवधि के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों की उचित मूल्य	4,543.02	4,277.14
तुलन पत्र और संबंधित विश्लेषण में मान्य निवल देयता)	1,724.56	1,637.09
फण्डेड (अनफण्डेड) स्थिति	(1,724.56)	(1,637.09)

iii. दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन : (रु. लाख में)

	2017-18	2016-17
अवधि की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	5,914.22	4,380.20
प्रारंभ में अंतर	30.76	89.43
अधिग्रहण में	11.51	6.87
ब्याज लागत	419.72	357.57
सेवा लागत	218.83	1,367.18
प्रदत्त लाभ	(325.70)	(503.45)
बीमांकिकी (लाभ)/ हानि	(1.76)	216.42
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	6,267.58	5,914.22

iv. परिपक्व रूप रेखा : (रु. लाख में)

वर्ष	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
0 से 1 वर्ष	1,033.55	720.76
1 से 2 वर्ष	869.44	1,149.03
2 से 3 वर्ष	524.07	563.54
3 से 4 वर्ष	425.92	537.88
4 से 5 वर्ष	458.70	512.29
5 से 6 वर्ष	478.94	548.42
6 वर्ष से आगे	2,476.96	1,882.30

v. परिभाषित लाभ दायित्व का सुग्राहिता विश्लेषण : (रु. लाख में)

	2017-18	2016-17
क) कटौती दर में बदलाव का प्रभाव		
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	6,267.58	5,914.22
क) 0.50 % बढ़ोत्तरी का प्रभाव	(340.69)	(137.74)
ख) 0.50 % कमी का प्रभाव	66.20	143.68
ख) वेतन की बढ़ोत्तरी में बदलाव का प्रभाव		
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	6,267.58	5,914.22
क) 0.50 % बढ़ोत्तरी का प्रभाव	(80.06)	139.74
ख) 0.50 % कमी का प्रभाव	(332.74)	(136.14)

मृत्यु दर और निकासी के कारण सुग्राहिता महत्त्व नहीं रखती है, और इसलिए इनकी वजह से परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की गई।

vi. गणनाओं में प्रयुक्त संकल्पनाओं को सारणीबद्ध किया गया है :

	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
छूट दर	7.60%प्रतिवर्ष	7.06% प्रतिवर्ष
वेतन वृद्धि दर	6.00%प्रतिवर्ष	5.00% प्रतिवर्ष
मृत्यु दर	आई ए एल एम 2006-08 अंतत:	आई ए एल एम 2006-08 अंतत:
निकासी दर (प्रति वर्ष)	2.00%प्रतिवर्ष	2.00% प्रतिवर्ष

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

vii. अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए संभावित अंशदान (रु. लाख में)

		2017-18	2016-17
	सेवा लागत	232.89	229.49
	निवल ब्याज लागत	131.07	112.34
	अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए संभावित व्यय	363.95	341.83

viii. योजनागत परिसंपत्तियों का मुख्य वर्गीकरण (कुल योजनागत परिसंपत्तियों की प्रतिशतता अनुसार)

	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
भारत सरकार की प्रतिभूतियां	-	-
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	-	-
हाई क्वालिटी कारपोरेट बाण्ड	-	-
सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	-	-
सम्पत्ति	-	-
बीमाकर्त्ता द्वारा प्रबंधित निधियां	100%	100%
बैंक शेष	-	-
कुल	100%	100%

ix. योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन (रु. लाख में)

	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
अवधि के प्रारंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	4,277.14	4,212.24
प्रारंभिक निधि में अंतर	54.99	-
योजनागत परिसंपत्तियों पर वास्तविक ब्याज	320.64	335.19
कमी : एफ एम सी प्रभाव	(9.75)	-
नियोक्ता अंशदान	225.70	233.16
प्रदत्त लाभ	(325.70)	(503.45)
अवधि के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	4,543.02	4,277.14

III. **III. अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ**

छुट्टी नकदीकरण

छुट्टी नकदीकरण की योजना वित्त पोषित नहीं होती है। यह बीमांकन मूल्यांकन के आधार पर लेखा पुस्तिकाओं में मान्य है। कंपनी के कर्मचारियों के लिए अर्जित अवकाश (ई एल)और अर्द्धवेतन अवकाश (एच पी एल) लाभ का नकदीकरण क्रमशः 30 दिनों और 20 दिनों की दर से वार्षिक आधार पर होता है। सेवा के दौरान अर्जित अवकाश का नकदीकरण है, जो न्यूनतम शेष 30 दिनों को छोड़ते हुए एक कैलेण्डर वर्ष में एक बार अधिकतम 60 दिनों के अध्यधीन है। तथापि, एक वर्ष के भीतर सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारियों को एक कैलेण्डर वर्ष में दो बार अर्जित अवकाश के नकदीकरण की अनुमति है जो इस परंतुक के अध्यधीन है कि 30 दिनों की अर्जित छुट्टियां सदैव जमा होनी चाहिए। अर्जित छुट्टियां भी नकदीकरण योग्य होती हैं जो सेवा-निवृत्ति/ मृत्यु/ त्यागपत्र आदि पर अधिकतम 300 दिनों तक होती हैं। अर्द्ध-वेतन छुट्टी कंपनी की नियमावली के अनुसार अधिकतम 300 दिनों तक सेवा-निवृत्ति/ मृत्यु/ त्यागपत्र आदि पर ही नकदीकरण योग्य हैं। 300 दिनों की अर्जित छुट्टी और अर्ध वेतन छुट्टी के नकदीकरण की समग्र सीमा सेवा-निवृत्ति/ मृत्यु/ त्यागपत्र आदि के समय पर नियत होती है।

i. आय और व्यय विवरण में मान्य व्यय (रु. लाख में)

	2017-18	2016-17
ब्याज लागत	191.21	180.16
सेवा लागत	103.78	113.63
अवधि में मान्य निवल बीमांकिकी (लाभ)/ हानि	169.84	497.21
आय-व्यय विवरण में मान्य व्यय	464.83	790.99

ii. तुलन पत्र में मान्य राशि (रु. लाख में)

	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
अवधि की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	2,557.76	2,708.29
तुलन-पत्र में मान्य निवल देयता और संबद्ध विश्लेषण	2,557.76	2,708.29
अनफण्डेड स्थिति	(2,557.76)	(2,708.29)

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

iii. परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन : (रु. लाख में)

	2017-18	2016-17
वर्ष की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	2,708.30	2,289.77
प्रारंभ में अंतर	-	22.89
अधिग्रहण में	4.77	10.15
ब्याज लागत	191.21	180.16
सेवा लागत	103.78	113.63
प्रदत्त लाभ	(620.13)	(405.52)
निम्नलिखित में परिवर्तन की वजह से बीमांकिक लाभ/ हानि		
- जनसांख्यिकी पूर्वानुमान	-	-
- वित्तीय पूर्वानुमान	57.63	84.82
- अनुभव पूर्वानुमान	112.21	412.38
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	2,557.76	2,708.30

iv. परिपक्व विवरण : (रु. लाख में)

वर्ष	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
0 से 1 वर्ष	366.07	290.72
1 से 2 वर्ष	355.56	349.59
2 से 3 वर्ष	233.49	341.41
3 से 4 वर्ष	284.17	222.89
4 से 5 वर्ष	204.48	276.63
5 से 6 वर्ष	228.22	188.92
6 वर्ष से अधिक	885.78	1,038.14

v. परिभाषित लाभ दायित्व का सुग्राहिता विश्लेषण : (रु. लाख में)

	2017-18	2016-17
क) कटौती दर में बदलाव का प्रभाव		
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	2,557.76	2,708.30
क) 0.50 % बढ़ोत्तरी का प्रभाव	(60.02)	(58.70)
ख) 0.50 % कमी का प्रभाव	62.77	61.45
ख) वेतन की बढ़ोत्तरी में बदलाव का प्रभाव		
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	2,557.76	2,708.30
क) 0.50 % बढ़ोत्तरी का प्रभाव	63.43	62.38
ख) 0.50 % कमी का प्रभाव	(61.19)	(60.10)

मृत्यु दर और निकासी के कारण सुग्राहिता महत्त्व नहीं रखती है, और इसलिए इनकी वजह से परिवर्तन के प्रभाव की गणना की गई।

vi. चालू और गैर चालू देयता के लिए वर्ष के अंत में पी बी ओ का बंटवारा (रु. लाख में)

	2017-18	2016-17
वर्तमान देयता (1 वर्ष के भीतर देय राशि)	366.07	290.72
गैर वर्तमान देयता (1 वर्ष से अधिक देय राशि)	2,191.69	2,417.57
कुल पी बी ओ वर्ष के अंत में	2,557.76	2,708.29

vii. गणनाओं में प्रयुक्त संकल्पनाओं को सारणीबद्ध किया गया है :

	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
छूट दर	7.60%प्रतिवर्ष	7.06% प्रतिवर्ष
वेतन वृद्धि दर	6.00%प्रतिवर्ष	5.00% प्रतिवर्ष
वेतन वृद्धि दर	आई ए एल एम 2006-08 अंतत:	आई ए एल एम 2006-08 अंतत:
निकासी दर (प्रति वर्ष)	2.00%प्रतिवर्ष	2.00% प्रतिवर्ष

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

31.11	प्रति शेयर आय	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
	वर्ष का अधिशेष (रु. लाख में)	13,462.11	17,110.02
	इक्विटी शेयर (सं.)	25,000	25,000
	प्रति शेयर सांकेतिक मूल्य (रु.)	100.00	100.00
	प्रति शेयर आय (मूल/ कम) (रु. लाख में)	0.54	0.68

31.12 **संबद्ध पक्षकार प्रकटन**

(क) **अनुषंगी कम्पनियों में हित**

कम्पनी का नाम	प्रचालन का मूल स्थान	प्रमुख कार्यकलाप	स्वामित्व हित का अनुपात	
			31.03.2018	31.03.2017
तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (टी एन टी पी ओ)	भारत	व्यापार संवर्धन	51%	51%
कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (के टी पी ओ)	भारत	व्यापार संवर्धन	51%	51%

(ख) **संयुक्त उद्यम में हित**

कम्पनी का नाम	प्रचालन का मूल स्थान	प्रमुख कार्यकलाप	स्वामित्व हित का अनुपात	
			31.03.2018	31.03.2017
राष्ट्रीय व्यापार सूचना केन्द्र (एन सी टी आई)	भारत	व्यापार सूचना	50%	50%

(ग) **अन्य संबद्ध पक्षकारों की सूची**

संबद्ध पक्षकारों का नाम	प्रचालन का मूल स्थान	संबंध का स्वरूप
आई टी पी ओ कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि न्यास	भारत	कर्मचारी को नियोजन के बाद लाभ योजना
आई टी पी ओ कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी निधि न्यास	भारत	कर्मचारी की सेवा-निवृत्ति के बाद लाभ योजना
आई टी पी ओ कर्मचारी परिभाषित अंशदान सेवा-निवृत्ति न्यास	भारत	कर्मचारी की सेवा-निवृत्ति के बाद लाभ योजना

(घ) **मुख्य प्रबंधक कार्मिक**

नाम	धारित पद
श्री एल. सी. गोयल	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री रजनीश (24.05.2017 तक)	कार्यकारी निदेशक
श्री दीपक कुमार (25.05.2017 से)	कार्यकारी निदेशक
श्री जे. के डाडू	नामिती निदेशक
श्री मनोज जोशी	नामिती निदेशक
श्री संजय चड्ढ़ा	नामिती निदेशक
श्री के. नागराज नायडू	नामिती निदेशक
श्री पी. एन. विजय	स्वतंत्र निदेशक
श्री डी. एम. शर्मा	मुख्य वित्तीय अधिकारी
श्री एस. आर. साहू	कंपनी सचिव

टिप्पणी : संबद्ध पक्षकारों और उनके संबंध संबंधित कम्पनी के पहचान किए अनुसार है।

(ड.) **प्रमुख प्रबंधन कर्मिकों के लिए मुआवजे**

	व्यक्ति का नाम	पदनाम	वेतन एवं भत्ते	सुविधाए	कुल पारिश्रमिक
1	श्री एल. सी. गोयल	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	14.14	9.60	23.74
2	श्री दीपक कुमार	कार्यकारी निदेशक	22.64	0.95	23.59
3	श्री पी एन विजय 2.20 लाख रु. सिटिंग फीस (टिप्पणी 29 देखें),	स्वतंत्र निदेशक	-	-	-
4	श्री डी. एम. शर्मा	मुख्य वित्तीय अधिकारी	25.09	-	
5	श्री एस. आर. साहू	कंपनी सचिव	19.83	0.01	19.84

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

(रु. लाख में)

(च)	संबद्ध पक्षकारों के साथ लेन-देन	2017-18	2016-17
	तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन		
	कम्पनी के द्वारा प्राप्त सेवाएं	123.63	137.23
	कम्पनी के द्वारा दी गई सेवाएं	8.13	-
	आई टी पी ओ कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि न्यास		
	कंपनी के द्वारा अंशदान	1,913.20	569.83
	आई टी पी ओ कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी निधि न्यास		
	कंपनी के द्वारा अंशदान	215.70	1,387.85
	आई टी पी ओ कर्मचारी परिभाषित अंशदान सेवा-निवृत्ति न्यास		
	कंपनी के द्वारा अंशदान	2294.65	-

(छ)	संबद्ध पक्षकारों के पास बकाया शेष		(रु. लाख में)
	विवरण	**31.03.2018**	**31.03.2017**
(i)	**अनुषंगी कम्पनियों के पास शेष**		
	तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन		
	कम्पनी के द्वारा देय	41.06	182.31
	कम्पनी के द्वारा प्राप्य	0.03	121.48
	कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन		
	कम्पनी के द्वारा देय	-	-
	कम्पनी के द्वारा प्राप्य	773.80	1,794.98
(ii)	**संयुक्त उद्यम (एन सी टी आई) के पास शेष**		
	कम्पनी के द्वारा देय	14.57	16.60
	कम्पनी के द्वारा प्राप्य	247.33	260.93
	संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	54.48	54.48
(iii)	**कंपनी के द्वारा देय**		
	आई टी पी ओ कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि न्यास	15.76	शून्य
	आई टी पी ओ कर्मचारी ग्रेच्युटी निधि न्यास	1,724.56	1,607.53
(iv)	**कंपनी के द्वारा देय**		
	आई टी पी ओ कर्मचारी परिभाषित अंशदान सेवा-निवृत्ति न्यास	0.01	-

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

31.13 **कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व**

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार कंपनी के द्वारा एक कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सी. एस. आर.) समिति का गठन किया गया है। विगत 3 वित्तीय वर्षों का औसत निवल लाभ (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के अनुसार गणना) पर आधारित सी एस आर व्यय के प्रति 360.64 लाख रु. की राशि देय है। वर्ष के दौरान व्यय की गई। व्यय करने के लिए लंबित राशि का विवरण नीचे दिए अनुसार है :

(रु. लाख में)

	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान नकद व्यय की गई राशि	31 मार्च, 2018 को नकद भुगतान की जाने वाली राशि	कुल राशि
01.04.2017 को पूर्व वर्ष के लिए लंबित पड़ी कुल राशि			**329.42**
– वर्ष के दौरान व्यय किए जाने के लिए अपेक्षित कुल राशि			**360.64**
– वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि			
क. परिसंपत्तियों का निर्माण/ अधिग्रहण	-	-	-
ख. निम्नलिखित सामाजिक क्षेत्रों के लिए विभिन्न सरकारी विभागों/ एन जी ओ/ न्यास आदि हेतु अंशदान			
– स्वच्छता	200.00	-	200.00
– स्वास्थ्य देखभाल	-	30.00	30.00
– शिक्षा	-	5.00	5.00
– सामाजिक कल्याण	53.27	10.40	63.67
– कला और संस्कृति	5.00	-	5.00
– महिला कोष	8.00	22.00	30.00
	266.27	**67.40**	**333.67**
– 31.03.2018 को लंबित पड़ी सकल राशि			**356.39**

31.14 **वित्तीय संसाधन – उचित मूल्य माप एवं वित्तीय जोखिम प्रबंध**

I **फेयर वैल्यू माप**

(रु. लाख में)

क. **श्रेणी के द्वारा वित्तीय संसाधन**	31 मार्च,2018 को		31 मार्च,2017 को	
	एफ वी टी पी एल	परिशोधित लागत	एफ वी टी पी एल	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्तियां				
गैर-चालू निवेश				
निवेश	-	-	-	-
ऋण	-	521.22	-	1,392.67
चालू परिसंपत्तियां				
निवेश	78.75	-	72.40	-
व्यापार प्राप्य	-	936.18	-	870.26
नकदी एवं नकदी समतुल्य	-	3,709.16	-	3,571.50
नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा	-	90,101.00	-	143,599.99
ऋण	-	2,953.27	-	2,002.16
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	-	30,715.04	-	12,326.79
	78.75	**128,935.87**	**72.40**	**163,763.37**
वित्तीय देयताएं				
व्यापार प्राप्य	-	1,698.93	-	2,007.86
अन्य वित्तीय देयताएं	-	3,958.94	-	4,148.20
	-	**5,657.87**	**-**	**6,156.06**

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

(ख) **उचित मूल्य समूह**

यह भाग वित्तीय संसाधनों की उचित मूल्य का निर्धारण करने में किए निर्णयों और अनुमान के बारे में बताता है जो है कि :-

(क) उचित मूल्य पर मान्य और निर्धारित, तथा

(ख) परिशोधित लागत पर निर्धारित और जिनके लिए उचित मूल्य को वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाता है।

कंपनी मूल्य निर्धारण तकनीकों के द्वारा वित्तीय संसाधनों की उचित मूल्य का निर्धारण करने एवं प्रकट करने के लिए निम्नलिखित क्रम का उपयोग करती है : लेवल 1 - समान परिसंपत्तियों अथवा देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत कीमतें (समायोजित नहीं)

लेवल 2 - वित्तीय संसाधनों की उचित मूल्य के बारे में किसी सक्रिय बाजार में लेन-देन नहीं होता है (उदाहरण के लिए ट्रेडिड बाण्ड ओवर दि काउंटर डेरिवेटिवस) जिनका मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारण किया जाता है, जो दर्शनीय बाजार आंकड़ों के उपयोग को न्यूनतम करते हैं और संस्था विशिष्ट अनुमानों पर यथा संभव कम विश्वास वाले होते हैं। यदि किसी संसाधन की उचित मूल्य के लिए अपेक्षित सभी महत्त्वपूर्ण निवेश दर्शनीय हों, तो संसाधन को लेवल-2 में शामिल किया जाता है।

लेवल 3 - परिसंपत्तियों अथवा देयताओं के लिए निवेश जो दर्शनीय बाजार आंकड़ों पर आधारित नहीं होते हैं।

उचित मूल्य का निर्धारण करने में प्रयुक्त निवेशों की विश्वसनीयता के बारे में कोई संकेत उपलब्ध कराने के लिए कंपनी ने लेखांकन मानक के तहत निर्धारित तीन स्तरों पर अपने वित्तीय संसाधनों को वर्गीकृत किया है। प्रत्येक स्तर का स्पष्टीकरण नीचे सारणी में दिया गया है : उचित मूल्य पर निर्धारित वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं - आवर्ती उचित मूल्य माप।

उचित मूल्य पर निर्धारित वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं - आवर्ती उचित मूल्य निर्धारण

(रु. लाख में)

	31 मार्च, 2018 को			31 मार्च, 2017 को		
	लेवल 1	लेवल 2	लेवल 3	लेवल 1	लेवल 2	लेवल 3
वित्तीय परिसंपत्तियां						
एफ वी टी पी एल पर मापी						
म्युचल फण्ड में निवेश	78.75	-	-	72.40	-	-
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	**78.75**	-	-	**72.40**	-	-

परिसंपत्तियां और देयताएं जिनका परिशोधन लागत निर्धारण किया जाता है और जिनकी उचित मूल्य प्रकट की जाती है। (रु. लाख में)

	1 मार्च, 2018 को			1 मार्च, 2017 को		
	लेवल 1	लेवल 2	लेवल 3	लेवल 1	लेवल 2	लेवल 3
वित्तीय परिसंपत्तियां						
गैर-चालू निवेश परिसंपत्तियां						
निवेश	-	-	-	-	-	-
ऋण	-	-	521.22	-	-	1,392.67
चालू परिसंपत्तियां						
क) व्यापार प्राप्य	-	-	936.18	-	-	870.26
ख) नकदी एवं नकदी समतुल्य	-	-	3,709.16	-	-	3,571.50
ग) नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा बैंक में बकाया	-	-	90,101.00	-	-	143,599.99
घ) ऋण			2,953.27			2,002.16
ङ) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-	30,715.04	-	-	12,326.79
	-	-	**128,935.87**	-	-	**163,763.37**
वित्तीय देयताएं						
व्यापार प्राप्य	-	-	1,698.93	-	-	2,007.86
अन्य वित्तीय देयताएं	-	-	3,958.94	-	-	4,148.20
कुल वित्तीय देनदारियां	-	-	**5,657.87**	-	-	**6,156.06**

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

ग) परिसंपत्तियां और देयताएं जिनका परिशोधित लागत निर्धारण किया जाता है और उनकी उचित मूल्य : (रु. लाख में)

	31 मार्च, 2018 को		31 मार्च, 2017 को	
	कैरीइंग वैल्यू	उचित मूल्य	कैरीइंग वैल्यू	उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियां				
गैर-चालू परिसंपत्तियां				
निवेश	-	-	-	-
ऋण	521.22	521.22	1,392.67	1,392.67
चालू वित्तीय परिसंपत्तियां				
क) व्यापार प्राप्य	936.18	936.18	870.26	870.26
ख) नकदी एवं नकदी समतुल्य	3,709.16	3,709.16	3,571.50	3,571.50
ग) नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा बैंक में बकाया	90,101.00	90,101.00	143,599.99	143,599.99
घ) ऋण	2,953.27	2,953.27	2,002.16	2,002.16
ङ) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	30,715.04	30,715.04	12,326.79	12,326.79
	128,935.87	**128,935.87**	**163,763.37**	**163,763.37**
वित्तीय देयताएं				
व्यापार प्राप्य	1,698.93	1,698.93	2,007.86	2,007.86
अन्य चालू वित्तीय देयताएं	3,958.94	3,958.94	4,148.20	4,148.20
	5,657.87	**5,657.87**	**6,156.06**	**6,156.06**

व्यापार प्राप्यों, व्यापार देयता, नकदी और नकदी समतुल्य, अन्य बैंक शेष, अन्य चालू परिसंपत्तियां और देयताओं की केरीइंग राशियां उनकी अल्प अवधि स्वरूप की वजह से उनकी उचित मूल्य की भांति वही मानी जाती हैं।

ऋणों की उचित मूल्य को एम सी एल आर का उपयोग करते हुए नकदी प्रवाहों/ एस बी आई की बेस दर के आधार पर गणना की गई थी। उनको प्रतिपक्ष क्रेडिट सहित न दिखने वाले निवशों को शामिल करने की वजह से उनके उचित मूल्य क्रम में स्तर 3 उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

घ) वित्तीय जोखिम प्रबंध

कंपनी की मूल वित्तीय देयताओं में व्यापार और अन्य देय राशियां शामिल हैं। कपंनी की मूल वित्तीय परिसंपत्तियों में व्यापार और अन्य प्राप्य तथा नकदी और नकदी समतुल्य तथा अल्पकालिक जमा शामिल हैं जो प्रत्यक्ष रूप से उनके प्रचालनों से चलते हैं। कंपनी म्युचुअल फण्ड में भी निवेश करती हैं कम्पनी के कार्यकलापों में यह कुछ वित्तीय जोखिमों, बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम और लिक्युडिटी (द्रव्य) जोखिम में दिखता है।

क) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम होता है जिससे किसी वित्तीय संसाधन के भावी नकद प्रवाहों की उचित मूल्य बाजार कीमतों में परितर्वनों की वजह से घट-बढ़ होंगी। बाजार जोखिम में विदेशी मुद्रा जोखिम और ब्याज दर जोखिम शामिल होते हैं। बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय संसाधनों में व्यापार प्राप्य और व्यापार देय राशियां शामिल होती हैं।

(i) विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्य किया और विदेशी मुद्रा लेन-देनों से हुए नगण्य विदेशी मुद्रा जोखिमों को दर्शाया है। कंपनी विदेशी मुद्रा लेन-देनों के लिए किसी विदेशी मुद्रा जोखिमों का बचाव नहीं करती है।

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

विदेशी मुद्रा प्रकटन नीचे दिए हैं जिनका कृत्रिम संसाधनों से बचाव नहीं होता है : (रु. लाख में)

विदेशी मुद्रा (एफ सी)	टिप्पणी सं.	मुद्रा चिह्न	31 मार्च, 2018 को	
			विदेशी मुद्रा	भारतीय मुद्रा
परिसंपत्तियां				
नकदी और नकदी समतुल्य	12			
बैंक में शेष - चालू और बचत लेखा				
येन		¥	7.9215	4.77
संयुक्त राज्य अमेरिका डालर		$	0.0605	3.89
हाथ में नकद				
यूरो		€	0.0307	2.41
येन		¥	1.6887	1.02
संयुक्त राज्य अमेरिका डालर		$	0.0194	1.25
अन्य चालू परिसंपत्तियां	16			
विक्रेताओं के लिए अग्रिम (असुरक्षित)				
येन		¥	12.9895	7.82
यूरा		€	2.6355	207.59
यूरा		€	0.0668	5.26
संयुक्त राज्य अमेरिका डालर		$	1.0606	68.20
संयुक्त राज्य अमेरिका डालर		$	0.0500	3.22
डच मार्क		डी ई एम	0.0438	2.98
विविध जमा (असुरक्षित)				
संयुक्त राज्य अमेरिका डालर		$	0.0141	0.91
मलेशियाई रिंगिट		एम वाई आर	0.0035	0.06
देयताएं				
व्यापार देय राशियां	21			
यूरो		€	1.1776	94.79
निवल परिसंपत्तियां (भारतीय मुद्रा में)				**214.59**

ii) ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम होता है, जिससे बाजार ब्याज दर में परिवर्तन होने की वजह से वित्तीय संसाधनों के भावी नकद प्रवाहों की उचित मूल्य में घट-बढ़ होगी। कंपनी की नीतियों और जोखिम संबंधी उद्देश्यों के अनुसार कंपनी अपने ब्याज जोखिम की प्रबंध-व्यवस्था करती है। ब्याज दर जोखिम से प्रभावित वित्तीय संसाधनों में बैंकों में जमा राशियां और एन बी एफ सी के पास अंत: कारपोरेट जमा राशि आदि शामिल होती हैं। इन वित्तीय संसाधनों पर ब्याज दर जोखिम बहुत ही कम होता है, क्योंकि ब्याज दर का वित्तीय संसाधनों की अवधि के लिए निर्धारण किया जाता है।

ख) क्रेडिट जोखिम

यदि वित्तीय संसाधनों का ग्राहक अथवा प्रतिपक्षकार उसके संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ रहता है तो कंपनी की वित्तीय हानि का जोखिम क्रेडिट जोखिम होता है। और यह ग्राहकों तथा निवेश से कंपनी के प्राप्यों के कारण मूलत: होता है। क्रेडिट जोखिम, बकाया लेखे प्राप्यों सहित बैंकों और वित्तीय संस्थानों में रखी नकदी और ग्राहकों के लिए दर्शायी क्रेडिट होता है। क्रेडिट जोखिम के लिए अधिक प्रदर्शन वित्तीय परिसंपत्तियों के कैरीइंग मूल्य के बराबर होता हैं प्रतिपक्षकार क्रेडिट जोखिम की प्रबंध व्यवस्था का उद्देश्य वित्तीय परिसंपत्तियों की हानियों को रोकना है। कंपनी प्रतिपक्षकारों की वित्तीय स्थिति, विगत अनुभव और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए उनकी क्रेडिट गुणवत्ता का आकलन करती है।

(i) संभावित क्रेडिट हानियों के लिए प्रावधान

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार

क) सरल एप्रोच के तहत व्यापार प्राप्यों के लिए संभावित क्रेडिट हानि

एजिंग	< 6 एम	> 6 < 12	> 12 < 24	> 24 < 36	> 36	कुल
सकल केरीइंग राशि	543.21	63.72	129.89	79.43	1,358.80	2,175.05
संभावित क्रेडिट दर	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	91.17%	56.96%
संभावित क्रेडिट हानियां (हानि प्रावधान भत्ते)	-	-	-	-	-1,238.87	-1,238.87
व्यापार प्राप्यों की सकल कैरीइंग राशि	**543.21**	**63.72**	**129.89**	**79.43**	**119.93**	**936.18**

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

ख) ऋणों तथा निवेशों के लिए संभावित क्रेडिट हानि

विवरण		परिसंपत्ति समूह	कैरीइंग मूल्य	चूक की संभावित संभाव्यता	संभावित क्रेडिट हानि	संभावित क्रेडिट हानि निवल कैरीइंग राशि
जीवन अवधि पर निर्धारित हानि की अनुमति ई सी एल	वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए क्रेडिट जोखिम को बढ़ाया गया है और न कि क्रेडिट क्षति को	भारत सरकार से प्राप्ति योग्य अनुदान	732.82	2.93%	21.47	711.35
		जमा कार्य संबंधी बकाया	91.75	45.48%	41.73	50.02
			824.57	**0.48**	**63.20**	**761.37**

31 मार्च, 2017 को

क) सरल एप्रोच के तहत व्यापार प्राप्यों के लिए संभावित क्रेडिट हानि

एजिंग	< 6 एम	> 6 < 12	> 12 < 24	> 24 < 36	> 36	कुल
सकल कैरीइंग राशि	417.31	228.75	134.74	83.90	1,448.81	2,313.51
संभावित क्रेडिट दर	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	99.62%	62.38%
संभावित क्रेडिट हानियां (हानि प्रावधान एलाउन्स)	-	-	-	-	-1,443.25	-1,443.25
व्यापार प्राप्यों की सकल कैरीइंग राशि	**417.31**	**228.75**	**134.74**	**83.90**	**5.56**	**870.26**

ख) ऋणों तथा निवेशों के लिए संभावित क्रेडिट राशि

विवरण		परिसंपत्ति समूह	कैरीइंग मूल्य	चूक की संभावित संभाव्यता	संभावित क्रेडिट हानि	संभावित क्रेडिट हानि निवल कैरीइंग राशि
जीवन अवधि पर निर्धारित हानि की अनुमति ई सी एल	वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए क्रेडिट जोखिम को बढ़ाया गया है और न कि क्रेडिट क्षति को	भारत सरकार से प्राप्ति योग्य अनुदान	238.97	0.62%	1.48	237.49
		जमा कार्य संबंधी बकाया	82.23	50.75%	41.73	40.50
			321.20	**0.51**	**43.21**	**277.99**

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

ग) तरलता (लिक्विडिटी) जोखिम

लिक्विडिटी जोखिम वह जोखिम होता है जिसको कंपनी निपटारा नहीं करेगी अथवा अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा कर सकेगी क्योंकि वे देय हो जाते हैं। कंपनी यथासंभव यह सुनिश्चित करके अपने लिक्विडिटी जोखिम का प्रबंधन करती है कि देय होने पर अपने देयताओं को पूरा करने के लिए इसमें पर्याप्त लिक्विडिटी होगी।

कंपनी का वित्त प्रभाग लिक्विडिटी वित्तीय तथा निपटान प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होता है। इसके अलावा, ऐसे जोखिमों से संबंधित प्रक्रियाएं और नीतियों का वरिष्ठ प्रबंधन के द्वारा निरीक्षण किया जाता है।

कंपनी की कार्यशील पूंजी की स्थिति नीचे दी गई है :

विवरण	31 मार्च, 2018 को		31 मार्च, 2017 को	
i) **वित्तीय परिसंपत्तियां**				
क) निवेश	78.75		72.40	
ख) व्यापार प्राप्य	936.18		870.26	
ग) नकदी एवं नकदी समतुल्य	3,709.16		3,571.50	
घ) नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा बैंक में बकाया	90,101.00		143,599.99	
ङ) ऋण	2,953.27		2,002.16	
छ) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	30,715.04	128,493.40	12,326.79	162,443.10
ii) **वित्तीय देयताएं**				
क) व्यापार प्राप्य	1,698.93		2,007.86	
ख) अन्य वित्तीय देयताएं	3,958.94	5,657.87	4,148.20	6,156.06
निवल कार्यशील पूंजी		**122,835.53**		**156,287.04**

31.15 **पूंजीगत प्रबंधन**

कंपनी के कार्यशील पूंजी प्रबंधन के लिए पूंजी में निर्गम इक्विटी पूंजी, भारत सरकार से पूंजीगत अनुदान और अन्य इक्विटी के रूप में मानी गई धारित आय शामिल है।

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

31.16 **31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष की सेगमेंट रिपोर्ट**

कम्पनी के प्रबंधन द्वारा संसाधनों का आवंटन करने तथा निर्णय लेने के लिए उनके निष्पादन का आकलन करने के लिए प्रयुक्त आंतरिक रिपोर्टों के आधार पर प्रचालन सेगमेंटों की पहचान की जाती है। निदेशक बोर्ड सामूहिक रूप से इण्ड ए एस 108 के अर्थ के भीतर कंपनी का 'मुख्य प्रचालन निर्णय लेने वाला' (सी ओ डी एम) होता है।

(रु. लाख में)

	भारत में व्यापार संवर्धन गतिविधियां	भारत में व्यापार संवर्धन गतिविधियां	अनिर्धारित	कुल
राजस्व बाह्य	21,335.47	4,092.52	335.18	25,763.17
	(23459.41)	(3514.42)	-	(26973.83)
इंटर सेगमेंट	-	-	-	-
कुल राजस्व	13,833.61	5,463.56	2,964.90	22,262.08
	(16255.31)	(4738.56)	(814.62)	(21808.49)
सेगमेंट परिणाम	7,501.86	-1,371.04	-2,629.72	3,501.09
	(7204.1)	(-1224.14)	(-814.62)	(5165.34)
ब्याज/ लाभांश आय	-	-	9,967.83	9,967.83
	-	-	(11733.7)	(11733.7)
व्यय से अधिक आय	-	-	-	**13,468.92**
	-	-	-	(16899.04)
अन्य सूचनाएं				
सेगमेंट परिसंपत्तियां	45,593.77	1,066.40	170,206.43	216,866.60
	(22834.36)	(590.6)	(180771.15)	(204196.11)
सेगमेंट देनदारियां	8,611.44	594.67	11,234.57	20,440.68
	(9588.47)	(455.25)	(11188.16)	(21231.88)
पूंजीगत व्यय	30,222.57	-	-	30,222.57
	(407.78)	-	-	(407.78)
मूल्यह्रास और परिशोधन	414.06	-	-	414.06
	(463.09)	-	-	(463.09)

टिप्पणी: (क) अनावंटित व्यय में स्थापना और कार्यालय व्यय का 10 प्रतिशत शामिल होता है। उनके संबंधित राजस्व के आधार पर शेष को सेगमेंटों में बांटा जाता है।

(ख) अनावंटित परिसंपत्तियों और देयता में वे शामिल हैं, जिनको विशिष्ट सेगमेंट के लिए उपयुक्त रूप से पहचान करना संभव नहीं होता है।

(ग) सेगमेंट रिपोर्ट के कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पूर्व वर्ष से संबंधित हैं।

प्रमुख ग्राहकों (बाहरी ग्राहकों से) के बारे में सूचना

कंपनी बाहरी ग्राहकों से कोई राजस्व प्राप्त नहीं करती है, जो कंपनी के कुल राजस्व के 10 प्रतिशत अथवा अधिक होता है।

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के स्टेण्डएलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31.17 पूर्व अवधि समायोजन (रु. लाख में)

विवरण	त्रुटि की प्रकृति	राशि
01.04.2016 को प्रारंभिक धारित आय		**159,731.25**
समायोजन		**-**
01.04.2016 को पुन: सूचित प्रारंभिक धारित आय		**159,731.25**
2016-17 को समाप्त वर्ष के लिए जारी प्रचालनों से लेकर अवधि के लिए पुन: सूचित व्यय से अधिक आय		17,110.02
वर्ष 2016-17 के दौरान अन्य व्यापक आय		(218.21)
31.3.2017 को पुन: सूचित प्रारंभिक धारित आय		**176,623.06**

31.03.2017 को समाप्त वर्ष पुन: सूचित व्यय से अधिक आय (रु. लाख में)

विवरण	त्रुटि की प्रकृति	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	
लाभ में आय और व्यय विवरण (वृद्धि/ कमी) पर प्रभाव			
जारी प्रचालनों से लेकर व्यय से अधिक आय			**17,117.25**
कर्मचारी हित व्यय			
वेतन, मजदूरी और भत्ते	(ओमिशन)	(1.18)	
अन्य सुविधाएं और भत्ते	(ओमिशन)	(0.15)	
चिकित्सा व्यय	(ओमिशन)	(1.21)	(2.54)
अन्य व्यय			
प्रचार	(ओमिशन)	(2.87)	
सुरक्षा व्यय	(ओमिशन)	(1.52)	
पानी प्रभार	(ओमिशन)	(0.16)	
वाहन भत्ता	(ओमिशन)	(0.14)	(4.69)
आय और व्यय पर निवल प्रभाव			**(7.23)**
जारी प्रचालनों से लेकर पुन: सूचित व्यय से अधिक आय			**17,110.02**

इक्विटी और ई पी एस पर पूर्व अवधि त्रुटियों का प्रभाव (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2017 को
इक्विटी (वृद्धि/ कमी) पर प्रभाव		
अन्य वित्तीय देयताएं		
अन्य देयताएं	(7.23)	-
इक्विटी पर निवल प्रभाव	**(7.23)**	**-**

ई पी एस में प्रति शेयर मूल और कम हुई आय (वृद्धि/ कमी) पर प्रभाव

विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
जारी प्रचालन के लिए प्रति शेयर आय	
इक्विटी धारकों के लिए आरोप्य जारी प्रचालनों से मूल लाभ	(0.00)
इक्विटी धारकों के लिए आरोप्य जारी प्रचालनों से कम हुआ लाभ	(0.00)

31.18 पूर्व वर्ष के आंकड़े

जब जरूरी समझा गया, तब वर्तमान वर्ष के आंकड़ों के अनुरूप पूर्व वर्ष के आंकड़ों को पुन: इकट्ठा किया / पुन: व्यवस्थित किया गया है।

ह./-
(एस. आर. साहू)
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं. एफ5595

ह./-
(डी. एम. शर्मा)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
सदस्यता सं. 084838

ह./-
(दीपक कुमार)
कार्यकारी निदेशक
डी आई एन : 07886176

ह./-
(एल. सी. गोयल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी आई एन : 02389348

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस. पी. चोपड़ा ऐण्ड कं.
चार्टरित लेखाकार
एफ आर एन 000346एन
ह./-
अंकुर गोयल
भागीदार
सदस्यता सं. 099143

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 अगस्त, 2018

अंध संस्थान, पंचकुईंया रोड, नई दिल्ली के हॉस्टल ब्लॉक का उद्घाटन समारोह

समेकित लेखा

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष का समेकित तुलन-पत्र

(रु. लाख में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष
परिसम्पत्तियां			
गैर चालू परिसम्पत्तियां			
सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर	3	8,525.13	10,598.44
पूंजीगत कार्य प्रगति पर	3	28,465.16	109.26
अन्य मूर्त परिसम्पत्तियां	4	49.79	14.30
संयुक्त उद्यम में निवेश	5	152.58	166.11
वित्तीय परिसम्पत्तियां			
निवेश	6	-	-
ऋण	7	521.22	618.93
गैर चालू कर परिसम्पत्तियां	8	28,009.58	24,376.89
अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियां	9	34,517.27	16,413.64
चालू परिसम्पत्तियां			
वित्तीय परिसम्पत्तियां			
निवेश	10	78.75	72.40
व्यापार प्राप्य	11	936.18	870.27
नकदी और नकदी समतुल्य	12	4,059.03	4,924.19
नकदी और नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष	13	116,112.64	163,461.94
ऋण	14	2,189.17	1,913.76
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	15	31,383.30	12,925.08
अन्य चालू परिसम्पत्तियां	16	1,362.42	973.36
कुल परिसम्पत्तियां		**256,362.22**	**237,438.57**
इक्विटी और देयताएं			
इक्विटी			
इक्विटी शेयर पूंजी	17	25.00	25.00
अन्य इक्विटी	18	215,351.57	198,721.45
अनियंत्रण ब्याज	19	18,799.32	16,492.22
देयताएं			
गैर चालू देयताएं			
गैर चालू प्रावधान	20	2,221.39	2,445.04
अन्य गैर-चालू देयताएं	21	815.65	853.55
चालू देयताएं			
वित्तीय देयताएं			
ऋण	22	605.00	24.50
व्यापार देयताएं	23	1,898.12	2,048.16
अन्य वित्तीय देयताएं	24	4,072.18	4,307.47
अन्य चालू देयताएं	25	4,352.37	4,173.13
चालू प्रावधान	26	8,221.62	8,348.05
कुल इक्विटी और देयताएं		**256,362.22**	**237,438.57**

महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां 1 से 31 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है।

ह./-
(एस. आर. साहू)
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं. एफ5595

ह./-
(डी. एम. शर्मा)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
सदस्यता सं. 084838

ह./-
(दीपक कुमार)
कार्यकारी निदेशक
डी आई एन : 07886176

ह./-
(एल. सी. गोयल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी आई एन : 02389348

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस. पी. चोपड़ा ऐण्ड कं.
चार्टरित लेखाकार
एफ आर एन 000346एन

ह./-
अंकुर गोयल
भागीदार
सदस्यता सं. 099143

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 अगस्त, 2018

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष का समेकित तुलन-पत्र

(रु. लाख में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
आय			
प्रचालनों से राजस्व	27	28,745.65	30,261.71
अन्य लाभ	28	12,961.24	14,156.86
कुल आय		**41,706.88**	**44,418.57**
व्यय			
कर्मचारी हित व्यय	29	10,730.28	11,253.03
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	30	838.33	929.79
अन्य व्यय	31	11,447.57	11,498.32
कुल व्यय		**23,016.18**	**23,681.14**
विशेष मदें और कर से पूर्व व्यय से अधिक आय		18,690.70	20,737.43
विशेष मदें	32	(66.58)	4,878.42
कर से पूर्व व्यय से अधिक आय		18,624.12	25,615.85
कर व्यय		-	-
इक्विटी पद्धति का उपयोग करने के लिए लेखे में लिए निवेशों की निवल आय को बांटने से पूर्व व्यय से अधिक आय		18,624.12	25,615.85
जोड़ें : इक्विटी पद्धति का उपयोग करने के लिए लेखे में लिए गए संयुक्त उद्यम की निवल आय को बांटना		(13.10)	3.32
वर्ष का अधिशेष		**18,611.02**	**25,619.17**
अन्य विस्तृत आय			
मदें जिनको आय और व्यय के लिए पुन: वर्गीकृत नहीं किया जाएगा:		-	-
निवल निश्चित लाभ योजनाओं पर लाभ/ (हानि) को पुन: मापना	33.11 (II)	11.64	(220.44)
इक्विटी पद्धति का उपयोग करने के लिए लेखे में लिए गए संयुक्त उद्यम की अन्य विस्तृत आय को बांटना		(0.43)	(1.86)
वर्ष की अन्य विस्तृत आय/ (हानि)		**11.21**	**(222.30)**
वर्ष की कुल विस्तृत आय		**18,622.23**	**25,396.87**
निम्नलिखित के लिए अन्य विस्तृत आय			
पेरेन्ट के स्वामी		16,144.86	21,535.17
अनियत्रित ब्याज		2,466.16	4,084.00
		18,611.02	**25,619.17**
निम्नलिखित के लिए अन्य विस्तृत आय			
पेरेन्ट के स्वामी		8.84	(221.21)
अनियत्रित ब्याज		2.37	(1.09)
		11.21	**(222.30)**
निम्नलिखित के लिए अन्य विस्तृत आय			
पेरेन्ट के स्वामी		16,153.70	21,313.96
अनियत्रित ब्याज		2,468.53	4,082.91
		18,622.23	**25,396.87**
आधारभूत/ मिश्रित प्रत्येक 100 रु. प्रति इक्विटी शेयर से आय	33.12	0.65	0.86

महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां 1 से 33 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है

ह./-
(एस. आर. साहू)
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं. एफ5595

ह./-
(डी. एम. शर्मा)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
सदस्यता सं. 084838

ह./-
(दीपक कुमार)
कार्यकारी निदेशक
डी आई एन : 07886176

ह./-
(एल. सी. गोयल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी आई एन : 02389348

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस. पी. चोपड़ा ऐण्ड कं.
चार्टरित लेखाकार
एफ आर एन 000346एन

ह./-
अंकुर गोयल
भागीदार
सदस्यता सं. 099143

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 अगस्त, 2018

31 मार्च, 2018 को समाप्त के लिए इक्विटी में परिवर्तन संबंधी समेकित विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी (संदर्भ टिप्पणी 17)

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए :		(रु. लाख में)
विवरण	**शेयरों की संख्या**	**राशि**
1 अप्रैल, 2017 को शेष	25,000	25.00
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-
31 मार्च, 2018 को शेष	**25,000**	**25.00**

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए		(रु. लाख में)
विवरण	**शेयरों की संख्या**	**राशि**
1 अप्रैल, 2016 को शेष	25,000	25.00
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-
31 मार्च, 2017 को शेष	**25,000**	**25.00**

ख. अन्य इक्विटी (संदर्भ टिप्पणी सं. 18 और 19)

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)

विवरण	**धारित आय**	**पूंजी आरक्षित**			**भारत सरकार से पूंजीगत अनुदान**	**पेरेन्टस के स्वामियों के लिए कुल इक्विटी**	**गैर-नियंत्रित निवेश**	**कुल**
		के टी पी ओ के लिए प्रवर्तक का अंशदान	**आई टी पी ओ के लिए प्रवर्तक का अंशदान**	**अन्य**				
1 अप्रैल 2017 को शेष	191,614.57	1,325.22	4,965.62	18.10	805.17	198,728.68	16,492.22	215,220.90
लेखांकन नीति अथवा पूर्व अवधि त्रुटियों में परिवर्तन (संदर्भ टिप्पणी संख्या 33.23)	(7.23)	-	-	-	-	(7.23)	-	(7.23)
इण्ड एस. समायोजन के कारण परिवर्तन	-	-	-	-	-	-		
1 अप्रैल 2017 के पुन: बताए शेष	**191,607.34**	**1,325.22**	**4,965.62**	**18.10**	**805.17**	**98,721.45**	**16,492.22**	**215,213.67**
वर्ष का अधिशेष	16,144.86	-	-	-	-	16,144.86	2,466.16	18,611.02
वर्ष की अन्य विस्तृत आय/(हानि)	8.84	-	-	-	-	8.84	2.37	11.21
कुल व्यापक आय	**16,153.71**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16,153.71**	**2,468.53**	**18,622.23**
पूंजीगत राजस्व से अन्तरण	5,270.84	-	-	-	-	5,270.84	-	5,270.84
टीआईइएस से प्राप्त ग्रांट	-	-	-	-	518.11	518.11	497.80	1,015.91
एएसआईडी से प्राप्त अनुदान का परिशोधन	-	-	-	-	(41.70)	(41.70)	(40.06)	(81.76)
ऋणों के लिए अन्तरण							(619.16)	(619.16)
धारित आय के लिए अन्तरण	-	(305.22)	(4,965.62)	-	-	(5,270.84)	-	(5,270.84)
1 अप्रैल 2018 को शेष	**213,031.89**	**1,020.00**	**-**	**18.10**	**1,281.58**	**215,351.57**	**18,799.32**	**234,150.88**

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए								(रु. लाख में)
विवरण		पूंजी रिजर्व						
	धारित आय	के टी पी ओ के लिए प्रवर्तक का अंशदान	आई टी पी ओ के लिए प्रवर्तक का अंशदान	अन्य	भारत सरकार से पूंजीगत अनुदान	पेरेंट के स्वामियों के लिए कुल इक्विटी	गैर-नियंत्रित	कुल
1 अप्रैल, 2016 को शेष	170,293.39	1,325.22	4,965.62	18.10	846.87	177,449.19	11,915.92	189,365.11
लेखांकन नीति अथवा पूर्व अवधि त्रुटियों में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-		-
1 अप्रैल, 2016 को पुन: शेष बताया गया	**170,293.39**	**1,325.22**	**4,965.62**	**18.10**	**846.87**	**177,449.19**	**11,915.92**	**189,365.11**
जोड़े : वर्ष का अधिशेष	21,535.16	-	-	-	-	21,535.16	4,084.00	25,619.17
जोड़े : वर्ष की अन्य व्यापक आय/ (हानि)	(221.21)	-	-	-	-	(221.21)	(1.09)	(222.30)
कुल व्यापक आय	**21,313.95**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21,313.95**	**4,082.91**	**25,396.87**
एएसआईडी से प्राप्त अनुदान का परिशोधन	-	-	-	-	(41.70)	(41.70)	(40.06)	(81.76)
धारित आय के लिए अन्तरण							533.45	533.45
1 मार्च 2017 को शेष	**191,607.34**	**1,325.22**	**4,965.62**	**18.10**	**805.17**	**198,721.45**	**16,492.22**	**215,213.67**

महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां 1 से 31 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है।

ह./-
(एस. आर. साहू)
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं. एफ5595

ह./-
(डी. एम. शर्मा)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
सदस्यता सं. 084838

ह./-
(दीपक कुमार)
कार्यकारी निदेशक
डी आई एन : 07886176

ह./-
(एल. सी. गोयल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी आई एन : 02389348

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस. पी. चोपड़ा ऐण्ड कं.
चार्टर्ड लेखाकार
एफ आर एन 000346एन

ह./-
अंकुर गोयल
भागीदार
सदस्यता सं. 099143

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 अगस्त, 2018

दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित कैश फ्लो विवरण

(रु. लाख में)

	विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष	
क.	**प्रचालन क्रियाकलापों से केश फ्लो**				
	कर पूर्व व्यय से अधिक आय		18,611.02		25,619.17
	समायोजन :				
	अन्य व्यापक आय	11.21		(222.30)	
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	838.33		929.79	
	अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री पर हानि/ (लाभ)	(54.91)		27.98	
	ब्याज और लाभांश आय	(11,667.03)		(13,163.73)	
	प्रावधान	134.84		154.13	
	प्रावधान / देयताएं, जो अब अपेक्षित नहीं	(329.00)		(210.51)	
	वित्तीय निवेश पर फेयर वैल्यू लाभ/ हानि	2.88		(54.12)	
	सरकारी अनुदान का परिशोधन	(81.76)		(81.76)	
	मूल्य-ह्रास - अपवादात्मक मद	-		262.16	
	इक्विटी पद्धति का उपयोग करके लेखें में लिए गए संयुक्त उद्यम के निवल लाभ का शेयर	13.53		(1.46)	
	पी पी ई की बिक्री पर लाभ/ हानि - अपवादात्मक मद	66.58		(5,076.02)	
	बट्टे खाते में डाली परिसम्पत्तियां	-	(11,065.33)	0.11	(17,435.74)
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालनात्मक लाभ		7,545.69		8,183.43
	गैर-चालू वित्तीय ऋणों में वृद्धि (कमी)	(97.71)		(171.08)	
	गैर-चालू परिसम्पत्तियों में वृद्धि (कमी)	175.95		499.68	
	गैर चालू कर परिसम्पत्तियों में वृद्धि (कमी)	3,632.69		4,217.11	
	व्यापार प्राप्यों में वृद्धि (कमी)	(89.44)		(121.39)	
	चालू ऋणों में वृद्धि (कमी)	275.41		(66.09)	
	अन्य चालू वित्तीय परिसम्पत्तियों में वृद्धि (कमी)	18,478.22		(19.05)	
	अन्य चालू परिसम्पत्तियों में वृद्धि (कमी)	502.66		516.73	
	अन्य गैर चालू प्रावधानों में वृद्धि (कमी)	223.65		(603.55)	
	अन्य गैर चालू देयताओं में वृद्धि (कमी)	37.90		79.84	
	व्यापार देयताओं में वृद्धि (कमी)	150.04		181.99	
	अन्य चालू वित्तीय देयताओं में वृद्धि (कमी)	259.78		(22.82)	
	अन्य चालू देयताओं में वृद्धि (कमी)	(179.24)		(806.38)	
	चालू प्रावधानों में वृद्धि (कमी)	126.44		(2,107.64)	
	प्रावधान/ देयताएं, जो अब अपेक्षित नहीं	(172.00)		(206.53)	
	नकदी और नकदी समतूल्य के अलावा बैंक शेष	(47,349.30)	(24,024.95)	10,343.10	11,713.93
	संचालन कार्यकलापों से कैशफ्लो (क)		**31,570.64**		**(3,530.50)**
ख.	**निवेश संबंधी कार्यकलापों से केश फ्लो**				
	वित्तीय परिसम्पत्तियों में (जमा)/ निकासी		-		500.00
	आई ई सी सी परियोजना के लिए विज्ञापन		(46,234.90)		(13,270.26)
	अचल परिसम्पत्तियों की खरीद		(700.06)		(568.19)
	अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री		1,839.62		5,325.18
	निवेश और इंटर कारपोरेट जमा		(9.23)		(5.59)
	ब्याज और लाभांश आय		11,667.03		13,163.73
	निवेश कार्यकलापों से निवल नकदी (ख)		**(33,437.54)**		**5,144.87**
ग.	**वित्तीय कार्यकलापों से नकदी प्रवाह (ग)**				
	उधारियों का पुनर्भुगतान		(14.16)		(226.75)
	प्राप्त सरकारी अनुदान		1,015.91		-
	वित्तीय कार्यकलापों से निवल कैशफ्लो [ग]		**1,001.75**		**(226.75)**

नकदी और नकदी समतूल्य में निवल वृद्धि कमी (क + ख + ग)		(865.16)		1,387.62
वर्ष के प्रारंभ में नकदी और नकदी समतुल्य		4,924.19		3,536.57
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य		**4,059.04**		**4,924.19**
नकदी और नकदी समतुल्य के संघटक				
वर्ष के अंत में				
हाथ में नकदी और नकदी समतुल्य		33.32		9.29
बैंकों में शेष - चालू और बचत लेखे में		4,025.71		4,914.90
बैंकों में शेष - सावधि जमा में 3 महीने तक मूल परिपक्वता		-		-
		4,059.03		**4,924.19**

टिप्पणी :

1. नकदी और नकदी समतुल्य में हाथ में नकदी, हाथ में ड्राफ्ट/ चैक, बैंक शेष, बैंकों के पास जमा और 3 महीने अथवा इससे कम अवधि की मूल परिपक्वता सहित अल्पकालिक निवेश।
2. इण्ड-ए.एस. 7 में संशोधन : 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी, समूह ने इण्ड-ए.एस. 7 में संशोधन को स्वीकार किया जिसमें कंपनियों को यह प्रकटन उपलब्ध कराना होता है जिससे प्रकटन की अपेक्षा को पूरा करने के लिए वित्तीय कार्यकलापों से हुई देयताओं के लिए तुलन-पत्र को प्रारंभिक और अंत-शेषों के बीच मिलान को शामिल करने के सुझाव देते हुए नकद प्रवाहों से हुए परिवर्तनों और गैर-नकद परिवर्तनों दोनों को शामिल करके वित्तीय कार्यकलापों से हुई देयताओं में परिवर्तनों का मूल्यांकन वित्तीय विवरणों में प्रयोक्ता कर सकते हैं। संशोधन को स्वीकार करने से वित्तीय विवरणों पर कोई वस्तुत: प्रभाव नहीं होता।
   महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां 1 से 33 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है।

ह./-
(एस. आर. साहू)
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं. एफ5595

ह./-
(डी. एम. शर्मा)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
सदस्यता सं. 084838

ह./-
(दीपक कुमार)
कार्यकारी निदेशक
डी आई एन : 07886176

ह./-
(एल. सी. गोयल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी आई एन : 02389348

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस. पी. चोपड़ा ऐण्ड कं.
चार्टरित लेखाकार
एफ आर एन 000346एन

ह./-
अंकुर गोयल
भागीदार
सदस्यता सं. 099143

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 अगस्त, 2018

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

1. समूह जानकारी

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (धारक कम्पनी) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 (अब कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 8) के अंतर्गत मुख्य रूप से भारत तथा विदेशों में व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों के आयोजन के माध्यम से भारत के व्यापार संवर्धन के उद्देश्य से 30.12. 1976 को ट्रेड फेयर अथारिटी आफ इण्डिया (टी एफ ए आई) के रूप में स्थापित की गई थी। बाद में 1.1.1992 को भूतपूर्व ट्रेड डेवलेपमेंट अथारिटी का टी एफ ए आई के साथ विलय हो जाने पर विलयित संगठन को 16.04.1992 को कम्पनी रजिस्ट्रार की विधिवत स्वीकृति लेकर पुनर्नामित करके इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन कर दिया गया। यह कम्पनी भारत सरकार का शीर्ष व्यापार संवर्धन निकाय है तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्यिक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करती है। कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय प्रगति भवन, प्रगति मैदान, नई दिल्ली - 110001 में स्थित है और इसके कार्यालय भारत के विभिन्न राज्यों में हैं।

धारित कम्पनी की दो सहायक कम्पनियां नामत: तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (टी एन टी पी ओ) और कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (के टी पी ओ) है और एक संयुक्त नियंत्रित कम्पनी नेशनल सेंटर फार ट्रेड इन्फार्मेशन (एन सी टी आई) है। संलग्न समेकित वित्तीय विवरण इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (आई टी पी ओ) और इसकी दो सहायक कम्पनियों (जिन्हें एक साथ 'समूह' कहा गया है) और एक संयुक्त नियंत्रित कम्पनी से संबंधित है।

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों को निदेशक मण्डल के द्वारा 29 अगस्त, 2018 को अनुमोदन दिया गया था।

2. महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

2.1 अनुपालन विवरण और इन्हें तैयार करने का आधार

क) भारतीय लेखांकन मानकों (इंड- ए. एस.) के अनुसार अनुपालन

समेकित वित्तीय विवरण कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) निमयावली 2017 के द्वारा यथा संशोधित कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली 2015 और कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों (इण्ड ए एस) के अनुसार तैयार किए गए हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों को प्रोदभवन और जारी संस्था के आधार पर तैयार किया गया है। लेखांकन नीतियां समेकित वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत की गई सभी अवधियों के लिए समान रूप से लागू होती हैं। सभी परिसम्पत्तियों और देयताओं को कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III के प्रभाग-II में यथा निश्चित कम्पनी के सामान्य प्रचालन चक्र एवं अन्य मानदण्डों के अनुसार चालू और गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ख) ऐतिहासिक लागत परम्परा

समेकित वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परम्परा के अंतर्गत लेखांकन के आधार पर तैयार किए गए हैं, सिवाय निम्नलिखित कुछ वित्तीय परिसम्पत्तियों और वित्तीय देयताओं के लिए, जिनको उचित मूल्य के आधार पर निर्धारण किया जाता है :-

- कुछ वित्तीय परिसम्पत्तियों और देयताओं को उचित मूल्य पर तैयार किया गया।
- सुनिश्चित कर्मचारी लाभ योजनाओं की योजनागत परिसम्पत्तियां।

उचित मूल्यों का निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त पद्धतियों के बारे में लेखा टिप्पणियों में विचार-विमर्श किया गया है।

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

ग) क्रियाशील और प्रस्तुतीकरण करेंसी (मुद्रा)

ये समेकित वित्तीय विवरण भारतीय रुपए (आई एन आर) में तैयार किए जाते हैं; जो समूह कम्पनी की क्रियाशील और प्रस्तुतीकरण करेंसी है। भारतीय रुपए में प्रस्तुत की गई समस्त वित्तीय सूचना को लाख (2 दशमलव तक) के आस-पास रखा गया है, जब तक अन्यथा अपेक्षित न कहा गया हो।

घ) चालू बनाम गैर-चालू वर्गीकरण

समूह चालू/ गैर-चालू वर्गीकरण के आधार पर तुलन-पत्र में परिसम्पत्तियों और देयताओं को प्रस्तुत करता है।

किसी परिसम्पत्ति को चालू के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है, जब निम्नलिखित हों :-

- सामान्य प्रचालन चक्र में प्राप्त किए जाने अथवा बेचने अथवा उपयोग किए जाने की उम्मीद हो;
- व्यापार के प्रयोजन के लिए मुख्य रूप से रखी हो;
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद 12 महीनों के भीतर प्राप्त कर लिए जाने की उम्मीद हो; अथवा
- रिपोर्टिंग तारीख के बाद कम से कम 12 महीनों के लिए देयता के भुगतान करने के लिए बदलने अथवा उपयोग किए जाने के लिए सीमित न हो, तब तक नकदी अथवा नकदी समतुल्य।

सभी अन्य परिसम्पत्तियों को गैर चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

किसी देयता को चालू के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है, जब निम्नलिखित हो :-

- सामान्य प्रचालन चक्र में भुगतान किए जाने की उम्मीद हो;
- व्यापार के प्रयोजन के लिए मुख्य रूप से रखी हो;
- रिपोर्टिंग की तारीख के बाद 12 महीनों के भीतर भुगतान किया जाना हो;
- रिपोर्टिंग की तारीख के बाद कम से कम 12 महीनों के लिए देयता का भुगतान आस्थगित करने के लिए बिना शर्त कोई अधिकार नहीं हो।

सभी अन्य देयताओं को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

प्रचालन चक्र

प्रक्रिया करने के लिए परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण और उनकी नकदी और नकदी समतुल्य की प्राप्ति के बीच की समय-अवधि प्रचालन चक्र होती है। समूह ने अपने प्रचालन चक्र के रूप में 12 महीनों की पहचान की है।

ङ) अनुमानों और निर्णयों का उपयोग

समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए निर्णयों, अनुमानों और संकल्पनाओं हेतु प्रबंधन की यह अपेक्षा होती है जिससे राजस्व, व्यय, परिसम्पत्तियों और देयताओं की सूचित राशियां और संलग्न प्रकटन तथा आकस्मिक देयताओं के प्रकटन प्रभावित हो सकते हैं। इन अनुमानों और संकल्पनाओं के बारे में अनिश्चितता से ऐसे परिणाम आ सकते हैं, जिनके लिए भावी अवधि(यों) में परिसम्पत्तियों और देयताओं की राशि ले जाने के लिए वास्तविक समायोजनों की अपेक्षा होती है।

ये अनुमान और संकल्पनाएं उन तथ्यों और घटनाओं पर आधारित होती हैं जो तुलन-पत्र की तारीख को हों, अथवा उस तारीख के बाद घटिया हुई हों, परंतु तुलन-पत्र की तारीख को मौजूदा शर्तों / परिस्थितियों के बारे में अतिरिक्त प्रमाण उपलब्ध कराएं।

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

वे अनुमान और संकल्पनाएं नीचे दी गई हैं, जिनसे अलगे वित्तीय वर्ष के भीतर परिसम्पत्तियों और देयताओं की कीमत (राशि) लेने के लिए वास्तविक समायोजन करने का बहुत जोखिम होता है।

i) सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पी पी ई) की उपयोगी मियाद

सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्करों का उनकी अपनी अपनी उपयोगी मियाद पर स्पष्ट रूप से यथा अनुपात आधार पर मूल्यह्रास होता है। इन परिसम्पत्तियों की उपयोगी मियाद के बारे में प्रबंधन के अनुमान कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में नियत उपयोगी मियाद और अवशिष्ट कीमत से अधिक नहीं होते हैं। उपयोग के संभावित स्तर में परिवर्तन, प्रौद्योगिकीय विकास और टूट-फूट के स्तर से इन परिसम्पत्तियों की मिव्ययी उपयोगी मियाद और अवशिष्ट कीमत प्रभावित हो सकती है। इसलिए भावी मूल्यह्रास प्रभारों को संशोधित किया जा सकता है और इनका भावी वर्षों में लाभ पर प्रभाव हो सकता है।

ii) सेवा-निवृत्ति लाभ दायित्व

सेवा निवृत्ति लाभों की लागत और ग्रेच्युटी एवं छुट्टी नकदीकरण के संबंध में सेवा-निवृत्ति दायित्वों की वर्तमान कीमत का बीमांकिक मूल्यांकन का उपयोग करते हुए निर्धारण किया जाता है। एक बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न संकल्पनाएं शामिल होती हैं जो भविष्य में भावी विकास से भिन्न हो सकती हैं। इनमें छूट दर, भावी वेतन बढ़ोत्तरी का निर्धारण और मृत्यु दरें शामिल होती हैं। मूल्यांकन की जटिलता, निहित संकल्पनाओं और इनके दीर्घकालिक स्वरूप की वजह से ये सेवा-निवृत्ति लाभ दायित्व इन संकल्पनाओं में बदलाव करने के लिए संवेदनशील होते हैं। संवेदनशील विश्लेषण सहित प्रयुक्त संकल्पनाओं के बारे में विवरण लेखा-टिप्पणियों में दिए हैं।

iii) वित्तीय संसाधनों का उचित लागत पर निर्धारण

जब तुलन-पत्र में रिकार्ड की गई वित्तीय परिसम्पत्तियों और वित्तीय देयताओं की उचित कीमत को सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्यों के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तब छूट दिए गए केश फ्लो (डी सी एफ) माडल सहित मूल्य निर्धारण तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। इन माडलों की जानकारियों के लिए निवेश दृष्टिगोचर बाजारों से, जहां संभव होता है, ली जाती हैं, लेकिन जहां यह व्यवहार्य नहीं होता है, वहां पर उचित कीमतों को सुनिश्चित करने में निर्णय की सीमा की आवश्यकता होती है। निर्णयों में तरलता जोखिम, क्रेडिट जोखिम और घट-बढ़ से सम्बन्धित जानकारियों का महत्त्व शामिल होता है। इन कारकों के बारे में संकल्पनाओं में परिवर्तनों से वित्तीय संसाधनों की सूचित उचित कीमत प्रभावित हो सकती है।

iv) वित्तीय परिसम्पत्तियों की क्षति

वित्तीय परिसम्पत्तियों के क्षति संबंधी प्रावधान खराबी के जोखिम और संभावित हानि दरों के बारे में संकल्पनाओं पर आधारित होते हैं। कम्पनी के विगत इतिवृत्त, मौजूदा बाजार स्थितियों और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आगामी अनुमानों के आधार पर कम्पनी इन संकल्पनाओं के बारे में तथा क्षति संबंधी गणना करने के लिए कारकों का चयन करने में निर्णय का उपयोग करती है।

तीन से अधिक अथवा अन्यथा वित्तीय वर्षों की बकाया सरकारी देयताओं सहित बकाया के बारे में संदिग्ध ऋणों/ अग्रिमों की क्षति के लिए व्यवस्था की जाती है, सिवाय उन मामलों के जहां पर कम्पनी को वसूली की उम्मीद होती है।

v) गैर वित्तीय परिसम्पत्तियों का ह्रास

समूह प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को यह आकलन करता है कि क्या ऐसा संकेत मिलता है कि परिसम्पत्ति का ह्रास हो सकता है। यदि कोई संकेत मिलता है अथवा जब किसी परिसम्पत्ति के लिए वार्षिक ह्रास परीक्षण की आवश्यकता होती है तो कम्पनी परिसम्पत्ति की वसूलनीय राशि का

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

अनुमान लगाती है। परिसम्पत्तियों का निपटान करने की लागत और उपयोग करने में इसकी कीमत को कम करके किसी परिसम्पत्ति की वसूलनीय राशि किसी सम्पत्ति की उचित मूल्य से अधिक होती है। किसी एक परिसम्पत्ति के लिए यह निर्धारित तब तक की जाती है, जब तक परिसम्पत्ति से नकद प्रवाह न होता हो, जो उन अन्य परिसम्पत्तियों अथवा परिसम्पत्तियों के समूह पर अधिकांशत: निर्भर होते हैं। जहां पर किसी परिसम्पत्ति की केरीइंग राशि उनकी वसूलनीय राशि से अधिक होती है, वहां पर परिसम्पत्ति को ह्रास परिसम्पत्ति माना जाता है और इसकी वसूलनीय राशि में इसको लिख दिया जाता है।

उपयोग में कीमत का आकलन करने में अनुमानित भावी नकद प्रवाहों को पूर्व कर छूट दर का उपयोग करते हुए उनकी वर्तमान कीमत में छूट दी जाती है जो परिसम्पत्ति के धन के समय कीमत तथा विशिष्ट परिसम्पत्ति के जोखिमों का वर्तमान बाजार आकलन को दर्शाती है। निपटान करने की लागतों को कम करके उचित मूल्य का निर्धारण करने में हाल ही के बाजार लेन-देनों को ध्यान में रखा जाता है। यदि ऐसे किसी लेन-देन की पहचान नहीं की जा सकती है, तो एक उचित मूल्यांकन माडल का उपयोग किया जाता है। इन गणनाओं की मूल्यांकन गुणांकों अथवा अन्य उचित मूल्य सूचकों से पुष्टि की जाती है।

च) समेकन का आधार

समेकन के प्रयोजन के लिए अनुषंगी कम्पनियों और संयुक्त उद्यम के वित्तीय विवरण उसी रिपोर्टिंग तारीख को बनाए जाते हैं, जिस तारीख को कम्पनी के विवरण बनाए जाते हैं।

अनुषंगी कम्पनियां

अनुषंगी कम्पनियां ऐसी सभी संस्थाएं होती हैं, जिन पर समूह का नियंत्रण होता है। समूह किसी संस्था पर नियंत्रण तब करता है, जब समूह को किसी संस्था के साथ उसके शामिल होने से अस्थिर लाभों को प्रकट करता है अथवा उसके बारे में अधिकार रखता हो, अथवा संस्था के प्रासंगिक कार्यकलापों के बारे में निर्देश देने के लिए अपनी शक्ति के माध्यम से उन लाभों को प्रभावित करने की उसमें क्षमता हो। अनुषंगी कम्पनियों को उस तारीख से पूर्ण रूप से समेकित किया जाता है जिस तारीख से समूह के लिए नियंत्रण अंतरित किया जाता है, जिस तारीख से नियंत्रण समाप्त हो जाता है, उस तारीख से उनका समेकन नहीं होता है।

समूह परिसम्पत्तियों की समान मदों, देयताओं, इक्विटी, आय और व्यय को साथ-साथ जोड़कर मूल कम्पनी और उसकी अनुषंगी कम्पनियों के वित्तीय विवरणों को मिला देता है। अत: समूह कम्पनी लेन-देनों, शेष धनराशियों और लेन-देनों पर वसूल न किए गए लाभों को अलग कर दिया जाता है। वसूल न हुई हानियों को अलग कर दिया जाता है, जब तक कि हस्तांतरित परिसम्पत्ति के क्षतिग्रस्त होने के प्रमाण की व्यवस्था लेन-देन में न हो।

अनुषंगी कम्पनियों के परिणामों में गैर-नियंत्रण ब्याज (एन सी आई) और इक्विटी को लाभ और हानि के समेकित विवरण इक्विटी में परिवर्तन के समेकित विवरण और समेकित तुलन-पत्र में क्रमश: अलग-अलग दर्शाया जाता है। एन सी आई को अधिग्रहण की तारीख को प्राप्तकर्ता की निवल पहचान योग्य परिसम्पत्तियों के उनके आनुपातिक शेयर के अनुसार मापा जाता है। अनुषंगी समूह कम्पनी के इक्विटी हित में परिवर्तनों को, जिनसे नियंत्रण की हानि न हो, उनको इक्विटी लेन-देनों के रूप में लेखे में लिया जाता है।

नियंत्रण न जाने के बिना किसी अनुषंगी कम्पनी के स्वामित्व हित में परिवर्तन को एक इक्विटी लेन-देन के रूप में लेखे में लिया जाता है।

जब समूह किसी अनुषंगी कम्पनी से नियंत्रण खो देता है, तब यह अनुषंगी कम्पनी और किसी संबद्ध एन सी आई एवं इक्विटी के अन्य संघटकों की परिसम्पत्तियों और देयताओं को मान्यता नहीं देता है। पूर्व अनुषंगी कम्पनी में धारित किसी हित का नियंत्रण खोने की तारीख को उचित मूल्य पर निर्धारण किया जाता है। किसी परिणामी लाभ अथवा हानि को लाभ अथवा हानि में मान्यता दी जाती है।

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

संयुक्त उद्यम

संयुक्त उद्यम एक संयुक्त व्यवस्था है, जिसके द्वारा जिन पक्षकारों का व्यवस्था संबंधी संयुक्त नियंत्रण होता है, उन पक्षकारों के व्यवस्था की निवल परिसम्पत्तियों के बारे में अधिकार होते हैं। संयुक्त उद्यमों में हितों को लागत पर प्रारंभ में मान्यता दी जाती है और उसके बाद में इक्विटी पद्धति का उपयोग करने के लिए लेखे में लिया जाता है।

इक्विटी पद्धति

लेखांकन की इक्विटी पद्धति के तहत निवेशों को प्रारंभ में लागत पर मान्यता दी जाती है और उसके बाद में लाभ और हानि में निवेशकर्ता के अधिग्रहण के बाद लाभ अथवा हानियों का समूह के शेयर और अन्य विस्तृत आय में निवेशकर्ता की अन्य विस्तृत आय का समूह के शेयर को मान्यता देने के लिए समायोजित किया जाता है। संयुक्त उद्यमों से प्राप्त अथवा प्राप्य लाभांश को निवेश की कैरीइंग राशि में कमी के रूप में मान्यता दी जाती है।

जब निवेश के रूप में ली गई किसी इक्विटी में हानियों के बारे में समूह का शेयर किसी संस्था में किसी अन्य असुरक्षित दीर्घकालिक प्राप्यों सहित उसकी ब्याज के बराबर अथवा अधिक होता है, तो समूह तब तक आगे (अधिक) हानियों को स्वीकार नहीं करता है, जब तक अन्य संस्था की बाध्यता न हो अथवा उसकी ओर से भुगतान न किए हों।

समूह और उसके संयुक्त उद्यमों के बीच में लेन-देनों पर प्राप्त न हुए लाभों को इन संस्थाओं में समूह की ब्याज की सीमा तक छोड़ दी जाती है। वसूल न की गई हानियों को भी हटा दिया जाता है जब तक कि लेन-देनों में अंतरित परिसम्पत्ति को क्षति होने के प्रमाण उपलब्ध न हों।

निवेशों के रूप में ली गई इक्विटी की कैरीइंग राशि का समूह की नीति के अनुसार क्षति के लिए जांच परीक्षण किया जाता है।

संयुक्त उद्यम में पण (स्टेक) कम होने लेकिन संयुक्त नियंत्रण अभी रखने पर अवमिश्रण पर किसी लाभ अथवा हानि को आय और व्यय के विवरण में मान्यता दी जाती है।

संयुक्त नियंत्रण न होने की वजह से जब किसी निवेश को लेखे में लेने की इक्विटी पद्धति को समूह लागू करना बंद कर देता है, तब लाभ अथवा हानि में मान्य कैरीइंग राशि में परिवर्तन सहित उसकी उचित मूल्य में संस्था के किसी धारित हित को मापा जाता है। इसके अतिरिक्त, उस संस्था के बारे में, अन्य विस्तृत आय में पूर्व में मान्य किन्हीं राशियों को इस प्रकार से लेखों में लिया जाता है जैसे समूह ने सम्बद्ध परिसम्पत्तियों अथवा देयताओं का सीधे ही निपटान किया था। इसका आशय यह हो सकता है कि अन्य विस्तृत आय में पहले से ही मान्य राशियों को लाभ अथवा हानि में पुन: वर्गीकृत किया जाता है।

यदि किसी संयुक्त उद्यम में स्वामित्वहित कम कर दिया है, लेकिन संयुक्त नियंत्रण रखा जाता है, तो अन्य विस्तृत आय में पहले से मान्य राशियों के आनुपातिक शेयर को ही, जहां उपयुक्त हो, लाभ अथवा हानि में पुन: वर्गीकृत किया जाता है।

2.2 सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पी पी ई)

सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की मद को एक परिसम्पत्ति के रूप में तब मान्यता दी जाती है, जब यदि यह संभव हो कि मद से जुड़े भावी आर्थिक लाभ कम्पनी को मिलेंगे और मद की लागत को विश्वसनीय रूप में मापा जा सकता है।

सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्करों को ऐतिहासिक लागत आधार पर (स्थापना, अधिग्रहण / निर्माण की लागत तथा मद की स्थापना / अधिग्रहण / निर्माण पूरा होने तक अन्य आकस्मिक लागतों सहित), वसूलनीय करों की निवल राशि के लिए संचित मूल्यह्रास और क्षति हानियों को कम करके लेखे में लिया जाता है, जिन मामलों में ठेकेदारों/ निष्पादन एजेंसी के पास बिलों का अंतिम निपटान लंबित हो, लेकिन परिसम्पत्ति पूर्ण हो

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

और उपयोग हेतु उपलब्ध हो, ऐसे मामलों में आवश्यक समाधानों के अध्यधीन दिए गए ठेके/ लेखा विवरण/ उपयोग प्रमाण पत्र के आधार पर पूंजीकरण किया जाता है, इसमें वे शामिल हैं जो मध्यस्थता/ न्यायालय के मामलों के समाधान से होते हैं।

उत्तरवर्ती व्यय को परिसम्पत्ति की मौजूदा केरीइंग राशि के रूप में जोड़ा जाता है अथवा यथा उपयुक्त एक अलग परिसम्पत्ति के रूप में केवल उस समय मान्यता दी जाती है जब इससे जुड़े भावी आर्थिक लाभ कम्पनी को मिलेंगे और मद की लागत को विश्वसनीय तौर पर मापा जा सके। सभी अन्य मरम्मत और रख-रखाव पर हुए व्यय को उस अवधि के दौरान आय और व्यय विवरण में लिया जाता है, जिसमें वे होते हैं।

सेवा-निवृत्ति अथवा सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर के बेचने से हुए लाभ अथवा हानियों को आय और व्यय विवरण में स्वीकार किया जाता है।

स्थायी पट्टे के आधार पर ली गई पट्टे वाले भूमि का परिशोधन नहीं किया जाता है।

मूल्यह्रास को कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में निर्धारित तरीके से प्रबंधन द्वारा अनुमान लगायी गई परिसम्पत्ति की अनुमानित उपयोगी मियाद के आधार पर आय और व्यय विवरण में स्वीकार किया जाता है। निम्नलिखित मामलों में उपयोगी मियाद कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-II में निर्धारित मियाद से भिन्न होती है।

परिसम्पत्ति	कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-II के अनुसार उपयोगी मियाद (संख्या वर्षों में)	कम्पनी के द्वारा आकलन की गई/ अनुमानित उपयोगी मियाद (संख्या वर्षों में)
भवन - लीजहोल्ड/ फ्रीहोल्ड	60	40/20/10
संयंत्र और मशीनरी	15	15/10/8
वाहन	8	5

5,000/-रु. (प्रत्येक) तक की लागत वाली सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्करों पर बढ़ोत्तरी की अवधि के दौरान पूर्णत: मूल्यह्रास लिया जाता है।

परिसम्पत्तियों में बढ़ोत्तरी/ से कटौतियों के मामले में उस मास से/ तक यथा अनुपात आधार पर के टी पी ओ के मामले में दिन के आधार पर) मूल्यह्रास लिया जाता है।

2.3 पूंजीगत कार्य प्रगति पर

सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर, जो तुलन पत्र की तारीख को आशयित उपयोग करने के लिए तैयार नहीं हैं, उनको 'पूंजीगत कार्य प्रगति पर' के रूप में प्रकट किया जाता है।

ऐसे मामले में, जहां पर ठेकेदारों/ निष्पादन एजेंसी के बिलों का अंतिम निपटान लंबित हो, उनमें लागत/ व्यय को मध्यस्थता/ न्यायालय के मामलों का निपटान करने से हुए समायोजनों सहित आवश्यक समायोजनों के अध्यधीन दिए गए ठेके/ लेखा विवरणों/ उपयोग प्रमाणपत्र के आधार पर सी डब्ल्यू आई पी के रूप में स्वीकार किया जाता है।

2.4 अमूर्त परिसम्पत्तियां

अमूर्त परिसम्पत्तियों को लागत पर प्रारंभिक मान्यता के आधार पर मापा जाता है। प्रारंभिक मान्यता के बाद अमूर्त परिसम्पत्तियों को संचित परिशोधन और क्षति हानियों, यदि कोई हो, को कम करके लागत पर ले जाया जाता है।

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

अमूर्त परिसम्पत्ति की मद को निपटान के बाद मान्यता नहीं दी जाती है अथवा तब उस समय जब भावी आर्थिक लाभों की इनके उपयोग अथवा निपटान करने से उम्मीद न हो। अमूर्त परिसम्पत्ति को मान्यता न देने से हुए लाभ अथवा हानियों को परिसम्पत्ति की निवल बिक्री लाभों और केरीइंग राशि के बीच अंतर के अनुसार मापा जाता है और आय और व्यय विवरण में स्वीकार किया जाता है।

अमूर्त परिसम्पत्तियां उस वर्ष से उपयोग करने के कानूनी अधिकार की अवधि अथवा 3 वित्तीय वर्षों में, जो पहले हो, बराबर-बराबर पूर्ण परिशोधित की जाती हैं, जिस वर्ष में परिसम्पत्ति उपयोग करने के लिए उपलब्ध हो।

2.5 गैर-वित्तीय परिसम्पत्तियों की क्षति

कम्पनी बाहरी और आंतरिक संसाधनों का उपयोग करते हुए रिपोर्ट करने की प्रत्येक तारीख को यह आकलन करती है कि क्या ऐसा कोई संकेत है कि गैर-वित्तीय परिसम्पत्तियों को क्षति हो सकती है और क्या पहली अवधि (अवधियों) में मानी गई क्षति हानि का अभिशून्यन करने का भी कोई संकेत है। यदि कोई संकेत होता है अथवा जब किसी परिसम्पत्ति के लिए वार्षिक क्षति जांच अपेक्षित होती है तो कम्पनी वसूलनीय क्षति को निर्धारित करती है और क्षति हानि की पहचान की जाती है। जब किसी परिसम्पत्ति का केरीइंग मूल्य उसकी वसूलनीय राशि से अधिक हो जाता है। वसूलनीय राशि का निर्धारण निम्नलिखित में किया जाता है :-

- किसी एक परिसम्पत्ति के मामले में बिक्री के व्यय और उपयोग में मूल्य को कम करके परिसम्पत्ति की उचित मूल्य की अधिक कीमत पर। और
- नकद उत्पन्न करने वाली यूनिट के मामले में (परिसम्पत्तियों का एक समूह जो अभिज्ञात, स्वतंत्र नकद प्रवाह उत्पन्न करता है) बिक्री के व्यय और उपयोग में मूल्य को कम करके नकद उत्पादन करने वाली यूनिटों की उचित मूल्य की अधिक राशि पर।

उपयोग में कीमत का आकलन करने में अनुमानित भावी नकद प्रवाहों को पूर्व कर छूट दर का उपयोग करते हुए उनकी वर्तमान कीमत में छूट दी जाती है जो परिसम्पत्ति के धन के समय कीमत तथा विशिष्ट परिसम्पत्ति के जोखिमों का वर्तमान बाजार आकलन को दर्शाती है। निपटान करने की लागतों को कम करके उचित मूल्य का निर्धारण करने में हाल ही के बाजार लेन-देनों को ध्यान में रखा जाता है। यदि ऐसे किसी लेन-देन की पहचान नहीं की जा सकती है, तो एक उचित मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है। इन गणनाओं की मूल्यांकन गुणांकों अथवा अन्य उचित मूल्य सूचकों से पुष्टि की जाती है। इन गणनाओं की सार्वजनिक रूप से व्यापार करने वाली कम्पनियों के लिए उद्धृत शेयर कीमतों से अथवा अन्य उपलब्ध उचित मूल्य संकेतों से पुष्टि की जाती है।

किसी परिसम्पत्ति की क्षति हानि अभिशून्य कर दी जाती है, यदि और केवल यदि अभिशून्यन क्षति हानि को स्वीकार करने के बाद की किसी घटना के लिए वस्तुपरक रूप से संबंधित हो, किसी परिसम्पत्ति की केरीइंग राशि उसकी संशोधित वसूलनीय धनराशि तक बढ़ायी जाती है, बशर्ते यह राशि केरीइंग राशि से अधिक नहीं होती है, जिसका निर्धारण उस स्थिति में (किसी संचित परिशोधन अथवा मूल्यह्रास का निवल) किया गया होगा, यदि पूर्व वर्ष(र्षों) में परिसम्पत्ति के लिए स्वीकार्य कोई क्षति हानि न हुई हो।

2.6 नकदी और नकदी समतुल्य

नकदी और नकदी समतुल्य में अपने पास नकदी, ड्राफ्ट/ चैक, बैंक शेष, बैंकों के पास जमा धनराशि, अल्पावधि निवेश (प्राप्ति की तारीख से 3 माह अथवा उससे कम समय), अधिक तरलता निवेश, जो नकदी में तत्काल बदलने योग्य होते हैं और मूल्य में परिवर्तनों के नगण्य जोखिम के अध्यधीन होते हैं।

2.7 सामान सूचियां

सामान सूचियों का मूल्य निर्धारण लागत से कम अथवा निवल वसूली योग्य मूल्य पर होता है। पुराना, खराब और अप्रयोज्य स्टाक उपलब्ध कराया जाता है, जहां कहीं अपेक्षित होता है।

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

2.8 विदेशी मुद्रा में लेन-देन

विदेशी मुद्रा में लेन-देनों को भुगतानों की औसत दर पर दर्ज किया जाता है। तुलन-पत्र की तारीख को मौजूद मौद्रिक परिसम्पत्तियों और देयताएं विनिमय दरों पर वर्ष के अंत में परिवर्तित की जाती हैं। लेन-देन के भुगतान करने तथा मौद्रिक मदों को परिवर्तित करने से हुए विनिमय दर अंतरों को उस वर्ष की आय अथवा व्यय में स्वीकार किया जाता है, जिस वर्ष में वे होती हैं।

गैर-मौद्रिक मदों को, जिनको विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के अनुसार मापा जाता है, उनको भुगतानों की औसत दर का उपयोग करके परिवर्तित किया जाता है। यदि पूर्व निधियों का उपयोग किया जाता है, तो वहां परिवर्तन के प्रयोजन के लिए पूर्व भुगतान(नों) की औसत दर को लिया जाता है।

विदेशी मुद्रा में उचित मूल्य पर मापी गई गैर-मौद्रिक मदों को उस तारीख की विनिमय दरों के अनुसार परिवर्तित किया जाता है जिस तारीख को उचित मूल्य निर्धारित की जाती है।

2.9 उचित मूल्य निर्धारण

वित्तीय संसाधनों की उचित मूल्य का निर्धारण करने में कम्पनी विभिन्न पद्धतियो ंऔर संकल्पनाओं का उपयोग करती है जो रिपोर्ट करने की प्रत्येक तारीख को बाजार की परिस्थितियों और जोखिमों पर आधारित होते हैं। उचित मूल्य का निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त पद्धतियों में छूट प्राप्त नकद प्रवाह विश्लेषण, उपलब्ध उद्धृत बाजार कीमतें आदि शामिल होती हैं। उचित मूल्य का आकलन करने की सभी पद्धतियां सामान्य तौर पर कीमत के मौटे अनुमान हैं और ऐसी कीमत की वास्तव में वसूली नहीं की जा सकती है।

तुलन-पत्र की तारीख से एक वर्ष के भीतर परिपक्व हो रही वित्तीय परिसम्पत्तियों और देयताओं के लिए उन संसाधनों की अल्प परिपक्वता की वजह से इनको उचित मूल्य के लिए नहीं लिया जाता है।

2.10 वित्तीय संसाधन

वित्तीय संसाधन एक संविदा है जो एक कम्पनी की वित्तीय परिसम्पत्ति को तथा दूसरी कम्पनी की वित्तीय अथवा इक्विटी संसाधन को बढ़ावा देती है।

क) वित्तीय परिसम्पत्तियां

i) प्रारंभिक पहचान और मापन

सभी वित्तीय परिसम्पत्तियां और देयताओं की प्रारंभिक पहचान उसके उचित मूल्य पर पहचान की जाती है। लेन-देन संबंधी लागतें, जो वित्तीय परिसम्पत्तियों और वित्तीय देयताओं के अधिग्रहण के लिए होती हैं, और जो लाभ अथवा हानि उचित मूल्य पर नहीं होती हैं, उनको प्रारंभिक पहचान पर उचित मूल्य में जोड़ा जाता है तथा आय और व्यय विवरण में दर्शाया जाता है।

ii) वर्गीकरण और उत्तरवर्ती माप

उत्तरवर्ती माप के प्रयोजनार्थ वित्तीय परिसम्पत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है :

1. परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसम्पत्तियां
2. अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफ वी टी ओ सी आई) पर मापी गई वित्तीय परिसम्पत्तियां
3. लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई परिसम्पत्तियां (एफ वी टी पी एल)

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

जहां तक वित्तीय परिसम्पत्तियों को उचित मूल्य पर मापा जाता है, वहां पर लाभ अथवा हानियों को या तो आय और व्यय विवरण में पूर्णत: स्वीकार किया जाता है (अर्थात् लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य) अथवा अन्य व्यापक आय (अर्थात् अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य) में स्वीकार किया जाता है।

वित्तीय परिसम्पत्तियों का वर्गीकरण वित्तीय परिसम्पत्तियों की व्यवस्था करने के लिए कम्पनी के कारोबार माडल पर तथा नकद प्रवाह की संविदात्मक शर्तों पर निर्भर करता है। प्रबंधन प्रारंभिक मान्यता के आधार पर अपनी वित्तीय परिसम्पत्तियों के वर्गीकरण का निर्धारण करता है।

1. परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसम्पत्तियां

वित्तीय परिसम्पत्ति को परिशोधन लागत पर मापा जाता है, यदि निम्नलिखित दोनों शर्तों को पूरा करती हो :

- कारोबार माडल टेस्ट : कारोबार माडल का उद्देश्य संविदात्मक नकद प्रवाहों को एकत्रित करने के लिए (परिसम्पत्ति का उचित मूल्य परिवर्तनों के लिए उसकी वित्तीय परिपक्वता से पूर्व परिसम्पत्ति को बेचने की अपेक्षा) वित्तीय परिसम्पत्ति को रखना होता है; और
- नकद प्रवाह विशेषता टेस्ट : वित्तीय परिसम्पत्ति की संविदात्मक शर्तें नकद प्रवाह को विशिष्ट तारीखों पर बढ़ावा देती हैं जो बकाया मूलधन पर मूलधन और ब्याज के मात्र भुगतान (एस एस पी आई) होते हैं।

आरंभिक माप करने के बाद, ऐसी वित्तीय परिसम्पत्तियों को प्रभावी ब्याज दर (ई आई आर) पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर बाद में मापा जाता है। परिशोधन लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी प्रकार की छूट अथवा प्रीमियम और फीस अथवा व्यय को ध्यान में रखकर की जाती है, जो ई आई आर का अभिन्न भाग होते हैं। ई आई आर वह दर है जो वित्तीय संसाधन की संभावित मियाद की तुलना में अनुमानित भावी नकद प्राप्तियों पर अथवा कम अवधि वाली प्राप्तियों पर, जहां लागू हो, वित्तीय परिसम्पत्ति की सकल केरीइंग राशि पर सही-सही छूट प्रदान करती है। प्रभावी ब्याज दर की गणना करते समय कम्पनी वित्तीय संसाधन की संविदात्मक समस्त शर्तों पर विचार करके संभावित नकद प्रवाहों के बारे में अनुमान लगाती है, परंतु संभावित क्रेडिट हानियों पर विचार नहीं करती है। ई आई आर परिशोधन, आय और व्यय विवरण में ब्याज आय में शामिल होता है। क्षति से हुई हानियों को आय और व्यय विवरण में स्वीकार किया जाता है। यह श्रेणी सामान्य तौर पर कर्मचारी ऋणों तथा विशिष्ट शर्तों वाले अन्य ऋणों/ अग्रिमों आदि के लिए लागू होती है।

2. अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफ वी टी ओ सी आई) मापे गए वित्तीय संसाधन

यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी हों तो वित्तीय संसाधन को अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाएगा :

- कारोबार माडल टेस्ट : कारोबार माडल का उद्देश्य संविदात्मक नकद प्रवाहों को एकत्रित करके तथा वित्तीय परिसम्पत्तियों की बिक्री करके दोनों से प्राप्त किया जाता है।
- नकद प्रवाह विशेषता जांच : वित्तीय परिसम्पत्ति की संविदात्मक शर्तें नकद प्रवाह को विशिष्ट तारीखों पर बढ़ावा देती हैं जो बकाया मूलधन पर मूलधन और ब्याज के मात्र भुगतान (एस एस पी आई) होते हैं।

एफ वी टी ओ सी आई श्रेणी के अंतर्गत शामिल वित्तीय संसाधनों को प्रारंभ में तथा उचित मूल्य की प्रत्येक रिपोर्टिंग में मापा जाता है। उचित मूल्य संबंधी गतिविधियों को ब्याज आय, क्षति संबंधी लाभ और हानियां, विदेशी मुद्रा लाभ और हानियों को स्वीकार करने के सिवाय अन्य व्यापक आय (ओ सी आई) में स्वीकार किया जाता है, जिन्हें आय और व्यय विवरण में स्वीकार किया जाता है।

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

3. **लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य** एक अवशिष्ट श्रेणी है। ऐसे किसी वित्तीय संसाधन एफ वी टी पी एल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जो परिशोधन लागत अथवा अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकरण के लिए मानदण्ड को पूरा नहीं करता है। एफ वी टी पी एल श्रेणी के अंतर्गत शामिल वित्तीय संसाधनों को प्रारंभ में तथा उचित मूल्य की प्रत्येक रिपोर्टिंग में मापा जाता है। उचित मूल्य संबंधी गतिविधियों अर्थात् लाभ अथवा हानि और ब्याज आय को आय और व्यय विवरण में उल्लेख किया जाता है।

iii) **वित्तीय परिसम्पत्तियों की क्षति**

कम्पनी निम्नलिखित के लिए संभावित क्रेडिट हानि (ई सी एल) मॉडल के आधार पर क्षति का आकलन करती है:

- परिशोधन लागत पर निर्धारित वित्तीय परिसम्पत्तियां
- एफ वी टी ओ सी एल लागत पर निर्धारित वित्तीय परिसम्पत्तियां

संभावित क्रेडिट हानियों का निम्नलिखित के बराबर राशि पर हानि संबंधी छूट के माध्यम से निर्धारण किया जाता है :

- 12 महीनों की संभावित क्रेडिट हानियां (संभावित क्रेडिट हानियां जो वित्तीय संसाधनों पर उन खराब घटनाओं से होती हैं। ये रिपोर्ट करने की तारीख के बाद 12 महीनों के भीतर संभव होती है); अथवा
- पूरी जीवन अवधि की संभावित क्रेडिट हानियां (संभावित क्रेडिट हानियां जिनसे वित्तीय संसाधन पर सभी संभव खराबी की घटनाएं होती हैं)।

कम्पनी क्षति हानि छूट देने हेतु निम्नलिखित के लिए सरल 'सरल दृष्टिकोण' का पालन करती है :

- वित्तीय परिसम्पत्तियां जो ऋण संसाधन हैं और परिशोधन लागत पर मापी जाती हैं अर्थात् प्राप्य बैंकों के जमा तथा कर्मचारी ऋण एवं विनिर्दिष्ट अवधि वाले अन्य ऋण/ अग्रिम आदि।
- वित्तीय परिसम्पत्तियां जो ऋण संसाधन है तथा एफ वी टी ओ सी आई पर मापी जाती हैं।

सरल दृष्टिकोण के अंतर्गत कम्पनी क्रेडिट जोखिम में तरीके नहीं बदलती है। अपितु यह उसकी प्रारंभिक मान्यता से लेकर प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर जीवन अवधि ई सी एल पर आधारित क्षति हानि छूट को स्वीकार करती है।

व्यापार प्राप्यों को बिक्री/ प्राप्य की पर प्रारंभ में स्वीकार किया जाता है और इनको एकत्र करने हेतु प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को 12 महीनों के भीतर यदि एकत्र किए जाने की संभावना होती है तो व्यापार प्राप्यों को चालू परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यदि नहीं, तो उनको गैर-चालू परिसम्पत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

उन मामलों को छोड़कर, जिनमें कम्पनी को वसूली की उम्मीद होती है, 3 वित्तीय वर्षों से अधिक समय के लिए बकाया सरकारी देयताओं सहित बकाया राशियों में संदिग्ध प्राप्यों के लिए क्षति की व्यवस्था की जाती है।

अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियों और जोखिमों के बारे में क्षति हानि को स्वीकार करने हेतु कम्पनी यह निर्धारित करती है कि क्या प्रारंभिक मान्यता से लेकर क्रेडिट जोखिम में पर्याप्त बढ़ोत्तरी हुई है। यदि क्रेडिट जोखिम में पर्याप्त बढ़ोत्तरी न हुई हो, तो क्षति हानि के लिए प्रावधान करने हेतु 12 महीनों की ई सी एल (संभावित क्रेडिट हानि) का उपयोग किया जाता है। तथापि, यदि क्रेडिट जोखिम में पर्याप्त बढ़ोत्तरी हुई हो, तो जीवन अवधि ई सी एल का उपयोग किया जाता है। यदि बाद की किसी अवधि में संसाधन के क्रेडिट गुणवत्ता में ऐसा सुधार होता है कि प्रारंभिक मान्यता से क्रेडिट जोखिम कोई ज्यादा बढ़ोत्तरी नहीं है, तब कम्पनी 12 महीनों की ई सी एल के आधार पर क्षति हानि छूट को मान्यता देने से बदलाव करती है।

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

क्रेडिट जोखिम और क्षति हानि में बढ़ोत्तरी का आकलन करने के लिए कम्पनी क्रेडिट जोखिम संबंधी विशेषताओं के आधार पर वित्तीय संसाधनों के विश्लेषण को सुगम बनाने के उद्देश्य से मिला देती है जो समय अवधि के आधार पर पहचान किए जाने के क्रेडिट जोखिम में पर्याप्त वृद्धि कर सकने के लिए बनाया है।

iv) **वित्तीय परिसम्पत्तियों को मान्यता न देना**

किसी वित्तीय परिसम्पत्ति (अथवा, जहां लागू हो, वित्तीय परिसम्पत्ति के एक भाग अथवा समान वित्तीय परिसम्पत्ति के एक समूह के भाग) को मुख्य रूप से मान्यता नहीं दी जाती है (अर्थात कम्पनी के तुलन-पत्र से हटा दिया जाता है) जब :

- परिसम्पत्ति से नकद प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार समाप्त/ अंतरित कर दिए गए हों, अथवा
- कम्पनी वित्तीय परिसम्पत्ति के नकद प्रवाहों को प्राप्त करने के संविदात्मक अधिकार रखती हो, लेकिन एक अथवा अधिक प्राप्तकर्त्ताओं को नकद प्रवाहों का भुगतान करने के लिए संविदात्मक दायित्व हाथ में लेती हो।

जब कम्पनी ने किसी परिसम्पत्ति को हस्तांतरित कर दिया हो, तब वह यह मूल्यांकन करती है कि क्या इसने वित्तीय परिसम्पत्ति के सभी जोखिमों तथा स्वामित्व के प्रतिफलों को पर्याप्त रूप से हस्तांतरित कर दिया है। ऐसे मामलों में, वित्तीय परिसम्पत्ति को मान्यता नहीं दी जाती है। जब कम्पनी ने वित्तीय परिसम्पत्ति के सभी जोखिमों तथा स्वामित्व के प्रतिफलों को पर्याप्त रूप से हस्तांतरित न किया हो, तब वित्तीय परिसम्पत्ति को मान्यता नहीं दी जाती है।

जहां तक कम्पनी ने किसी वित्तीय परिसम्पत्ति को न तो हस्तांतरित किया है और न ही वित्तीय परिसम्पत्ति के सभी जोखिमों तथा स्वामित्व के प्रतिफलों को पर्याप्तत: रखती है, तो वित्तीय परिसम्पत्ति को जब मान्यता नहीं दी जाती है, यदि कम्पनी ने वित्तीय परिसम्पत्ति का नियंत्रण न रखा हो। जब कम्पनी वित्तीय परिसम्पत्ति का नियंत्रण रखती है, तब परिसम्पत्ति का वित्तीय परिसम्पत्ति में निरंतर शामिल रखने तक मान्यता दिया जाना जारी रहता है।

ख) वित्तीय देयताएं

i) **प्रारंभिक मान्यता और माप**

सभी वित्तीय देयताओं को प्रारंभ में उचित मूल्य पर तथा लाभकरों के मामले में प्रत्यक्षत: हुए लेन-देन संबंधी खर्चों की निवल राशि पर मान्यता दी जाती है। कम्पनी की वित्तीय देयताओं में व्यापार लाभकर, ऋण, प्रतिभूति जमा और अन्य लाभकर शामिल हैं।

ii) **उत्तरवर्ती निर्धारण**

वित्तीय देयताओं का निर्धारण उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है जो नीचे बताए अनुसार है :

लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं (एफ वी टी पी एल)

एफ वी टी पी एल में वित्तीय देयताओं में लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता पर नामोद्दिष्ट व्यापार और वित्तीय देयताओं के लिए रखी वित्तीय देयताएं शामिल हैं ।

यदि वित्तीय देयताएं स्पष्ट शर्तों के अनुसार पुन: खरीद करने के लिए व्यय की जाती हैं, तो उन्हें व्यापार के लिए रखे अनुसार वर्गीकृत किया जाता है।

व्यापार के लिए रखी देयताओं पर लाभ अथवा हानियों को आय और व्यय में स्वीकार किया जाता है।

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

लाभ अथवा हानि के माध्यम से प्रारंभिक मान्यता पर नामोद्दिष्ट वित्तीय देयताएं मान्यता को प्रारंभिक तारीख को उसी तरह से नामोद्दिष्ट की जाती है और केवल इण्ड ए. एस. 109 में दिए गए मानदण्ड पूरे किए जाते हैं। एफ वी टी पी एल के रूप में नामोद्दिष्ट देयताओं के लिए अपने क्रेडिट जोखिमों में बदलाव करने वाली उचित मूल्य लाभ अथवा हानियों को अन्य विस्तृत आय में स्वीकार किया जाता है। इन लाभ/ हानियों को बाद में आय और व्यय विवरण में हस्तांतरित नहीं किया जाता है। तथापि, कम्पनी इक्विटी के अंतर्गत संचयी लाभ अथवा हानि में हस्तांतरित कर सकती है। ऐसी देयताओं की उचित मूल्य में सभी अन्य परिवर्तनों को आय और व्यय विवरण में स्वीकार किया जाता है।

ऋण और प्रतिभूति जमा

लाभ (लेन-देन संबंधी व्यय की निवल राशि) और पनर्भुगतान की गई राशि के बीच किसी अंतर को देयता की अवधि में आय और व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है और प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करते हुए बाद में परिशोधन लागत पर निर्धारित किया जाता है। जब देयताओं को स्वीकार नहीं किया जाता है तथा ई आई आर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से स्वीकार किया जाता है तो लाभ और हानियों को आय और व्यय विवरण में स्वीकार किया जाता है।

परिशोधन लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी प्रकार की छूट अथवा प्रीमियम और फीस अथवा व्यय को ध्यान में रखकर की जाती है, जो ई आई आर का अभिन्न भाग होते हैं। ई आई आर परिशोधन वित्त व्यय के रूप में लाभ और हानि विवरण में शामिल किया जाता है।

व्यापार और अन्य लाभकर

व्यापार और अन्य लाभकर सामग्री और अन्य सामान खरीदने तथा सेवाओं का उपयोग करने के लिए कम्पनी के द्वारा किए गए दायित्व होते हैं जो कारोबार की सामान्य अवधि में प्राप्त किए अथवा लिए गए हैं। यदि भुगतान वित्तीय स्थिति का विवरण की तारीख से 12 महीनों के भीतर देय हो, तो व्यापार और अन्य लाभकरों को चालू देयताओं के तहत वर्गीकृत किया जाता है और यदि नहीं, तो उनको गैर-चालू देयताओं के तहत वर्गीकृत किया जाता है। उन्हें प्रारंभ में उनकी उचित मूल्य पर स्वीकार किया जाता है और बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करते हुए परिशोधन लागत पर निर्धारित किया जाता है।

iii) **मान्यता न देना**

एक वित्तीय देयता को तब मान्यता नहीं दी जाती है, जब देयता के अंतर्गत दायित्व पूरा हो जाता है अथवा निरस्त अथवा समाप्त हो जाता है। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को उसी साहूकार से दूसरे को पर्याप्त रूप से अलग-अलग शर्तों पर बदला जाता है अथवा मौजूदा देयता की शर्तों को काफी संशोधित किया जाता है, तो ऐसे विनिमय अथवा संशोधन को मूल देयता को अमान्य और नई देयता की मान्यता के रूप में माना जाता है। संबंधित केरीइंग राशियों के बीच के अंतर को आय और व्यय विवरण में मान्यता दी जाती है।

चूंकि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत यह कम्पनी पंजीकृत है, इसलिए यह आय और व्यय विवरण धारा 2(40) के अनुसार विवरण तैयार करती है। अत: इण्ड ए एस, एफ वी टी पी एल का पालन करने के लिए लाभ अथवा हानि लेखा के माध्यम से उचित मूल्य (जहां कहीं उल्लेख हो) से अभिप्राय: आय और व्यय विवरण के माध्यम से उचित मूल्य से होगा।

2.11 राजस्व मान्यता

(क) भारत और विदेशों में आयोजित मेलों/ प्रदर्शनियों से आय और व्यय को उस वर्ष में गणना की गई है, जिस वर्ष में आयोजन शुरू हुआ। तथापि, दो लेखांकन अवधियों में व्याप्त, तीन माह या अधिक की अवधि वाले दीर्घावधिक आयोजनों के मामले में, जिसकी प्रमुख अवधि परवर्ती लेखांकन अवधि में पड़ती है, उस आयोजन की अधिशेष/ हानि की धनराशि उस में शामिल की गई है, जिस वर्ष में आयोजन समाप्त हुआ।

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

सरकार की ओर से किन्हीं करों अथवा शुल्क एवं कटौतियों/ छूट की कटौती करने के बाद प्राप्त अथवा प्राप्ति योग्य प्रतिफल की उचित मूल्य पर इसे निर्धारित किया जाता है जैसे सेवा कर/ वस्तु एवं सेवा कर आदि लगाए जाते हैं।

(ख) किराए और प्रचालन पट्टों से राजस्व को प्रासंगिक करार की शर्तों के अनुसार प्रोदभवन आधार पर मान्यता दी जाती है।

(ग) कम्पनी के प्रदर्शन और मेलों में प्रदर्शित आंतरिक सजावट की वस्तुओं की लागत को राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है। तथापि, भावी मेलों में उपयोग करने के लिए स्टॉक में रखे नए सामानों को अंतिम स्टॉक के रूप में माना जाता है।

(घ) सिविल, विद्युत, बागवानी आदि पर सी पी डब्ल्यू डी/ एन बी सी सी जैसी एजेंसियों के द्वारा किए गए व्यय को उनके द्वारा दिए गए विवरणों/ लेखों/ उपयोग प्रमाणपत्रों के आधार पर लेखे में लिया जाता है।

(ङ) विगत वर्षों की आय और व्यय, जो प्रत्येक मामले में 10,000 रु. से अधिक न हो, को चालू वर्ष के संबंध में माना जाता है।

(च) जिन मामलों में लाइसेंसधारी के साथ संविदा समाप्त हो गई हो, उन मामलों में समाप्त हुई संविदा/ इस मामले में अंतिम निर्णय होने तक संशोधित समझौते/ निष्पादित संशोधित संविदाओं के आधार पर बकाया धनराशियों को अस्थायी रूप से लेखे में लिया जाता है।

(छ) कार्य का विलंब से निष्पादन करने के लिए ठेकेदारों से निर्धारित क्षतियों के दावों को तब आय के रूप में मान्यता दी जाती है जब धनराशि के बारे में अंतिम तौर पर निर्धारण और सहमति हो जाती है।

(ज) एसोसिएट अंशदाताओं से अंशदान शुल्क और नियमित अंशदाताओं से सेवा प्रभारों को प्राप्ति के आधार पर मान्यता दी जाती है। तथापि, अग्रिम रूप से प्राप्त अंशदान शुल्क को उस प्रासंगिक वर्ष में लेखे में डाला जाता है, जिसके लिए यह संबंधित है।

(झ) बकाया राशि और लागू ब्याज दरों को ध्यान में रखते हुए ब्याज आय को समय अनुपात के आधार पर मान्यता दी जाती है।

(ञ) लाभांश आय को आय एवं व्यय विवरण में मान्यता दी जाती हे जब प्राप्त लाभांश का अधिकार प्राप्त हो जाता है।

2.12 सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदानों को आस्थगित आय एप्रोच से स्वीकार तब किया जाता है जब यह उचित आश्वासन हो कि उनको प्राप्त कर लिया जाएगा और कम्पनी अनुदान से जुड़ी शर्तों का पालन करेगी।

जिन अनुदानों से कम्पनी द्वारा किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति हो उनको उस अवधि में आय के रूप में स्वीकार किया जाता है जिस अवधि में संबद्ध खर्च किए हों।

प्रवर्तक के अंशदान की प्रकृति के अनुदानों को अन्य इक्विटी के तहत उपयुक्त श्रेणी में स्वीकार किया जाता है।

2.13 ऋण लेने संबंधी खर्च

विशेष मूर्त सम्पत्तियों को आशायित उपयोग अथवा बिक्री हेतु तैयार होने में अनिवार्यता काफी समय लगता है, उनके अधिग्रहण, निर्माण अथवा उत्पादन करने के लिए प्रत्यक्षत: उत्तरदायी ऋण लेने संबंधी खर्चों को परिसम्पत्ति की लागत के भाग के रूप में पूंजी माना जाता है। सभी अन्य

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

ऋण खर्चों को उस अवधि के खर्च माना जाता है, जिस अवधि में वे होते हैं। ऋण संबंधी खर्चों में ब्याज और अन्य खर्चे शामिल होते हैं, जिनको कोई संस्था निधियों के ऋण लेने के संबंध में करती है। ऋण खर्च में ऋण लेने के खर्चों के समाधान के रूप में मानी गई सीमा तक के लिए विनिमय अंतर भी शामिल होते हैं।

ऋण खर्च का लाभ उस समय समाप्त हो जाता है जब विशेष मूर्त परिसम्पत्तियों को उनके आशयित उपयोग हेतु उन्हें तैयार करने के लिए आवश्यक सभी कार्यकलाप पूरे हों।

2.14 कर्मचारी लाभ

क) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

सेवाएं देने के 12 महीनों के भीतर देय सभी कर्मचारी लाभों को अल्पकालिक लाभों में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसे लाभों में वेतन, मजदूरी, बोनस, पुरस्कार, अनुग्रह राशि, निष्पादन संबंधी प्रोत्साहन/ वेतन आदि शामिल हैं और इनको उस अवधि में स्वीकार किया जाता है जिस अवधि में कर्मचारी संबंधित सेवाएं देता है।

ख) नियोजन के बाद लाभ

i) परिभाषित अंशदान योजना

कम्पनी की अनुमोदित भविष्य निधि योजना और कर्मचारी पेंशन योजना परिभाषित अंशदान योजनाएं हैं। कम्पनी का ऐसी योजनाओं के तहत भुगतान किए गए / देय अंशदान के अलावा अलग न्यासों के लिए कोई दायित्व नहीं होता है; जो अनुमत प्रतिभूतियों में निधियां निवेश करती हैं। योजनाओं के तहत भुगतान किए/ देय अंशदान को उस अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है, जिस अवधि में कर्मचारी संबंधित सेवा देता है। कम्पनी न्यासों की संचित कमी, यदि कोई हो, को पूरा करने के लिए वचनबद्ध भी है तथा ऐसी कमी को उसके व्यय के रूप में स्वीकार करती है।

ii) परिभाषित लाभ योजना

कर्मचारी उपदान निधि योजना (वित्त-पोषित) और कर्मचारी छुट्टी नकदीकरण (गैर-वित्त-पोषित) योजना कम्पनी की परिभाषित लाभ योजनाएं हैं। ऐसी परिभाषित लाभ योजनाओं के तहत दायित्व के वर्तमान मूल्य का तुलन-पत्र की तारीख को अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति पर बीमांकिक मूल्य-निर्धारण के आधार पर निर्धारण किया जाता है। उपदान को एक अलग आई टी पी ओ कर्मचारी उपदान निधि न्यासों के माध्यम से वित्त-पोषित किया जाता है जो न्यासों के कार्यों की प्रबंध व्यवस्था करता है। ओ. सी. आई. के माध्यम से धारित आय के संगत डेबिट अथवा क्रेडिट के साथ बीमांकिक लाभ और हानियों वाले पुन:निर्धारण को उस अवधि में तुलन-पत्र में तत्काल स्वीकार किया जाता है, जिस अवधि में वे होते हैं। पुन: निर्धारणों को बाद की अवधियों में आय और व्यय विवरण में पुन: वर्गीकृत नहीं किया जाता है। कम्पनी ग्रेच्युटी न्यासों की संचित कमी, यदि कोई हो, को पूरा करने के लिए वचनबद्ध भी है तथा ऐसी कमी को उसके व्यय के रूप में स्वीकार करती है।

ग) समापन (टर्मिनेशन) लाभ

स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजनाओं पर अनुग्रह भुगतान और नोटिस वेतन के रूप में टर्मिनल लाभों पर किए गए खर्चों को लाभ और हानि विवरण में ऐसे खर्चों के होने के वर्ष में लिया जाता है।

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

2.15 प्रावधान और आकस्मिक परिसंपत्तियां और देयताएं

क) प्रावधान

प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब कम्पनी का किसी विगत मेले के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व (विधिक अथवा ठोस) हो, और यह संभव है कि आर्थिक दायित्वों को मूर्त रूप देने वाले संसाधनों का आउट फ्लो दायित्वों का निपटारा करने के लिए आवश्यक होगा तथा दायित्व राशि के बारे में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। प्रावधानों का तुलन-पत्र की तारीख को वर्तमान दायित्व का निपटारा करने के लिए अपेक्षित व्यय सबसे अच्छे अनुमान पर प्रावधानों का निर्धारण किया जाता है।

यदि धनराशि के समय मूल्य का प्रभाव का प्रभाव वस्तुत: होता है तो प्रावधानों को चालू पूर्व-कर दर का उपयोग करके उसके वर्तमान मूल्य को दर्शाने के लिए कम किया जाता है, जो दायित्व के धनराशि संबंधी समय-मूल्य और जोखिम विशेष के वर्तमान बाजार आकलनों को दर्शाता है। जब कम प्रावधान का उपयोग किया जाता है, तब समय बीतने की वजह से प्रावधान में वृद्धि को वित्त लागत के रूप में माना जाता है।

ख) आकस्मिक देयताएं

आकस्मिक देयताएं संभव दायित्व होती हैं जो विगत मेलों से आती (उठती) हैं और उनके अस्तित्व की पुष्टि एक अथवा एक से अधिक भावी मेलों के आयोजनों से ही होगी और यह कम्पनी के पूर्ण नियंत्रण में नहीं होती हैं। जहां पर यह संभव नहीं होता है कि आर्थिक लाभों के आउटफ्लों की आवयकता होगी अथवा धनराशि के बारे में विश्वसनीय तौर पर अनुमान नहीं लगा सकते हैं, तब दायित्वों को आकस्मिक देयता के रूप में तब प्रकट किया जाता है, जब आर्थिक लाभों के आउटफ्लों की संभावना अप्रत्यक्ष न हो। आकस्मिक देयताओं को प्रबंधन/ स्वतंत्र विशेषज्ञ के निर्णय के आधार पर प्रकट किया जाता है। इनकी प्रत्येक तुलन-पत्र तारीख को समीक्षा की जाती है और चालू प्रबंध अनुमानों को दर्शाने के लिए समायोजित की जाती हैं।

ग) आकस्मिक परिसम्पत्तियां

आकस्मिक परिसम्पत्तियों संभव परिसम्पत्तियां होती हैं जो विगत मेलों से होती हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि एक अथवा एक से अधिक अनिश्चित भावी मेलों के होने अथवा न होने से होगी और ये कम्पनी के पूर्ण नियंत्रण में नहीं होती हैं। आकस्मिक परिसम्पत्तियों के बारे में वित्तीय विवरणों में तब प्रकट किया जाता है, जब आर्थिक लाभों का अंतर्वाह प्रबंधन के निर्णय के आधार पर संभव हो। इनका यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर समीक्षा की जाती है कि विकास को वित्तीय विवरणों में उपयुक्त रूप से दर्शाया जाता है।

2.16 प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय की वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से इक्विटी शेयरधारकों के लिए मूर्त वर्ष के निवल अधिशेष/ घाटे से विभाजित करके गणना की जाती है।

प्रति शेयर कम की गई आय की गणना करने के लिए इक्विटी शेयरधारकों के लिए मूर्त वर्ष के निवल लाभ अथवा हानि और वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या को सभी कम किए गए संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है।

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

2.17 खण्ड सेगमेन्ट रिपोर्टिंग

संसाधनों का आवंटन करने तथा निर्णय लेने के लिए उनके निष्पादन का आकलन करने के लिए कम्पनी के प्रबंधन के द्वारा प्रयुक्त आंतरिक रिपोर्टों के आधार पर प्रचालन खण्डों की पहचान की जाती है। निदेशक मण्डल इण्ड ए. एस. 108 के आशय के अंतर्गत कम्पनी का सामूहिक रूप से 'मुख्य संचालन निर्णय कर्ता' 'सी ओ डी एम' होता है।

कम्पनी ने भारत तथा विदेश में व्यापार संवर्धन कार्यकलाप नामक दो रिपोर्टिंग खण्डों की पहचान की है।

2.18 पट्टे

पट्टे के बारे में क्या कोई व्यवस्था है अथवा निहित है, इसका निर्धारण पट्टे के प्रारंभ में व्यवस्था संबंधी विषय पर आधारित है। पट्टे की व्यवस्था है अथवा यह निहित है, यदि व्यवस्था को पूरा करना विशिष्ट परिसम्पत्ति अथवा परिसम्पत्तियों के उपयोग पर निर्भर हो अथवा व्यवस्था परिसम्पत्ति अथवा परिसम्पत्तियों को उपयोग करने के अधिकार के बारे में बताती है, चाहे अधिकार किसी व्यवस्था में स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट न हो।

पट्टेदार के रूप में कम्पनी

पट्टे को वित्तीय पट्टे अथवा प्रचालन पट्टे के रूप में शुरू की तारीख को वर्गीकृत किया जाता है। जिस पट्टे से स्वामित्व के सभी जोखिम और आकस्मिक पुरस्कार कम्पनी के लिए पर्याप्त रूप से हस्तांतरित होते हों, उस पट्टे को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वित्त पट्टे के लिए पट्टा सम्पत्ति का उचित मूल्य पर प्रारंभ की तारीख को पट्टा शुरू करने पर पूंजी की व्यवस्था की जाती है अथवा यदि कम हो तो न्यूनतम पट्टा भुगतानों की वर्तमान कीमत पर व्यवस्था की जाती है। पट्टे-संबंधी भुगतान वित्तीय प्रभारों और पट्टा देयता की कमी के बीच अनुपात के आधार पर होते हैं ताकि देयता के बचे शेष पर ब्याज की सतत् दर प्राप्त हो सके। वित्त प्रभारों को लाभ अथवा हानि विवरण में वित्त व्यय के रूप में तब मान्यता दी जाती है जब तक वे उन विशेष परिसम्पत्तियों के लिए आरोप्य न हों, जिन मामलों में वे ऋण लागत पर कम्पनी के सामान्य नीति के अनुसार लाभ नहीं उठाते हैं।

पट्टे वाली परिसम्पत्ति की परिसम्पत्ति की मियाद के अनुसार कीमत कम हो जाती है। तथापि, पट्टे की अवधि के अंत में कम्पनी स्वामित्व प्राप्त कर लेगी, यदि इस बारे में उचित रूप से निश्चितता न हो, तो सम्पत्ति की अनुमानित उपयोगी मियाद और पट्टे की अवधि में जो कम हो, उसके अनुसार परिसम्पत्ति का मूल्य कम किया जाता है।

प्रचालन पट्टे संबंधी भुगतानों को पट्टे की अवधि के आधार पर आय और व्यय विवरण में प्रत्यक्षत: व्यय के रूप में तब तक स्वीकार किया जाता है, जब तक भुगतानों को संभावित मुद्रास्फीति लागत बढ़ोत्तरी में पट्टाकर्त्ता के लिए मुआवजा देने के लिए संभावित सामान्य मुद्रास्फीति के अनुसार बढ़ाया नहीं जाता है।

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

पट्टादाता के रूप में कम्पनी

जिन पट्टों में कम्पनी किसी परिसम्पत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से हस्तांतरित नहीं करती है, तो ऐसे पट्टों को प्रचालन हानियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। किराए की आय को प्रासंगिक पट्टे की अवधि से प्रत्यक्षत: स्वीकार किया जाता है। किसी प्रचालन पट्टे की सौदेबाजी और व्यवस्था करने में हुए प्रारंभिक प्रत्यक्ष खर्चों को पट्टे वाली परिसम्पत्ति के कैरीइंग राशि में जोड़ा जाता है और किराया आय के रूप में उसी आधार पर पट्टे की अवधि से स्वीकार किया जाता है। प्रासंगिक किरायों को उस अवधि में राजस्व के रूप में स्वीकार किया जाता है, जिस अवधि में वे प्राप्त होते हैं। पट्टों को वित्त पट्टों के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है, जब स्वामित्व के सभी जोखिम और पुरस्कार कम्पनी से पट्टाकर्त्ता को पर्याप्त रूप से हस्तांतरित हो जाते हैं। वित्त पट्टों के तहत पट्टाकर्त्ता की ओर बकाया राशियों को पट्टों में कम्पनी के निवल निवेश में प्राप्यों के रूप में उल्लेख कर दिया जाता है। वित्त पट्टा आय को लेखांकन अवधियां आवंटित की जाती हैं ताकि पट्टे के बारे में निवल निवेश बकाया में लाभ की सतत् आवधिक दर को दर्शाया जा सके।

2.19 वर्तमान लेखांकन घोषणाएं : मानक जारी किए परंतु अभी प्रभावी नहीं

इण्ड ए. एस 115 - ग्राहकों के पास ठेकों से राजस्व

कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 28 मार्च, 2018 को ग्राहकों के पास ठेकों से राजस्व के बारे में इण्ड ए. एस. 115 अधिसूचित किया था। मानक में नए 5 स्टेप मॉडल को स्थापित किया था जो ग्राहकों के पास ठेकों से हुए राजस्व के लिए लागू होगा। इण्ड ए. एस. 115 के अंतर्गत राजस्व में उस राशि को स्वीकार किया है, जो उस प्रतिफल को दर्शाती है जिसके बारे में कोई कम्पनी किसी ग्राहक को वस्तुएं अथवा सेवाएं हस्तांतरित करने के लिए विनिमय में हकदार होने की उम्मीद करती है। इण्ड ए. एस. 115 के सिद्धांतों में राजस्व का निर्धारण एवं स्वीकार करने के लिए अधिक ठोस एप्रोच की व्यवस्था है। नए राजस्व मानक सभी कम्पनियों पर लागू हैं तथा यह इण्ड ए. एस. के तहत सभी वर्तमान राजस्व मान्यता संबंधी अपेक्षाओं को हटा देगा।

इण्ड ए. एस. 115 की प्रभावी तारीख 1 अप्रैल, 2018 अथवा इसके बाद में शुरू वार्षिक अवधियां हैं। कम्पनी को 1 अप्रैल, 2018 से शुरू हुए वित्तीय वर्ष तक मानक को स्वीकार करना होता है। कम्पनी इस समय इण्ड ए. एस. 115 की अपेक्षाओं का मूल्यांकन कर रही है और उसने वित्तीय विवरणों पर प्रभाव को अभी निर्धारित नहीं किया है।

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

3. सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर (31 मार्च, 2018 को)

	विवरण	मियादी (वर्ष)	सकल ब्लाक			
			01.04.2017 को	वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	वर्ष के दौरान बिक्री/ निपटान/ समायोजन	31.03.2018 को
क	**सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर**					
	भूमि					
	लीज होल्ड (गाजीपुर)		78.76	-	-	78.76
	फ्रीहोल्ड भूमि		973.27	-	6.31	966.96
	प्रगति मैदान परिसर (लीज होल्ड) (देखें टिप्पणी सं. 3.1)		0.00	-	-	0.00
	भवन (लीज पर ली गई भूमि पर)					
	क श्रेणी	**40**	1,572.33	77.12	444.21	1,205.24
	ख श्रेणी	20	33.93	371.79	20.99	384.74
	ग श्रेणी	10	60.22	-	19.48	40.73
	अनारकली फूड प्लाजा (देखें टिप्पणी 3.2)		0.00	-	-	0.00
	प्रदर्शन परिसर		1,895.99	53.94	-	1,949.93
	भवन-I (आर सी सी)		1,028.40	-	-	1,028.40
	भवन-II (प्रदर्शनी हाल)		2,277.22	-	-	2,277.22
	भवन (आवासीय/ कार्यालय फ्लैट)					
	फ्री होल्ड	40	159.86	-	-	159.86
	संयंत्र और मशीनरी					
	सौर संस्थापना	15	110.26	-	-	110.26
	एयर कंडीशनिंग प्लांट	8	0.25	-	0.25	-
	एयर कंडीशनिंग प्लांट	15	2,762.56	-	1,862.40	900.17
	एयर कंडीशनिंग/ एयर वैंटीलेशन प्लांट (देखें टिप्पणी 3.1)	10	0.28	-	0.28	0.00
	फर्नीचर और फिटिंग					
	फर्नीचर और फिक्सचर	10	96.73	6.31	0.06	102.99
	आग से बचाव के उपकरण एवं बचाव पद्धति	10	5.17	1.72	-	6.89
	जल आपूर्ति और ड्रेनेज	10	16.00	-	7.36	8.63
	वाहन	5	53.60	-	3.69	49.91
	कार्यालय उपकरण					
	कार्यालय उपकरण/ अन्य विविध परिसम्पत्तियां	5	175.99	4.30	51.63	128.66
	दृश्य श्रव्य उपकरण	5	151.51	-	1.57	149.94
	कंप्यूटर और डाटा प्रोसेसिंग					
	सर्वर नेटवर्क	6	21.70	11.43	-	33.13
	कंप्यूटर आदि	3	130.63	5.22	1.94	133.91
	विद्युत स्थापनाएं और फिटिंग	10	1,006.56	55.45	128.19	933.82
	उप जोड़ (क)		**12,611.20**	**587.29**	**2,548.36**	**10,650.14**
	पूंजीगत कार्य प्रगति पर		109.26	29,739.12	1,383.21	28,465.16
ख	**उप जोड़ (ख)**		**109.26**	**29,739.12**	**1,383.21**	**28,465.16**
	सकल जोड़ (क + ख)		**12,720.46**	**30,326.41**	**3,931.57**	**39,115.30**

3.1 केवल 1 रु. की बुक-वैल्यू भूमि और भवन के लिए प्राप्त अनुदान का निवल

3.2 अनारकली फूड प्लाजा शामिल, 1.4.2017 को केवल 1 रु. की बुक वैल्यू, 2017-18 के दौरान गिराया, 31.3.2018 को शून्य

3.3 मूल्यह्रास में 5000 रु. अथवा कम लागत की प्रत्येक परिसम्पत्ति के संबंध में 1.28 लाख रु. (पूर्व वर्ष 2.75 लाख रु.) 100 प्रतिशत की दर से मूल्यह्रास

3.4 पेशेवर फर्म के द्वारा किए गए अध्ययन के आधार पर परिसम्पत्तियों की क्षति के संबंध में इण्ड ए. एस. - 36 के प्रावधानों के तहत 31 मार्च, 2018 को परिसम्पत्तियों की क्षति का कोई मामला नहीं है।

3.5 1839.46 लाख रु. के निवल ब्लाक वाली 4305.21 लाख रु. की लागत की परिसम्पत्तियां आई ई सी सी परियोजना के लिए गिरा दी/ सौंप दी गई थी तथा 461.07 लाख रु. की बिक्री आय के प्रति वर्ष की लेखा पुस्तकों से निकाल दी गई थीं। 1378.39 लाख रु. की परिणामी हानि 'आय और व्यय विवरण' में 'विशेष मदों' में शामिल हैं।

3.6 सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्करों की भौतिक जांच दो वर्षों में एक बार की जाती है तथा वर्ष 2017-18 में किया जाना बाकी है। लेखा शेषों के साथ भौतिक जांच रिपोर्ट का समाधान किया जाएगा तथा इस चरण में परिणामी वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो, निश्चय नहीं किया जा सकता है।

3.7 सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्करों पर मूल्यह्रास के लिए 'महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों' का अनुच्छेद 2.2 और 2.3 देखें।

3.8 विगत पद्धति के अनुसार, लीजहोल्ड भूमि का लेखांकन नीति के आधार पर परिशोधन नहीं किया गया है।

(रु. लाख में)

मूल्यास				निवल ब्लॉक	
1.04.2017 को	वर्ष के लिए	वर्ष के दौरान बिक्री/ निपटान/ समायोजन	31.03.2018 को	31.03.2018 को	31.03.2017 को
-	-	-	-	78.76	78.76
-	-	-	-	966.96	973.27
-	-	-	-	0.00	0.00
154.22	140.64	67.26	227.60	977.64	1,418.11
9.41	5.02	9.38	5.05	379.68	24.52
19.32	9.34	14.01	14.65	26.08	40.89
-			-	0.00	0.00
297.41	83.76	-	381.17	1,568.77	1,598.59
41.14	20.57	-	61.71	966.69	987.26
225.15	119.04	-	344.19	1,933.03	2,052.07
12.27	6.13	-	18.40	141.46	147.59
6.21	6.98	-	13.19	97.07	104.05
-	-	-	-	-	0.25
496.39	191.62	495.85	192.16	708.01	2,266.17
-	-	-	-	0.00	0.28
20.26	13.36	0.01	33.62	69.37	76.46
-	1.17	-	1.17	5.72	5.17
2.12	1.36	1.54	1.94	6.69	13.88
15.25	6.30	3.69	17.86	32.05	38.35
84.95	20.29	49.28	55.97	72.69	91.04
130.25	-	-	130.25	19.69	21.26
5.95	14.11	-	20.06	13.07	15.74
48.06	26.98	-	75.04	58.88	82.57
444.40	143.06	56.48	530.99	402.84	562.15
2,012.77	**809.74**	**697.49**	**2,125.01**	**8,525.13**	**10,598.44**
-			-	28,465.16	109.26
-			**-**	**28,465.16**	**109.26**
2,012.77	**809.74**	**697.49**	**2,125.01**	**36,990.29**	**10,707.69**

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर (31 मार्च, 2017 को)

	विवरण	मियादी (वर्ष)	सकल ब्लाक			
			01.04.2016 को	वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	वर्ष के दौरान बिक्री/ निपटान/ समायोजन	31.03.2017 को
क	**सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर**					
	भूमि					
	लीज होल्ड (गाजीपुर)		78.76	-	-	78.76
	फ्रीहोल्ड भूमि		1,000.00	-	26.73	973.27
	लीज होल्ड (प्रगति मैदान परिसर) #		0.00	-	-	0.00
	भवन (लीज पर ली गई भूमि पर)					
	क श्रेणी	40	1,586.29	-	13.97	1,572.33
	ख श्रेणी	20	79.48	-	45.54	33.93
	ग श्रेणी	10	60.64	-	0.42	60.22
	अनारकली फूड प्लाजा #		0.00	-	-	0.00
	प्रदर्शनी परिसर		1,478.59	417.40	-	1,895.99
	भवन-I (आर सी सी)		1,028.40	-	-	1,028.40
	भवन-II (प्रदर्शनी हाल)		2,277.22	-	-	2,277.22
	भवन-फ्रीहोल्ड					
	भवन (आवासीय/ कार्यालय फ्लैट)					
	फ्री होल्ड	40	159.86	-	-	159.86
	संयंत्र और मशीनरी					
	सौर संस्थापना	15	36.74	73.52	-	110.26
	एयर कंडीशनिंग प्लांट	8	23.50	-	23.25	0.25
	एयर कंडीशनिंग प्लांट	15	2,532.85	279.87	50.15	2,762.56
	एयर कंडीशनिंग/ एयर वैंटीलेशन प्लांट	10	1.89	-	1.61	0.28
	फर्नीचर और फिटिंग					
	फर्नीचर और फिक्सचर	10	93.41	3.48	0.17	96.73
	आग से बचाव के उपकरण एवं बचाव पद्धति	10	175.27	-	170.10	5.17
	जल आपूर्ति और ड्रेनेज वाहन कार्यालय उपकरण	10	15.56	0.44	-	16.00
	वाहन	5	54.53	-	0.93	53.60
	कार्यालय उपकरण					
	कार्यालय उपकरण/ अन्य विविध परिसम्पत्तियां	5	156.70	22.04	2.76	175.99
	दृश्य श्रव्य उपकरण	5	151.51	0.00	0.00	151.51
	कंप्यूटर और डाटा प्रोसेसिंग					
	सर्वर नेटवर्क	6	21.70	-	-	21.70
	कंप्यूटर आदि	3	94.04	43.24	6.65	130.63
	विद्युत स्थापनाएं / फिटिंग	10	843.18	167.60	4.22	1,006.56
	उप जोड़ (क)		**11,950.10**	**1,007.59**	**346.49**	**12,611.20**
ख	**पूंजीगत कार्य प्रगति पर**		617.92	251.64	760.30	109.26
	उप जोड़ (ख)		**617.92**	**251.64**	**760.30**	**109.26**
	सकल जोड़ (क + ख)		**12,568.02**	**1,259.23**	**1,106.79**	**12,720.46**

केवल 1/- रु. की बुक-वैल्यू

i. पेशेवर फर्म के द्वारा किए गए अध्ययन के आधार पर परिसम्पत्तियों की क्षति के संबंध में इण्ड ए. एस. 36 के प्रावधानों के तहत 31 मार्च, 2017 को परिसम्पत्तियों की क्षति का कोई मामला नहीं है।

ii. पेशेवर फर्म के द्वारा किए गए अध्ययन के आधार पर परिसम्पत्तियों की क्षति के संबंध में इण्ड ए. एस. 36 के प्रावधानों के तहत 31 मार्च, 2017 को परिसम्पत्तियों की क्षति का कोई मामला नहीं है।

iii. 236.63 लाख रु. के निवल ब्लाक वाली 593.94 लाख रु. की लागत की परिसम्पत्तियां आई ई सी सी परियोजना के लिए गिरा दी/ सौंप दी गई थी तथा 209.34 लाख की बिक्री आय के प्रति वर्ष की लेखा-पुस्तकों से निकाल दी गई थी। 27.29 लाख रु. की परिणामी हानि 'आय और व्यय विवरण' में शामिल हैं।

(रु. लाख में)

मूल्यह्रास				सकल ब्लाक	
01.04.2016 को	वर्ष के लिए	वर्ष के दौरान बिक्री/ निपटान/ समायोजन	31.03.2017 को	31.03.2017 को	31.03.2016 को
-	-	-	-	78.76	78.76
-	-	-	-	973.27	1,000.00
-	-	-	-	0.00	0.00
78.34	78.31	2.43	154.22	1,418.11	1,507.95
8.54	8.26	7.39	9.41	24.52	70.94
9.66	9.66	-	19.32	40.89	50.97
-	-	-	-	0.00	0.00
69.40	228.01	-	297.41	1,598.59	1,409.19
20.57	20.57	-	41.14	987.26	1,007.83
106.11	119.04	-	225.15	2,052.07	2,171.11
6.13	6.13	-	12.27	147.59	153.73
0.78	5.43	-	6.21	104.05	35.96
4.18	4.18	8.37	-	0.25	19.31
282.83	235.48	21.92	496.39	2,266.17	2,250.02
-	-	-	-	0.28	1.89
14.09	13.45	7.28	20.26	76.46	79.32
22.99	22.99	45.98	-	5.17	152.28
0.70	1.42	-	2.12	13.88	14.86
7.68	7.78	0.21	15.25	38.35	46.85
62.73	24.26	2.03	84.95	91.04	93.98
65.16	65.08	-	130.25	21.26	86.34
3.53	2.42	-	5.95	15.74	18.17
24.96	25.12	2.02	48.06	82.57	69.08
178.98	307.03	41.61	444.40	562.15	664.20
967.36	**1,184.63**	**139.23**	**2,012.77**	**10,598.44**	**10,982.74**
-	-	-	-	109.26	617.92
-	**-**	**-**	**-**	**109.26**	**617.92**
967.36	**1,184.63**	**139.23**	**2,012.77**	**10,707.69**	**11,600.66**

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

4. अन्य अमूर्त परिसम्पत्तियां (31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार)

विवरण	सकल ब्लाक				कटौती					निवल ब्लॉक	
	मियादी (वर्ष)	01.04.2017 को	वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	वर्ष के दौरान बिक्री/ निपटान/ समायोजन	31.03.2018 को	01.04.2017 को	वर्ष के लिए	वर्ष के दौरान बिक्री/ निपटान/ समायोजन	31.03.2018 को	31.03.2018 को	01.03.2017 को
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	3	0.79	64.09	-	64.88	0.26	28.43	-	28.69	36.19	0.53
वेबसाइट	3	21.07	-	-	21.07	7.30	0.17	-	7.47	13.60	13.77
कुल		**21.86**	**64.09**	-	85.95	**7.57**	**28.60**	-	**36.16**	**49.79**	**14.30**

अन्य अमूर्त परिसम्पत्तियां (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार) (रु. लाख में)

विवरण	सकल ब्लाक				कटौती					निवल ब्लॉक	
	मियादी (वर्ष)	01.04.2016 को	वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	वर्ष के दौरान बिक्री/ निपटान/ समायोजन	31.03.2017 को	01.04.2016 को	वर्ष के लिए	वर्ष के दौरान बिक्री/ निपटान/ समायोजन	31.03.2017 को	31.03.2017 को	01.04.2016 को
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	3	-	0.79	-	0.79	-	0.26	-	0.26	0.53	-
वेबसाइट	3	0.67	20.41	-	21.07	0.25	7.05	-	7.30	13.77	0.42
कुल		**0.67**	**21.20**	-	21.86	**0.25**	**7.32**	-	**7.57**	**14.30**	**0.42**

5. संयुक्त उद्यम में निवेश (कीमत लागत पर, जब तक अन्यथा न कहा गया हो) (रु. लाख में)

			31 मार्च, 2018 को		31 मार्च, 2017 को
	इक्विटी शेयर में अन-उद्धृत, पूर्णतः प्रदत्त				
	संयुक्त उद्यम कंपनी				
	राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र (एन सी टी आई) में 100/- रु. प्रत्येक के 2,00,00 (2,00,000) इक्विटी शेयर	200.00		200.00	
	(कमी) : क्षति हानि के लिए प्रावधान	(47.42)	152.58	(33.89)	166.11
			152.58		**166.11**
5.1	संयुक्त उद्यम के बारे में सूचना :				
	संयुक्त उद्यम में निवेश :				

	कम्पनी का नाम	निगमनों का देश	मुख्य गतिविधियां	शेयर होल्डिंग का अनुपात (%)	
				31.03.2018	31.03.2017
	राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र	भारत	व्यापार सूचना	50%	50%

6. निवेश (रु. लाख में)

			31 मार्च, 2018 को		31 मार्च, 2017 को
	इक्विटी शेयरों में अन- उद्धृत (पूर्णतः प्रदत्त)				
	(अन्य व्यापक आय द्वारा उचित मूल्य ली गई है)				
	सी-ग्लिम्पस को-आपरेटिव सोसाइटी मुम्बई में				
	कुल 250/- रु. के 50/- रु. प्रत्येक के 5 शेयर		-		-
	(i) अन्य अन-उद्धृत निवेशों की कुल राशि		-		-
	(ii) निवेशों के मूल्य में कमी की कुल राशि		-		-

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

7. ऋण (अच्छे माने गये))

(रु. लाख में)

			31 मार्च, 2018 को		31 मार्च, 2017 को
	कर्मचारियों को ऋण (देखें टिप्पणी 7.1) (संचित ब्याज सहित)				
	सुरक्षित	475.93		376.47	
	असुरक्षित	45.29	521.22	242.46	618.93
			521.22		**618.93**
7.1	कर्मचारियों के ऋण में शामिल :				
	निदेशकों की ओर से बकाया		-		-
	ऋण के रूप में अधिकारियों की ओर बकाया		18.49		24.79

8. गैर चालू कर परिसंपत्तियां (असुरक्षित)

(रु. लाख में)

			31 मार्च, 2018 को		31 मार्च, 2017 को
	आयकर/टीडीएस वसूली योग्य (टिप्पणी 33.4 (i) ख देखें)				
	अच्छी मानी गयी		28,009.58		24,376.89
	संदिग्ध मानी गयी	426.00		427.65	
	(कमी) : संदिग्ध टीडीएस के लिए प्रावधान	(426.00)	-	(427.65)	-
			28,009.58		**24,376.89**

9. अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां

(रु. लाख में)

			31 मार्च, 2018 को		31 मार्च, 2017 को
	पूंजीगत अग्रिम				
	सुरक्षित (एन बी सी सी की कारपोरेट गारंटी पर)	10,000.00		10,003.19	
	असुरक्षित	22,059.31	32,059.31	4,384.73	14,387.92
	विविध जमा				
	असुरक्षित, अच्छी मानी गई	1,229.39		229.49	
	असुरक्षित, संदिग्ध मानी गई	-		11.32	
	(कमी) : संदिग्ध विविध जमा के लिए प्रावधान	-	1,229.39	(11.32)	229.49
	वसूली योग्य सेवा कर (संदर्भ टिप्पणी 33.9 (i) देखें)		1,113.54		1,656.64
	आस्थगित नामावली व्यय		115.03		139.58
			34,517.27		**16,413.64**

10. निवेश

(रु. लाख में)

			31 मार्च, 2018 को		31 मार्च, 2017 को
	म्युचल फण्ड्स में निवेश उद्धृत (आय और व्यय के जरिए उचित कीमत पर निर्धारित)				
	बैलेंस्ड फण्ड डिवीडेंट रिइन्वेस्टमेंट स्कीम में 10/- 10/-रुपए प्रत्येक की 2,70,169 (2,40,157) यूनिटें		78.75		72.40
			78.75		**72.40**
	(i) उद्धृत निवेशों और बाजार मूल्यों की कुल राशि		78.75		72.40
	(ii) निवेशों के मूल्यों में कमी की कुल राशि		-		-

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

11. व्यापार प्राप्य

(रु. लाख में)

			31 मार्च, 2018 को		31 मार्च, 2017 को
	असुरक्षित, अच्छे माने गए (टिप्पणी 11.1 देखें)		936.18		870.27
	असुरक्षित संदिग्ध माने गए	1,248.49		1,452.87	
	(कमी): संदिग्ध व्यापार प्राप्यों के लिए प्रावधान	(1,248.49)	-	(1,452.87)	-
			936.18		**870.27**
11.1	वर्तमान प्राप्य अल्पाविधि स्वरूप के होने की वजह से उनकी निर्धारण राशि उनके उचित मूल्य की भांति मानी है।				

12. नकदी एवं नकदी समतुल्य

(रु. लाख में)

			31 मार्च, 2018 को		31 मार्च, 2017 को
	बैंक में चालू/ बचत खाते में शेष (टिप्पणी 12.1 देखें)		4,025.71		4,914.90
	अपने पास रखे ड्राफ्ट/ चैंक		28.08		3.19
	पास में नकदी		5.11		5.08
	डाक टिकट अग्रिम		0.12		1.03
			4,059.03		**4,924.19**
12.1	बैंकों में शेष में विदेशी बैंकों में पड़े 8.66 लाख रु. (पूर्व वर्ष 8.39 लाख) शामिल हैं, जिनकी विधिवत पुष्टि की है।				
12.2	रिपोर्टिंग अवधि के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है।				

13. नकदी और नकदी के समतुल्य के अलावा बैंक शेष

(रु. लाख में)

			31 मार्च, 2018 को		31 मार्च, 2017 को
	बैंकों में 3 महीने लेकिन 12 महीने तक मूल परिपक्व सावधि जमा		116,112.64		163,461.94
			116,112.64		**163,461.94**

14. ऋण (अच्छे माने गए)

(रु. लाख में)

			31 मार्च, 2018 को		31 मार्च, 2017 को
	कर्मचारियों को ऋण (संचित ब्याज सहित) (टिप्पणी 14.1 देखें)				
	सुरक्षित	103.93		-	
	असुरक्षित	2,085.24	2,189.17	1,913.76	1,913.76
			2,189.17		**1,913.76**
14.1	कर्मचारियों के लिए ऋण में निम्नलिखित की ओर बकाया राशि शामिल :				
	निदेशकों/ पूर्व निदेशकों की ओर बकाया		0.01		0.86
	ऋण के रूप में अधिकारियों की ओर बकाया		7.55		5.49

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

15. अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां (असुरक्षित)

(रु. लाख में)

		31 मार्च, 2018 को		31 मार्च, 2017 को
भारत सरकार से वसूली योग्य अनुदान				
अच्छी मानी गई	711.35		237.49	
संदिग्ध मानी गई	21.47		1.48	
(कमी) : अनुदान की संदिग्ध वसूली के लिए प्रावधान	(21.47)	711.35	(1.48)	237.49
अंत: कारपोरेट जमा (एन बी एफ सी के साथ रखे)		26,800.00		7,500.00
विदेशों में भारतीय मिशनों की ओर बकाया		7.86		1.10
बचत बैंक लेखों/ जमाओं पर ब्याज		3,814.07		5,145.99
डिपोजिट (जमा) कार्यों के बारे में पक्षकारों की ओर				
अच्छी मानी गई	50.02		40.50	
संदिग्ध मानी गई	41.73		41.73	
(कमी) : संदिग्ध बकाया के लिए प्रावधान	(41.73)	50.02	(41.73)	40.50
		31,383.30		**12,925.08**

16. अन्य चालू परिसम्पत्तियां

(रु. लाख में)

		31 मार्च, 2018 को		31 मार्च, 2017 को
विक्रेताओं को अग्रिम (असुरक्षित)				
अच्छी मानी गई	609.12		788.94	
संदिग्ध मानी गई	249.64		119.33	
(कमी) : संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	(249.64)	609.12	(119.33)	788.94
विविध जमा (असुरक्षित)				
अच्छी मानी गई	163.22		101.83	
संदिग्ध मानी गई	13.68		2.36	
(कमी) : संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	(13.68)	163.22	(2.36)	101.83
अन्य				
जी एस टी क्रेडिट	528.76		-	
पूर्व प्रदत्त व्यय	18.01		31.29	
आस्थगित नामावली व्यय	19.71		23.63	
अन्य अग्रिम	6.73		10.74	
ग्रुप ग्रेच्युटी फण्ड - एल आई सी	15.70		13.76	
उपभोज्य वस्तुएं (लागत मूल्यांकित)	1.17	590.08	3.17	82.59
		1,362.42		**973.36**

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

17. इक्विटी शेयर पूंजी

(रु. लाख में)

			31 मार्च, 2018 को		31 मार्च, 2017 को
	अधिकृत				
	100-100/- रु. के 50,000 (50,000) इक्विटी शेयर		50.00		50.00
	निर्गम, अभिदत्त और पूर्णतः प्रदत्त				
	100-100/- रु. के पूर्णतः प्रदत्त 25,000 (25,000) इक्विटी शेयर		25.00		25.00
			25.00		**25.00**

17.1 **बकाया शेयरों का मिलान**

	31 मार्च, 2018 को		31 मार्च, 2017 को	
	शेयरों की संख्या	(रु. लाख में)	शेयरों की संख्या	(रु. लाख में)
वर्ष के शुरू में बकाया इक्विटी शेयर	25,000	25.00	25,000	25.00
जोड़ : अवधि के दौरान निर्गम	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया इक्विटी शेयर	**25,000**	**25.00**	**25,000**	**25.00**

17.2 **इक्विटी शेयर की अवधि/ सम्बद्ध अधिकार**

धारित कम्पनी के केवल एक प्रकार के इक्विटी शेयर हैं, जिनका प्रति शेयर समान मूल्य 100 रु. है। प्रत्येक इक्विटी शेयर धारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार होता है। चूंकि कम्पनी, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (अब कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 8) के तहत निगमित है, इसलिए कम्पनी के अधिशेष, यदि कोई हो, अथवा अन्य आय को अपने सदस्यों को लाभांश, बोनस शेयर अथवा अन्यथा वितरित करने पर प्रतिबंध है।

कम्पनी को बंद करने अथवा विघटित करने की स्थिति में समस्त ऋणों और देयताओं तथा सरकार की मूल पुंजी लौटाने के बाद यदि कोई संपत्ति जो भी हो, रहती है, तो यह कम्पनी के सदस्यों के बीच में बांटी नहीं जाएगी, अपितु उसे ऐसी अन्य कम्पनी को दिया अथवा अंतरित कर दिया जाएगा, जो इस कम्पनी की भांति उद्देश्य वाली हो। इसका निर्धारण कम्पनी के सदस्यों के द्वारा कम्पनी के विघटन के समय पर अथवा इससे पहले किया जाएगा, अथवा इसमें चूक होने की स्थिति में उच्च न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है, अथवा मामले में न्यायालय से निर्णय आदेश प्राप्त किया जा सकता है।

17.3 **कंपनी के 5 प्रतिशत से अधिक शेयर धारण करने वाले शेयर धारकों का विवरण ब्यौरा**

	31 मार्च, 2018 को		31 मार्च, 2017 को	
	शेयरों की संख्या	%	शेयरों की संख्या	%
भारत सरकार को पूर्ण प्रदत्त 100-100 रु. के इक्विटी शेयर (नामिती शेयरधारकों के द्वारा रखे 2 शेयर)	25,000	100	25,000	100

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

18. अन्य इक्विटी

(रु. लाख में)

			31 मार्च, 2018 को		31 मार्च, 2017 को
	पूंजीगत रिजर्व				
	अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए प्रवर्तक का अंशदान (टिप्पणी 18.1 देखें)	4,965.62		4,965.62	
	(कमी) : धारित आय का अंतरण	(4,965.62)	-	-	4,965.62
	के टी पी ओ में निवेश के लिए प्रवर्तक का अंशदान (टिप्पणी 18.2 देखें)	1,325.22		1,325.22	
	(कमी) : धारित आय का अंतरण	(305.22)	1,020.00	-	1,325.22
	अन्य (टिप्पणी 18.3 देखें)		18.10		18.10
	भारत सरकार से पूंजीगत अंशदान				
	वित्तीय विवरण के अनुसार शेष	805.17		846.87	
	जोड़ें : वर्ष के दौरान जुड़ी धनराशि (टिप्पणी 18.4 देखें)	518.11		-	
	(कमी) : ए एस आई डी ई से प्राप्त अनुदान का परिशोधन	(41.70)	1,281.58	(41.70)	805.17
	धारित आय				
	पिछले लेखे के अनुसार	191,607.34		170,293.39	
	जोड़ें : पूंजीगत रिजर्व से अंतरण	5,270.84		-	
	जोड़ें : वर्ष का अधिशेष	16,144.86		21,535.16	
	जोड़ें : परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्निर्धारण लाभ/ हानि	9.27		(219.35)	
	(कमी) : इक्विटी पद्धति का उपयोग करने के लिए लेखे में लिए गए संयुक्त उद्यम के ओ सी आई का शेयर	(0.43)	213,031.89	(1.86)	191,607.34
	कुल		**215,351.57**		**198,721.45**

18.1 प्रगति मैदान परिसर में अवसंरचनात्मक सुविधाओं का सृजन करने के लिए पहले वर्षों में प्राप्त किए गए प्रवर्तक अनुदान को धारित आय में अंतरित कर दिया गया है क्योंकि जारी आई ई सी सी परियोजना की वजह से संगत परिसम्पत्तियां अधिकांशत: गिरा दी गई हैं।

18.2 के टी पी ओ की ओर गौण ऋणों की जुलाई, 2018 में वसूली कर ली गई थी, परिणामत: प्रवर्तक के अंशदान की 305.22 लाख रु. की राशि को धारित आय में हस्तांतरित कर दिया गया है।

18.3 पहले वर्षों में धारक कंपनी के साथ मिलाए गए संगठनों की देयताओं पर परिसंपत्तियों की अधिकता को दर्शाता है।

18.4 समूह कंपनी, टी एन टी पी ओ के संबंध में विस्तार परियोजना के लिए टी आई ई एस से प्राप्त अनुदान।

19. गैर-नियंत्रित ब्याज

(रु. लाख में)

			31 मार्च, 2018 को		31 मार्च, 2017 को
	तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (टी एन टी पी ओ)				
	- शेयर पूंजी	0.49		0.49	
	- अन्य इक्विटी	12,310.50		10,361.61	
	जोड़ें : परिशोधन लागत पर दीर्घकालिक ऋणों का उचित मूल्य समायोजन	-		41.21	
	कमी : ऋणों में अंतरित राशि	-	12,310.99	(27.05)	10,376.26
	कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (के टी पी ओ)				
	- शेयर पूंजी	980.00		980.00	
	- अन्य इक्विटी	5,508.33		4,530.96	
	जोड़ें : गौण ऋण	-	6,488.33	605.00	6,115.96
			18,799.32		**16,492.22**

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

20. गैर - चालू प्रावधान

(रु. लाख में)

		31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
	कर्मचारियों के लाभों के लिए प्रावधान		
	छुट्टी नकदीकरण (देखें टिप्पणी 33.11)	2,200.79	2,426.29
	उपदान	20.61	18.75
		2,221.39	**2,445.04**

21. अन्य गैर - चालू देयताएं

(रु. लाख में)

		31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
	ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	815.65	853.55
		815.65	**853.55**

22. चालू- ऋण

(रु. लाख में)

		31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
	आवधिक ऋण - असुक्षित		
	के आई ए डी बी	605.00	24.50
		605.00	**24.50**

23. व्यापार भुगतान

(रु. लाख में)

		31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की ओर बकाया कुल राशि (टिप्पणी 23.1 देखें)	-	-
	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अलावा क्रेडिटरों की कुल बकाया राशि	1,898.12	2,048.16
		1,898.12	**2,048.16**
23.1	ऐसा कोई सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम नहीं है, जिसकी कंपनी पर 31.03.2018 को देनदारी है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत प्रकट की जाने वाली यथा अपेक्षित यह सूचना कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर निर्धारित की गई है।		

24. अन्य वित्तीय देयताएं

(रु. लाख में)

		31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
	बैंक ओवर ड्राफ्ट	5.91	8.08
	देय कर्मचारी लाभ	177.55	149.70
	प्रतिभूति जमा	1,017.85	1,061.39
	टी आई डी सी ओ को देय	-	141.65
	के ए आई डी बी को देय	24.50	-
	ग्राहकों को बकाया रिफण्ड	2,022.44	2,340.45
	अन्य बकाया	823.94	606.20
		4,072.18	**4,307.47**

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

25. अन्य चालू देयताएं

(रु. लाख में)

		31 मार्च, 2018 को		31 मार्च, 2017 को
	ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	3,260.51		3,398.80
	सांविधिक देयताएं	1,091.86		774.33
		4,352.37		**4,173.13**

26. चालू प्रावधान

(रु. लाख में)

			31 मार्च, 2018 को		31 मार्च, 2017 को
	कर्मचारियों के हित लाभ के लिए प्रावधान				
	-ग्रेच्युटी (टिप्पणी 33.11 देखें)	1,734.68		1,605.98	
	-छुट्टी नकदीकरण (टिप्पणी 33.11 देखें)	366.12		290.72	
	-वेतन से संबंधित निष्पादन (टिप्पणी 26.1 देखें)	3,264.00		3,264.00	
	-पेंशन फण्ड	725.26		2,631.14	
	-वेतन संशोधन	2,022.00	8,112.06	442.00	8,233.84
	अन्य				
	-आकस्मिक प्रभारों के रिफंड का प्रावधान		109.56		114.21
			8,221.62		**8,348.05**

प्रावधानों की प्रवृत्ति :

विवरण	1 अप्रैल, 2017 को	वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	31 मार्च, 2018 को
कार्य निषादन के आधार पर भुगतान	3,264.00	-	-	3,264.00
पेंशन फण्ड	2,631.14	(2,041.69)	135.81	725.26
वेतन संशोधन	442.00	-	1,580.00	2,022.00

26.1 द्वितीय वेतन संशोधन आयोग के अनुसार वेतनमानों में संशोधन के बारे में निष्पादन संबंधी वेतन (पी आर पी) के प्रति 3,264.00 लाख रु. (पूर्ववर्ती वर्ष: 3264.00 लाख रु.) का प्रावधान लोक उद्यम विभाग (डी पी ई) के दिशा-निर्देशों के अनुसार 1.4.2007 से 31.3.2017 के दौरान कंपनी के द्वारा किया गया है! सक्षम प्राधिकारी से पी आर पी का अनुमोदन लंबित रहते हुए 1574.49 लाख रु. (पूर्ववर्ती वर्ष 1569.92 लाख रु.) की राशि के तदर्थ भुगतान, सेवा-निवृत्त कर्मचारियों से निवल वसूली राशि सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार अग्रिम का रिफण्ड/ समायोजन करने के लिए कर्मचारियों हेतु जारी की।
जारी आई ई सी सी परियोजना में व्यय किए जाने वाली भारी राशि को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2017-18 के लिए पी आर पी ब्याज मुक्त अग्रिम सक्षम प्राधिकारी के विचाराधीन नहीं है। इसलिए कंपनी ने वर्ष 2017-18 के लिए पी आर पी के प्रति कोई प्रावधान नहीं किया है।

27. प्रचालनों से राजस्व

(रु. लाख में)

		31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
	सेवाओं की बिक्री			
	स्थान का किराया	24,549.35	26,393.99	
	सरकार से राजस्व अनुदान	1,295.71	621.84	
	बिजली व पानी प्रभारों की वसूली	1,064.24	1,069.16	
	अन्य सेवाओं से वसूली	297.26	372.69	
	सम्मेलन केन्द्र से किराया	553.96	633.65	
	होर्डिंग	298.04	228.04	
	ब्राण्डिंग/ प्रायोजकता	3.27	28,061.84	119.24	29,438.61
	अन्य प्रचालन राजस्व				
	प्रवेश टिकट/ सीजनल पास की बिक्री	589.35	750.55	
	अंशदान शुल्क	34.54	9.48	
	विज्ञापन (प्रकाशन)	57.14	57.47	
	प्रकाशनों की बिक्री	2.77	683.80	5.60	823.10
			28,745.65		**30,261.71**

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

28. अन्य आय

(रु. लाख में)

		31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	
	निम्नलिखित से ब्याज आय				
	-बैंक जमा और बचत बैंक लेखे	9,948.88		12,462.28	
	-अंत: कारपोरेट जमा	1,630.56		603.83	
	-कर्मचारियों को ऋण	76.40		90.65	
	-अन्य	1.95	11,657.79	1.38	13,158.14
	म्युचुअल फण्ड से लाभांश		9.23		5.59
	किराया (टिप्पणी 33.2 देखें)		267.15		196.85
	अन्य गैर-प्रचालनीय आय				
	परिसंपत्तियों, संयंत्र और उपस्कर की बिक्री पर लाभ/ (हानि)	54.91		(27.98)	
	देयताएं/ प्रावधान अधिक समय तक अपेक्षित नहीं, पहले लिखे गए	172.00		141.98	
	विविध आय (टिप्पणी 28.1 देखें)	800.16	1,027.07	682.28	796.28
			12,961.24		**14,156.86**
28.1	तृतीय पक्षकार संगठनों के द्वारा मेलों को निरस्त कर देने की वजह से 0.40 लाख रु. (31.3.2018 तक संचयी - 773.13 लाख रु.) के अमान्य जुर्माने को आय के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है और जब कभी राशि की वसूली की जाएगी/ समायोजित की जाएगी, तब उसे इण्ड ए. एस. - 18 के अनुसार लेखे में लिया जाएगा।				

29. कर्मचारी लाभ व्यय

(रु. लाख में)

		31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	
	वेतन और मजदूरी				
	वेतन, मजदूरी व भत्ते (टिप्पणी 29.1 देखें)	5,663.85		5,905.05	
	अन्य परिलब्धियां एवं भत्ते	978.78		1,027.41	
	निष्पादन संबद्ध वेतन (टिप्पणी 26.1 देखें)	-		184.00	
	वेतन संशोधन के लिए प्रावधान (टिप्पणी 29.2 देखें)	1,580.00	8,222.63	442.00	7,558.46
	भविष्य निधि एवं अन्य निधियों के लिए अंशदान				
	भविष्य निधि के लिए अंशदान (टिप्पणी 33.11 देखें)	571.30		573.75	
	पेंशन के लिए अंशदान (टिप्पणी 33.11 देखें)	451.65		306.14	
	ग्रेच्युटी (देखें टिप्पणी 33.11)	338.41		1,391.03	
	छुट्टी नकदीकरण (टिप्पणी 33.11 देखें)	466.61		797.81	
	अन्य निधियों के लिए अंशदान	10.39	1,838.36	10.88	3,079.61
	कर्मचारी कल्याण व्यय				
	चिकित्सा व्यय	381.44		333.89	
	मृतक कर्मचारियों के लिए क्षतिपूर्ति	133.66		102.56	
	अन्य कर्मचारियों कल्याण व्यय	154.19	669.29	178.51	614.96
			10,730.28		**11,253.03**
29.1	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत अनुग्रह राशि की वजह से 17.59 लाख रु. (पूर्ववर्ती वर्ष 106.76 लाख रु.) शामिल।				
29.2	दिनांक 3.8.2017 और 4.8.2017 के कार्यालय ज्ञापन के द्वारा सार्वजनिक उसम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार तथा आई टी पी ओ के दिनांक 5.6.2018 और 2.7.2018 के कार्यालय आदेश के अनुसार।				

30. मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय

(रु. लाख में)

	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	
संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर पर मूल्यह्रास		809.73		922.48
अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन		28.59		7.32
		838.33		**929.79**

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

31. अन्य व्यय

(रु. लाख में)

	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	
सेवाओं की बिक्री संबंधी व्यय				
भागीदारी शुल्क		1,761.70		1,864.72
विनिर्माण एवं आंतरिक सजावट		2,118.65		1,361.70
प्रचार		488.19		559.61
मालभाड़ा, पैकिंग व हैंडलिंग		48.92		38.26
सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं फैशन शो		25.34		8.20
इंटरप्रेटर का वेतन		59.22		15.92
यात्रा एवं वाहन [निदेशकों के बारे में 30.69 लाख रु. (पूर्ववर्ती वर्ष 16.25 लाख रु.) शामिल]		354.05		320.02
विदेशी शिष्टमंडल		15.40		6.50
विनिमय अंतर (निवल)		0.33		38.31
अन्य प्रचालन व्यय				
विज्ञापन व्यय		60.73		53.59
मनोरंजन पर [निदेशकों के माध्यम से रु. 1.20 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष में रु. 0.93 लाख) शामिल]		55.54		47.58
कमीशन		97.86		234.62
विद्युत प्रभार		1,625.39		2,093.92
पानी प्रभार		290.42		13.44
प्रगति मैदान का रख-रखाव				
-सिविल ख्भवनों की मरम्मत हेतु पूर्ववर्ती वर्ष में 5.54 लाख	270.11		217.84	
-विद्युत	768.52		785.34	
-बागवानी	85.99		134.96	
-कन्जर्वेन्सी व्यवस्था	254.28	1,378.90	319.73	1,457.87
वाहनों का रख-रखाव	60.64		69.42	
(कमी) : वसूलियां	(0.08)	60.56	(0.08)	69.34
प्रचालन और रख-रखाव		368.03		353.67
अन्य प्रशासनिक व्यय				
प्रशासनिक प्रभार (आउटसोर्सिंग)		90.56		81.11
मरम्मत, नवीकरण और रख-रखाव		264.02		681.10
सुरक्षा व्यय		745.05		761.94
डाक, टेलीग्राम और टेलीफोन		45.23		54.56
बीमा		15.78		12.87
विधिक व व्यावसायिक प्रभार		73.07		143.04
सेमिनार और प्रशिक्षण		13.35		13.51
पुस्तकें और पत्रिकाएं		19.33		19.08
प्रिंटिंग और स्टेशनरी		71.72		92.65
कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (टिप्पणी 33.14 देखें)		389.42		340.81
दरें और कर	369.44		295.99	
(घटाएं) : वसूलियां	-	369.44	(9.14)	286.85
किराया	131.37		110.66	
(घटाएं) : वसूलियां	(1.40)	129.97	(1.40)	109.26
म्युचुअल फण्ड पर उचित मूल्य हानि/ लाभ		2.88		(8.37)
ब्याज		2.83		15.30
प्रावधान/ बट्टे खाते में डालना		136.65		150.89
अन्य विविध व्यय		227.89		197.71
निदेशकों का बैठक शुल्क		2.20		1.30
बैण्डविड्थ चार्जेज		32.15		-
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक				
-लेखा परीक्षा शुल्क	5.80		6.45	
-कर लेखा-परीक्षा शुल्क	1.00	6.80	1.00	7.45
		11,447.57		**11,498.32**

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

32. आपवादिक मदें :

(रु. लाख में)

	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	
मूल्यह्रास		-		(197.60)
भूमि की बिक्री से लाभ		1,311.81		5,076.02
आई ई सी सी परियोजना के लिए भवन गिराने पर हानि (टिप्पणी 3.5 देखें)		(1,378.39)		-
		(66.58)		**4,878.42**

33. 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों के भाग से सम्बन्धित अन्य टिप्पणियां

(रु. लाख में)

			31 मार्च, 2018 को		31 मार्च, 2017 को
33.1	**आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं**				
क)	**आकस्मिक देयताएं (देखें टिप्पणी 33.1.1)**				
	समूह कंपनी के प्रति दावे, जो ऋणों के रूप में स्वीकार न किए गए-				
	विवादित देयता जो निम्नलिखित के लिए अपील में विभिन्न वर्षों के लेखों में व्यय के रूप में समायोजित नहीं :				
	आयकर (टिप्पणी 33.4 भी देखें)	587.51		693.91	
	सेवा कर (881.31 लाख रु. जमा की गई राशि)	1,022.45		1,022.45	
	कर्मचारी भविष्य निधि (100 लाख रु. की जमा की गई राशि)	1,695.57		1,695.57	
	मनोरंजन कर	415.18		398.01	
	ई एस आई	228.81	3,949.52	-	3,809.94
	अन्य - जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है		2,541.43		6,998.41
			6,490.95		**10,808.35**
ख)	**पूंजीगत प्रतिबद्धताएं**				
	पूंजीगत लेखे पर निष्पादित किए जाने के लिए शेष ठेकों की अनुमानित राशि पर उपलब्ध न करायी (निवल अग्रिम)		210,759.97		1,534.84

33.1.1 कंपनी इन मांगों का विरोध कर रही है और प्रबंधन तथा इसके सलाहकारों का यह मत है कि यह मांगें अपीलीय स्तर पर बढ़ावा देने योग्य नहीं हो सकती हैं। प्रबंधन का यह यकीन है कि इन कार्रवाइयों के अंतत: परिणाम का कंपनी की वित्तीय स्थिति और प्रचालनों के परिणामों पर कोई वास्तविक प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा। उपर्युक्त आकस्मिक देयताओं के बारे में कंपनी किसी प्रतिपूर्ति की उम्मीद नहीं करती है और सक्षम प्राधिकारियों के निर्णयों के लंबित रहते हुए इन मामलों के बारे में नकद प्रभावों, यदि कोई हो, की समय अवधि का अनुमान लगाना व्यावहारिक नहीं है।

33.2 **एन एस सी और शिल्प संग्रहालय**

भूमि और विकास कार्यालय (एल ऐण्ड डी ओ), शहरी विकास मंत्रालय ने 7 मार्च, 2011 को 99 वर्षों के स्थायी पट्टे पर कंपनी को प्रगति मैदान परिसर के लिए 123.51 एकड़ भूमि पट्टे पर दी है, जिसमें से 7.2623 एकड़ का संयुक्त क्षेत्रफल बिना पट्टा करार के दो सरकारी विभागों अर्थात् शिल्प संग्रहालय और राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र के कब्जे में है। 9,982.57 लाख रु. (पूर्ववर्ती वर्ष 9,335.99 लाख रु.) का संचयी किराये का भुगतान नहीं किया जा रहा है और उनके द्वारा विरोध किया जा रहा है। इसकी वसूली होने की अनिश्चितता के दृष्टिकोण से किराया आय इण्ड ए. एस.-18 के अनुसार मान्य नहीं है। इसके अलावा, एल ऐण्ड डी ओ को भुगतान किए गए वार्षिक ग्राउण्ड किराए संबंधी व्यय को कंपनी के द्वारा वहन किया जाता है क्योंकि संपूर्ण क्षेत्र का पट्टा विलेख कंपनी के नाम है।

33.3 प्रबंधन के मतानुसार संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के अलावा, अन्य परिसम्पत्ति की कीमत करोबार की साधारण अवधि की वसूली होने पर उस कीमत से कम नहीं होगी जिस कीमत के बारे में तुलन-पत्र में इनमें बताया है।

33.4 **आयकर मामले**

(i) **धारक कंपनी**

क. आयकर की छूट

आयकर महानिदेशक (छूट) ने 1.4.2008 से प्रभावी आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2 (15) के संशोधित परंतुक के अनुसार आकलन वर्ष 2009-10 से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23)(ग) (iv) के अन्तर्गत आई टी पी ओ को प्रदान की गई आयकर छूट को वापस ले लिया था।

कम्पनी ने माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के समक्ष छूट की वापसी का विरोध किया था और दिनांक 22.1.2015 को कम्पनी के पक्ष में निर्णय प्राप्त हुआ और तदनुसार, आयकर मुख्य आयुक्त (छूट) ने दिनांक 2.3.2015 के आदेश के द्वारा आकलन वर्ष 2009-10 के बाद से पूर्वोक्त आयकर छूट को बहाल कर दिया।

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

आयकर विभाग ने माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के आदेश के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष वर्ष 2017 की विशेष अनुमति याचिका एस एल पी (सी) सं. 9284 दायर की है। माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के द्वारा पारित निर्णय के बारे में अंतरिम राहत/ स्थगन के लिए आयकर विभाग की प्रार्थना को माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था और मामले को ऐसे ही मामलों पर माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित अन्य एस एल पी के साथ जोड़ दिया गया है और सुनवाई की तारीख अभी निर्धारित की जानी है।

यद्यपि, छूट का मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित है, परंतु प्रबंधन का मत है कि आयकर छूट को चूंकि माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के द्वारा बहाल कर दिया गया है, इसलिए आकलन वर्ष 2009-10 के बाद से आयकर ब्याज और दण्ड के लिए कोई प्रावधान करना जरूरी नहीं समझा है।

ख. आयकर की मांग

मध्यवर्ती समय अवधि के दौरान, आयकर विभाग ने धारा 10(23)(ग)(iv) के तहत छूट को अस्वीकार करते हुए आकलन वर्ष 2009-10 से 2011-12 के लिए आदेश पारित किए और 15,589.86 लाख रु. की मांग की, जिसके प्रति 1319.00 लाख रु. विरोध के तहत जमा कर दिए गए थे। इसके अलावा, विभाग के द्वारा आकलन वर्ष 2015-16 तक 11,467 लाख रु. की टी डी एस रिफण्ड रोक दिए गए हैं। आकलन वर्ष 2009-10 से 2011-12 के लिए आयकर विभाग द्वारा उठायी गई मांगों के विरुद्ध सी आई टी (अपील) के पास कंपनी के द्वारा दायर की गई अपीलों के बारे में कंपनी के पक्ष में निर्णय दिए गए, जिसके विरुद्ध आयकर विभाग ने आयकर अपीलीय अधिकरण (आई टी ए टी) दिल्ली में अपील दायर की है।

कम्पनी ने भुगतान किए गए 11,467.00 लाख रु. और 1319.00 लाख रु. के टी डी एस रिफण्ड इस प्रकार कुल 12786.00 लाख रु. टिप्पणी 8 में 'आयकर वसूलनीय' शीर्ष के अंतर्गत लेखों में दर्शाए गए हैं और 426.00 लाख रु. के सिवाय उनको 31.3.2018 को वसूली के लिए अच्छे माने गए हैं।

(ii) तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (टी एन टी पी ओ)

आकलन वर्ष 2006-07 के लिए आयकर विभाग ने यह बताते हुए धारा 148 के तहत 28.3.2013 को नोटिस जारी करके आकलन को पुन: शुरू किया है कि आय का एक रास्ता है और ब्याज और दण्ड के अलावा, आय को लागू करने में कमी के प्रति 149.46 लाख रु. की मांग की।

इसका विरोध करके, टी एन टी पी ओ ने उक्त आकलन आदेश के विरुद्ध आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष एक अपील दायर की और मांग को स्थगित करने के लिए एक आवेदन दिया। मांग के स्थगन आदेशों के अनुसार, टी एन टी पी ओ ने 74.73 लाख रु. की कर मांग 50 प्रतिशत राशि (विरोध में) जमा कर दी है।

आयकर मुख्य आयुक्त, चेन्नई-III ने आकलन वर्ष 2009-10 के बाद से आयकर अधिनियम की धारा 10(23)(ग)(iv) के अंतर्गत जारी आयकर छूट इस आधार पर वापस ले ली थी कि कंपनी 1.4.2008 से आयकर अधिनियम की धारा 2(15) के संशोधित परंतुक के अनुसार व्यापार, वाणिज्य अथवा कारोबार के कार्यकलापों में अथवा व्यापार, वाणिज्य अथवा कारोबार संबंधी सेवाएं प्रदान करने में लगी हुई है।

धारा 10 (23)(ग) (iv) के तहत जारी किए गए छूट आदेश की वापसी के परिणामस्वरूप मूल्यांकन अधिकारी ने आकलन वर्ष 2009-10 से 2014-15 के लिए मांग की है और मूल्यांकन अधिकारियों द्वारा जारी की गई मांग, विरोध में जमा किया गया कर और दायर लंबित आकलन संबंधी आई. टी. रिटर्न के अनुसार भुगतान किए गए कर की स्थिति के अलावा मामलों की स्थिति को नीचे सारणी में दिया गया है

(रु. लाख में)

आकलन वर्ष	कुल मांग (ब्याज सहित) रु. में	अनुसार विरोध के तहत भुगतान माना गया कुल कर (टिप्पणी 8)	जिनके पास मामले लंबित
2006-07	149.47	3,204.70	आयकर आयुक्त (अपील)
2009-10	446.38	-	आयकर अपीलीय अधिकरण
2010-11	358.59	-	
2011-12	585.56	-	
2012-13	968.50	-	आयकर आयुक्त (अपील)
2013-14	1,200.37	-	
2014-15	992.50	-	
2015-16	-	636.65	कर भुगतान किया और टी डी एस के लिए दावा किया
2016-17	-	575.78	
2017-18	-	795.92	
2018-19	-	1,003.17	
कुल	**4,701.37**	**6,216.22**	

विरोध के तहत भुगतान किए गए आयकर का विवरण : **(रु. लाख में)**

आयकर रिफण्ड	971.50
जमा आयकर लेखा	4,941.55
प्राप्य टी डी एस - 2017.18	303.17
कुल	**6,216.22**

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

धारक कंपनी (आई टी पी ओ) ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2(15) के प्रावधान को चुनौती देते हुए माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली में एक रिट याचिका दायर की थी और मुकदमा जीत भी लिया था। आई टी पी ओ को 22.01.2015 को माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली से आई टी पी ओ के पक्ष में निर्णय मिला। परिणामस्वरूप, आयकर विभाग ने आई टी पी ओ को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 (23 ग)) (iv) के तहत आयकर में छूट प्रदान की गई है।

बोर्ड की 08.08.2013 को हुई अपनी 42वीं बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसार टी एन टी पी ओ की लेखा पुस्तकों में कर देयता का लेखांकन व्यवहार धारक कंपनी (आई टी पी ओ) के अनुसार होगा। इस प्रकार, टी एन टी पी ओ भी धारक कंपनी के कार्यों का पालन कर रही है और माननीय उच्च न्यायालय मद्रास में रिट दायर की गई है और मामला न्यायालय में है। टी एन टी पी ओ को धारक कंपनी आई टी पी ओ की भांति अनुकूल निर्णय की उम्मीद है, अत: धारक कंपनी आई टी पी ओ के द्वारा अपनाए गए लेखांकन व्यवहार की भांति आकलन वर्ष 2009-10 से 2014-15 के लिए आयकर देयता हेतु कोई प्रावधान लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता है। विभिन्न आकलन वर्षों के लिए टी एन टी पी ओ के द्वारा दायर की गई अपीलें निपटान हेतु लंबित हैं। इन अपीलों का निपटान लंबित रहते हुए, कंपनी 31 मार्च, 2017 को 4701.38 लाख रु. की कुल मांग की प्रासंगिक देयता के लिए जिम्मेदार है, जिसमें कुल 4551.91 लाख रु. मांग के लिए छूट की वापसी और 149.46 लाख रु. की आय के निकास की मांग शामिल है। कंपनी आकलन वर्ष 2017-18 के लिए प्रासंगिम रूप से भी जिम्मेदार है, जिसके लिए विभाग को आकलन संबंधी कार्यवाहियां अभी शुरू करनी हैं तथा प्रासंगिक देयता की राशि अभी निर्धारित की जानी है।

(iii) कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

संगठन ने आकलन वर्ष 2008-09 तक के लिए, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) (iv) के तहत छूट प्राप्त कर ली थी। संगठन ने आकलन वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 के लिए छूट प्रदान करने के लिए आवेदन किया है। मुख्य आयकर आयुक्त ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) (iv) के तहत अनुमोदन को नवीकरण करने की याचिका को अस्वीकार करने के आदेश पारित किए हैं। संगठन ने माननीय उच्च न्यायालय, कर्नाटक में मुख्य आयकर आयुक्त के अस्वीकार करने के आदेश को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दाखिल की है। माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कंपनी की मांग के अनुसार अनुमोदन के नवीकरण को अस्वीकार करने के संबंध में आयकर अधिनियम की धारा 10 (23ग) (iv) के तहत मुख्य आयकर आयुक्त द्वारा पारित आदेश को रद्द करने के संबंध में आदेश पारित किया है। साथ ही, विभाग को भी यह निर्देश दिया है कि भविष्य में जब भी ऐसा अवसर आए वापसी अथवा पंजीकरण के संबंध में निर्णय ले।

आकलन वर्ष 2010-11 से 2014-15 के लिए, आकलन अधिकारी ने अधिनियम की धारा 2(15) के संशोधित प्रावधानों को लागू करके धारा 11/10 (23ग) (iv) के तहत कंपनी द्वारा दावा की गई छूट से इन्कार किया था। आकलन वर्ष 2010-11 के लिए कोई भी देनदारी नहीं बनती क्योंकि आकलन अधिकारी द्वारा पारित आकलन आदेश के तहत वर्ष के दौरान व्यय से अधिक आय नहीं है। प्रत्युत्तर में कंपनी ने भारतीय आय कर आयुक्त (अपील) के समकक्ष यह कहते हुए एक अपील दाखिल की है कि कंपनी, अधिनियम की धारा 2(15) के संशोधित उपबंधों से प्रभावित नहीं है और कंपनी, अधिनियम की धारा 10 (23ग) (iv) के तहत छूट के दावे की पात्र है। दिनांक 16.06.2016 के आदेश के तहत इसके अलावा, कंपनी के आधार की 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के लिए आयकर आयुक्त द्वारा अपने आदेश क्रमश: दिनांक 30.08.2017, 16.06.2016 और 14.09.2017 अपील को स्वीकार करके पुष्टि की है तथापि आयकर विभाग ने कंपनी के पक्ष में पारित आयकर आयुक्त (अपील) के आदेश के विरुद्ध आकलन वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के लिए आयकर अपीलीय अधिकरण के पास अपील दायर की है। 31.03.2018 तक आकलन वर्ष 2013-14 और 2014-15 के लिए कुल मांग 397.54 लाख रु. है, जिसमें से 154.07 लाख रु. की वापसी को 243.47 लाख रु. की शेष मांग छोड़कर समायोजित किया है। इस मांग के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है लेकिन आकस्मिक देनदारियों में शामिल किया गया है।

संगठन को आकलन वर्ष 2003-04 से 2008-09 के लिए दिनांक 01.04.2009 से अर्थात धारा 2(15) में संशोधन की तारीख से अधिनियम की धारा 10 (23ग) (iv) के तहत स्वीकृत अनुमोदन को वापस लेने के प्रस्ताव हेतु अपर आयकर आयुक्त (टेक.) -I से नोटिस प्राप्त हुआ था। कंपनी ने उसके वापस लेने संबंधी प्रस्ताव के बारे में पुन: विचार करने हेतु लिखित निवेदन दायर किए थे।

31.03.2018 तक उठायी गई और समायोजित की गई मांग की स्थिति नीचे दिए अनुसार है : **(रु. लाख में)**

आकलन वर्ष	उठायी गई मांग	रिफण्ड समायोजित	लंबित शेष	अपील दायर करने की तारीख
2013-14	238.80	70.50	168.30	15-04-2016
2014-15	158.75	83.57	75.18	14-12-2016

वर्ष के दौरान कंपनी ने बेंगलुरु मेट्रो परियोजना के लिए कंपनी की भूमि का अधिग्रहण करने हेतु बेंगलुरु मेट्रो रेल निगम लिमिटेड से 1318.12 लाख रु. प्राप्त किए जिसकी वजह से 1311.81 लाख रु. का लाभ हुआ है और कंपनी इस लाभ को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 11(2) के अनुसार खर्च करना चाहती है।

(iv) राष्ट्रीय व्यापार सूचना केन्द्र (एन सी टी आई)

कंपनी के आकलन वर्ष 1996-97 से 1998-99 के लिए अपनी आय के संबंध में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 (23ग) (iv) के तहत छूट प्रदान की गई है और उसने उत्तरवर्ती वर्षों के लिए छूट के नवीकरण के लिए आवेदन किया है जो आयकर प्राधिकारियों के पास लंबित है। कंपनी ने ऐसी छूट के नवीकरण के लिए आवेदन किया था, परंतु आज तक इसके लिए स्वीकृति नहीं दी गई है। तथापि, छूट के नवीकरण की प्रत्याशा में आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

33.5 आस्थगित कर परिसंपत्ति /देयता

माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के आदेश के अनुसार आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) (iv) के तहत छूट दिए जाने के लिए नियत आई टी पी ओ की आय के दृष्टिगत और प्रबंधन के मतानुसार आयकर विभाग द्वारा दायर एस एल पी के बारे में कम्पनी हक में फैसला होने की संभावना है, इसलिए आस्थगित कर परिसंपत्तियों/ देयताओं को मान्यता नहीं दी गई है।

33.6 शेष राशियों की पुष्टि

व्यापार प्राप्य, ऋण और अग्रिमों, व्यापार संबंधी देयताओं और अन्य पक्षकारों आदि की शेष राशियां मिलान/ पुष्टि के अध्यधीन हैं। पुष्टि/ मिलान के बाद प्रभाव को यदि कोई हो तो पुष्टि/ मिलान के वर्ष में लेखे में लिया जाएगा।

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

33.7	**अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केंद्र (आई ई सी सी) परियोजना**
क)	प्रगति मैदान परिसर का पुन: विकास करने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केंद्र (आई ई सी सी) परियोजना को 2,25,400 लाख रु. की लागत पर आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सी सी ई ए) की दिनांक 24.1.2017 को हुई बैठक में भारत सरकार ने अनुमोदन दिया था और बाद में इस लागत को संशोधित करके 2,69,851 लाख रु. कर दिया गया था। अनुमोदन के अनुसार, परियोजना को 1,20,000 लाख रु. के कंपनी के संसाधनों से वित्त-पोषित किया जाएगा और शेष राशि की व्यवस्था भारत सरकार से गारंटी प्राप्त करके बैंक से आवधिक ऋण से पूरी की जाएगी।
ख)	मंत्रिमंडल ने आई ई सी सी परियोजना के संबंध में 21.04.2017 को एल ऐण्ड डी ओ के द्वारा की गई 9663.42 लाख रु. की मांग की छूट को 13.06.2018 को अनुमोदित भी किया है।
ग)	इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने 13.06.2018 को निजी क्षेत्र सहित तृतीय पक्षकार के द्वारा होटल का विनिर्माण एवं प्रचालन करने हेतु परियोजना के वित्तीयन के लिए प्रगति मैदान परिसर में 3.70 एकड़ भूमि के मुद्रीकरण को भी अनुमोदन दिया है और बैंक से उस सीमा तक ऋण कम रहेगा।
घ)	मंत्रिमंडल ने होटल के लिए तृतीय पक्षकार को भूमि का हस्तांतरण करने के कारण एल ऐण्ड डी ओ को अनार्जित बढ़ोतरी/ देय प्रीमियम संबंधी छूट दस्तावेजों को 13.06.2018 को हुई अपनी बैठक में अनुमोदन भी दिया है।
ङ)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एन बी सी सी को परियोजना के लिए परियोजना प्रबंध परामर्शदाता (पी एम सी) के रूप में नियुक्त किया गया है और एन बी सी सी के साथ करार किया गया है।
च)	28,397.05 लाख रु. के करार के अनुसार 31.03.2018 तक एन बी सी सी के द्वारा किए गए कार्य को टिप्पणी सं. 3 में 'पूंजीगत कार्य प्रगति पर है' के रूप में दर्शाया गया है, परियोजना के लिए भुगतान किए गए 32022.54 लाख रु. के अग्रिम भुगतान को टिप्पणी 9 में पूंजीगत अग्रिम के रूप में दर्शाया गया है। परिणामस्वरूप 2,69,851 लाख रु. की अनुमोदित लागत के प्रति 2,09,431.41 लाख रु. की राशि टिप्पणी 31.1 में परियोजना के लिए पूंजीगत प्रतिबद्धताओं के रूप में शामिल है।
33.8	**चेन्नई ट्रेड सेंटर (सी टी सी) की विस्तार परियोजना**
	समूह कंपनी तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (टी एन टी पी ओ) के मामले में तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (टी एन टी पी ओ) के बोर्ड ने दिनांक 24.11.2016 को नई दिल्ली में हुई बोर्ड की 48वीं बैठक में 289 करोड़ रु. के कुल परियोजना परिव्यय की टी एन टी पी ओ के विस्तार को अनुमोदन दिया। टी एन टी पी ओ के विस्तार की विशिष्ट विशेषताओं में यूटीलिटी भवन, रेस्टोरेंट, एकीकृत भवन प्रबंधन प्रणाली, लिफ्ट और एस्केलेटर सुविधाओं आदि जैसी अन्य सुविधाओं के सृजन के अलावा, अतिरिक्त किराए योग्य प्रदर्शनी क्षेत्र - 15700 वर्ग मीटर तथा 2940 कारों की कुल कार पार्किंग सुविधा शामिल है। 20 करोड़ रु. की टी आई ई एस अनुदान को स्वीकृति दी गई है और वाणिज्य विभाग, भारत सरकार के द्वारा दिनांक कम स्थान 06.11.2017 के पत्र एफ सं; के-46012/17/2017 - स्टेट्स सैल के द्वारा 10 करोड़ रु. की पहली किस्त जारी की गई थी। सी टी सी की विस्तार परियोजना के लिए टी आई ई एस से प्राप्त सरकारी अनुदान के रूप में इसको अन्य इक्विटी (टिप्पणी सं. 18) के अन्तर्गत प्रकट किया गया है। विस्तार परियोजना के इस प्रयोजन के लिए इस पूंजीगत अनुदान को चालू करने हेतु अलग से बैंक लेखा सृजित नहीं किया गया है। टी एन टी पी ओ की 5 करोड़ रु. की सामान्य निधि के साथ 10 करोड़ रु. की इस पूंजीगत अनुदान राशि को संयुक्त सावधि जमा में जमा कर दिया गया है, जिसके लिए अनुदान निधियों के स्पष्ट संकेत चिह्न की आवश्यकता होती है। 15.90 लाख रु. की राशि के पूंजीगत अनुदान को दर्शाने वाली ऐसी जमा राशि पर आनुपातिक ब्याज को पूंजीगत अनुदान निधि लेखे में क्रेडिट किया जाता है। टी एन टी पी ओ के विस्तार परियोजना के लिए आंतरिक संभूति से 85 करोड़ रु., टी आई ई एस अनुदान से 20 करोड़ रु., और बैंक ऋण से 184 करोड़ रु. के रूप में वित्तीयन पैटर्न को टी एन टी पी ओ के बोर्ड के द्वारा अनुमोदित किया था और प्रस्ताव वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया था तथा वाणिज्य विभाग, भारत सरकार से अनुमोदन की प्रतीक्षा है।
33.9	**सेवा कर मामले**
(i)	**धारक कंपनी**
क)	सेवा कर आयुक्त द्वारा कंपनी पर 2006-07 से 2009-10 की अवधि के लिए 1087.94 लाख रु. की सेवा कर की मांग की गई, जिसमें 1064.27 लाख रु. का सेवा कर और 23.68 लाख रु. का ब्याज शामिल था। मांग का विरोध किया गया और सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त ने दिनांक 22.01.2015 के अपने आदेश के तहत सेवा कर की मांग में संशोधन करके 410.41 लाख रु. किया, जिसके साथ 410.40 लाख रु. का जुर्माना तथा 0.10 लाख रु. और भुगतान की तारीख तक ब्याज इस शर्त के साथ किया गया कि यदि 30 दिनों के भीतर भुगतान कर दिया जाता है तो 75 प्रतिशत तक जुर्माना राशि माफ कर दी जाएगी। दिनांक 24.04.2015 के आदेश के खिलाफ सी ई एस टी ए टी के समक्ष अपील की गई। 09.02.2017 को सी ई एस टी ए टी के निर्देशों पर एक संशोधित अपील दायर की गई है। फिलहाल कंपनी ने 881.31 लाख रु. का भुगतान विरोध के साथ कर दिया, जिसमें सेवा कर के रूप में 410.41 लाख और 102.70 लाख रु. का जुर्माना तथा 368.20 लाख रु. का ब्याज शामिल था।

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

ख) इसके अलावा सेवा कर विभाग द्वारा विभिन्न अवधियों के लिए सेवा कर (ब्याज और दण्ड की गणना नहीं) कारण बताओ नोटिस व मांग भेजे गए जो इस प्रकार हैं :

(रु. लाख में)

वर्ष	राशि
2011-12	42.77
2012-13	51.68
2013-14	46.69
कुल	**141.14**

विशेषज्ञों की राय के आधार पर कंपनी यह मानती है कि उपर्युक्त विभिन्न मामले, सेवा कर की परिधि में नहीं आते हैं, जिनके लिए मांग/ मांग एवं कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुए थे।

उपर्युक्त (क) और (ख) की मांगों के बारे में कंपनी ने संबंधित प्राधिकारियों से विरोध किया गया है और तदनुसार कुल 1022.45 लाख रु. की पूर्वोक्त मांगों के लिए 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार लेखों में कोई प्रावधान करना जरूरी नहीं समझा गया है। तथापि 1022.45 लाख रु. की इस मांग को टिप्पणी 33.1 में आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है।

(ii) तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (टी एन टी पी ओ)

विभिन्न अवधियों के लिए टिकटों की बिक्री से हुई आय के हिस्से पर सेवा कर की मांग के साथ जारी सेवा कर की वर्तमान स्थिति का विवरण नीचे दिया गया है :

विवरण	मूल आदेश	मूल अपील	अवधि	मांग रु. में	की गई मांग पर 10 प्रतिशत पूर्व जमा	वर्तमान स्थिति
एस सी एन सं. 456/2011 दि.13.10.2011	ओ आई ओ सं.115/2013 दि.17.12.2013	ओ आई ओ सं. 546 & 547/2016 (एसटीए-1) दि.01.09.2016	अप्रैल 06 से मार्च 11	19.53	2.77	दिनांक 30.11.2016 को सी ई एस टी ए टी में अपील दायर और जो अभी लंबित है
एस सी एन सं. 07/2013 दि.17.01.2013			अप्रैल 11 से मार्च 12	6.51		
एस ओ डी सं. 07/2014 दि.25.03.2014	ओ आई ओ सं. 19/2015 दि. 20.07.2015		अप्रैल 12 से जून 12	1.68		
एस सी एन सं. 290/2014 दि.08.10.2014	ओ आई ओ 84 एवं 85/2016 दि.23.03.2016	ओ आई ए सं. 126/2017 दि.31.07.2017	जुलाई 12 से मार्च 13	6.16	1.23	दिनांक 14.11.2017 को सी ई एस टी ए टी में अपील दायर और जो अभी लंबित है
एस ओ डी सं. 16/2015 दि.24.03.2015			अप्रैल 13 से मार्च 14	6.17		
एस ओ डी सं. 09/2016 दि.06.04.2016	ओ आई ओ सं. 01/2017 दि. 15.06.2017	ओ आई ए सं. 452 /2017(सीटीए-II) दि.29.12.2017	अप्रैल 14 से मार्च 15	5.46	1.21	दिनांक 20.03.2018 को सी ई एस टी ए टी में अपील दायर और जो अभी लंबित है
एस ओ डी सं. 01/2017 दि.11.01.2017	ओ आई ओ सं. 02/2017 दि.15.06.2017	ओ आई ए सं. 453/2017(सीटीए-II) दि.29.12.2017	अप्रैल 15 से मार्च 16	6.61		
				52.12	**5.21**	

समूह कंपनी, टी एन टी पी ओ पर ब्याज और जुर्माने के अलावा 52.12 लाख रु. के, यदि कोई हो, सेवा कर की आकस्मिक देयता है जिसे परिभाषित नहीं किया है।

33.10 पट्टे

कंपनी की महत्त्वपूर्ण पट्टा-व्यवस्थाएं उसके पट्टे वाले कार्यालय परिसरों तथा संपत्तियों संबंधी प्रचालन पट्टों के बारे में है। ये पट्टा व्यवस्थाएं, निरस्त करने लायक होती हैं, वे परस्पर सहमति से सामान्य तौर पर नवीकरणीय होती हैं। कुल पट्टा किराया आय और भुगतान किया गया पट्टा किराया क्रमश: टिप्पणी 27 और 31 में प्रकट किए गए हैं।

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

33.11 कर्मचारी लाभ

विभिन्न परिभाषित कर्मचारी लाभ योजनाओं का सामान्य विवरण नीचे दिए गए अनुसार है :

I परिभाषित अंशदान योजनाएं

भविष्य निधि

धारक कंपनी (आई टी पी ओ) निर्धारित दरों पर आई टी पी ओ कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट को अपने कर्मचारियों की भविष्य निधि के अपने अंशदान का भुगतान करती है, जिसका निवेश ट्रस्ट अनुमत प्रतिभूतियों में करता है। वर्ष के लिए किए गए अंशदान को व्यय माना जाता है और उसे आय-व्यय विवरण में दर्शाया जाता है। यदि कोई कमी होती है, तो कंपनी ट्रस्ट की उस कमी को दूर करने के लिए बाध्य है और ऐसी कम को अपना व्यय मानती है।

सहायक कंपनी (टी एन टी पी ओ) ई पी एफ ओ की निर्धारित दरों पर अपने कर्मचारियों के भविष्य निधि संबंधी अपने अंशदान का भुगतान करती है। वर्ष के अंशदान को व्यय के रूप में स्वीकार किया जाता है तथा आय और व्यय विवरण में शामिल किया जाता है।

सहायक कंपनी (के टी पी ओ) भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है क्योंकि यह वर्तमान में कंपनी पर लागू नहीं होता है।

पेंशन निधि

कंपनी को आई टी पी ओ कर्मचारी परिभाषित अंशदान सेवा-निवृत्ति ट्रस्ट के लिए कर्मचारियों को सेवा-निवृत्ति लाभ की विशिष्ट राशियों के लिए अंशदान देने का दायित्व है। वर्ष के अंशदान को व्यय के रूप में स्वीकार किया जाता है और आय एवं व्यय विवरण में शामिल किया जाता है। यदि कोई कमी होती है, तो कंपनी ट्रस्ट की उस कमी को दूर करने के लिए बाध्य है और ऐसी कमी को अपना व्यय मानती है।

वर्ष के दौरान इन निधियों के लिए नियोक्ता के अंशदान के रूप में आय और व्यय विवरण में लिखा गया व्यय नीचे दिए गए अनुसार है :

	2017-18	2016-17
भविष्य निधि के लिए नियोक्ता का अंशदान	571.30	573.75
पेंशन निधि के लिए नियोक्ता का अंशदान	451.65	306.14
	1,022.95	**879.89**

II. परिभाषित लाभ योजनाएं

ग्रेच्युटी

धारक कंपनी की एक परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजना है। इस योजना को वित्त-पोषित किया जाता है। आई टी पी ओ के मामले में ट्रस्ट के कार्यों की एक अलग आई टी पी ओ कर्मचारी ग्रेच्युटी निधि ट्रस्ट प्रबंध व्यवस्था करता है। एल आई सी के द्वारा ट्रस्ट के निधियों की व्यवस्था की जाती है। टी एन टी पी ओ के मामले में एल आई सी के द्वारा योजना की प्रबंध व्यवस्था की जाती है।

बीमांकिक मूल्य-निर्धारण के आधार पर कंपनी की लेखा-पुस्तकों में यह मान्य है। इस विषयक कंपनी के नियमों/ डी पी ई के दिशा-निर्देशों के अनुसार जिस कर्मचारी ने 5 वर्ष अथवा अधिक की लगातार सेवा की है, ऐसा प्रत्येक कर्मचारी सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन की दर से ग्रेच्युटी (15/26 × (लिया गया अंतिम वेतन + महंगाई भत्ता) अधिकतम 20 लाख रु. पाने का हकदार है।

समूह कंपनी (के टी पी ओ) के संबंध में अवकाश वेतन और ग्रेच्युटी के संबंध में कोई देनदारी नहीं है क्योंकि इसके कर्मचारी कर्नाटक सरकार से प्रतिनियुक्ति पर होते हैं। प्रतिनियुक्ति वाले कर्मचारियों के संबंध में अवकाश वेतन और पेंशन अंशदान प्रदान किए जाते हैं और आय व व्यय खाते में डाले जाते हैं।

i. आय और व्यय विवरण में मान्य व्यय (रु. लाख में)

	2017-18	2016-17
निवल ब्याज लागत	114.20	20.58
सेवा लागत	224.21	1,370.15
आय और व्यय लेखे के विवरण में मान्य व्यय	**338.41**	**1,390.73**
पुनः निर्धारण :		
प्रारंभिक अमान्य बीमांकिक लाभ/ (हानि)	(190.62)	27.59
निम्नलिखित में परिवर्तन की वजह से बीमांकिक लाभ/ हानि:	5.05	(1.79)
-जनसांख्यिकी पूर्वानुमान	-	-
-वित्तीय पूर्वानुमान	(110.76)	(196.81)
-अनुभव पूर्वानुमान	112.52	(19.61)
वर्ष का मान्य ओ सी आई	6.81	(218.21)
वर्ष के अंत में ओ सी आई में अमान्य निवल बीमांकिक लाभ/ (हानि)	(183.81)	(190.62)

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

ii. तुलन पत्र में मान्य धनराशि (रु. लाख में)

	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	6,288.31	5,932.97
अवधि के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों की उचित मूल्य	4,558.72	4,290.90
तुलन पत्र और संबंधित मान्य निवल देयता	**1,729.59**	**1,642.07**
फण्डेड (अनफण्डेड) स्थिति में	(1,729.59)	(1,642.07)

iii. दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन (रु. लाख में)

	2017-18	**2016-17**
वर्ष की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	5,932.97	4,392.71
प्रारंभ में अंतर	30.76	89.43
अधिग्रहण में	11.51	6.87
ब्याज लागत	421.09	358.57
सेवा लागत	224.21	1,370.15
प्रदत्त लाभ	(325.70)	(503.45)
बीमांकिकी (लाभ)/ हानि	(6.53)	218.68
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**6,288.31**	**5,932.97**

iv. परिपक्व विवरण : (रु. लाख में)

वर्ष	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
0 से 1 वर्ष	1033.68	720.76
1 से 2 वर्ष	869.60	1149.03
2 से 3 वर्ष	524.25	563.54
3 से 4 वर्ष	426.13	537.88
4 से 5 वर्ष	458.94	512.29
5 से 6 वर्ष	478.94	548.42
6 वर्ष से अधिक	2495.63	1882.30

v. परिभाषित लाभ दायित्व का सुग्राहिता विश्लेषण : (रु. लाख में)

	2017-18
क) कटौती दर में बदलाव का प्रभाव	
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	6,288.31
क) 0.50 % बढ़ोत्तरी का प्रभाव	(360.66)
ख) 0.50 % कमी का प्रभाव	87.73
ख) वेतन की बढ़ोत्तरी में बदलाव का प्रभाव	
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	6,288.31
क) 0.50 % बढ़ोत्तरी का प्रभाव	101.14
ख) 0.50 % कमी का प्रभाव	(352.89)

मृत्यु दर और निकासी के कारण सुग्राहिता महत्त्व नहीं रखती है, और इसलिए इनकी वजह से परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की गई।

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

vi. गणनाओं में प्रयुक्त संकल्पनाओं को सारणीबद्ध किया गया है :

	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
छूट दर	7.60 % प्रति वर्ष	7.06 % प्रति वर्ष
वेतन वृद्धि दर	8.00 % प्रति वर्ष	5.00 % प्रति वर्ष
मृत्यु दर	आई ए एल एम 2006.08 अंतत:	आई ए एल एम 2006-08 अंतत:
निकासी दर (प्रति वर्ष)	2.00 % प्रति वर्ष	2.00 % प्रति वर्ष

टिप्पणी:

क) ग्रेच्युटी के बीमांकिक मूल्यांकन के लिए टी एन टी पी ओ के द्वारा ली गई छूट दर 31.03.2018 और 31.03.2017 के लिए क्रमश: 7.59 प्रतिशत और 7.06 प्रतिशत है।

ख) उपर्युक्त बीमांकिक मूल्यांकनों के लिए टी एन टी पी ओ के द्वारा ली गई वेतन वृद्धि दर 31.03.2018 और 31.03.2017 के लिए क्रमश: 8.00 प्रतिशत और 5.00 प्रतिशत है।

vii. अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए संभावित अंशदान : **(रु. लाख में)**

	2017-18	2016-17
सेवा लागत	232.89	229.49
निवल ब्याज लागत	131.07	112.34
अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए संभावित व्यय	**363.95**	**341.83**

viii. योजनागत परिसंपत्तियों का मुख्य वर्गीकरण (कुल योजनागत परिसंपत्तियों की प्रतिशतता अनुसार)

	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
भारत सरकार की प्रतिभूतियां	-	-
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	-	-
हाई क्वालिटी कारपोरेट बाण्ड	-	-
सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	-	-
सम्पत्ति	-	-
बीमाकर्त्ता द्वारा प्रबंधित निधियां	100%	100%
बैंक शेष	-	-
कुल	**100%**	**100%**

ix. योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
अवधि के प्रारंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	4,278.51	4,224.75
प्रारंभिक निधि में अंतर	54.99	1.01
योजनागत परिसंपत्तियों पर ब्याज से आय	1.04	-
योजनागत परिसंपत्तियों पर वास्तविक लाभ	320.70	335.22
कमी : एफ एम सी प्रभार	(9.75)	-
नियोक्ता अंशदान	226.55	233.37
प्रदत्त लाभ	30.76	89.43
अवधि के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**4,902.80**	**4,883.78**

III. अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

छुट्टी नकदीकरण

छुट्टी नकदीकरण की योजना धारक कंपनी और टी एन टी पी ओ में वित्त पोषित नहीं होती है। यह बीमांकन मूल्यांकन के आधार पर लेखा पुस्तिकाओं में मान्य है। कंपनी के कर्मचारियों के लिए अर्जित अवकाश (ई एल)और अर्द्धवेतन अवकाश (एच पी एल) लाभ का नकदीकरण क्रमश: 30 दिनों और 20 दिनों की दर से वार्षिक आधार पर होता है। सेवा के दौरान, अर्जित अवकाश का नकदीकरण है, जो न्यूनतम शेष 30 दिनों को छोड़ते हुए, एक कलेण्डर वर्ष में एक बार अधिकतम 60 दिनों के अध्यधीन है। तथापि, एक वर्ष के भीतर सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारियों को एक कलेण्डर वर्ष में दो बार अर्जित अवकाश के नकदीकरण की अनुमति है जो इस परंतुक के अध्यधीन है कि 30 दिनों की अर्जित छुट्टियां सदैव जमा होनी चाहिए। अर्जित छुट्टियां भी नकदीकरण योग्य होती हैं जो सेवा-निवृत्ति/ मृत्यु/ त्यागपत्र आदि पर अधिकतम 300 दिनों तक होती हैं। अर्द्ध-वेतन छुट्टी कंपनी की नियमावली के अनुसार अधिकतम 300 दिनों तक सेवा-निवृत्ति/ मृत्यु/ त्यागपत्र आदि पर ही नकदीकरण योग्य है। 300 दिनों की ई एल और एच पी एल के नकदीकरण की समग्र सीमा सेवा-निवृत्ति/ मृत्यु/ त्यागपत्र आदि के समय पर नियत होती है।

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

के टी पी ओ के मामले में, उसकी छुट्टी नकदीकरण तथा ग्रेच्युटी की कोई देनदारी नहीं है क्योंकि इसके कर्मचारी कर्नाटक सरकार से प्रतिनियुक्ति पर होते है। प्रतिनियुक्ति वाले कर्मचारियों के लिए छुट्टी वेतन, पेंशन अंशदान प्रदान किए जाते हैं, जो आय और व्यय खाते में डाला जाता है।

i. आय-व्यय विवरण में मान्य व्यय (रु. लाख में)

	2017-18	2016-17
ब्याज लागत	191.72	180.54
सेवा लागत	103.78	114.03
अवधि में मान्य निवल बीमांकिकी (लाभ)/ हानि	171.49	500.03
आय-व्यय विवरण में मान्य व्यय	**466.99**	**794.60**

ii. तुलन-पत्र में मान्य राशि (रु. लाख में)

	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	2,566.90	2,715.28
तुलन-पत्र में मान्य निवल देयता और संबद्ध	2,566.90	2,715.28
अनफण्डेड स्थिति	(2,566.90)	(2,715.28)

iii. परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन : (रु. लाख में)

	2017-18	2016-17
वर्ष की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	2,715.28	2295.97
प्रारंभ में अंतर	-	22.89
अधिग्रहण में	4.77	10.15
ब्याज लागत	191.72	180.54
सेवा लागत	103.78	114.03
प्रदत्त लाभ	(620.13)	(408.35)
बीमांकिकी (लाभ)/ हानि	171.49	500.03
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**2,566.90**	**2,715.28**

iv. परिपक्व रूपरेखा: (रु. लाख में)

वर्ष	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
0 से 1 वर्ष	366.12	290.72
1 से 2 वर्ष	355.62	349.59
2 से 3 वर्ष	233.56	341.41
3 से 4 वर्ष	284.25	222.89
4 से 5 वर्ष	204.58	276.63
5 से 6 वर्ष	228.22	188.92
6 वर्ष से अधिक	890.69	1,038.14

v. परिभाषित लाभ दायित्व का सुग्राहिता विश्लेषण : (रु. लाख में)

	2017-18
क) कटौती दर में बदलाव का प्रभाव	
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	2,566.90
क) 0.50 % बढ़ोत्तरी का प्रभाव	(68.79)
ख) 0.50 % कमी का प्रभाव	72.32
ख) वेतन की बढ़ोत्तरी में बदलाव का प्रभाव	
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	2,566.90
क) 0.50 % बढ़ोत्तरी का प्रभाव	72.98
ख) 0.50 % कमी का प्रभाव	(69.95)

मृत्यु दर और निकासी के कारण सुग्राहिता महत्त्व नहीं रखती है, और इसलिए इनकी वजह से परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की गई।

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

	vi. चालू और गैर चालू देयता के लिए वर्ष के अंत में पी बी ओ का बंटवारा		(रु. लाख में)
		2017-18	**2016-17**
	वर्तमान देयता (1 वर्ष के भीतर देय राशि)	366.12	290.72
	गैर वर्तमान देयता (1 वर्ष से अधिक देय राशि)	2,200.79	2,424.55
	कुल पी बी ओ वर्ष के अंत में	**2,566.91**	**2,715.28**
	vii. गणनाओं में प्रयुक्त संकल्पनाओं को सारणीबद्ध किया गया है :		
		31 मार्च, 2018 को	**31 मार्च, 2017 को**
	छूट दर	7.63 % प्रति वर्ष	7.06 % प्रति वर्ष
	वेतन वृद्धि दर	8.00 % प्रति वर्ष	5.00 % प्रति वर्ष
	मृत्यु दर	आई ए एल एम 2006.08 अंतत:	आई ए एल एम 2006-08 अंतत:
	निकासी दर (प्रति वर्ष)	2.00 % प्रति वर्ष	2.00 % प्रति वर्ष
	टिप्पणी : क) ग्रेच्युटी के बीमांकिक मूल्यांकन के लिए टी एन टी पी ओ के द्वारा ली गई छूट दर 31.03.2018 और 31.03.2017 के लिए क्रमश: 7.63 प्रतिशत और 7.06 प्रतिशत है। ख) टी एन टी पी ओ द्वारा ली गई वेतन वृद्धि दर 31.03.2018 और 31.03.2017 के लिए 8.00 प्रतिशत है। ग) छुट्टी नकदीकरण के बीमांकिक मूल्यांकन के लिए टी एन टी पी ओ के लिए ली गई निकासी दर 2 प्रतिशत है।		
33.12	**प्रति शेयर आय**	**31 मार्च, 2018 को**	**31 मार्च, 2017 को**
	वर्ष का अधिशेष (रु. लाख में)	16,144.86	21,535.17
	इक्विटी शेयर (संख्या)	25,000	25,000
	प्रति शेयर सांकेतिक सामान्य मूल्य (रु.)	100.00	100.00
	प्रति शेयर आय (मूल/ कम) (रु. लाख में)	0.65	0.86

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

33.13 (क) **संबद्ध पक्षकार प्रकटन**

संबद्ध पक्षकारों की सूची

संबद्ध पक्षकारों का नाम	प्रचालन का मुख्य स्थान	संबंध का स्वरूप
आई टी पी ओ कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि न्यास	भारत	कर्मचारी को नियोजन के बाद लाभ योजना
आई टी पी ओ कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी निधि न्यास	भारत	कर्मचारी की सेवा-निवृत्ति के बाद लाभ योजना
आई टी पी ओ कर्मचारी परिभाषित अंशदान सेवा-निवृत्ति न्यास	भारत	कर्मचारी की सेवा-निवृत्ति के बाद लाभ योजना
तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम लि. (टी आई डी सी ओ)	भारत	सहायक कंपनी का सह-प्रवर्तक - टी एन टी पी ओ
कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (के आई ए डी बी)	भारत	सहायक कंपनी का सह-प्रवर्तक - के टी पी ओ

(ख) **मुख्य प्रबंधक कार्मिक**

नाम	धारित पद
धारक कम्पनी आई टी पी ओ	
श्री एल. सी. गोयल	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री रजनीश (24.05.2017 तक)	कार्यकारी निदेशक
श्री दीपक कुमार (25.05.2017 से)	कार्यकारी निदेशक
श्री जे. के डाडू	नामिती निदेशक
श्री मनोज जोशी	नामिती निदेशक
श्री संजय चड्ढ़ा	नामिती निदेशक
श्री के. नागराज नायडू	नामिती निदेशक
श्री पी. एन. विजय	स्वतंत्र निदेशक
श्री डी. एम. शर्मा	मुख्य वित्तीय अधिकारी
श्री एस. आर. साहू	कंपनी सचिव
सहायक कम्पनी - तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन	
श्री एस. विस्कान	प्रबंध निदेशक
सहायक कम्पनी - कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन	
श्री टी. हलास्वामी (31.7.2017 तक)	प्रबंध निदेशक
डॉ. वीरन्ना एस. एच. (24.8.2017 से)	प्रबंध निदेशक

(ग) **वर्ष के दौरान प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के लिए क्षतिपूर्ति**

	व्यक्ति का नाम	पदनाम	वेतन एवं भत्ते	सुविधाएं	कुल पारिश्रमिक
	धारक कंपनी, आई टी पी ओ				
1	श्री एल. सी. गोयल	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	14.14	9.60	23.74
2	श्री दीपक कुमार	कार्यकारी निदेशक	22.64	0.95	23.59
3	श्री पी एन विजय [2.20 लाख रु. सिटिंग फीस (टिप्पणी 31 देखें]	स्वतंत्र निदेशक	-	-	-
4	श्री डी. एम. शर्मा	मुख्य वित्तीय अधिकारी	25.09	-	25.09
5	श्री एस. आर. साहू	कंपनी सचिव	19.83	0.01	19.84
	सहायक कंपनी - तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन				
	श्री एस. विस्कान	प्रबंध निदेशक	14.69	0.35	15.04
	सहायक समूह - कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन				
	श्री टी. हलास्वामी	प्रबंध निदेशक	5.55	-	5.55
	डॉ. वीरन्ना एस. एच.	प्रबंध निदेशक	8.22	-	9.45

टिप्पणी : संबद्ध पक्षकारों और उनके संबंध संबंधित कंपनी के द्वारा पहचान किए अनुसार हैं।

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

(रु. लाख में)

(घ)	**संबद्ध पक्षकारों के साथ लेनदेन**	**2017-18**	**2016-17**
	आई टी पी ओ कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि न्यास		
	कंपनी के द्वारा अंशदान	1,913.20	569.83
	आई टी पी ओ कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी निधि न्यास		
	कंपनी के द्वारा अंशदान	215.70	1,387.85
	आई टी पी ओ कर्मचारी परिभाषित अंशदान सेवा-निवृत्ति न्यास		
	कंपनी के द्वारा अंशदान	2294.65	-
	कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (के आई ए डी बी)		
	सेवाओं के लिए देय	5.00	5.00
(ङ)	**संबद्ध पक्षकारों के पास बकाया शेष**		
	विवरण	**31.03.2018**	**31.03.2017**
(i)	**कंपनी के द्वारा देय**		
	आई टी पी ओ कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि न्यास	15.76	-
	आई टी पी ओ कर्मचारी ग्रेच्युटी निधि न्यास	1,724.56	1,607.53
	कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (के आई ए डी बी) - ब्याज मुक्त ऋण	605.00	605.00
	कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (के आई ए डी बी) - सेवाओं के लिए	81.43	76.43
(ii)	**कंपनी के द्वारा प्राप्य**		
	आई टी पी ओ कर्मचारी परिभाषित अंशदान सेवा-निवृत्ति न्यास	0.01	-

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

33.14 (i) **कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व**

धारक कंपनी

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार कंपनी के द्वारा एक कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व(सी. एस. आर.; समिति का गठन किया गया है। विगत 3 वित्तीय वर्षों का औसत निवल लाभ (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के अनुसार गणना) पर आधारित सी एस आर व्यय के प्रति 360.64 लाख रु. की राशि देय है। वर्ष के दौरान व्यय की गई। व्यय करने के लिए लंबित राशि का विवरण नीचे दिए अनुसार है :

(रु. लाख में)

	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान नकद व्यय की गई राशि	31 मार्च, 2018 को नकद भुगतान की जाने वाली राशि	कुल राशि
- 01.04.2017 को पूर्व वर्ष के लिए लंबित पड़ी सकल कुल राशि			**329.42**
- वर्ष के दौरान व्यय किए जाने के लिए अपेक्षित कुल राशि			**360.64**
- वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि			
क. परिसंपत्तियों का निर्माण/ अधिग्रहण	-	-	-
ख. निम्नलिखित सामाजिक क्षेत्रों के लिए विभिन्न सरकारी विभागों/ एन जी ओ/ ट्रस्ट आदि का अंशदान			
- स्वच्छता	200.00	-	200.00
- स्वास्थ्य देखभाल	-	30.00	30.00
- शिक्षा	-	5.00	5.00
- सामाजिक कल्याण	53.27	10.40	63.67
- कला और संस्कृति	5.00	-	5.00
- महिला कोष	8.00	22.00	30.00
	266.27	**67.40**	**333.67**
- 31.03.2018 को लंबित पड़ी सकल राशि			**356.39**

(ii) **सहायक कम्पनी, कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (के टी पी ओ) और तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (टी एन टी पी ओ) के संबंध में :**

(रु. लाख में)

विवरण	टी एन टी पी ओ राशि	के टी पी ओ राशि
विगत तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी का औसत निवल लाभ	2,538.69	467.64
निर्धारित सी एस आर व्यय (उपरोक्त गणना के अनुसार औसत निवल लाभ का 2 प्रतिशत)	50.77	9.35
वित्तीय वर्ष के दौरान सी एस आर व्यय का विवरण		
वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की जाने वाली कुल राशि (बोर्ड के अनुमोदन अनुसार)	50.77	
व्यय की गई धनराशि वर्ष 2017-18 के लिए	50.77	2.41
2017-18 के लिए अव्ययित राशि	-	6.94
2016-17 के लिए अव्ययित राशि		8.52
2015-16 के लिए अव्ययित राशि		8.82

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

33.15 I क. **वित्तीय संसाधन - उचित मूल्य माप एवं वित्तीय जोखिम प्रबंध**

उचित मूल्य माप (रु. लाख में)

श्रेणी के द्वारा वित्तीय संसाधन	**31 मार्च, 2018 को**		**31 मार्च, 2017 को**	
	एफ वी टी पी एल	**परिशोधित लागत**	**एफ वी टी पी एल**	**परिशोधित लागत**
वित्तीय परिसंपत्तिया				
गैर-चालू परिसंपत्तिया				
निवेश	-	-	-	-
ऋण	-	521.22	-	618.93
चालू परिसंपत्तियां				
निवेश	78.75	-	72.40	-
व्यापार प्राप्य	-	936.18	-	870.27
नकदी एवं नकदी समतूल्य	-	4,059.02	-	4,924.19
नकदी एवं नकदी समतूल्य के अलावा बैंक शेष	-	116,112.64	-	163,461.94
ऋण	-	2,189.17	-	1,913.76
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तिया	-	31,383.30	-	12,925.08
	78.75	**155,201.53**	**72.40**	**184,714.17**
वित्तीय देयताएं				
चालू ऋण	-	605.00	-	24.50
व्यापार प्राप्य	-	1,898.12	-	2,048.16
अन्य वित्तीय देयताएं	-	4,072.18	-	4,307.47
	-	**6,575.30**	**-**	**6,380.13**

ख. **उचित मूल्य समूह**

यह भाग वित्तीय संसाधनों की उचित मूल्य का निर्धारण करने में किए निर्णयों और अनुमान के बारे में बताता है जो हैं :

(क) उचित मूल्य पर मान्य और निर्धारित, तथा

(ख) परिशोधित लागत पर निर्धारित और जिनके लिए उचित मूल्य को वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाता है।

कंपनी मूल्य निर्धारण तकनीकों के द्वारा वित्तीय संसाधनों की उचित मूल्य का निर्धारण करने एवं प्रकट करने के लिए निम्नलिखित क्रम का उपयोग करती है :

लेवल 1 . समान परिसंपत्तियों अथवा देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत कीमतें (समायोजित नहीं)

लेवल 2 ख वित्तीय संसाधनों की उचित मूल्य के बारे में किसी सक्रिय बाजार में लेन-देन नहीं होता है जिनका मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारण किया जाता है, जो दर्शनीय बाजार आंकड़ों के उपयोग को न्यूनतम करते हैं और संस्था विशिष्ट अनुमानों पर यथा संभव कम विश्वास वाले होते हैं। यदि किसी संसाधन की उचित मूल्य के लिए अपेक्षित सभी महत्त्वपूर्ण निवेश दर्शनीय हों, तो संसाधन को लेवल-2 में शामिल किया जाता है ।

लेवल 3 ख परिसंपत्तियों अथवा देयताओं के लिए निवेश जो दर्शनीय बाजार आंकड़ों पर आधारित नहीं होते हैं।

उचित मूल्य का निर्धारण करने में प्रयुक्त निवेशों की विश्वसनीयता के बारे में कोई संकेत उपलब्ध कराने के लिए कंपनी ने लेखांकन मानक के तहत निर्धारित तीन स्तरों पर अपने वित्तीय संसाधनों को वर्गीकृत किया है। प्रत्येक स्तर का स्पष्टीकरण नीचे सारणी में दिया गया है :

उचित मूल्य पर निर्धारित वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं आवर्ती उचित मूल्य निर्धारण (रु. लाख में)

	31 मार्च, 2018 को			**31 मार्च, 2017 को**		
	लेवल 1	लेवल 2	लेवल 3	लेवल 1	लेवल 2	लेवल 3
वित्तीय परिसंपत्तिया						
एफ वी टी पी एल पर मापी						
म्युचल फण्ड में निवेश	78.75	-	-	72.40	-	-
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	**78.75**	**-**	**-**	**72.40**	**-**	**-**

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

	परिसंपत्तियां और देयताएं जिनका परिशोधन लागत निर्धारण किया जाता है और जिनकी उचित मूल्य प्रकट की जाती है।					(रु. लाख में)
		31 मार्च, 2018 को			31 मार्च, 2017 को	
		लेवल 1	लेवल 2	लेवल 3	लेवल 1	लेवल 2	लेवल 3
	वित्तीय परिसंपत्तियां						
	गैर-चालू निवेश परिसंपत्तियां						
	निवेश	-	-	-	-	-	-
	ऋण	-	-	521.22	-	-	618.93
	चालू परिसंपत्तियां						
	क) व्यापार प्राप्य	-	-	936.18	-	-	870.27
	ख) नकदी एवं नकदी समतुल्य	-	-	4,059.03	-	-	4,924.19
	ग) नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा बैंक में बकाया	-	-	116,112.64	-	-	163,461.94
	घ) ऋण			2,189.17			1,913.76
	ङ) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-	31,383.30	-	-	12,925.08
		-	**-**	**155,201.53**	**-**	**-**	**184,714.17**
	वित्तीय देयताएं						
	चालू ऋण	-	-	605.00	-	-	24.50
	व्यापार प्राप्य	-	-	1,898.12	-	-	2,048.16
	अन्य वित्तीय देयताएं	-	-	4,072.18	-	-	4,307.47
	कुल वित्तीय देनदारियां	-	**-**	**6,575.30**	-	**-**	**6,380.13**

ग.	परिसंपत्तियां और देयताएं जिनका परिशोधित लागत निर्धारण किया जाता है और उनकी उचित मूल्य :				(रु. लाख में)
		31 मार्च, 2018 को		31 मार्च, 2017 को	
		कैरीइंग वैल्यू	उचित मूल्य	कैरीइंग वैल्यू	उचित मूल्य
	वित्तीय परिसंपत्तियां				
	गैर-चालू परिसंपत्तियां				
	निवेश	-	-	-	-
	ऋण	521.22	521.22	618.93	618.93
	चालू वित्तीय परिसंपत्तियां				
	क) व्यापार प्राप्य	936.18	936.18	870.27	870.27
	ख) नकदी एवं नकदी समतुल्य	4,059.03	4,059.03	4,924.19	4,924.19
	ग) नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा बैंक में बकाया	116,112.64	116,112.64	163,461.94	163,461.94
	घ) ऋण	2,189.17	2,189.17	1,913.76	1,913.76
	ङ) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	31,383.30	31,383.30	12,925.08	12,925.08
		155,201.53	**155,201.53**	**184,714.17**	**184,714.17**
	वित्तीय देयताएं				
	चालू ऋण	605.00	605.00	24.50	24.50
	व्यापार प्राप्य	1,898.12	1,898.12	2,048.16	2,048.16
	अन्य चालू वित्तीय देयताएं	4,072.18	4,072.18	4,307.47	4,307.47
		6,575.30	**6,575.30**	**6,380.13**	**6,380.13**

व्यापार प्राप्यों, व्यापार देयता, नकदी और नकदी समतुल्य, अन्य बैंक शेष, अन्य चालू परिसंपत्तियां और देयताओं की केरीइंग राशियां उनकी अल्प अवधि स्वरूप की वजह से उनकी उचित मूल्य की भांति वही मानी जाती हैं।

ऋणों की उचित मूल्य को एम सी एल आर / एस बी आई की बेस दर का उपयोग करते हुए नकदी प्रवाहों के आधार पर गणना की गई थी। उनको प्रतिपक्ष क्रेडिट सहित न दिखने वाले निवशों को शामिल करने की वजह से उनकी उचित मूल्य क्रम में स्तर 3 उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

घ. वित्तीय जोखिम प्रबंध

कंपनी की मूल वित्तीय देयताओं में व्यापार और अन्य देय राशियां शामिल हैं। कंपनी की मूल वित्तीय परिसंपत्तियों में व्यापार और अन्य प्राप्य तथा नकदी और नकदी समतुल्य तथा अल्पकालिक जमा शामिल हैं जो प्रत्यक्ष रूप से उनके प्रचालनों से चलते हैं। कंपनी म्युचुअल फण्ड में भी निवेश करती है कपंनी के कार्यकलापों में यह कुछ वित्तीय जोखिमों, बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम और लिक्युडिटी (तरलता)जोखिम में दिखता है।

क) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम होता है जिससे किसी वित्तीय संसाधन के भावी नकद प्रवाहों की उचित मूल्य बाजार कीमतों में परिवर्तनों के कारण से घट-बढ़ होंगी! बाजार जोखिम में विदेशी मुद्रा जोखिम और ब्याज दर जोखिम शामिल होते हैं। बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय संसाधनों में व्यापार प्राप्य और व्यापार देय राशियां शामिल होती हैं।

(i) विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्य किया और विदेशी मुद्रा लेन-देनों से हुए नगण्य विदेशी मुद्रा जोखिमों को दर्शाया है। कंपनी विदेशी मुद्रा लेन देनों के लिए किसी विदेशी मुद्रा जोखिमों का बचाव नहीं करती है।

विदेशी मुद्रा प्रकटन नीचे दिए हैं जिनका कृत्रिम संसाधनों से बचाव नहीं होता है

(रु. लाख में)

विदेशी मुद्रा (एफ सी)	टिप्पणी सं.	मुद्रा चिह्न	31 मार्च, 2018 को	
			एफ सी	आई एन आर
परिसंपत्तियां				
नकदी और नकदी समतूल्य	12			
बैंक में शेष - चालू और बचत लेखा				
येन		¥	7.9215	4.77
संयुक्त राज्य अमेरिका डालर		$	0.0605	3.89
हाथ में नकद				
यूरो		€	0.0307	2.41
येन		¥	1.6887	1.02
संयुक्त राज्य अमेरिका डालर		$	0.0194	1.25
अन्य चालू परिसंपत्तियां	16			
विक्रेताओं के लिए अग्रिम (असुरक्षित)				
येन		¥	12.9895	7.82
यूरो		€	2.6355	207.59
यूरो		€	0.0668	5.26
संयुक्त राज्य अमेरिका डालर		$	1.0606	68.20
संयुक्त राज्य अमेरिका डालर		$	0.0500	3.22
डच मार्क		DEM	0.0438	2.98
विविध जमा (असुरक्षित)				
संयुक्त राज्य अमेरिका डालर		$	0.0141	0.91
मलेशियाई रिंगिट		MYR	0.0035	0.06
देयताएं				
व्यापार देय राशियां	23			
यूरो		€	1.1776	94.79
निवल परिसंपत्तियां (भारतीय मुद्रा में)				**214.59**

ii) ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम होता है, जिससे बाजार ब्याज दर में परिवर्तन होने की वजह से वित्तीय संसाधनों के भावी नकद प्रवाहों की उचित मूल्य में घट-बढ़ होगी। कंपनी की नीतियों और जोखिम संबंधी उद्देश्यों के अनुसार कंपनी अपने ब्याज जोखिम की प्रबंध-व्यवस्था करती है। ब्याज दर जोखिम से प्रभावित वित्तीय संसाधनों में बैंकों में जमा राशियां और एन बी एफ सी के पास अंत: कारपोरेट जमा राशि आदि शामिल होती हैं। इन वित्तीय संसाधनों पर ब्याज दर जोखिम बहुत ही कम होता है, क्योंकि ब्याज दर का वित्तीय संसाधनों की अवधि के लिए निर्धारण किया जाता है।

ख) क्रेडिट जोखिम

यदि वित्तीय संसाधनों का ग्राहक अथवा प्रतिपक्षकार उसके संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ रहता है तो कंपनी की वित्तीय हानि का जोखिम क्रेडिट जोखिम होता है और यह ग्राहकों तथा निवेश से कंपनी के प्राप्यों के कारण मूलत: होता है। क्रेडिट जोखिम, बकाया लेखे प्राप्यों सहित बैंकों और वित्तीय संस्थानों में रखी नकदी और ग्राहकों के लिए दर्शायी क्रेडिट होता है। क्रेडिट जोखिम के लिए अधिकतम प्रदर्शन वित्तीय परिसंपत्तियों के केरीइंग मूल्य के बराबर होता है प्रतिपक्षकार क्रेडिट जोखिम की प्रबंध व्यवस्था का उद्देश्य वित्तीय परिसंपत्तियों की हानियों को रोकना है। कंपनी प्रतिपक्षकारों की वित्तीय स्थिति, विगत अनुभव और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए उनकी क्रेडिट गुणवत्ता का आकलन करती है।

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

(i) संभावित क्रेडिट हानियों के लिए प्रावधान

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार

क) सरल एप्रोच के अन्तर्गत व्यापार प्राप्यों के लिए संभावित क्रेडिट हानि :

एजिंग	< 6 एम	> 6 < 12	> 12 < 24	> 24 < 36	> 36	कुल
सकल केरीइंग राशि संभावित	543.21	63.72	132.46	79.43	1,365.85	2,184.67
क्रेडिट दर	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	91.41%	57.15%
संभावित क्रेडिट हानियां (हानि प्रावधान एलाउंस)	-	-	-	-	(1,248.49)	(1,248.49)
व्यापार प्राप्यों की सकल केरीइंग राशि	**543.21**	**63.72**	**132.46**	**79.43**	**117.36**	**936.18**

ख) ऋणों तथा निवेशों के लिए संभावित क्रेडिट हानि

विवरण		परिसंपत्ति समूह	केरीइंग मूल्य	चूक की संभावित संभाव्यता	संभावित क्रेडिट हानि	संभावित क्रेडिट हानि निवल कैरीइंग राशि
जीवन अवधि पर निर्धारित हानि की अनुमति ई सी एल	वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए क्रेडिट जोखिम बढ़ गया है और न कि क्रेडिट क्षति को	भारत सरकार से प्राप्ति योग्य अनुदान	732.82	2.93%	21.47	711.35
		जमा कार्य संबंधी बकाया	91.75	45.48%	41.73	50.02
			824.57	**0.48**	**63.20**	**761.37**

31 मार्च, 2017 को

क) सरल एप्रोच के अन्तर्गत व्यापार प्राप्यों के लिए संभावित क्रेडिट हानि :

एजिंग	< 6 एम	> 6 < 12	> 12 < 24	> 24 < 36	> 36	कुल
सकल केरीइंग राशि संभावित क्रेडिट दर	417.31	231.33	134.74	83.90	1,455.86	2,323.14
संभावित क्रेडिट हानियां (हानि प्रावधान एलाउंस)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	99.79%	62.54%
	-	-	-	-	(1,452.87)	(1,452.87)
व्यापार प्राप्यों की सकल केरीइंग राशि	**417.31**	**231.33**	**134.74**	**83.90**	**2.99**	**870.27**

ख) ऋणों तथा निवेशों के लिए संभावित क्रेडिट हानि

विवरण		परिसंपत्ति समूह	केरीइंग मूल्य	चूक की संभावित संभाव्यता	संभावित क्रेडिट हानि	संभावित क्रेडिट हानि निवल कैरी. इंग राशि
जीवन अवधि पर निर्धारित हानि की अनुमति ई सी एल	वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए क्रेडिट जोखिम बढ़ गया है और न कि क्रेडिट क्षति को	भारत सरकार से प्राप्ति योग्य अनुदान	238.97	0.62%	1.48	237.49
		जमा कार्य संबंधी बकाया	82.23	50.75%	41.73	40.50
			321.20	**0.51**	**43.21**	**277.99**

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

ग) तरलता (लिक्विडिटी) जोखिम

तरलता जोखिम वह जोखिम होता है जिनको कंपनी निपटारा नहीं करेगी अथवा अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा नहीं कर सकेगी क्योंकि वे देय हो जाते हैं। कंपनी का वित्त प्रभाग लिक्विडिटी वित्तीयन तथा निपटान प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होता है। इसके अलावा, संसाधित करने के लिए उत्तरदायी होती हैं, कंपनी की चल पूंजी की स्थिति नीचे दी गई है :

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को		31 मार्च, 2017 को	
i) वित्तीय परिसंपत्तियां				
क) निवेश	78.75		72.40	
ख) व्यापार प्राप्य	936.18		870.27	
ग) नकदी एवं नकदी समतुल्य	4,059.03		4,924.19	
घ) नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा बैंक में बकाया	116,112.64		163,461.94	
ङ) ऋण	2,189.17		1,913.76	
छ) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	31,383.30	154,759.07	12,925.08	184,167.64
ii) वित्तीय देयताएं				
क) व्यापार प्राप्य	1,898.12		2,048.16	
ख) ऋण	605.00		24.50	
ग) अन्य वित्तीय देयताएं	4,072.18	6,575.30	4,307.47	6,380.13
निवल चल पूंजी		**148,183.77**		**177,787.51**

33.16 **पूंजीगत प्रबंधन**

कंपनी के चल पूंजी प्रबंधन के लिए पूंजी में निर्गम इक्विटी पूंजी, भारत सरकार से पूंजीगत अनुदान और अन्य इक्विटी के रूप में मानी गई धारित आय।

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

33.17 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष की सेगमेंट रिपोर्ट

कंपनी के प्रबंधन द्वारा संसाधनों का आवंटन करने तथा निर्णय लेने के लिए उनके निष्पादन का आकलन करने के लिए प्रयुक्त आंतरिक रिपोर्टों के आधार पर प्रचालन सेगमेंटों की पहचान की जाती है। निदेशक मण्डल सामूहिक रूप से इण्ड ए एस 108 के अर्थ के भीतर कंपनी का 'मुख्य प्रचालन निर्णय लेने वाला' (सी ओ डी एम) होता है।

(रु. लाख में)

	भारत में व्यापार संवर्धन गतिविधियां	विदेशों में व्यापार संवर्धन गतिविधियां	अनिर्धारित	कुल
राजस्व बाह्य	26,814.34	4,092.52	335.18	31,242.04
	(31,491.43)	(3,514.42)	-	(35,005.85)
इंटर सेगमेंट	-	-	-	-
कुल व्यय	15,748.86	5,463.56	2,964.89	24,177.32
	(22,203.52)	(4,738.56)	4,261.40	(22,680.68)
सेगमेंट परिणाम	11,065.48	(1,371.04)	(2,629.71)	7,064.72
	(9,287.90)	(1,224.14)	(4,261.40)	(12,325.17)
ब्याज/ लाभांश आय	-	-	11,557.51	11,557.51
	-	-	(13,071.70)	(13,071.70)
कराधान से पहले अधिशेष	-	-	-	18,622.23
	-	-	-	(25,396.87)
व्यय से अधिक आय	-	-	-	**18,622.23**
	-	-	-	(25,396.87)
अन्य सूचनाएं				
सेगमेंट परिसंपत्तियां	85,089.39	1,066.40	170,206.43	256,362.22
	(56,076.82)	(590.60)	(180,771.15)	(237,438.57)
सेगमेंट देनदारियां	29,156.41	594.67	11,234.57	40,985.65
	(27,048.70)	(455.25)	(11,188.16)	(38,692.11)
पूंजीगत व्यय	30,390.50	-	-	30,390.50
	(695.43)	-	-	(695.43)
मूल्यह्रास और परिशोधन	838.33	-	-	838.33
	(1,191.95)	-	-	(1,191.95)

टिप्पणी :

(क) अनावंटित व्यय में स्थापना और कार्यालय व्यय का 10 प्रतिशत शामिल होता है। उनके संबंधित राजस्व के आधार पर शेष को सेगमेंटों में बांटा जाता है।

(ख) अनावंटित परिसंपत्तियों और देयता में वे शामिल हैं, जिनको विशिष्ट सेगमेंट के लिए उपयुक्त रूप से पहचान करना संभव नहीं होता है।

(ग) सेगमेंट रिपोर्ट के कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पूर्व वर्ष से संबंधित हैं।

प्रमुख ग्राहकों (बाहरी ग्राहकों से) के बारे में सूचना

कंपनी बाहरी ग्राहकों से कोई राजस्व प्राप्त नहीं करती है, जो कंपनी के कुल राजस्व के 10 प्रतिशत अथवा अधिक होता है।

33.18 सहायक कंपनियों के लेखों के साथ धारक कंपनी (आई टी पी ओ) के लेखों का मिलान

धारक कंपनी के खातों को सहायक कंपनियों के लेखों के साथ मिलान किया जाता है और अंतर 'शून्य' है।

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

33.19 कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के अनुसार प्रकटन (रु. लाख में)

समूह में कंपनी का नाम	निवल परिसंपत्तियां अर्थात कुल परिसंपत्तियों में से कुल देयताओं को कम करके		समाप्त वर्ष को लाभ अथवा हानि में हिस्सा		समाप्त वर्ष की अन्य व्यापक आय में हिस्सा		समाप्त वर्ष की कुल व्यापक आय में हिस्सा	
	समेकित निवल परिसंपत्ति की प्रतिशतता	राशि	समेकित आय एवं व्यय की प्रतिशतता	राशि	अन्य व्यापक आय की समेकित प्रतिशतता	राशि	समेकित कुल व्यापक आय की प्रतिशतता	राशि
मूल कंपनी								
इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन								
31 मार्च, 2018	84.92%	217,696.29	73.03%	13,591.15	60.73%	6.81	73.02%	13,597.95
31 मार्च, 2017	85.99%	204,181.90	67.45%	17,281.14	98.16%	(218.21)	67.19%	17,062.94
सहायक कम्पनियां								
तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन								
31 मार्च, 2018	5.06%	12,960.87	8.33%	1,549.56	21.98%	2.46	8.33%	1,552.02
31 मार्च, 2017	4.57%	10,862.45	6.01%	1,539.36	0.51%	(1.14)	6.06%	1,538.22
कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन								
31 मार्च, 2018	2.63%	6,753.16	5.47%	1,017.26	0.00%	-	5.46%	1,017.26
31 मार्च, 2017	2.42%	5,735.90	10.58%	2,711.34	0.00%	-	10.68%	2,711.34
सभी सहायक कम्पनियों में अनियंत्रण ब्याज								
31 मार्च, 2018	7.33%	18,799.32	13.25%	2,466.16	21.11%	2.37	13.26%	2,468.53
31 मार्च, 2017	6.95%	16,492.22	15.94%	4,084.00	0.49%	(1.09)	16.08%	4,082.91
संयुक्त उद्यम								
राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र								
31 मार्च, 2018	0.06%	152.58	-0.07%	(13.10)	-3.82%	(0.43)	-0.07%	(13.53)
31 मार्च, 2017	0.07%	166.11	0.01%	3.32	0.84%	(1.86)	0.01%	1.46
कुल								
31 मार्च, 2018	**100.00%**	**256,362.22**	**100.00%**	**18,611.03**	**100.00%**	**11.21**	**100.00%**	**18,622.23**
31 मार्च, 2017	**100.00%**	**237,438.58**	**100.00%**	**25,619.17**	**100.00%**	**(222.30)**	**100.00%**	**25,396.87**

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

33.20 टी एन टी पी ओ में टी आई डी सी ओ मामला

क) पूंजीगत व्यय के लिए प्रवर्तकों यानि आई टी पी ओ और टी आई डी सी ओ के द्वारा व्यय की गई राशि को मानने संबंधी मामले को दीर्घकालिक ऋणों वाले गैर-ब्याज के रूप में माना गया था और पूर्ववर्ती वर्ष के तुलन-पत्र में गैर-चालू देयताओं के रूप में दिखाया गया था।

दिनांक 03.12.2014 को हुई टी एन टी पी ओ की 44वीं बोर्ड बैठक के अनुसार उपयुक्त 623.27 लाख रु. के गौण ऋण को टी आई डी सी ओ के लिए प्रत्येक 38.95 लाख रु. की 16 तिमाही किस्तों में भूमि विकास के पुनर्भुगतान हेतु एवं वर्ष 2014-15 से अवसंरचना सुविधाओं का प्रावधान करने हेतु पुनर्भुगतान किया जाना था। इसी तरह, आई टी पी ओ ने 1637.48 लाख रु. व्यय किए गए थे, जिसमें से आई टी पी ओ के द्वारा 1206.39 लाख रु. केन्द्रीय ए एस आई डी ई से प्राप्त कर लिए गए थे। पूर्वोक्त बोर्ड बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि वर्ष 2014-15 से आई टी पी ओ को 26.94 लाख की 16 बराबर-बराबर तिमाही किस्तों में 431.09 लाख रु. का भुगतान किया जाएगा (जो केन्द्रीय ए एस आई डी ई अनुदान को समायोजित करने के बाद प्रदर्शनी हाल सं. 1 और 2 की स्थापना करने के लिए आई टी पी ओ के द्वारा निवेश किए गए थे।

उपर्युक्त के अनुसार, टी एन टी पी ओ ने टी आई डी सी ओ और आई टी पी ओ को क्रमशः 155.81 लाख रु. और 107.77 लाख रु. वर्ष के दौरान ब्याज मुक्त गौण ऋण को लौटाने के लिए दिए थे।

ख) इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (आई टी पी ओ) और तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम (टी आई डी सी ओ) के बीच दिनांक 13.11.2000 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार टी आई डी सी ओ के द्वारा भूमि उपलब्ध करायी जानी थी और भूमि विकास खर्च उठाना था तथा आई टी पी ओ के द्वारा प्रदर्शनी केन्द्र के निर्माण जारी कार्य की देखभाल करनी थी। तमिलनाडु सरकार के द्वारा 06.11.2000 के जी ओ एम. एस. स. 568, राजस्व एल ए (2) डिपार्टमेंट के अंतर्गत 25.48 एकड़ भूमि आवंटित की गई थी। तमिलनाडु सरकार के एक और जी ओ एम सं. 28 दिनांक 03.02.2003 के अनुसार टी आई डी सी ओ को सौंपी गई भूमि के लिए टी आई डी सी ओ के माध्यम से 30 वर्षों के दीर्घकालिक पट्टे पर तमिलनाडु सरकार के लिए वर्ष 2001-02 से प्रतिवर्ष 100 लाख रु. बतौर पट्टा किराया भुगतान किया जाना है। तदनुसार, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2017-18 तक टी आई डी सी ओ के माध्यम से तमिलनाडु सरकार को पट्टे किराए का भुगतान कर दिया है। इस संबंध में पट्टा विलेख टी एन टी पी ओ और टी आई डी सी ओ के बीच निष्पादित किया जाना है।

इसके अलावा, टी एन टी पी ओ ने चेन्नई व्यापार केन्द्र की विस्तार परियोजना का तेजी से कार्यान्वयन करने के लिए पत्र सं. 8427/एम आई ई-1/2015-3 - इण्डस्ट्रीज (एम आई ई-1) विभाग दिनांक 04.03.2016 के द्वारा दिनांक 24.03.2016 को 9.13 एकड़ अतिरिक्त भूमि का कब्जा ले लिया है। पूर्वोक्त 9.13 एकड़ अतिरिक्त भूमि का पट्टा किराया सरकार के द्वारा अभी नियत किया जाना है।

33.21 के टी पी ओ में के आई ए डी बी मामला

आई टी पी ओ और कर्नाटक सरकार का के आई ए डी बी के माध्यम से के टी पी ओ एक संयुक्त उद्यम है और इनका क्रमशः 51 प्रतिशत और 49 प्रतिशत हिस्सा है। सह-प्रवर्तकों के द्वारा हस्ताक्षरित एम ओ यू के अनुसार आई टी पी ओ के द्वारा प्रदर्शनी हाल का निर्माण करना था और कर्नाटक सरकार, सह-प्रवर्तक के द्वारा प्रदर्शनी परिसर के लिए अवसंरचना सुविधा सहित 50 एकड़ विकसित भूमि लेनी थी। संपूर्ण 50 एकड़ भूमि के टी पी ओ के कब्जे में हैं, के आई ए डी बी ने के टी पी ओ के लिए संपूर्ण भूमि का हक-विलेख जारी किया है और यह दिनांक 15.12.2010 के विक्रय विलेख के द्वारा पंजीकृत है। वर्ष 2014-15 के दौरान भूमि की पूंजी 1000.00 लाख रु. थी और विपणन न होने पर बाह्य अवसंरचना को लेखे में नहीं लिया गया था। कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड की सलाह के अनुसार वर्ष 2016-17 के दौरान 585.00 लाख रु. की राशि को बाह्य अवसंरचना लेखें में पूंजी के रूप में लिया गया है।

33.22 इण्ड ए एस 112 'अन्य संस्थाओं में ब्याज का प्रकटन' के अनुसार प्रकटन

क) अनुषंगी कंपनियां

31.03.2018 को समूह की अनुषंगी कंपनियां नीचे दी हैं जब तक अन्यथा सूचित न किया जाए, तब तक उनके पास इक्विटी शेयर पूंजी है, जिसमें केवल इक्विटी शेयर शामिल हैं जो प्रत्यक्षतः समूह के द्वारा धारित होते हैं, बराबर-बराबर वोटिंग अधिकार वाले इक्विटी शेयर समूह के द्वारा धारित होते हैं।

संस्था का नाम	व्यवसाय का स्थान/ निगमित देश	समूह के द्वारा धारित स्वामित्व हित		गैर नियंत्रण हितों द्वारा धारित स्वामित्व हित		प्रमुख मूल कार्यकलाप
		31/03/2018	31/03/2017	31/03/2018	31/03/2017	
कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन	भारत	51%	51%	49%	49%	ट्रेड प्रमोशन
तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन	भारत	51%	51%	49%	49%	ट्रेड प्रमोशन

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

ख) ऐसी प्रत्येक अनुषंगी कंपनी की संक्षिप्त वित्तीय सूचना जो गैर-नियंत्रण हित वाली हैं। प्रत्येक अनुषंगी कंपनी के लिए प्रकट की गई राशि अंत: कंपनी विलोपन से पूर्व की है :

संक्षिप्त तुलन पत्र	कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन		तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन	
	31/03/2018	31/03/2017	31/03/2018	31/03/2017
चालू परिसंपत्तियां	12,125.77	10,066.06	22,597.15	18,335.33
चालू देयताएं	1,531.02	283.52	999.85	1,084.76
निवल चालू परिसंपत्तियां	10,594.75	9,782.54	21,597.30	17,250.58
गैर चालू परिसंपत्तियां	2,646.74	2,699.32	3,961.38	4,228.28
गैर चालू देयताएं	-	-	29.70	18.75
निवल गैर चालू परिसंपत्तियां	2,646.74	2,699.32	3,931.68	4,209.54
निवल परिसंपत्तियां	13,241.49	12,481.86	25,528.98	21,460.11
आरोग्य गैर नियंत्रण हित	6,488.33	6,116.11	12,509.20	10,515.46

संक्षिप्त लाभ-हानि विवरण	कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन		तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन	
	31/03/2018	31/03/2017	31/03/2018	31/03/2017
राजस्व	1,127.72	799.94	4,755.94	4,749.50
वर्ष का लाभ	1,994.63	5,316.35	3,153.85	3,155.59
अन्य विस्तृत आय	-	-	4.83	-2.23
कुल विस्तृत आय	1,994.63	5,316.35	3,158.68	3,153.35
आरोग्य गैर नियंत्रण हित	977.37	2,605.01	1,547.75	1,545.14

संक्षिप्त कैश फ्लो	कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन		तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन	
	31/03/2018	31/03/2017	31/03/2018	31/03/2017
प्रचालन कार्यकलापों से कैश फ्लो	(106.54)	(5,531.78)	1,486.58	1,452.45
निवेश कार्यकलापों से कैश फ्लो	105.02	5,534.44	(3,477.65)	554.12
वित्तीय कार्यकलापों से कैश फ्लो	-	-	989.78	(217.84)
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/ कमी	(1.52)	2.66	(1,001.30)	1,788.72

ग) संयुक्त उद्यम में हित

संस्था का नाम	व्यवसाय का स्थान	समूह के द्वारा धारित स्वामित्व हित		लेखांकन पद्धति	केरीइंग राशि	
		31/03/2018	31/03/2017		31/03/2018	31/03/2017
राष्ट्रीय व्यापार सूचना केन्द्र	भारत	50%	50%	इक्विटी पद्धति	152.58	166.11

घ) अलग-अलग नगण्य संयुक्त उद्यम

इक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए लेखे में लिए गए अलग-अलग नगण्य संयुक्त उद्यमों में समूह के हित संबंधी वित्तीय सूचना नीचे दिए अनुसार है:

विवरण	31/03/2018	31/03/2017
अलग अलग नगण्य संयुक्त उद्यमों की ले जायी गई कुल राशि	152.58	166.11

विवरण	31/03/2018	31/03/2017
समूह का कुल शेयर :		
वर्ष का लाभ	(13.10)	3.32
अन्य विस्तृत आय	(0.43)	(1.86)
कुल विस्तृत आय	(13.53)	1.46

एन सी टी आई को बंद करने के लिए निदेशक बोर्ड की 84वीं और 85वीं बैठक में एन सी टी आई के बोर्ड के निर्णय के अनुसार वाणिज्य विभाग द्वारा मंत्रिमंडल के अनुमोदन प्राप्त करने के लिए मसौदा मंत्रिमंडल टिप्पणी संयुक्त सचिव डी ओ सी के पास भेजा गया है। एन सी टी आई को बंद करने के लिए मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए अनुरोध करते हुए अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, आई टी पी ओ, अध्यक्ष एन सी टी आई और कार्यकारी निदेशक, आई टी पी ओ के द्वारा अनुवर्ती पत्र भी डी ओ सी को भेज दिए गए हैं।

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

33.23 **पूर्व अवधि समायोजन** (रु. लाख में)

विवरण	त्रुटि का स्वरूप		राशि
01.04.2016 को प्रारंभिक धारित आय			**170,293.39**
समायोजन			-
01.04.2016 को पुनः सूचित प्रारंभिक धारित आय			**170,293.39**
2016-17 को समाप्त वर्ष के लिए निरन्तर जारी प्रचालनों से लेकर अवधि के लिए पुनः सूचित व्यय से अधिक आय			21,535.17
वर्ष 2016-17 के दौरान अन्य व्यापक आय			(221.21)
31.03.2017 को पुनः सूचित प्रारंभिक धारित आय			**191,607.34**

31.03.2017 को समाप्त वर्ष पुनः सूचित व्यय से अधिक आय (रु. लाख में)

विवरण	त्रुटि का स्वरूप		31मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
लाभ में आय और व्यय विवरण (वृद्धि/ कमी) पर प्रभाव			
निरंतर जारी प्रचालनों से लेकर अवधि के दौरान व्यय से अधिक आय			**21,542.40**
कर्मचारी हित व्यय			
वेतन, मजदूरी और भत्ते	ओमिशन	(1.18)	
अन्य सुविधाएं और भत्ते	ओमिशन	(0.15)	
चिकित्सा व्यय	ओमिशन	(1.21)	(2.54)
अन्य व्यय			
प्रचार	ओमिशन	(2.87)	
सुरक्षा व्यय	ओमिशन	(1.52)	
पानी प्रभार	ओमिशन	(0.16)	
वाहन भत्ता	ओमिशन	(0.14)	(4.69)
आय और व्यय पर निवल प्रभाव			**(7.23)**
निरंतर जारी प्रचालनों से लेकर अवधि के लिए पुनः सूचित व्यय से अधिक आय			**21,535.17**

इक्विटी और ई पी एस पर पूर्व अवधि त्रुटियों का प्रभाव (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
इक्विटी में इक्विटी (वृद्धि/ कमी) पर प्रभाव		
अन्य वित्तीय देयताएं		
अन्य देयताएं	(7.23)	-
इक्विटी पर निवल प्रभाव	**(7.23)**	**-**

ई पी एस में प्रति शेयर मूल और कम हुई आय (वृद्धि/ कमी) पर प्रभाव

विवरण	31मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
निरन्तर जारी प्रचालन के लिए प्रति शेयर आय	
इक्विटी धारकों के लिए आरोप्य निरन्तर जारी प्रचालनों से मूल लाभ	(0.00)
इक्विटी धारकों के लिए आरोप्य निरन्तर जारी प्रचालनों से कम हुआ लाभ	(0.00)

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

33.24	**पूर्व वर्ष के आंकड़े** जहां कहीं जब जरूरी समझा गया, वहां वर्तमान वर्ष के आंकड़ों के अनुरूप पूर्व वर्ष के आंकड़ों को पुन: इकट्ठा किया / पुन: व्यवस्थित किया गया है।

ह./-
(एस. आर. साहू)
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं. एफ5595

ह./-
(डी. एम. शर्मा)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
सदस्यता सं. 084838

ह./-
(दीपक कुमार)
कार्यकारी निदेशक
डी आई एन : 07886176

ह./-
(एल. सी. गोयल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी आई एन : 02389348

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस. पी. चोपड़ा ऐण्ड कं.
चार्टर्रित लेखाकार
एफ आर एन 000346एन

ह./-
अंकुर गोयल
भागीदार
सदस्यता सं. 099143

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 अगस्त, 2018

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

एक्सपो अस्ताना कजाकिस्तान 2017

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अन्तर्गत 'स्वच्छ भारत कोष' भारत सरकार में योगदान

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अन्तर्गत 'स्वच्छ गंगा फंड' भारत सरकार में योगदान

स्वच्छ भारत

एक कदम स्वच्छता की ओर

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

प्रगति भवन, प्रगति मैदान, नई दिल्ली–110001